अष्टम माला, खंड 11, अंक 13

गुरुवार, 5 दिसम्बर, 1985

14 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 11 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 11, चौथा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 13, गुरुवार, 5 दिसम्बर, 1985/14 अग्रहायण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—24
*तारांकित प्रश्न संख्या : 243 से 246 और 248 से 250	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	24—233
तारांकित प्रश्न संख्या : 251 और 253 से 262	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2588 से 2736, 2738 से 2760, 2762 से 2799, 2801 और 2802	
प्राक्कलन समिति	233—234
अठारहवां प्रतिवेदन	
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	234—245
काफी का न्यूनतम निकासी मूल्य नियत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति	
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	234
श्री खुर्शीद आलम खां	234
श्री बसुदेव आचार्य	238
श्री अमल दत्त	239
श्री अनिल बसु	240

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

पृष्ठ

नियम 377 के अधीन मामले ... ... 245—250

(एक) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों और बिहार के पश्चिमी जिलों की परिवहन संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए एक उच्च शक्ति सम्पन्न समिति का गठन

श्री मदन पांडे 245

(दो) जामिया मिलिया का पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा देने की आवश्यकता

श्री अजीज कुरेशी 246

(तीन) ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए और प्रदूषण को रोकने के लिए चित्तौड़गढ़ के पास की खानों के पट्टे रद्द करने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत 247

(चार) वार्षिक राजकीय पुरस्कारों के लिए पाली और प्राकृत भाषाओं को भी सम्मिलित करने और पुरस्कार की राशि बढ़ाने की आवश्यकता

प्रो० नारायण चन्द पराशर ... 247

(पांच) बिहार के गोपालगंज में विश्व बैंक की सहायता से पटसन, उर्वरकों आदि के लिए गोदाम स्थापित करने की मांग

श्री काली प्रसाद पाण्डेय ... 248

(छः) टायरों के उचित मूल्यों का निर्धारण और टायर उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की मांग

श्री अनिल बसु 248

(सात) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने के लिये तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही 249

(आठ) आन्ध्र प्रदेश के वारंगल जिले में "पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न" फैक्टरी स्थापित करने की मांग

श्री सी० जंगा रेड्डी 249

(नौ) देश के डाक कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान देने की आवश्यकता

डा० वी० वेंकटेश 250

वायुयान (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प
और
वायुयान (संशोधन) विधेयक ... ... 251—295

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री सी० जंगा रेड्डी 251

श्री बंसी लाल 256

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी 258

डा० ए० कलानिधि 260

श्री पी० नामग्याल 262

श्री अजित कुमार साहा 269

श्री मूल चन्द डागा 270

श्री एच० एम० पटेल 274

प्रो० नारायण चन्द पराशर 275

श्री नारायण चौबे 277

श्री गिरधारी लाल व्यास 280

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी 282

श्री मानवेन्द्र सिंह 284

श्री चिन्ता मोहन 288

श्री हरीश रावत 289

श्री बंसी लाल 289

वायुयान (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प (अस्वीकृत) ... ...

वायुयान (संशोधन) विधेयक ... ...

खंड 2, 3 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री बंसी लाल 295

			पृष्ठ
रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) विधेयक	...	...	295—318
विचार करने के लिए प्रस्ताव			
डा० दत्ता सामन्त	...	...	296
श्री विजय एन० पाटिल	...	...	301
श्री बालासाहिब विखे पाटिल	...	...	305
श्री बसुदेव आचार्य	...	...	309
श्री बापूलाल मालवीय	...	...	310
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	...	312
श्री सी० जंगा रेड्डी	...	...	316
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	..	...	319

पर उद्योग

लोक सभा

गुरूवार, 5 दिसम्बर, 1985/14 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लक्ष्य तथा उपलब्धि

*243. प्रो० के० वी० थामस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न गर्भ निरोधक तरीके अपनाने से संबंधित परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) इस योजनावधि के दौरान वर्षवार, उपलब्धि कितनी रही; और

(ग) यदि उपलब्धि लक्ष्य से कम रही, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग) परिवार कल्याण कार्यक्रम का कार्यनिष्पादन अनेक बातों पर निर्भर करता है जिनमें मौजूदा समाजार्थिक परिस्थितियां, डेलिवरी सिस्टम की पहुंच, मांग बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास तथा कार्यक्रम के प्रबन्ध की कार्यकुशलता शामिल है।

विवरण

छठी योजनावधि (1980-81 से 1984-85 तक) के दौरान परिवार नियोजन के तरीकों के अखिल भारतीय लक्ष्य और उपलब्धियां

(आंकड़े हजारों में)

परिवार नियोजन के तरीके	1980-81		1981-82		1982-83		1984-85		1984-85*	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. नसबन्दी	2896	2053	2896	2792	4522	3983	5900	4532	5823	4082
2. आई० यू० डी० निवेशन	791	628	791	751	1512	1097	2500	2134	3183	2562
3. प्रचलित गर्भ निरोधकों के उपयोगकर्ता	5042	3718	5042	4439	6502	5765	7900	7661	10000	8523
4. खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्ता	495	91	495	120	503	183	1100	729	1000	1289

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

प्रो० के० वी० थामस : महोदय, सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति '2000 ई० तक सबके लिए स्वास्थ्य' की है। परिवार नियोजन हमारी स्वास्थ्य नीति का मुख्य अंग है। लेकिन जब हम निर्धारित लक्ष्य पर नजर डालते हैं, तो यह देखा जा सकता है कि यह एकदम असफल रहा है। इसका एक कारण यह है कि यह सरकार का कार्यक्रम है, लोग इसमें ज्यादा भाग नहीं लेते। इसे जनता का कार्यक्रम बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम असफल नहीं रहा है। इसमें इस हद तक सफलता मिली है कि 1951 से शुरू किए गए इस कार्यक्रम से हम देश में 7 करोड़ बच्चों का जन्म होने से रोकने में सफल हुए हैं। क्या यह परिवार नियोजन कार्यक्रम का ही परिणाम नहीं है कि इस समय हमारी जनसंख्या 81 करोड़ की बजाय 74 करोड़ है ?

प्रो० मधु दंडवते : आप कैसे जानते हैं कि आप कितने बच्चों का जन्म रोक पाए हैं ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : दूसरे, हम इस देश में जिस परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहे हैं उसमें मां और बच्चे की देखभाल, प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा भी शामिल है। महोदय, जहां तक लोगों की इसमें भागीदारिता का संबंध है, हमने कई तरह से पहल की हैं और इसमें निचले स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक समितियों का गठन किया जाना, अध्यापकों, धार्मिक कार्यकर्त्ताओं, गैर-सरकारी एलोपैथिक चिकित्सकों की राय लेना, महिला मंडलों और युवा-क्लबों को सक्रिय बनाना, और सभी स्तरों पर स्वयंसेवी एजेंसियों को अन्तर्ग्रस्त करना शामिल है। इस संबंध में लोगों को शिक्षित और प्रेरित करने संबंधी प्रयासों को बढ़ाया जाएगा जब इन सब कामों में पहल की जाएगी तो हमें विश्वास है कि सरकार द्वारा चलाया जा रहा परिवार नियोजन कार्यक्रम वास्तव में जनता का अपना कार्यक्रम बन जाएगा।

प्रो० के० वी० थामस : महोदय, मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य से यह देखा जा सकता है कि नसबन्दी को अधिक महत्व दिया गया है। गांवों में लोग आज भी नसबन्दी करान से डरते हैं। वे समझते हैं कि इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या सरकार अन्य तरीकों जैसे ओरल पिल्स, निरोध आदि के प्रयोग पर अधिक महत्व देगी ?

श्री एस०कृष्ण कुमार : हमारा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्णत: स्वैच्छिक कार्यक्रम है। दूसरे शब्दों में जो लोग परिवार नियोजन करना चाहते हैं वे परिवार नियोजन के किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सच है कि नसबन्दी तथा गर्भाधान के तरीके देश में व्यापक रूप से अपनाए जा रहे है। हम नसबन्दी के महत्व को कम नहीं करना चाहते क्योंकि इसका अधिक जनसांख्यिकी प्रभाव हैं। देश में 31% दम्पत्ति, जो संतान पैदा करने में सक्षम हैं, उनमें से 25% नसबन्दी के तरीके अपना रहे हैं और केवल 6% दम्पत्ति बच्चों के जन्म में अन्तराल रखने के तरीके अपना रहे हैं। हमें उसकी जानकारी है। हम इस सम्बन्ध में व्यापक रूप से जानकारी देने तथा अपने देश के ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को आई०ओ०डी०, निरोध और ओरल पिल्स का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने के प्रयास करने जा रहे हैं।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या मंत्री महोदय हमें बतायेंगे कि क्या नसबंदी का लक्ष्य राज्य-

बार निर्धारित किया गया है ? यदि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है कि राज्य सरकारें संबंधित विभागों के अधिकारियों के लिए लक्ष्य निर्धारित करती हैं और यदि वे लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहते हैं, तो क्या उन्हें सजा दी जाती है ।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, हमने जो जनसांख्यिकी लक्ष्य निर्धारित किया है उसे प्राप्त करने के लिए, हमारे सामने और कोई उपाय नहीं है कि हम उसके लिए समय सीमा निर्धारित करें । यह अनिवार्य है कि लक्ष्यों के बारे में विभिन्न राज्यों को बता दिये जाएं । हम केवल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमने जो इतने अधिक कर्मचारियों को नियुक्त किया है वे लोगों को प्रेरणा देकर और परिवार नियोजन के संबंध में उन्हें शिक्षित करने का काम करें । यदि वे वैसा करते हैं, तो लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा । हमें दफ्तरशाह के बारे में ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है, जिसमें किसी के साथ जबरदस्ती की गई हो । लेकिन हम माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं से जितने काम की अपेक्षा की गई है, अगर वे उससे बचने के लिए जबरदस्ती करते हैं, तो इसकी अनुमति उन्हें नहीं दी जाएगी ।

श्री जगन्नाथ राव : महोदय, देश में करीब 5000 खंड हैं । क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रत्येक खंड में परिवार नियोजन कार्यक्रम में कितनी सफलता मिली है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रत्येक खंड को कोई प्रोत्साहन देने का वचन दिया गया है ।

श्री एस० कृष्ण कुमार : हम देश के सभी 412 जिलों और 5000 सामुदायिक विकास खंडों में इस कार्यक्रम के कार्य-निष्पादन की देख-रेख और समीक्षा कर रहे हैं। हमारे यहां खंड स्तर पर जनता के निकाय और सरकारी निकाय हैं । हमें इसमें खंड विकास अधिकारियों और अन्य सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों में काम कर रहे सभी विकास अधिकारियों को अंतर्ग्रस्त करना चाहते हैं । प्रोत्साहन देने का प्रश्न सामान्य प्रश्न है और यह पूरे देश पर लागू होता है । महोदय, हमने राष्ट्रीय, जिला और राज्य स्तरों पर सामुदायिक पुरस्कार रखे हैं । हम खंड स्तर और राज्य और अधीनस्थ स्तर पर कार्यक्रम में लगे सभी कार्यकर्त्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार देने पर विचार कर रहे हैं ।

श्री चिंता मोहन : महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में इस बात की जानकारी नहीं दी है कि 1984-85 में कितने लोगों की नसबन्दी की गई, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी महिलाओं और पुरुषों के नसबन्दी आप्रेशन किए गए । छठी पंचवर्षीय के दौरान ही उनमें से कितने मामलों में असफलता मिली ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, हमारे पास आंकड़े हैं । लेकिन मैं क्रमबद्ध रूप विभिन्न तरीकों से पुरुषों और महिलाओं के किए गए नसबंदी आप्रेशन के बारे में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसके लिए मुझे पृथक से नोटिस दिया जाना चाहिए था ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का संक्रामक रोगों सम्बन्धी क्षेत्रीय सम्मेलन

*244. **श्री आनन्द सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1985 के अन्त में नई दिल्ली में हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय सम्मेलन में मलेरिया तथा एक्वायर्ड इम्यून डेफिशियेंसी सिण्ड्रोम (एड्स) जैसे रोगों की रोकथाम और उनके उन्मूलन में हुई प्रगति की समीक्षा की गई थी, और

(ख) यदि हां, तो उसमें संक्रामक रोगों के किन-किन विशिष्ट पहलुओं पर विचार किया गया ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रीय समिति के 38वें अधिवेशन ने 24-30 सितम्बर, 1985 को हुई अपनी बैठक में विभिन्न रोगों के नियंत्रण/उन्मूलन में हुई प्रगति की आम समीक्षा की। समिति ने यह नोट किया कि यद्यपि मलेरिया के प्रकोप में इस समग्र क्षेत्र में गिरावट आई है तथापि मलेरिया रोधक दवाइयों के प्रति इस रोग के परजीवियों की प्रतिरोधिता तथा कीटनाशकों के प्रति रोग वाहकों की प्रतिरोधिता की समस्याओं में अभी तक कोई तकनीकी परिवर्तन नहीं आया है। सम्भोग प्रसारित रोगों की समस्याओं पर विचार-विमर्श करते हुए एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिसियेंसी सिंड्रोम (ए०आई०डी०एस०) नामक नए-नए पैदा हुए रोग का जिक्र आया था। समिति ने यह महसूस किया है कि इस स्थिति का ध्यान से अवलोकन किया जाना चाहिए।

श्री आनन्द सिंह : समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि केवल इसके निदान पर ही करीब 3000 डालर खर्च आता है और दूसरे भारत में किसी भी अस्पताल में इसके निदान के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। यदि मेरी बात गलत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या अस्पतालों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने मामलों की जांच की गई। यदि एसे कुछ मामले हैं तो आप या सरकार या कोई अन्य यह दावा कैसे कर सकते हैं कि भारत में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियेंसी सिंड्रोम (ए० आई० डी० एस०) रोग नहीं है ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : भारत में अभी तक वास्तव में एड्स रोग का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने अपने सभी फील्ड अधिकारियों, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशकों और चिकित्सा कालेजों को निदेश दिए हैं कि वे एड्स रोग के मामलों पर निगरानी रखें। आई० सी० एम० आर० ने उच्च जोखिम वाले समूह के सम्बन्ध में अध्ययन कराने की पहल की है और यह काम व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है; उच्च जोखिम वाले समूह में वे लोग शामिल हैं जो समलैंगिक रुधिर या शरीर में होने वाले आदान कराया है तथा ऐसे अन्य लोग शामिल हैं। हमारे देश में कहीं भी एड्स का पता लगाने में हमारी नैदानिक सुविधाएं और डाक्टर काफी निपुण हैं।

जहां तक चिकित्सा सुविधाओं का संबंध है, हमने रोग-प्रतिकारकों की जांच के लिए पूना स्थित जीवाणु संस्थान में एक सैल गठित किया है। जहां तक भारत का संबंध है, स्थिति काफी नियंत्रण में है और चिन्ता करने का ऐसा कोई कारण नहीं है।

श्री आनन्द सिंह : मैं अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछने से पहले स्पष्टीकरण चाहता हूं और वह यह कि क्या आपके पास एड्स रोग के निवारण के लिए आवश्यक सुविधाएं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि एक सैल का गठन किया गया है।

श्री आनन्द सिंह : क्या उनके पास उपकरण हैं ? किस अस्पताल में ऐसे उपकरण हैं ? यह कोई मलेरिया, टायफाइड या कोई अन्य रोग का ऐसा मामला नहीं है कि एक डाक्टर ही इसको करता है। एड्स एकदम नई बीमारी है, जिसका पता हाल ही में चला है। यदि यह एक इतनी साधारण बीमारी है कि कोई भी डाक्टर इसका निदान कर सकता है तो फिर ऐसा क्यों है कि अमेरिका में केवल इसके निदान पर ही 3000 डालर खर्च आता है ?

सर्वप्रथम, हमारे पास आवश्यक उपकरण होने चाहिएं। कम से कम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अथवा किसी अन्य अत्याधुनिक अस्पताल के पास इसके निदान के लिए आवश्यक उपकरण होने ही चाहिएं। यदि यह रोग है, तो ऐसे मामलों का पता लगाया जाना चाहिए। और मैं नहीं जानता कि कितने मामलों का पता लगाया गया है। आप कहते हैं कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई मामला यहां सामने नहीं आया है। जब कोई मामला ही नहीं तो वे उसका विश्लेषण कैसे कर सकते हैं ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं यह बात दोहरा रहा हूं कि देश में एड्स का कोई वास्तविक मामला सामने नहीं आया है। (व्यवधान) एड्स रोग अब तक केवल कुछ ही देशों में फैला है। विश्व में ऐसे कई देश हैं जहां यह रोग नहीं फैला है। हम इसका निदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं; इसकी जांच और फिर इसका निदान किया जा सकता है। यह रोग अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। मंत्रालय को इस समस्या की पूरी जानकारी है और हम जब जितनी सुविधाओं की आवश्यकता होगी, सुलभ कराएंगे।

श्री डी० एन० रेड्डी : हाल ही में हुए सम्मेलन में तीन संक्रामक रोगों के संबंध में चर्चा की गई थी। एक रोग है मलेरिया। जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस पर पूरी तरह से नियन्त्रण नहीं किया जा सका है। विदेशों में मलेरिया का टीका तैयार किया गया है। क्या सरकार को इसकी जानकारी है तथा क्या सरकार देश में उन टीकों के आयात के लिए कदम उठाएगी ?

जहां तक एड्स रोग का संबंध है, क्या सरकार एक्वायर्ड इम्यून डेफिशियेंसी साइनड्रोम वायरस को अन्य देशों से विशेषकर अमेरिका से यहां पर फैलने से रोकने की सावधानियां बरतेगी ?

क्या सरकार हवाई अड्डों पर स्वास्थ्य की जांच कराने के लिए कदम उठाएगी ताकि इस वायरस को हमारे यहां फैलने से रोका जा सके ?

मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को मालूम है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के कई भाग स्ट्रै-प्रोमाइसीन तथा अन्य दवाइयों के प्रति, जो कि हमारे देश में उपलब्ध हैं, प्रतिरोधक हैं। हाल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक नई दवाई की खोज की गयी है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इसकी जानकारी है। और क्या उसे इस दवा के विषय में जो ऐंटी स्ट्रेप्टोमाइसिन मामलों के उपचार में काम आती है, कोई जानकारी है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, 1965 तक मलेरिया को लगभग समाप्त करने में सफल रहा जबकि मलेरिया के मामले केवल एक लाख रह गए थे जो कि 1952 में कार्यक्रम के प्रारम्भ होते समय लगभग 750 लाख थे, लेकिन हम जानते हैं कि मलेरिया में थोड़ी बढ़ोत्तरी हुई है और अब हमारे पास लगभग 21 लाख मामले हैं। इस वर्ष हम इस रोग का प्रभाव लगभग 15% कम करने में सफल हुए हैं। हमें इस बात की जानकारी है और हमने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए सातवीं योजना में 370 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है जो कि हमारे स्वास्थ्य बजट का लगभग 40 प्रतिशत है।

जहां तक एड्स रोग का सम्बन्ध है मैं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय तथा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा इस रोग के सम्बन्ध में शिक्षा निगरानी, पहचान और उपचार के लिए उठाये गये विभिन्न कदमों को गिना सकता हूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। जहां तक हवाई अड्डों पर विदेशी पर्यटकों पर नियन्त्रणों का प्रश्न है, हम काफी सोच-विचार के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। हमने बड़े हवाई अड्डों पर जो यौन-रोग चिकित्सालय हैं उन्हें सतर्क कर दिया है कि वे उस रोग के मामलों के बारे में चौकस रहें। हम किसी अन्य प्रकार के नियंत्रण लाने के विषय में नहीं सोच रहे हैं क्योंकि विश्व में किसी अन्य देश ने विदेशी पर्यटकों पर ऐसे कोई नियंत्रण नहीं लगाये हैं।

जहां तक तपेदिक रोग का सम्बन्ध है, हम लगभग 15 लाख रोगियों का प्रति वर्ष निदान करते हैं, हमारे यहां तपेदिक के एक करोड़ रोगी हैं और हम 15 लाख रोगियों का प्रतिवर्ष उप-चार करते हैं। हमारा एक शैक्षणिक कार्यक्रम भी हैं और हम नई दवाइयों के बारे में जानते हैं और इस रोग से लड़ने के लिए योजना काल में 55 करोड़ रुपये खर्च करेंगे।

डा० ए० कला-निधि : श्रीमान्, मैं समझता हूं कि कलकत्ता में एड्स रोग के दो मामलों के बारे में रिपोर्ट मिली है। यह बम्बई में हुई एक चिकित्सा सम्मेलन में बताया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है और यदि हां, तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : कलकत्ता से या कहीं और से "एड्स" के किसी मामले की कोई भी अधिकारिक सूचना नहीं मिली है। जहां तक किन्हीं विशेष भागों में मलेरिया की घटना की

पुनरावृत्ति की बात है, हम तुरन्त दल भेजते हैं, हम मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के उद्धर्व संगठन को पुनर्स्थापित कर रहे हैं जिसको कि हमने साठ के दशक के मध्य में भंग कर दिया था क्योंकि हमने सोचा था कि हमने बीमारी का उन्मूलन कर दिया है। अब हमारा एक कार्यक्रम है और हमें इस बीमारी के विषय में सोचना है।

डा० कृपासिन्धु भोई : माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मलेरिया के मामलों का प्रतिशत और जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़े जो कि उनके मंत्रालय में आते हैं, ठीक हैं या नहीं। मलेरिया के 50 प्रतिशत मामले कीटनाशक छिड़काव और क्लोरोक्विन तथा अन्य दवाइयों के प्रति प्रतिरोधक हैं जिसका कारण प्लास्मोडियम फेल्सीपरिम की उपस्थिति है, अतः जनसंख्यात्मक सूचना के आधार पर मंत्री जी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि मलेरिया का उन्मूलन हो गया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मलेरिया उन्मूलन हेतु माननीय मंत्री जी द्वारा किसी नए निवारक कदम पर विचार किया जा रहा है।

दूसरे जहां तक "एड्स" का सम्बन्ध है, "एड्स" के लक्षण उसी तरह हैं जैसे पहली अवस्था में कैंसर के लक्षण होते हैं...... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप ये सब मत समझाइये !

डा० कृपासिन्धु भोई : श्रीमान् मैं अपना प्रश्न पूरा करूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् तथा पुणे जीवाणु प्रयोगशाला को विस्तार से जांच करने और एक परिपत्र तैयार करने को कहा है जिसको कि सभी जिला मुख्यालयों के अस्पतालों में "एड्स" के निदान, तथा उसका अन्य बीमारियों से अन्तर स्पष्ट किया जा सके।

श्री एस० कृष्ण कुमार : श्रीमान्, जहां तक मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का प्रश्न है, मैं निश्चित रूप से अपने तकनीकी अधिकारियों के मार्गदर्शन में चल रहा हूं जिन्होंने विश्व में सबसे अच्छे मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रमों में से एक को चलाया है, दूसरे, जहां तक "एड्स" का प्रश्न है, मैं दोहराना चाहूंगा कि हमने विस्तृत आदेश दिये हैं। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने सभी स्वास्थ्य सेवा निदेशकों को, यौन संक्रमण रोग अस्पतालों को, जिला अस्पतालों को तथा देश के सारे निचले अस्पतालों को विस्तृत आदेश दिए हैं कि वे लक्षणों का पता लगाने के लिए चौकस रहें।

[हिन्दी]

श्री जी० एस० मिश्र : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स में इसी तरह की कोई बीमारी फैली हुई है, उसको रोकने के लिए, उसको डायग्नोज करने के लिए आपके पास क्या प्रक्रिया है ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : मुझे इसके लिए नोटिस की जरूरत है।

वाणिज्यिक कर संग्रह के विस्तार हेतु रेल अधिनियम में संशोधन

*245 **श्री एस० एम० गुरड्डी**† }
श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी } : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल अधिनियम में कुछ संशोधन करने संबंधी पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के ताजा सुझावों की ओर ध्यान दिया है, ताकि वाणिज्य कर संग्रह के आधार का विस्तार किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि ये प्रस्ताव रेल मंत्रालय को स्वीकार्य नहीं हैं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) कुछ राज्य सरकारों ने सुझाव दिया है कि माल की बुकिंग करने/सुपुर्दगी देने से पहले बिक्री कर प्राधिकारियों से बेबाकी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर बल देने का रेलों को अधिकार देने के लिए भारतीय रेल अधिनियम में संशोधन किया जाये। यथोचित जांच करने के बाद इस सुझाव को स्वीकार करना संभव नहीं हुआ है ।

(ग) माल की बुकिंग अथवा सुपुर्दगी से पहले बिक्री कर बेबाकी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का आग्रह करने से माल की बुकिंग/सुपुर्दगी की कार्य-प्रणाली बोझिल हो जायेगी । इसके अलावा, इससे बुकिंग करने तथा गोदामों से माल हटाने की प्रक्रिया धीमी हो जायेगी । इसके परिणामस्वरूप माल डिब्बों की रूकौनी होगी तथा माल गोदामों में संकुलन हो जाएगा जिससे रेल संचलन की गतिशीलता पर प्रभाव पड़ेगा जो समग्र राष्ट्रीय हित में नहीं होगा । तथापि, बिक्री कर अधिकारियों को बिक्री कर के अपवंचन की रोकथाम करने के लिए रेलवे के रिकार्डों से जानकारी प्राप्त करने की अनुमति दे दी गयी है ।

श्री एस०एम० गुरड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने राज्यों में वाणिज्य निदेशालयों को हुए घाटे का अनुमान लगा लिया है ?

श्री माधव राव सिंधिया : श्रीमान, यह रेलवे विभाग के क्षेत्र में नहीं आता ।

श्री एस०एम० गुरड्डी : श्रीमान, इसके लिये मुझे बहुत खेद है । उत्तर में मंत्री जी ने तर्क दिया है कि बिक्री कर रसीदों पर जोर देने से माल के डिब्बों के आवागमन में विलम्ब हो जायेगा । लेकिन, श्रीमान इन बहाने व्यापारी कर की चोरी करने लगेंगे । वह इस विषय में क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री माधव राव सिंधिया : यह परिवहन मंत्रालय, रेलवे विभाग के अन्तर्गत नहीं आता ।

श्री एस०एम० गुरड्डी : आप उत्तर दे रहे हैं... (**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह प्रश्न रेलवे मंत्री को क्यों संबोधित किया गया ? एक बार जब सदन के विचारार्थ किसी प्रश्न को ले लिया जाता है तो मंत्री को ऐसा कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती...

अध्यक्ष महोदय : यह रेलवे कानून में संशोधन के विषय में है।

(**व्यवधान**)

श्री एच०एम० पटेल : वे अन्य मंत्रालयों से कभी भी सूचना ले सकते हैं।

श्री एस०एम० गुरड्डी : साधारणतया लोक सभा सचिवालय सदस्य को सूचना देता है ।

प्रो० मधु दण्डवते : सरकार एक समग्र सरकार है... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप इस विषय में कोई प्रश्न क्यों नहीं पूछते ?

(**व्यवधान**)

श्री माधव राव सिंधिया : जहां तक इन क्रियाओं की बात है, यह रेलवे के काम को किस तरह प्रभावित करेगा मैं इसका निश्चय ही उत्तर दूंगा, लेकिन बिक्री कर घाटे का अनुमान यह सम्भवतः बिक्री कर राजस्व का अनुमान कोई ऐसी चीज नहीं जिस पर रेलवे विभाग को कुछ कहना है। (**व्यवधान**)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या बिक्री कर संसाधनों को जुटाना प्रत्येक राज्य सरकार का संवैधानिक अधिकार है । केन्द्र एवं राज्यों के बीच सम्बन्धों के विषय में सरकारिया कमीशन का जो निर्णय है उसके आने तक । जबकि योजना आयोग ने संसाधनों को जुटाने में राज्य सरकारों की असफलता का आरोप लगाया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह एक आधारभूत तथ्य नहीं है कि भारत के संविधान की भावना के अनुरूप, भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो व्यवस्था है उसके अनुसार राज्यों को बिक्री कर के उनके उचित संसाधनों से वंचित नहीं किया जाना चाहिये और इस सम्बन्ध में रेलवे मंत्रालय बाध्य है कि राज्य सरकारों के आदेशों का, बिना उनके अधिकार छीन हुए, पालन करे । अत: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसे बिना टिकट रेल में यात्रा करने की इजाजत यात्रियों को नहीं है उसी प्रकार वस्तुऐं भी राज्यों में बिक्री कर चुकाये बगैर यात्रा नहीं करेंगी, इस समस्या से निबटने के लिये रेलवे कोई इन्तजाम क्यों नहीं करती ?

श्री माधव राव सिंधिया : मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि हमारा पहला कर्तव्य है वस्तुओं की ढुलाई करना, और हम अन्य सभी मंत्रालयों से, और सभी विभागों से तथा सभी राज्य सरकारों से सहयोग करने का हर सम्भव प्रयत्न करेंगे उस हद तक जहां तक यह हमारे मालगाड़ी डिब्बों

की गतिशीलता को या हमारे क्रियाकलापों को प्रभावित नहीं करता, मैं यहां यह उल्लेख कर दूं कि रेलवे हमारे देश के आधार ढांचे का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है।

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ यह हुआ कि हमें यह प्रश्न किसी और मंत्रालय को सौंपना पड़ेगा।

श्री माधव राव सिंधिया : हमने मालगाड़ी के डिब्बों की गतिशीलता बढ़ा दी है। मैं माननीय सदस्य से असहमत होने की अनुमति चाहता हूं। हमने सभी रेलवे को परिपत्र जारी कर दिये हैं कि बिक्री कर अधिकारियों को हर सम्भव सहायता दी जाय। सारे रिकार्डों तक उनकी पहुंच होनी चाहिये। वे हमारे रिकार्डों से भी जानकारी ले सकते हैं, उन्हें हर सहयोग दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह अब सभी रेलों में किया जा रहा है।

श्री सोमनाथ रथ : क्या रेलवे विभाग सामान बुक करने से पूर्व बिक्री कर निकासी रसीद की मांग करेगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : यह ठीक है, यह उनका कर्तव्य होना चाहिये।

श्री माधव राव सिंधिया : यही पूरा सवाल है, हम कह रहे हैं कि ऐसा करना सम्भव नहीं है।

प्रो० एन०जी० रंगा : हम राज्य सरकारों से आशा करते हैं कि वे रेलों के लिये सुरक्षा का बन्दोबस्त करेंगे। क्या केन्द्र की ओर से भी पारस्परिक सहयोग नहीं होना चाहिये? **(व्यवधान)**

तेलुगु गंगा परियोजना

*246 **श्री नरसिंह सूर्यवंशी**†
श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर } : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित तेलुगु गंगा परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसे कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है;

(ख) क्या उक्त परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक के लिये कृष्णा नदी के पानी का पूरा हिस्सा सुनिश्चित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार कर्नाटक राज्य के हितों की पूर्ण रक्षा हेतु परियोजना को नया रूप देने के प्रस्ताव पर विचार करेगी

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सितम्बर, 1983 की परियोजना रिपोर्ट के अनुसार तेलुगु गंगा परियोजना की अनुमानित लागत 637 करोड़ रुपये है।

इसमें मद्रास शहर जल सप्लाई के लिए तमिलनाडु सीमा तक 15 टी०एम०सी० जल के हस्तांतरण तथा लगभग 29 टी०एम०सी० अधिशेष और कृष्णा जल और 30 टी०एम०सी० पेन्नार नदी जल का उपयोग करके आन्ध्र प्रदेश में लगभग 2 34 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की परिकल्पना की गई है। इसके तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के पूर्ण रूप से स्थापित हो जाने तथा अन्तर्राज्यीय पहलुओं को हल कर लिये जाने के पश्चात् ही इसकी स्वीकृति के लिए विचार किया जायेगा। कृष्णा जल में कर्नाटक का हिस्सा न्यायाधिकरण के निर्णय द्वारा अधिशासित होता है तथा तेलुगु गंगा परियोजना पर कार्रवाई करते समय राज्य के हित को ध्यान में रखा जाएगा।

श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : मेरा यह प्रश्न है :

(क) कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री रामकृष्ण हेगड़े की उपस्थिति में 25 मई, 1983 को उद्घाटन की गई कौन-सी परियोजना थी; क्या यह तेलगु गंगा परियोजना थी या मद्रास शहर को पीने के पानी की सप्लाई की परियोजना थी ?

(ख) क्या तेलगु गंगा परियोजना 1977 के करार के अनुसार थी; यदि नहीं तो क्या भारत सरकार ने तेलगु गंगा परियोजना को अनुमति दी है ?

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री का यह वक्तव्य ठीक है कि उन्हें अतिरिक्त जल के उपयोग करने का पूरा अधिकार है ? यदि नहीं तो क्या यह अतिरिक्त पानी कर्नाटक के हिस्से का अतिक्रमण करता है ?

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राम और शंकर के बीच में गंगा फंसी है। इधर रामाराव हैं, उधर रामकृष्ण हेगड़े हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : शंकर और राम के बीच में गंगा नहीं फंसी है, मगर तेलुगु गंगा फंसी है। (व्यवधान) शंकर बिचारा क्या करे ? (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : तेलुगु गंगा फंसी है।

[अनुवाद]

उन्होंने विषय पर पूर्व निर्णय दे दिया है। श्री शंकरानन्द के बावजूद तेलुगु गंगा अटकी हुई नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बी० शंकरानन्द : रेड्डी जी आप इसमें न फंसे।

[अनुवाद]

यह सच है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री की पहल पर तीन राज्यों के बीच 1976 में एक समझौता हुआ था जिसमें इस नदी से संलग्न राज्य आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र शामिल थे।

समय मद्रास को पीने के पानी की सप्लाई करने की व्यवस्था के बारे में मुख्य विषय था। जब 1976 का समझौता हुआ तो वह मुख्य विचार था। मैं नहीं समझता कि उपलब्ध रिकार्ड से 1976 के समझौते पर किसी समय सिंचाई के प्रश्न पर विचार हुआ था; यह मद्रास को पानी की व्यवस्था का साफ और सरल समझौता था। इस पहलू के संदर्भ में जो सम्बन्धित बातें थीं उन पर विचार किया गया था तथा समझौता में उनकी व्यवस्था की गई थी। वास्तविक रूप से तीनों राज्यों के इस प्रयोजन के लिए प्रति राज्य 5 टी० एम० सी० तथा कुल मिलाकर 15 टी० एम० सी० जल देने के लिए सहमत हो गए थे और यह कैसे किया जाये उस पर तत्पश्चात आगे विचार किया गया था। इसके बाद 1977 का समझौता आया। 1977 का यह समझौता भी इन तीन राज्यों के बीच था। इन राज्यों ने तथा तमिलनाडू ने भी जो कि इसमें एक पक्षकार था कहा कि 'हां' हम मद्रास शहर को इतना जल देने के लिए सहमत हैं लेकिन वह श्री सेलम रिजर्वायर से खुली नालियों द्वारा ले जाया जायेगा और 15 टी०एम०सी० जल होगा तथा जलमार्ग की क्षमता इतनी होगी तथा इसे तमिलनाडु की सीमा तक ले जाया जाएगा। केन्द्र सरकार के सिंचाई मंत्रालय के सचिव सहित राज्य सरकारों के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा यह समझौता किया गया था। आंध्र प्रदेश को छोड़कर अन्य सम्बन्धित राज्यों ने इस समझौते को अनुमोदित किया लेकिन आंध्र प्रदेश ने कहा कि "नहीं सिंचाई प्रयोजन के लिए जल उपयोग करने का हमारा जो अधिकार है उस पर कोई भी शर्त आपेक्षित नहीं की जा सकती। जी हां, हम मद्रास शहर को जल की व्यवस्था करने को तैयार हैं परन्तु सिंचाई प्रयोजन या किसी अन्य उपयोग के लिए जल के उपयोग सहित हमारे प्रधिकार के लिए कोई चुनौती नहीं दे सकता या कोई शर्त नहीं लगा सकता" अत: इस शर्त के साथ आन्ध्र प्रदेश ने भी इस समझौते की पुष्टि की है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस समझौते की कानूनी स्थिति क्या है? आन्ध्र प्रदेश ने एक शर्त पर इसकी पुष्टि की है। इसका कानूनी प्रभाव क्या है? मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं; तथा तब मुख्य समस्या शुरू होती है। आन्ध्र प्रदेश इस जल का उपयोग सिंचाई प्रयोजन के लिए करने में बहुत उत्सुक था। लेकिन इसे बचावट समिति के निर्णय के अन्तर्गत करना होगा। आन्ध्र प्रदेश ने यह आधार लिया है कि हमें चूंकि जल को उपयोग करने का अधिकार है......

एक माननीय सदस्य : अतिरिक्त।

श्री बी० शंकरानन्द . अतिरिक्त नहीं। मैं उस पर आ रहा हूं। आन्ध्र कहता है कि अतिरिक्त जल है लेकिन बचावट समिति ने 'अतिरिक्त' शब्द का उल्लेख नहीं किया है; वह कहता है...

(व्यवधान)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : विसंगत **(व्यवधान)** आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। हमें यह कहते हुए बहुत दु:ख होता है। **(व्यवधान)**

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : आप सदन को उद्देश्य के साथ गुमराह कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री एम० रघुमा रेड्डी : आप सदन को गुमराह कर रहे है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आपको इस पर कोई आपत्ति है तो आप यह मामला मुझे भेज सकते हो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम आपको स्पष्टीकरण दिला सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें केवल स्पष्ट करने के लिए कह सकता हूं ।

(व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी : वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। हमें बताना है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह पंचाट की गलत व्याख्या कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप 115 के अन्तर्गत आ सकते हैं। बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम अनुमति दे सकते हैं। हमने ऐसा पहले किया था । हम इसे फिर से कर सकते हैं। आप कोई प्रश्न उठा सकते हैं। आप इसे मुझे भेज सकते हैं। जी हां।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सब ठीक है। कृपया बैठ जाइए।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मैं बताना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : माननीय मंत्री पक्षपात कर रहे हैं।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मुझे उल्लेख करने दो... । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों नहीं बैठते हो ? बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी : यह उचित नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उचित है या नहीं, यह अपनी-अपनी राय है लेकिन हमें समझना होगा कि तथ्य क्या हैं और हम केवल...

(व्यवधान)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : वह न्यायिक निर्णय की व्याख्या नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी राय के अनुसार कहना होगा। परन्तु आप उनकी राय को चुनौती दे सकते हो।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह बचावट समिति के पंचाट की इस तरह से गलत व्याख्या नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : वह समझौते का अशुद्ध उद्धरण दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मै जो कुछ कह रहा हूं वह यह है, (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुमा रेड्डी, क्या आप अपनी सीट पर बैठेंगे ? मै कहता हूं कि आप इसको चुनौती दे सकते हैं। आपको यह करने का अधिकार है। आप यह क्यों कर रहे हैं ? परन्तु आपको यह करने का पूरा अधिकार है आप सदन में इस तरह हरेक की जांच नहीं कर सकते हैं। मैं आपको रोक नहीं रहा हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह गलत उद्धरण दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह आपकी राय है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : वह यह ठीक नहीं कर रहे है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह निर्णय के विपरीत है।

अध्यक्ष महोदय : यह आपकी राय है।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियम 115 के अन्तर्गत आप नोटिस दे सकते हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : वह ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं जो सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे आपकी इच्छाओं के अनुसार नहीं बना सकता हूं। उन्हें प्रश्न का उत्तर देना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक साधारण प्रश्न है कि मन्त्री जी को उत्तर देना है। और इस उत्तर में यदि आपकी इच्छा या दृष्टि के अनुसार वह कुछ गलत बताते हैं तो वह आप मुझे भेज सकते हैं। इस समय हम उनसे पूछ नहीं सकते हैं। हम चर्चा के लिए कह सकते हैं। कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप इस तरह उन्हें रोक नहीं सकते हैं। मैं आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर सकता हूं।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : कृपया, क्या आप····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ नहीं है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : महोदय कृपया हमें सुनें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप आदेश दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने मेरा बहुत अधिक समय बर्बाद किया है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : हम विवाद नहीं कर रहे हैं कि आपने क्या कहा। हम जो कुछ कह रहे हैं वह यह है कि जब कोई मंत्री प्रश्न का उत्तर देते हैं और वह किसी विशेष पंचाट का उल्लेख करते हैं तो वह वहां से अशुद्ध उद्धरण नहीं दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इसका उल्लेख मुझे कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : लेकिन उसे बताना हमारा अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : आप नियम 115 के अन्तर्गत उसका उल्लेख मुझे कर सकते हैं। आप मुझे उल्लेख कर सकते हैं। आपको अधिकार है। आपको ऐसा करने का अधिकार है। आप चुनौती कर सकते हैं। आप इसे कर सकते हैं। आप इसे चुनौती दे सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वेंकटेश, क्या सदन को चलाने का यह तरीका है ? आप योग्य संसद सदस्य हैं, आप क्या कर रहे हैं।

डा० वी० वेंकटेश : मैं चाहता हूं कि वह उत्तर दें...... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे उत्तर दिलाने की कोशिश कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम : अध्यक्ष महोदय, आप देखिए... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोद : नो क्वेश्चन आफ देखा-देखी।

...**(व्यवधान)**

श्री वी० तुलसीराम : आप इस तरह गुस्से में आयेंगे तो काम नहीं चलेगा। पानी का मसला है...... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आपको अधिकार है और आप इसको चैलेंज कर सकते हैं ।

श्री बी० तुलसीराम : डिसकशन अलाऊ कर दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब इन्कार किया है, लिखकर दीजिए ।

श्री बी० तुलसीराम : आप बहुत दयालु हैं । तेलुगु और कर्नाटक के लिए आपकी मदद की जरूरत है ।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : गुरूदेव आपको इन्कार कब किया है ।

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर आधे घंटे की अनुमति दे सकते हैं ।

[**हिन्दी**]

इसमें है क्या ? नो-प्रोब्लम···झगड़ा किस बात का है । आप अपनी बात कहिए, यदि गलत है तो ये मान लेंगे, अगर सही है तो आप मान लेना ।

[**अनुवाद**]

श्री बी० शंकरानन्द : मैं आन्ध्र प्रदेश के माननीय सदस्यों को स्पष्ट करता हूं कि मैं इस मामले में आन्ध्र प्रदेश के हित के प्रति समान रूप से चिन्तित हूं । माननीय सदस्यों विशेषरूप से आन्ध्र प्रदेश के माननीय सदस्यों के मन में यह डर या संदेह नहीं होना चाहिए कि केन्द्र सरकार आन्ध्र प्रदेश या अन्य किसी राज्य के हित की उपेक्षा कर रहा है । यदि वे थोड़ा-सा मुझे सुनें तो वे इस नतीजे पर आयेंगे कि केन्द्र भी आन्ध्र प्रदेश के साथ समान रूप से दिलचस्पी रखती है । परन्तु उन्होंने अपना धैर्य नहीं रखा है ।

[**हिन्दी**]

श्री बी० तुलसीराम : आपको हमने समझ लिया है, और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है । यदि हम शंकर जी से प्रार्थना करते तो वे बड़े दयालू हैं और वैसे ही आशीर्वाद दे देते । लेकिन आप बहुत कठिन हैं जो तेलगु-गंगा को पकड़ कर के बैठे हैं, इतने दिन लगा दिए ।

[**अनुवाद**]

श्री बी० शंकरानन्द : क्या मैं आन्ध्र प्रदेश के माननीय सदस्यों से अपील कर सकता हूं कि मामले पर प्रतिकूल रूप से चर्चा न करें तथा इस तरह उसका पक्ष कमजोर न करें ।

श्री सी० माधव रेड्डी : इस पक्ष को पहले से ही खो दिया है ।

श्री बी० शंकरानन्द : यह आपके हाथ में है ।

मैंने कहा है कि इसे इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि मैं अपना कुछ प्रभाव बना रहा हूं । मैं केवल तथ्य बता रहा हूं और तथ्यों के संदर्भ में मैंने कुछ कहा जो निर्णय में लिखा गया था ।

माननीय सदस्यों तथा महोदय, आपकी सुविधा के लिए मैं न्यायाधिकरण के प्रतिवेदन के पृष्ठ 52 पर अध्याय VII, खण्ड 5 उप खण्ड (ग) से उद्धृत करता हूं;

"आन्ध्र प्रदेश के राज्य को किसी जल वर्ष में शेष जल को जो कृष्णा नदी में बह रहा हो उपयोग करने की स्वतन्त्रता होगी परन्तु इसके कारण उसे कृष्णा नदी में निर्दिष्ट मात्रा से अधिक जल को किसी जल वर्ष में उपयोग करने का किसी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा या किसी जल वर्ष में नियत किया हुआ नहीं समझा जायेगा।" **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर चर्चा के लिए कह सकते हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : क्या मैं माननीय सदस्यों से अपील कर सकता हूं कि इस पर बेचैन न हों ? मैं केवल उद्धृत कर रहा हूं। मैंने अपना कोई अर्थ नहीं निकाला है। मैंने केवल प्रावधान पढ़ा है। अब आप इसकी व्याख्या कर रहे हो। मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : यह बहकर समुद्र में गिर रहा है।

श्री बी० शंकरानन्द : यह बात देश के हित में है कि उस जल का उपयोग किया जाए जो समुद्र में जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि यह राष्ट्र उस जल को जिसका अभाव भी है और जो अनमोल भी है व्यर्थ बरबाद नहीं जाने दे सकता। यदि उपयोग किए बिना ही पानी समुद्र में बह रहा है, तो हमें इसका उपयोग करना ही चाहिये··· **(व्यवधान)**

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : हम ऐसा ही कर रहे हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं भी तो यही कह रहा हूं और आप मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हैं··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप फिर बोल रहे हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : यह तब तक नहीं हो सकता है जब तक तीनों राज्यों के मुख्य मंत्री आपस में मिलकर मतभेद दूर नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : अब अगला प्रश्न···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा की स्वीकृति पहले से ही दे चुका हूं···

(व्यवधान)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : आपने हमें अनुपूरक प्रश्न पूछने का एक भी अवसर नहीं दिया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इस विषय पर पूरी चर्चा करने की अनुमति दी है। आप और क्या चाहते हैं ?

श्री अमल दत्त : महोदय आपको इस प्रकार गुस्सा नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह अनावश्यक है। कुछ किया जाना चाहिए। मेरी इच्छा है कि सदस्य यह बात सुनें। केवल इतना ही। यह आपके लिए है। मैं यह अपने लिए नहीं कर रहा हूं। आपने इसकी मांग की है।

[हिन्दी]

मेरा तो वैसे ही गला खराब है आप और जबर्दस्ती खराब करवा रहे हैं।

[अनुवाद]

मथुरा में अनूठी मूर्तियों की चोरी पकड़ना

***248. श्री सुभाष यादव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1985 के अन्तिम सप्ताह में मथुरा में मारे गए छापों में एक करोड़ रुपये के मूल्य की अनूठी मूर्तियों की चोरी पकड़ी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) राज्य पुलिस ने सूचित किया है कि 27-10-1985 को मथुरा में एक घर पर छापा मार कर उन्होंने कुछ मूर्तियां पकड़ीं जिनका मूल्य अभी आंका जाना है।

(ख) पकड़ी गई वस्तुओं में, जो पुलिस के कब्जे में हैं; प्रस्तर-मूर्तियां और पक्की मिट्टी की आकृतियां शामिल बताई जाती हैं। विस्तृत सूची अभी तैयार की जानी है।

(ग) पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है।

[हिन्दी]

श्री सुभाष यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है, उसके सम्बन्ध में उनसे यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जवाब में यह स्पष्ट नहीं किया है कि कोई पकड़ा गया है या नहीं, एग्जैक्ट कुछ लोग पकड़े गए हैं या नहीं, और मैं उनके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि यह बहुत संगठित गिरोह का काम है तथा मेरा ख्याल है कि मंत्रालय इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है क्योंकि यह एक महीने पहले की घटना है और अभी तक जो चोरी का माल गया है उसका मूल्यांकन तक नहीं हुआ है। इसलिए अब मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या जानकारी प्राप्त की है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, मंत्रालय इस मामले पर गम्भीरता से विचार कर रहा है और जो 27 तारीख को रेड हुआ था, लाल दरवाजा लोकेलिटी मथुरा में, उसमें उन्होंने विजय प्रकाश अग्रवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने इस सम्बन्ध में क्रिमिनल केस किया है जिसके बारे में जांच चल रही है और इसके अतिरिक्त हमारे डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस और आर्केलॉजिस्ट आगरा से गए थे ताकि इसके बारे में पूरी जांच करें, तो पता चला कि वे सारी चीजें एक गनी बैग में सील्ड हैं तथा वे सारी चीजें उसमें भरी हुई हैं जिसके कारण उन चीजों की इन्वेस्टीगेशन या इंस्पेक्शन करना उनके लिए सम्भव नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस के हाथ में ये केस है। इस सम्बन्ध में महोदय, मैं यह भी बताना चाहती हूं कि आर्केलाजिकल डिपार्टमेंट सर्वे आफ इण्डिया के जो डायरेक्टर जनरल हैं और जो कांपिटेंट अथॉरिटी हैं, जैसे ही इन चीजों का इंस्पैक्शन होगा, वे देखेंगे कि वास्तव में वे एंटीक्विटीज हैं या नहीं और अगर हैं, तो उनकी एस्टीमेटेड क्या कॉस्ट है और अगर नहीं है, तो ये सारी चीजें पुलिस के हाथ में हैं और इनकी पूरी जांच पड़ताल कराई जाएगी। इस बीच में इसके अतिरिक्त लखनऊ से भी सी० आई० डी० की जांच मांगी गई है और ये सारी चीजें इस स्टेज पर हैं, वे लोग अरेस्ट हैं और इन्वेस्टीगेशन हो रही है तथा पुलिस के मातहत ये केस चल रहा है।

श्री मानवेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि मथुरा एक चूंकि बड़ा प्राचीन धार्मिक स्थान है तथा वहां पर गांवों में भी बड़े प्राचीन मन्दिर हैं तथा बड़े प्राचीन स्थान हैं और जो मथुरा में म्यूजियम है उसमें कुषाण और होलकर का एक बहुत बड़ा कलैक्शन है, ये आज का प्रश्न नहीं है जब से ये एकमात्र मूर्तियों की चोरी पकड़ी गई है, वहां पर प्रायः ऐसा होता रहता है और पिछले 10 वर्ष से एक गिरोह कार्य कर रहा है, जो कि ग्रामों और प्राचीन स्थलों में से, बड़े-बड़े मंदिरों में से मूर्तियां चोरी करता रहता है। इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसमें सख्त कार्यवाही की जाए क्योंकि वहां से निरन्तर मूर्तियां चोरी होती रहती हैं और आज तक कोई भी अरेस्ट नहीं किया गया है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : माननीय सदस्य की राय से हम सहमत हैं कि समय-समय पर ऐसी चोरियां होती रही हैं और इनको रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए हैं। फिर भी हम महसूस करते हैं कि जैसे पहले 10 सर्किल थे, अब 18 सर्किल बनाये गये हैं और सेफ्टीगार्ड्ज प्रोटैक्शन का शैल्टर भी बनाया गया है। फिर भी यह काफी नहीं है। यह बहुमूल्य चीजें हैं, इसके लिए जो आर्केलाजिकल एक्ट है, इसमें भी कहीं-कहीं कमी है, हम इसका रिव्यू कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो इसमें थोड़े-से संशोधन लाने पर हम विचार कर रहे हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि इन अनूठी कीमती, बहुमूल्य मूर्तियों की चोरी के बाद इनकी तस्करी की जा रही है और पिछले 5 वर्षों में इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है ? क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस तरह की चोरी और तस्करी होती है। परन्तु जो सेंट्रली-प्रोटेक्टेड मौन्यूमैंट्स हैं, उनके फिगर्स हमारे पास हैं, उनसे जाहिर है कि पिछले साल इनमें बढ़ोत्तरी

नहीं हुई है, बल्कि कुछ कमी आई है। उसकी संख्या हमारे पास है, उस पर विजिलैंस रखी जा रही है, फिर भी तस्करी चल रही है। इसमें पब्लिक को भी सहयोग देना पड़ेगा। इसमें जो 6 महीने की सजा और पैनल्टी की बात है, जो तस्करी करते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, वायोलेशन करते हैं उनके लिए सजा और फाइन दोनों के बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं जानना चाहता हूं कि आइडल्स की चोरी करने वाले कितने गिरोह सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और उन्होंने कितनी मूर्तियां विदेशों में बेची हैं ? उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : हमारे पास मूर्तियों की गिनती तो थोड़ी-बहुत है, लेकिन चोरों की गिनती नहीं है।

[**अनुवाद**]

विद्यासागर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता

*249. **डा० सुधीर राय** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री तथा महान सपूत विद्यासागर के नाम पर एक ऐसा विश्वविद्यालय खोलने के लिए, जिसमें ऐसी अनूठी विशेषताएं होगी जो अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सभी शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विश्वविद्यालय के लिए वित्तीय अनुदान दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो आवश्यक वित्तीय अनुदान कब तक दिया जायेगा; और

(घ) यदि कोई वित्तीय अनुदान नहीं दिया जाना है तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने विश्वविद्यालय को अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित शर्तों को अभी तक पूरा नहीं किया है और शर्तों को पूरा करने तथा विश्वविद्यालय को अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित किए जाने के बाद ही अनुदान मुक्त किए जा सकते हैं।

डा० सुधीर राय : पश्चिम बंगाल के माननीय उच्चतर शिक्षा मंत्री ने पश्चिम बंगाल विधान सभा में स्पष्ट वक्तव्य दिया था कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सभी शर्तें पूरी की गई थी। अतः क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि वह पुनः पूछताछ करवाएंगी और तथ्यों का पता लगाएंगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह एक विशिष्ट सूचना है। पश्चिम बंगाल राज्य से हमें अन्तिम सूचना 26 जून, 1985 को प्राप्त हुई थी। उस समय इस बात का पता चला कि सभी शर्तें पूरी नहीं की गई हैं और 2 करोड़ रुपये तक की वास्तविक सुविधाएं अवश्य होनी चाहिएं। राज्य सरकार द्वारा दिए गए एक करोड़ 45 लाख रुपये के निर्माण अनुदान में से अभी तक केवल 85 लाख रुपयों का उपयोग किया गया है। अभी तक न तो प्रोफेसर, रीडर अथवा कर्मचारी ही नियुक्त किए गए हैं और न ही यह अभी तक एक शिक्षा संबंधी विश्वविद्यालय बन पाया है। अतः मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि सहायता दिए जाने से पूर्व इन शर्तों को पूरा किया जाए।

डा० सुधीर राय : जहां तक शिक्षा कर्मचारियों का संबंध है मैं मंत्री जी को यह सूचना देना चाहता हूं कि इनकी नियुक्ति हो गई है और वे जनवरी से प्रशिक्षण देना आरंभ करेंगे। अत: यह नया विश्वविद्यालय समुद्र जीवविज्ञान, समुद्र विज्ञान, सहकारी आन्दोलन, जैसे नये पाठ्यक्रम आरंभ कर रहा है, अर्थात् विश्वविद्यालय रोजगार-उन्मुख शिक्षा देने का प्रयत्न करेगा। यह विश्वविद्यालय जनजाति की बहुसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। अत: क्या मैं माननीय मंत्री से इस बात की आशा करूं कि वह अनुदानों की राशि देने की प्रक्रिया को तेज करेंगे ?

प्रो० एन०जी० रंगा : क्या आप अपनी ओर से जल्दी करेंगे ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जैसा माननीय सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया है कि पढ़ाई जनवरी से आरंभ होगी इस से यह बात स्पष्ट है कि पढाई अभी आरंभ नहीं हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि इसके अतिरिक्त चयन का कार्य इस समय हो रहा है और पढ़ाई भी आरंभ हो जाएगी किन्तु यह हमारे हाथों में नहीं है; यह तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ही कर सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पूरे अधिनियम का पुनरीक्षण कर रहा है, कि क्या यह शिक्षा आयोग की सिफारिशों तथा गजेन्द्र गडकर आयोग की सिफारिशों के अनुरूप नहीं है। यदि यह इनके अनुरूप नहीं हैं, तो मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उचित कदम उठाएगा।

• श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या मंत्री इस बात से अवगत हैं कि पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक महान समाज सुधारक, संस्कृत के एक महान विद्वान, बंगला वर्णमाला को नए ढंग से तैयार करने वाले थे ? क्या मंत्री जी यह बात जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में, संस्कृत भाषा के अध्ययन को पूर्ण रूप से बन्द कर दिया गया है और बंगला भाषा जो टैगोर तथा विद्यासागर को बहुत प्रिय थी अब उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में वैकल्पिक है और प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम से टैगोर का राष्ट्रीय गीत निकाल दिया गया है? वित्तीय सहायता देने से पूर्व क्या मंत्री जी यह बात ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा समवर्ती सूची में आती है, राज्य सरकार को यह परामर्श देंगे कि इस बुनियादी पहलू को सुरक्षित रखा जाना चाहिए और शेष अन्य बातें स्वतः आ जाएंगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : हम महान सामाजिक कार्यकर्ता तथा महान लोकोपकारी ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की प्रतिष्ठा से अवगत हैं; हम अत्यन्त उत्सुक हैं कि विश्वविद्यालय के विषय में भी चर्चा हो। किंतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वयं को आश्वस्त करे कि एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो शर्तें निर्धारित की गई हैं क्या वे पूरी की गई हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सहायता नहीं देता है; केवल जब किसी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है और यह अन्य सभी शर्तें पूरी करता है तो यह विश्वविद्यालय के विकास के लिए धन की मांग कर सकते हैं। मेरा विचार है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस बात की ओर ध्यान देगा।

श्री अमल दत्त : इन्होने अपने ढंग में कुछ झूठे इलज़ाम लगाए हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या यह झूठा आरोप है ? क्या आप उच्चतर शिक्षा में बंगला पढ़ाते हैं ? नहीं, आपने पहले ही उसे नष्ट कर दिया है। (**व्यवधान**)

क्या आप संस्कृत पढ़ाते हैं ? क्या आप उच्चतर शिक्षा के स्तर पर बंगला पढ़ाते हैं ? नहीं, आप ने उसे पहले ही नष्ट कर दिया है। (**व्यवधान**)

श्री अनिल बसु : हम प्राथमिक स्तर पर पढाते हैं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

हजीरा में शिपयार्ड की स्थापना

*250. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड**†
श्री छीतू भाई गामित } : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने सिफारिश की है कि देश में शिपयार्ड (जहाज निर्माण कारखाना) स्थापित करने के लिये हजीरा सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) हजीरा में जहाज निर्माण कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय न लिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) वहां (जहाज निर्माण कारखाना) स्थापित करने का निर्णय कब तक लिया जाएगा; और

(ङ) जहाज निर्माण कारखाने के लिए निर्माण कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा और यह कितने समय में बनकर तैयार हो जाएगा ?

[अनुवाद]

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) अतिरिक्त शिपयार्ड बनाने के बारे में एक तकनीकी आर्थिक कार्यदल ने समुद्र तट पर स्थित राज्यों में नए शिपयार्ड बनाने के लिए निम्नलिखित उपयुक्त स्थलों की सिफारिश की :—

गुजरात में हजीरा

गोवा में कर्लवंगानी

उड़ीसा में परादींप

पश्चिम बंगाल में हल्दिया

1975 में गठित कार्यदल ने परामर्शदाताओं की सिफारिशों का मूल्यांकन किया और 36,000 डी०डब्ल्यू०टी०से 60,000 डी०डब्ल्यू०टी० तक के आकार के जहाजों के माडल। शिपयार्ड के लिए हजीरा और 1,20,000 डी०डब्ल्यू०टी० से 1,80,000 डी०डब्ल्यू०टी० तक के आकार के जहाजों के माडल 11 शिपयार्ड के लिए परादीप की सिफारिश की।

(ग) सातवें दशक के प्रारंभ से ही विश्व के नौवहन में अप्रत्याशित मंदी के कारण विश्व मंडी में आर्डर बुक और जहाजों की कीमत में काफी कमी आ गई हैं। इसलिए यह निर्णय किया गया कि देश में और भी नए शिपयार्ड बनाने से पहले मौजूदा सुविधाओं के अधिक से अधिक उपयोग को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसलिए छठी योजना अवधि में नए शिपयार्ड के प्रस्ताव को स्थगित रखा गया।

(घ) चूंकि नौवहन उद्योग में मंदी की ही स्थिति चल रही है और धन का काफी अभाव है, इसलिए सातवीं योजना में भी नए शिपयार्ड बनाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : हम अपने देश के विषय में यह दावा करते हैं कि यह प्रगतिशील देश है। इसके अतिरिक्त गुजरात राज्य उद्योगों में प्रमुख राज्यों में से एक है। अब हजीरा तेजी से एक औद्योगिक विकास केन्द्र में बदल रहा है। और इस बात को देखते हुए आवश्यक आधारभूत ढांचा भी तैयार करना है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे निकट भविष्य में इस परियोजना को आरंभ करने की सोच रहे हैं ताकि इस क्षेत्र के अग्रेतर विकास के लिए आवश्यक आधार-भूत ढांचा तैयार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

खुरदा रोड़-बलांगीर रेल लाइन

*251. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में प्रस्तावित खुरदा रोड बलांगीर रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य 31 दिसम्बर, 1983 को आरम्भ किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तब से अब तक इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) प्रस्तावित रेल लाइन के सर्वेक्षण कार्य के लिए अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां ।

(ख) सर्वेक्षण राइट्स को सौंपा गया है । तात्कालिक टोह सर्वेक्षण के आधार पर उन्होंने अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अब अनुमोदित मार्ग के साथ-साथ विस्तृत सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है ।

(ग) और (घ) सर्वेक्षण की अनुमानित लागत 46.92 लाख रुपये है । मार्च, 85 तक हुआ व्यय 7.83 लाख रुपये है । 1985-86 के दौरान आबंटित धनराशि 17.02 लाख रुपये है ।

उड़ीसा से मूर्तियों की चोरी

*253. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत**
श्री हरिहर सोरन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर से सदियों पुरानी मूर्तियां चोरी हो गई हैं;

(ख) क्या सामान्य रूप से देश में और विशेष रूप से उड़ीसा में विभिन्न मंदिरों से प्राचीन मूर्तियों की चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य में पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसी कितनी मूर्तियां चुराई गई हैं; और

(घ) देश के विभिन्न भागों में बढ़ती हुई ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) फरवरी, 1975 में मंदिर को केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किए जाने के समय से इस प्रकार की कोई चोरी नहीं हुई है ।

(ख) यद्यपि 1984 में देश में तथा उड़ीसा में मूर्तियों की चोरियां बढ़ी थीं, परन्तु उपलब्ध सूचना के अनुसार 1985 में ये घट रही हैं ।

(ग) उड़ीसा राज्य में पिछले दो वर्षों के दौरान चोरी गई मूर्तियों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष		चोरी गई मूर्तियों की संख्या
1984	—	20
1985	—	9

(31-10-1985 तक)

(घ) केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों में चोरियों को रोकने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनका संलग्न विवरण में उल्लेख किया गया है ।

विवरण

1. अन्य स्मारकों/स्थलों में पहरा और निगरानी को सुदृढ़ करने के अतिरिक्त भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संचालित, केन्द्र द्वारा संरक्षित पन्द्रह स्मारकों और संग्रहालयों में सशस्त्र प्रहरी नियुक्त किये गये हैं ।

2. अबद्ध और उपेक्षित मूर्तियों को रखने के लिए महत्वपूर्ण स्थलों पर मूर्ति शेडों का निर्माण, उनका प्रलेखन और पुरातत्वीय स्थल संग्रहालयों की स्थापना ।

3. पुरावशेषों और बहुमूल्य कलाकृतियों के निर्यात व्यापार को विनियमित करने, पुरावशेषों की तस्करी और कपटपूर्ण कार्य को रोकने की व्यवस्था करने, सार्वजनिक स्थानों पर परिरक्षण के लिए पुरावशेषों और बहुमूल्य कलाकृतियों के आवश्यक अधिग्रहण की व्यवस्था करने हेतु पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 का प्रवर्तन ।

4. पुरावशेषों की चोरी से सम्बन्धित मामलों की जांच करने के लिए दिल्ली स्थित केन्द्रीय जांच ब्यूरो में एक केन्द्रीय जांच एकक (पुरावशेष) का सर्जन ।

5. निश्चित महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदा (प्रतिमाओं, मूर्तियों और चित्रों) की चोरी और बरामदगी के मामलों के कम्प्यूटरीकृत सामग्री बैंक का अनुरक्षण जिसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो में अपराधों, अपराधियों और सांस्कृतिक सम्पदा के सम्बन्ध में सूचना दी गई हो ।

6. केन्द्रीय जांच ब्यूरो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य पुलिस, सीमा शुल्क विभाग और पड़ताल-चौकियों के बीच समन्वय ताकि कलाकृतियों की तस्करी और सांस्कृतिक सम्पदा संबंधी अपराधों, अपराधियों, चोरियों की तत्काल रिपोर्ट की जा सके ।

7. इस प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए जहां आवश्यक होता है वहां इन्टरपोल की भी सहायता मांगी जाती है ।

आसाम में नहरकटिया में रेल का उपरि पुल

*254. **श्री सी० पी० ठाकुर** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में नहरकटिया में रेल के उपरि पुल के निर्माण की बड़ी आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सातवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान इसका निर्माण आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) रेलें व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागत में भागीदारी के आधार पर करती हैं। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित करना अपेक्षित होता है जिसमें उसे अपने हिस्से की लागत वहन करने का आश्वासन देना पड़ता है। नहरकटिया में रेलवे ऊपरी पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

आन्ध्र प्रदेश में रेल स्टेशनों का विकास

*255. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान आंध्र प्रदेश में विभिन्न रेल स्टेशनों के सुधार और विकास की योजनाओं का विवरण क्या है;

(ख) उन स्टेशनों के नाम क्या हैं तथा सातवीं योजना में उनके सुधार के लिए कितना वित्तीय आबंटन किया गया है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के लिए किन-किन अतिरिक्त सुविधाओं की योजना तैयार की जा रही है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) सातवीं योजना में उक्त योजना अवधि के दौरान सुधार/विकास करने के लिए स्टेशनों की पहचान नहीं की गयी है। रेलवे स्टेशनों के सुधार और विकास कार्यों का वर्षानुवर्ष आधार पर कार्यक्रम बनाया जाता है तथा वित्तीय आबंटन के बारे में निर्णय भी वर्षानुवर्ष आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, निर्माण कार्यों की योजना क्षेत्रीय रेलवे-वार तैयार की जाती है, राज्य-वार नहीं।

(ग) विशाखापत्तनम टाउन में ब्लाक रेक सम्भालने के लिए गुड्स टर्मिनल सुविधाओं के विस्तार का कार्य 17.66 लाख रुपये की लागत से 1986-87 के बजट में शामिल करने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में होम्योपैथी कालेजों को अनुदान

*256. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान होम्योपैथी कालेजों के संवर्धन हेतु राज्यों को, वर्ष-वार, कुल कितना अनुदान दिया गया है; और

(ख) उड़ीसा के अनेक होम्योपैथी कालेजों को केन्द्रीय सरकार से अब तक कितनी राशि के अनुदान प्राप्त हुए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके तहत होम्योपैथिक कालेजों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को अनुदान दिए जाएं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

अफगानिस्तान के साथ सांस्कृतिक संबंध

*257. **श्री सोमनाथ रथ**
श्री मुरलीधर माने } : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अफगानिस्तान के साथ सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम किस वर्ष से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम में शामिल की गई गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) भारत और अफगानिस्तान ने अक्तूबर, 1963 में एक सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किए। इस करार के अनुसरण में, लगातार विशेष सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। अद्यतन कार्यक्रम में 1985-1987 की अवधि शामिल है।

(ग) अद्यतन सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम में शामिल किए गए कार्यकलापों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम में शामिल कार्यकलापों के ब्यौरे

I. शैक्षिक कार्यक्रम

1. अफगान पक्षकार विकास अध्ययनों के क्षेत्र में अर्थात् अर्थशास्त्र, भूगोल, विकास-आयोजना, वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रबन्ध अध्ययनों और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी

सहित भू-विज्ञान, औषधि तथा आपसी-सहमति पर कोई अन्य विषय में 6 प्रोफेसरों/शिक्षाविदों को भेजेगा तथा भारतीय पक्षकार उनका स्वागत करेगा ।

2. भारतीय पक्षकार विकास अध्ययनों अर्थात अर्थशास्त्र, भू-भौतिकी, प्रबन्ध आदि तथा पश्तो भाषा के इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में 6 अध्येता/प्रोफेसर/शिक्षक भेजेगा और अफगान पक्षकार उनका स्वागत करेगा ।

3. दोनों पक्षकार संयुक्त अनुसंधान और शिक्षण-कार्यक्रम में सहयोग करेंगे । क्षेत्र तथा अनुसंधान संस्थानों का निर्णय दोनों पक्षकारों के परामर्श से तय किया जाएगा ।

4. भारतीय पक्षकार अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में अफगान अध्ययनों के कार्यक्रम को सुदृढ़ करेगा । अफगान पक्षकार इस प्रयोजन के लिए, अनुसंधान अध्येताओं आदि को पश्तो/दारी भाषाओं के शिक्षण के लिए, विदेशी भाषाएं स्कूल, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पश्तो और दारी में एक-एक शिक्षक उपलब्ध कराएगा । शर्तें आपसी सहमति के जरिए तय की जानी हैं ।

5. दोनों पक्षकार, दोनों देशों के चुने हुए विश्वविद्यालयों के बीच साहित्य और प्रकाशनों के आदान-प्रदान को आयोजित करेंगे ।

6. भारत, भारत में उच्चतर तथा व्यावसायिक शैक्षिक संस्थानों की आयोजना तथा उनके प्रबन्ध से सम्बन्धित समस्याओं पर चर्चा करने के लिए, अफगानिस्तान के एक अध्येता अथवा अधिकारी के दौरे को स्वीकार करेगा ।

7. अफगान पक्षकार दो सप्ताह की अवधि के लिए भेजेगा और भारतीय पक्षकार उनका स्वागत करेगा :

(क) शैक्षिक मूल्यांकन पद्धति के क्षेत्र में 10 व्यक्तियों तक;

(ख) श्रव्य-दृश्य शिक्षा के कौशलों और तकनीकों का अध्ययन करने के लिए चार व्यक्ति ।

8. भारतीय पक्षकार अफगान पक्षकार को, स्कूली पाठ्य-पुस्तकों का एक सैट, अंग्रेजी भाषा में भेजेगा ।

9. भारतीय पक्षकार, स्कूली पाठ्यक्रमों के लिए अंग्रेजी में उपयुक्त पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा । बदले में, अफगान पक्षकार, भारत में पाठ्यक्रमों के लिए दारी/पश्तो पुस्तकें उपलब्ध करा सकता है ।

10. दोनों पक्षकार, दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने और वैज्ञानिकों तथा सूचना आदि का आदान-प्रदान करने के लिए

विशिष्ट विषयों का भी पता लगाने के लिए तीन से चार सदस्यों का आदान-प्रदान करेंगे ।

11. भारतीय पक्षकार अफगानिस्तान को सांख्यिकीविद, अर्थशास्त्री और संगणक-वैज्ञानिक उस स्थिति में भेजेगा, यदि अफगान पक्षकार को परामर्श, लेक्चर आदि के लिए उनकी सेवाओं की आवश्यकता हो ।

12. भारत, अफगानिस्तान से भारत आने वाले अध्येताओं को, कुछ डॉक्ट्रोल शिक्षा-वृत्तियां और कुछ अतिथि शिक्षावृत्तियां प्रदान करेगा ।

13. दोनों पक्षकार, भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद में अल्प-अवधि के लिए प्रबन्ध परामर्शी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्षेत्रों में व्यावसायिकों का आदान-प्रदान करेगा ।

जबकि स्थानीय आतिथ्य, कालेज द्वारा किया जाएगा और अफगान अध्येताओं पर यात्रा-व्यय अफगानिस्तान द्वारा वहन किया जाएगा ।

14. भारतीय पक्षकार अफगान के राष्ट्रिकों को भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में अध्ययन के लिए 10 छात्रवृत्तियां प्रदान करेगा ।

टिप्पणी : भारत अफगान के राष्ट्रिकों को, दोनों तरफ का यात्रा व्यय देगा— पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने पर काबुल से भारत और वापसी का ।

15. भारत गैर-प्रक्षेपित शिक्षण अध्ययन सहायक सामग्रियों को तैयार करने में सहायता प्रदान करेगा । इसके लिए 6 सप्ताह की अवधि के लिए प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में एक अनुस्थापन-कार्यशाला के लिए 6 वरिष्ठ स्तर के अफगान प्रौढ़ शिक्षाविदों को आमंत्रित किया जा सकता है ।

16. भारत अफगानिस्तान को प्रौढ़ शिक्षा प्रकाशनों के लिए भारत में मुद्रण की सुविधायें प्रदान करेगा ।

17. भारत सेमिनारों और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के आयोजन के जरिए प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय को सहायता करने के लिए अफगानिस्तान को दो भारतीय विशेषज्ञ भेजेगा ताकि उनकी निरीक्षण और मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जा सके ।

18. भारतीय पक्षकार राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान में शैक्षिक आयोजना और प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में अफगान पक्षकार के अधिकारियों को सेवारत प्रशिक्षण की सुविधायें प्रदान करने की संभावनाओं का पता लगायेगा । ब्यौरे आपसी परामर्श के माध्यम से तय किए जायेंगे ।

19. भारत शिशु विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और शिशु विकास संस्थान में प्रशिक्षण के लिए अधिछात्रवृत्ति प्रदान करेगा।

20. अफगानिस्तान, भारतीय प्रतिनिधि मंडल का अफगानिस्तान का दौरा करने तथा उस देश की तथा पूर्व स्कूल शिक्षा और शिशु विकास कार्यक्रम को देखने के लिए स्वागत करेगा।

21. दोनों पक्षकार निम्नलिखित के लिए प्रयास करेंगे : (I) विनिमय (क) इतिहासकारों के दौरे (ख) इतिहास के क्षेत्र में पुस्तकें, सारांश और पत्रिकाएं (II) अनुसंधान प्रयोजनों के लिए ऐतिहासिक कृतियों और सामग्री के अनुवाद को सुकर बनाना (III) आपसी हित के विषयों पर संयुक्त सेमिनारें विचार-गोष्ठियां आयोजित करना, और (IV) सामान्य हित की अनुसंधान की परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना।

II. कला और संस्कृति

22. दोनों पक्षकार प्रत्येक वर्ष कलाकारों के एक समूह का 2-3 सप्ताहों की अवधि के लिए आदान-प्रदान करेंगे। समूह में अधिक से अधिक 20 व्यक्ति होंगे।

23. दोनों पक्षकार प्रदर्शन कलाकारों के समूहों का आदान-प्रदान करेंगे।

24. दोनों पक्षकार, दोनों देशों के पुस्तकालयों/संस्थाओं में पुस्तकों तथा प्रकाशनों और आपसी हित की दुर्लभ पुस्तकों की माइक्रो-फिल्मों के आदान-प्रदान की व्यवस्था करेंगे।

25. भारत अफगानिस्तान के सांस्कृतिक और भौतिक मानव विज्ञानियों को प्रयोगशाला तकनीकों के क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेंगे।

26. दोनों पक्षकार एक या दो मानक कला प्रकाशनों तथा 15/20 कला प्रतिकृतियों के आदान-प्रदान की व्यवस्था करेंगे।

27. भारतीय पक्षकार अफगानिस्तान को महत्वपूर्ण कला वस्तुओं, विशेष रूप से काबुल संग्रहालय में उच्च विषयों के वैज्ञानिक संरक्षण के लिए दो सप्ताह की अवधि के वास्ते एक वरिष्ठ/दो संरक्षकों का एक दल भेजेगा।

28. भारतीय पक्षकार एक महीने की अवधि के प्रशिक्षण के लिए दो अफगानी संग्रहालय विद का स्वागत करेगा।

29. भारतीय पक्षकार ऐतिहासिक भवनों तथा तिमूरी अवशेषों, हैरत के स्मारकों को परिरक्षण और मरम्मत के लिए तीन विशेषज्ञ अफगानिस्तान को भेजेगा और अफगान पक्षकार उनका स्वागत करेगा। शर्तें आपस में तय की जायेंगी।

30. भारतीय पक्षकार 2-8-1352 (एच० एस०) के करार के अनुसार फौलादी घाटी की गुफाओं में उनको सुरक्षित रखने तथा उनकी कलात्मक तथा पुरातत्वीय क्षमताओं को समझने के लिए अनवेषण सम्बन्धी कार्य करता रहेगा।

31. दोनों पक्षकार अफगानिस्तान में बगराम में खुदाई सम्बन्धी कार्यों के क्षेत्र में और फराह घाटी के अन्वेषण में 2-8-1352 (एच० एस०) के करार की शर्तों के अनुसार सहयोग करते रहेंगे।

32. भारतीय पक्षकार बोस्ट पुरातत्व के परिरक्षण और मरम्मत का कार्य करने के सम्बन्ध में विचार करेगा। शर्तें आपस में तय की जाएंगी।

33. अफगान पक्षकार भारत को एक या दो प्रशिक्षु तीन माह की अवधि के लिए भारत में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई कार्यों में सहायता करने के लिए भेजेगा।

34. भारतीय संग्रहालय की वस्तुओं के परिरक्षण और संरक्षण के लिए औचित्यपूर्ण अध्ययन करने के लिए एक संग्रहालयविद/विशेषज्ञ अफगानिस्तान को भेजने की पेशकश करता है।

35. अफगान पक्षकार भारत को संग्रहालय और पुरातत्व विभाग के 5 अधिकारी ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत और परिरक्षण का कार्य सीखने के लिए भेजेगा और भारतीय पक्षकार उन्हें स्वीकार करेगा।

36. भारतीय पक्षकार बौद्ध कला का अध्ययन करने के लिए एक संग्रहालयविद भेजेगा और अफगान पक्षकार उसका स्वागत करेगा।

37. दोनों पक्षकार आपस में तय शर्तों पर एक मास की अवधि के लिए एक-एक अभिलेखागारविद का आदान-प्रदान करने की सम्भावना पर विचार करेंगे और ऐतिहासिक महत्व के अभिलेखों की माइक्रोफिलम प्रतियों का आदान-प्रदान करेंगे।

38. भारत-अफगानिस्तान को दो माह की अवधि के लिए निम्नलिखित में प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करेगा :—

(1) पुस्तकों/पांडुलिपियों, अभिलेखागारों आदि की देख-भाल और संरक्षण में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम (अल्प कालिक) के लिए दो अभिलेखागारविद।

(2) रिप्रोग्राफी में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम (अल्प कालिक) के लिए दो अभिलेखागारविद।

टिप्पणी : यद्यपि प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा सकता है, आने-जाने के यात्रा व्यय के साथ-साथ अन्य सभी खर्चे भी अफगानिस्तान द्वारा वहन किए जायेंगे। तथापि भारत अफगान के प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान

करने के अलावा उनको 1000/रुपये की मासिक वृत्तिका भी अदा करेगा।

39. भारत लोक साहित्य के क्षेत्र में 1—4 माह की अवधि के लिए 2 अल्पकालिक छात्रवृत्तियां फारहन-ए-मार्डम के विभाग के तकनीकी संवर्ग के प्रशिक्षण के लिए अफगानिस्तान को प्रदान करेगा।

40. दोनों पक्षकार फारहन-ए-मार्डम से सम्बन्धित अफगानिस्तान के लोक केन्द्रों और भारत के इसी प्रकार के संस्थानों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने में सहयोग करेंगे।

41. दोनों पक्षकार प्रकाशित लोक साहित्य का आदान-प्रदान करेंगे।

42. दोनों पक्षकार मानव जाति वर्णन के प्रकाशनों और पुस्तकों का आदान-प्रदान करेंगे।

43. भारतीय पक्षकार एक दो विशेषज्ञों का पता लगाने की संभावनाओं पर विचार करेगा, जो जिसे अफगानिस्तान में उनके वाद्य यंत्रों के मरम्मत में सहायता करने के लिए अफगानिस्तान भेजा जा सकता है।

44. भारत संग्रहालय विज्ञान में तीन अफगानी अध्येताओं को अपने राष्ट्रीय संग्रहालय में सेवा कालीन लघु प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा। ब्यौरे आपसी परामर्श से तय किए जाएंगे।

III. पत्रकारिता, रेडियो, टी० वी० और फिल्में

45. दोनों पक्षकार एक दूसरे के देश में जीवन और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए रेडियो और दूरदर्शन द्वारा उपयोग किए जाने वाले कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे।

46. दोनों पक्षकार अफगान राष्ट्रीय रेडियो, दूरदर्शन और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के बीच बढ़े हुए सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे। दोनों पक्षकार इस उद्देश्य के लिए नयाचार पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।

47. दोनों पक्षकार विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए सरकारी स्वामित्व वाले संचार संगठनों और सरकार में ऐसे संचार एकक के समन्वय के लिए उत्तरदायी कार्यरत कार्मिकों के बीच परिचय दौरों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे।

48. दोनों पक्षकार दो पत्रकारों का अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक ऐसे लोग जो सरकारी सूचना के प्रसार में लगे हुए हैं, अधिक से अधिक दो सप्ताह के लिए दो वर्ष में एक बार आदान-प्रदान करेंगे।

49. दोनों पक्षकार दूसरे देश में दिखाने के लिए चुनिन्दा लघु फिल्मों का आदान-प्रदान करेंगे ।

50. दोनों पक्षकार पारस्परिक आधार पर फिल्म सप्ताहों का आदान-प्रदान करेंगे ।

51. दोनों पक्षकार एक दूसरे के फिल्म समारोहों में भाग लेंगे ।

IV. युवा और खेल

52. (1) भारत, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला में खेल में प्रशिक्षण के लिए दो स्थानों की व्यवस्था करेगा । प्रशिक्षण का क्षेत्र आपसी सहमति से तय किया जाएगा ।

(2) दोनों देश आपसी सहमति के आधार पर सहमत खेल के क्षेत्र में खेल टीमों का आदान-प्रदान करेंगे ।

सिक्किम में हिन्दी का प्रसार

*258. **श्रीमती डी० के० भंडारी : क्या मानव संसाधन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सिक्किम के लोग हिन्दी सीखने के इच्छुक हैं, और राज्य के प्राय: शत-प्रतिशत लोगों द्वारा बोली जाने वाली नेपाली तथा हिन्दी दोनों की लिपि देवनागरी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने सिक्किम में हिन्दी के प्रसार के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या स्थानीय लोगों के लाभार्थ गंगतोक में एक हिन्दी पुस्तकालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय सभी अहिन्दी भाषी भारतीयों तथा विदेशियों को पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से हिन्दी पढ़ाने की एक योजना चला रहा है । यह सुविधा सिक्किम के लोगों के लिए भी उपलब्ध है । निदेशालय उन उत्तरी पूर्वी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के भारतीय प्रशासनिक सेवा के उम्मीदवारों के लिए हिन्दी के शिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है जो भारतीय भाषा में हिन्दी को एक अनिवार्य पत्र के रूप में लेते हैं । पिछले वर्ष सिक्किम के चार छात्रों को यह सुविधा प्रदान की गई । अपने विस्तार कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगतोक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, सादम के एक शिक्षक को हैदराबाद/मद्रास में आयोजित नव-हिन्दी लेखक कार्यशाला में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया ।

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी पुस्तकों के निशुल्क वितरण की योजना के अंतर्गत केन्द्रीय विद्यालय, गंगतोक को पिछले कई वर्षों से हिन्दी की पुस्तकें भेजी जा रही हैं।

उपरोक्त सभी योजनायें केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा चलाई जा रही है तथा प्रत्येक वर्ष प्रमुख समाचार पत्रों तथा गंगतोक आकाशवाणी के माध्यम से विज्ञापित की जाती हैं।

(ग) जबकि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, फिर भी सिक्किम राज्य सरकार अथवा किसी सक्षम स्वैच्छिक संगठन द्वारा इस सम्बन्ध में दिए गए किसी भी सुझाव पर भारत सरकार अनुकूल दृष्टि से विचार करने के लिए इच्छुक होगी।

एकीकृत बाल विकास सेवाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा

*259. **श्री शान्ति धारीवाल**
श्री विष्णु मोदी } : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उसके द्वारा चलाए जा रहे एकीकृत बाल विकास सेवाओं के कार्यक्रमों के कार्यकरण की कोई समीक्षा कराई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है;

(ख) क्या सरकार को ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि निराश्रित बच्चों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और इन योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए तथा धन के दुरुपयोग के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है।

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य-मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा (आई०सी०डी०एस०) कार्यक्रम के कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र एजेन्सियों द्वारा सर्वेक्षण करवाया था। इन मूल्यांकनों से पता चला है कि समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं का उन विकास ब्लाकों में महत्वपूर्ण प्रभाव है जहां ये परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

(ख) निराश्रित बच्चे समेकित बाल विकास सेवा योजना के कार्य क्षेत्र में नहीं आते। समेकित बाल विकास सेवा के लिए केन्द्रीय अनुदान के दुरुपयोग का कोई भी मामला मंत्रालय के नोटिस में नहीं आया है। कल्याण मंत्रालय निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सातवीं योजना में नई रेल लाइनें

*260. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में नई रेल लाइनें बिछाने के लिए कितना प्रावधान किया गया है;

(ख) रेगिस्तानी क्षेत्रों में नई रेल लाइनें बिछाने के लिए उक्त योजना में क्या कार्यक्रम शामिल किया गया है; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बीकानेर से कांडला तक का क्षेत्र देश का एक पिछड़ा हुआ रेगिस्तानी क्षेत्र है और इसे इंदिरा गांधी नहर के साथ जोड़ा गया है अथवा जोड़ा जा रहा है और यह खनिजों, गैस और तेल सम्पदा से भरपूर क्षेत्र है, बीकानेर से कांडला तक एक नई बड़ी रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव सातवीं योजना में शामिल किया गया है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) 350 करोड़ रुपये, जिनमें नई लाइनों के चालू निर्माण कार्यों की प्रगति के लिए भी राशि शामिल है ।

(ख) सातवीं योजना प्रलेख में रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से किसी नयी लाइन की पहचान नहीं की गई है । तथापि, राजस्थान में नयी लाइनों/आमान परिवर्तन की कई परि-योजनायें चल रही हैं ।

(ग) जी नहीं ।

"ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा/केअर" के लिए वाहनों की खरीद

*261. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1977 से 1980 तक की अवधि के दौरान "ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा/केअर" के नाम पर कितने वाहन खरीदे गये;

(ख) उनमें से कितने वाहनों का उपयोग किया गया और कितने वाहन अनुपयोगी बना-कर बेकार पड़े हैं;

(ग) क्या दिनांक 12 अक्तूबर, 1985 के "जनसत्ता" में "जंग लगने के इंतजार में स्वास्थ्य सेवा वाहन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के अनुसार तीन गाड़ियां सफदरजंग अस्पताल के निकट यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइसेंस के प्रांगण में खड़ी जंग खा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (घ) यू० के० एक कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त 318 मोबाइल क्लीनिकों में से मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेंस और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को तीन-तीन मोबाइल क्लीनिक दिए गए थे। इन मोबाइल क्लीनिकों का इस्तेमाल हर संस्था में अलग-अलग रूप में किया जा रहा है जो अनुपूरक संसाधनों की उपलब्धता सहित अनेक बातों पर निर्भर करता है। जहां कहीं सम्भव है इन मोबाइल क्लीनिकों का इस्तेमाल अन्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए भी हो रहा है। इनका अधिक से अधिक उपयोग हो, इस उद्देश्य से सरकार समय-समय पर इन क्लीनिकों के उपयोग को मॉनीटर करती रहती है।

[अनुवाद]

अनिवार्य परिवार नियोजन

*262. **श्री पी० कुलन्दईवेलू** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारत की जनसंख्या में चिन्ताजनक रूप से वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या सरकार स्वैच्छिक परिवार नियोजन कार्यक्रम से संतुष्ट है; और

(ग) क्या अनिवार्य परिवार नियोजन को लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) देश में वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची समझी जाती है। जन्म-दर में तेजी से गिरावट लाने के बारे में योजनाएं तैयार की गई हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर चलाया जा रहा है। इसमें ओर-जबरदस्ती लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय नौवहन निगम का कार्यकरण

2588. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय नौवहन निगम के कार्यकरण की जांच की है;

(ख) कितने पोत अनुपयोगी हैं और अलाभकर पाए गये हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार निगम के अलाभकर पोतों का निपटान करने का है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) भारतीय नौवहन निगम के कार्य की नियत कालिका समीक्षा के अलावा पिछले तीन वर्षों में उसके कार्य की कोई विशिष्ट जांच नहीं का गयी है।

(ख) और (ग) भारतीय नौवहन निगम के बेड़े की क्षमता 147 जहाजों की है जिसमें से 7 जहाजों को छोड़कर शेष सभी काम कर रहे हैं। भारतीय नौवहन निगम के प्रबंधकों ने इन सात जहाजों को स्क्रैप करने का निर्णय ले लिया है और इनके स्क्रैपिंग की औपचारिकतायें पूरी की जा रही हैं। भारतीय नौवहन निगम अपने जहाजों की आयु, मरम्मत खर्च आदि जैसे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उनकी आर्थिक व्यवहारिकता की दृष्टि से उनके कार्य की लगातार निगरानी करता है।

केन्द्रीय विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा

2589. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में निर्धन परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कोई विचार है; और

(ख, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय अनिवार्य रूप से स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हैं। केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा कक्षा VIII तक निःशुल्क है। कक्षा IX से कक्षा XII तक का ढांचा अभिभावकों की आय ने संबंधित होता है किन्तु इन कक्षाओं में योग्य निर्धन छात्रों को पूरी फीस माफी की 10% सीमा तक शिक्षा शुल्क की अदायगी से छूट देने की व्यवस्था है।

मेट्रो रेलवे वर्क कलकत्ता में विदेशी कम्पनियों का शामिल होना

2590. **श्री अमल दत्त** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकता में मेट्रो रेलवे कार्य के कार्यान्वियन में ठेकेदार अथवा परामर्शी अथवा सहयोगी अथवा/जानकारी या उपकरणों के सप्लायर की हैसियत से कोई विदेशी कम्पनी शामिल है;

(ख) यदि हां, तो इसमें शामिल इन विदेशी कम्पनियों, उनका कार्य-क्षेत्र और उन्हें अथवा उनके लेखाओं में देय धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी विदेशी कम्पनियों की भारत में कोई कम्पनी अथवा सहयोगी अथवा एजेंट हैं; और

(घ) मेट्रो रेलवे परियोजना में ऐसी पार्टी/पार्टियों के सहयोग का ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां ।

(ख) विदेशी सहयोगी कम्पनियां हैं—मैसर्स निकेक्स, हंगरी और मैसर्स ताइसी कार्पोरेशन, जापान । मैसर्स निकेक्स शील्ड टनेल बनाने के कार्य में मैसर्स हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कं० लि० के सहयोगी हैं और मैसर्स ताइसी कार्पोरेशन चित्तरंजन एवेन्यू के साथ के कार्य के लिए कटाव और आवरण प्रणाली विज्ञान में और निर्माण मशीनरी की सप्लाई में मैसर्स हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कं० लि० को सहयोग देते हैं । मैसर्स निकेक्स को 37 लाख 42 हजार स्विस फ्रैंक की राशि और मैसर्स ताइसी कार्पोरेशन को 1537 मिलियन येन की राशि देय है ।

(ग) और (घ) विदेशी कम्पनियों की कोई भारतीय पूरक कम्पनी नहीं है। वे भारतीय निर्माण फर्मों की सहयोगी हैं ।

कमर्शियल पायलटों के लिए प्रशिक्षण स्कूल

2591. **श्री अनादि चरण दास** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कमर्शियल पायलट पाठ्यक्रमों के लिए एक प्रशिक्षण स्कूल शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों को क्या छूट/सुविधायें देने का है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जी, हां । "इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी" नामक राष्ट्रीय फ्लाइंग अकादमी की स्थापना फुरसतगंज, उत्तर प्रदेश में की जा रही हैं ।

अकादमी की स्थापना और प्रबन्ध इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान सोसाइटी द्वारा किया जाएगा जो एक स्वायत्त संस्था है; जिसकी स्थापना इस उद्देश्य के लिए की गई है और जिसका पंजीकरण सोसाइटी अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है ।

इस सोसाइटी के उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(क) इसके पश्चात निर्दिष्ट सभी अथवा किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना, संरचना, प्रबंध और संधारण;

(ख) विदेशी राष्ट्रिकों सहित, आम जनता के हित के लिए भारत में वैमानिकी और नागर विमानन विज्ञान का संवर्धन और विकास;

(ग) ट्विन-इंजिन पृष्ठांकन/उपकरण रेटिंग में प्रशिक्षण सहित, नागर विमानन में निहित अथवा संबद्ध वाणिज्यिक विमान चालकों, उड़ान अनुदेशकों अथवा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण का संगठन और उसका आयोजन करना;

(घ) राज्य सरकार के विमान चालकों और वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेन्स धारकों के लिए अनुश्चर्या पाठ्यक्रमों को तैयार करना और लागू करना;

(ङ) नागर विमानन और वैमानिकी विज्ञान के प्रोत्साहन और विकास के उद्देश्य से सम्मेलनों, व्याख्यानों, गोष्ठियों का आयोजन और अध्ययन समूहों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थापना करना;

(च) सोसाइटी द्वारा समय-समय पर निर्धारित नागर विमानन और वैमानिकी विज्ञान से संबंधित कुछ अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार करना और उनका आयोजन करना;

(छ) उपरोक्त में से किसी भी उद्देश्य के लिए, भारत में अन्य सोसाइटियों और संघों अथवा फ्लाइंग स्कूलों की सहायता और मार्गदर्शन करना; और

(ज) ऐसे अन्य कार्यकलाप जो ऊपर निर्दिष्ट प्रयोजनों मे से किसी से भी संबद्ध हों।

सोसाइटी की सभी शक्तियां उसकी शासी परिषद् में निहित हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित हैं :—

(1) सचिव, नागर विमानन विभाग, (परिवहन मन्त्रालय)—पदेन अध्यक्ष ।

(2) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ—पदेन सदस्य ।

(3) संयुक्त सचिव (प्रशासन), नागर विमानन विभाग, (परिवहन मन्त्रालय)—पदेन सदस्य ।

(4) वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन विभाग, (परिवहन मंत्रालय)—पदेन सदस्य ।

(5) प्रबन्ध निदेशक, इंडियन एयरलाइन्स—पदेन सदस्य ।

(6) प्रबन्ध निदेशक, एयर इंडिया—पदेन सदस्य ।

(7) नागर विमानन के महानिदेशक—पदेन सदस्य ।

(8) रक्षा मंत्रालय द्वारा नामित भारतीय वायु सेना का एक प्रतिनिधि—पदेन सदस्य ।

(9) अध्यक्ष, एयरो क्लब ऑफ इण्डिया—सदस्य ।

(10) अकादमी के निदेशक—पदेन सदस्य ।

(ग) इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

सातवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालयों की स्थापना

2592. **श्री सत्यगोपाल मिश्र:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जहां कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है सातवीं योजना के दौरान कोई विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) जिन राज्यों में कोई इस समय विश्वविद्यालय नहीं है, वे हैं : नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा । इन राज्यों की सरकारें अपने यहां अलग विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में सुझाव देती रही हैं । नागालैंड और त्रिपुरा ने अपनी सातवीं योजना में इस उद्देश्य के लिए विशिष्ट प्रावधान करने का प्रस्ताव किया है । नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए नागालैंड की 7वीं योजना में नाम मात्र प्रावधान किया गया है । तथापि, इन राज्यों में नये विश्वविद्यालय स्थापित करने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है ।

संघ शासित प्रदेशों में, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप तथा मिजोरम में विश्वविद्यालय नहीं है। इस समय, इनमें से किसी भी संघ शासित प्रदेश में कोई विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है ।

ओंगोल (आन्ध्र प्रदेश) में खेलकूद स्टेडियम

2593. **श्री सी० सम्बु** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के प्रकास जिले के जिला मुख्यालय ओंगोल में एक खेल-कूद स्टेडियम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार से ओंगोल में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा की बड़ी सिंचाई परियोजनायें

2594. **श्री चिंतामणि जैना :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य की कुछ निर्माणाधीन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का कार्य समय पर धनराशि उपलब्ध न होने के कारण रोक दिया गया है अथवा उसकी प्रगति बहुत ही धीमी है; और

(ख) यदि हां, तो ये कौन सी परियोजनाएं हैं; और

(ग) क्या सरकार उड़ीसा राज्य को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने पर विचार करेगी जिससे इन परियोजनाओं को निर्धारित समय के अन्दर पूरा किया जा सके ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निधियों की व्यवस्था तथा उनका क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी परियोजना अथवा विकास के क्षेत्र से संलग्न नहीं होती है। चूंकि निर्माणाधीन परियोजनाओं की आगे ले जाई गई लागत अनुमोदित योजना परिव्यय से कहीं अधिक है, इसलिए राज्य सरकार को अलग-अलग परियोजनाओं की सापेक्ष प्राथमिकता निर्धारित करते हुए उन्हें पूरा करने के लिए प्रर्याप्त धनराशि प्रदान करनी है।

मुकेरियां संसारपुर टैरेस परियोजना

2595. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने मुकेरियां को संसारपुर टैरेस से जोड़ने वाली समूची रेल परियोजना का अनुमोदित मुकेरियां— तलवाड़ा प्रोजेक्ट रेलवे के विस्तार के रूप में, जो नंगल—अम्ब-तलवाड़ा—मुकेरियां बड़ी रेलवे लाइन का एक भाग है, अधिग्रहण करने सम्बन्धी प्रस्ताव की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें आवश्यक परिवर्तन किया गया है ताकि संसारपुर टैरेस को इस लाइन के अन्तर्गत लाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो समूची परियोजना के कब तक पूरी हो जाने की संभावना है और क्या मुकेरियां-संसारपुर टैरेस का कार्य शीघ्र आरम्भ कर दिया जायेगा ताकि इस सेक्शन को यात्री और माल यातायात के लिये खोल दिया जा सके ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राय मेहतपुर से नंगल डैम तक (6.4 कि० मी०) रेल लाइन पूर्ण हो गयी है और मार्च, 1985 में माल यातायात के लिए खोल दी गयी है।

तलवाड़ा तक नयी लाइन को पूरा करना तथा तलवाड़ा—मुकेरियां साइडिंग का अधिग्रहण करना तथा उसका ग्रेड बढ़ाना आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। तलवाड़ा से संसारपुर टैरेस तक की रेलवे साइडिंग का अधिग्रहण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्यों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चल एम्बुलेन्स

2596. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितनी चल एम्बुलेंसें आबंटित की गई हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को उक्त एम्बुलेन्सों के समुचित प्रयोग के बारे में राज्य सरकारों से समय-समय पर कोई रिपोर्ट मिलती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) भारत सरकार राज्य सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल करने के लिए कोई एम्बुलेंस अलाट नहीं करती है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

निःशुल्क यात्रा के लिए रेल-कार्ड पास

2597. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभाग ने कुछ व्यक्तियों को निशुल्क यात्रा के लिए रेल-कार्ड पास जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और ऐसे रेल-कार्ड पास जारी करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) 30 मानार्थ कार्ड पास जारी किये गये हैं जो 30-11-85 को वैध थे। ये पास प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर परिवहन मंत्री की व्यक्तिगत स्वीकृति से जारी किये जाते हैं।

[अनुवाद]

एक्वाइर्ड इम्यून डेफिसिएन्सी सिण्ड्रोम के वायरस को देश में लाने से रोकने के लिये उठाये गये कदम

2598. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्वाइर्ड इम्यून डेफिसिएन्सी सिण्ड्रोम के प्रसार वाले देशों, विशेषकर, अमेरिका से भारत में इस रोग के प्रवेश को रोकने के लिए क्या एहतियाती उपाय किये गये हैं; और

(ख) क्या सरकार ऐसे देशों की सूची बनायेगी जहां से आने वाले यात्रियों को भारत में प्रवेश करते समय एक्वाइर्ड इम्यून डैफिसिएन्सी सिण्ड्रोम के लिए चिकित्सा जांच का प्रमाण-पत्र साथ लाना आवश्यक होगा ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) भारत सरकार को उन देशों का पता है जिनसे एक्वाइर्ड इम्यून डैफिसिएन्सी सिण्ड्रोम बीमारी के बारे में रिपोर्ट मिली है। यह बीमारी कभी-कभार सम्पर्क से नहीं फैलती । यह रक्त तथा रक्त उत्पादों और घनिष्ट अंतर्वैयक्तिक सम्पर्क से फैलती है। इन देशों के अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों से वाइरस सम्बन्धी नैगेटिव टेस्टों के प्रमाण पत्र लेने जरूरी नहीं है, लेकिन इस स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

भारतीय सर्कस

2599. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सर्कस सरकार की सहायता और प्रोत्साहन के अभाव में तथा अन्य परिस्थितियों के कारण लुप्त या क्षीण होता जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि क्या सरकार का विचार इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि चीन, हंगरी, ब्रिट्रेन आदि जैसे देशों में सर्कस असाधारण शिखर पर पहुंच गए हैं, देश में सर्कस कला को उन्नत करने तथा प्रोत्साहित करने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कदम उठाने का विचार है ?

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) सरकार को जानकारी है कि भारतीय सर्कस टीमें कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। अत: इसको ध्यान में रखकर सरकार पहले ही टीमों के आने-जाने के लिए रेल रियायत, राज्य सरकार द्वारा मनोरंजन कर के भुगतान से छूट, प्रदर्शन के लिए रियायती किराये पर खुले मैदानों का आवंटन और प्रदर्शन के स्थानों पर उचित दर पर खाद्य और अनिवार्य पदार्थों के अस्थायी कोटे के आवंटन द्वारा सहायता देकर उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। यह कदम सर्कस टीमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

[हिन्दी]

चुंगी समाप्त किया जाना

2600. **श्री सी० जंगा रेड्डी**
डा० ए० के० पटेल } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवहन विकास परिषद् ने अप्रैल, 1982 में सुझाव दिया था कि चुंगी समाप्त की जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अब तक चुंगी समाप्त नहीं की है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में उनके साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चुंगी समाप्त करने के कारण राज्यों को हुए घाटे को पूरा करने हेतु सरकार ने राज्यों को क्या सलाह दी है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (घ) माल परिवहन की बेहतर अंतर-राज्य आवागमन को सरल बनाने के लिए, परिवहन विकास परिषद, ने मानदण्डों के भाग के रूप में, राज्यों को चुंगी हटाने की सिफारिश की है और अपनी बैठकों में इसकी स्थिति की समीक्षा करती है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यों और दिल्ली, गोवा दमन और दीव, अंडमान तथा निकोबार, द्वीपसमूह तथा पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्रों ने आज भी चुंगी प्रणाली समाप्त नहीं की है। चूंकि चुंगी हटाए जाने से स्थानीय निकायों को राजस्व की हानि होगी, इसलिए एक सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकार, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता देने के लिए विक्रय कर पर या मोटर यान करों पर प्रभार की लेवी लगाने आदि जैसे वैकल्पिक स्रोतों पर विचार कर सकते हैं।

[अनुवाद]

कालीकट में हवाई अड्डे का निर्माण

2601. श्री जी० एम० बनातवाला
श्री टी० बशीर
श्री पी० ए० अंटोनी
: क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालीकट (केरल) के समीप हवाई अड्डे के निर्माण में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या काम इतनी धीमी गति से हो रहा है कि यह निर्धारित अवधि में पूरा नहीं हो सकेगा;

(ग) काम में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) हवाई अड्डे को कब तक चालू किए जाने की आशा है; और

(ङ) इसके निर्माण के लिए चालू वर्ष के दौरान कितनी धन राशि नियत की गई और कितनी खर्च की गई है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) स्थल विकास के लिए मिट्टी डालने का 89% कार्य पूरा हो गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए स्थल विकास के साथ-साथ ही सिविल निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं।

(घ) दिसम्बर, 1987 तक।

(ङ) वर्ष 1985-86 के संशोधित अनुमानों में 260.00 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है जिसमें से अब तक 132.50 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

बड़े बंदरगाहों में प्रदूषण की रोकथाम

2602. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े बंदरगाहों में प्रदूषण के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बड़े बंदरगाहों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) सरकार ने महापत्तनों में प्रदूषण का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि सरकार के अनुरोध पर समुद्र प्रदूषण पर अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के सलाहकार ने जनवरी-फरवरी, 1985 में बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, कांडला, मद्रास, मुरगांव, न्यू मंगलौर और विशाखापत्तनम महापत्तनों का भ्रमण किया और उन्होंने इन पत्तनों पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए खास सिफारिशें की।

(ग) समुद्र प्रदूषण पर अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के सलाहकार की रिपोर्ट समुद्री सलाहकार से परामर्श पर सभी महापत्तनों के अध्यक्षों को उसमें उल्लिखित सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए भेजी गयी थी। पत्तन आवश्यकतानुसार प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण खरीद रहे हैं क्योंकि वे अपनी सीमा में इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं।

जहाजों से तेल निकलने से समुद्रप्रदूषण की रोकथाम के लिए वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के उपबन्ध लागू होते हैं। भारतीय पत्तनों पर आने वाले सभी जहाजों और सर्वत्र भारतीय जहाजों को अपने पास अन्तर्राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण प्रमाण-पत्र या उसके अनुपालन का प्रमाणपत्र तेल की रिकार्ड पुस्तिका रखनी पड़ती है। जहाज पर लगे तेल प्रदूषण उपकरण और तेल की रिकार्ड पुस्तिका का निरीक्षण भारत सरकार के सर्वेक्षकों और वर्गीकरण सोसाइटी के सर्वेक्षकों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जहाज भारत की जल सीमा में अनधिकृत रूप से तेल या तेल की गाद नहीं गिराते है।

उड़ीसा की बड़ी और मध्यम वर्ग की सिंचाई परियोजनाओं के लिये धनराशि का आवंटन

2603. **डा० कृपा सिंधु भोई : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यम दर्जे की और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा करने हेतु 1985-86 के लिए उड़ीसा को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) उड़ीसा की मध्यम दर्जे की और प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके उक्त वित्त वर्ष में कार्यान्वित किए जाने की आशा है; और

(ग) उन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) उड़ीसा के लिए बृहद तथा मध्यम सिंचाई सेक्टर में अनुमोदित परिव्यय 90.70 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उड़ीसा में 1985-86 के दौरान क्रियान्वयनाधीन बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत	मार्च, 1985 तक संभावित व्यय
1	2	3	4
I. बृहत स्कीमें			
1.	अपर इन्द्रावती बांध	100.35	21.17
2.	महानदी बिरूपा बराज (1978—आई० एन०)	92.65	49.17
3.	सुबर्णरेखा	391.49	3.50
4.	(क) रंगाली सिंचाई	792.04	43.58
	(ख) रंगाली (बांध)	31.92	29.28
5.	(क) अपर कोलाब बांध	41.94	28.59
	(ख) अपर कोलाब सिंचाई	75.42	16.36

1.	2.	3.	4.
6.	अपर इन्द्रावती सिंचाई	83.33	8.76
7.	आनन्दपुर	12.18	11.50
II मध्यम स्कीमें			
1.	डूमर बहाल	3.29	3.27
2.	पिल्लासालकी	7.97	7.62
3.	रमियाला	13.27	12.75
4.	कुयानरिया	11.15	10.79
5.	रेमल	12.50	11.94
6.	सराफगढ़	5.49	5.38
7.	झारबंध	2.77	2.76
8.	तलासारा	6.04	6.01
9.	गोहीरा	16.25	16.32
10.	सुनई	24.32	15.89
11.	कंसाबहाल	14.28	4.44
12.	बैंकबाल	20.18	6.52
13.	कंझारी	20.74	14.28
14.	हरिहरजोर	31.20	10.63
15.	हरभांगी	34.07	7.32
16.	अपर जोंक	24.52	1.72
17.	बड़ानाला	29.26	3.36
18.	ओंग	21.26	11.44
19.	सुन्दर	6.59	5.45
20.	दादरा घाटी	8.58	5.62
21.	ओनकी	2.33	1.84
22.	अपर सुकटेल	3.15	2.12
23.	बघुआ चरण—II	7.99	0.36
24.	बोंडापिपली	5.04	2.92
25.	बरासुयान	4.76	0.23

टी० यू० आर० विधि से प्रोस्ट्रेट ग्रंथी की शल्य-चिकित्सा

2604. श्री सनत कुमार मंडल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में इस समय सी०जी०एच०एस० के लाभार्थियों के लिए प्रोस्ट्रेट-ग्रन्थियों की शल्य चिकित्सा टू० यू० आर० विधि इस प्रकार की शल्य क्रियाओं के लिए नवीनतम विधि, द्वारा करने के लिए डा० राम मनोहर लोहिया अथवा सफदरजंग अस्पतालों में उपकरण और प्रशिक्षित कर्मचारी दोनों ही नहीं हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सी० जी० एच० एस० के सेवा-निवृत और सेवारत लाभार्थियों के ऐसे मामले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को प्रेषित किए जाने के पश्चात उन्हें इस प्रकार की शल्य चिकित्सा के लिए उपरोक्त अस्पतालों के नियमों के अन्तर्गत ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में ऐसी शल्य चिकित्सा कराने की अनुमति है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सफदरजंग अस्पताल और डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में टी० यू० आर० विधि से प्रोस्ट्रेट ग्रंथि का आपरेशन करने के लिए आवश्यक उपकरण हैं। इन अस्पतालों में आपरेशन करने के लिए यूरोलाजिस्टों की भर्ती करने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में रेल पटरी को बदलना और इस पर होने वाला कुल पूंजीगत परिव्यय

2605. डा० बी० एल० शैलेश : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितने किलोमीटर रेल पटरी को बदला जाना है या इसका नवीकरण किया जाना है;

(ख) इस सम्बन्ध में तैयार किया गया समयबद्ध कार्यक्रम क्या है; और

(ग) इस पर कुल कितना पूंजीगत परिव्यय होगा ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) 1.4.85 को लगभग 19,550 कि० मी० रेलपथ के नवीकरण का काम बकाया था।

(ख) रेलपथ नवीकरण के बकाया काम को 10 वर्ष की अवधि में पूरा करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष से शुरू होगा।

(ग) 19,550 कि० मी० गतायु रेलपथ तथा उक्त अवधि के दौरान नवीकरण के योग्य होने वाले लगभग 22,000 कि० मी० रेलपथ का नवीकरण करने पर जून, 84 से पहले प्रचलित मूल्यों के आधार पर लगभग 5,000 करोड़ रुपये (शुद्ध) का पूंजी परिव्यय आने का अनुमान लगाया गया है ।

कोचीन शिपयार्ड का घाटा

2606. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1984-85 के दौरान कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का कुल घाटा बारह या चौदह करोड़ रुपए हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले पांच वर्षों में शिपयार्ड के कुल घाटे की राशि कितनी हो गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को 1984-85 के दौरान कुल 13.25 करोड़ रुपये का घाटा हुआ जबकि इसे वर्ष 1983-84 में 10.30 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था ।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान उठाये गये घाटों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

मूल्य ह्रास और ब्याज के लिए व्यवस्था करने से पहले का घाटा	—	449.69 लाख रुपए
मूल्य ह्रास	—	344.35 लाख रुपए
सरकारी सहायता पर निबल ब्याज	—	530.75 लाख रुपए
कुल		1324.79 लाख रुपए

(ग) पिछले पांच वर्षों में संचित घाटे का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

1980-81	—	1312.03 लाख रुपए
1981-82	—	1310.32 लाख रुपए
1982-83	—	2278.50 लाख रुपए
1983-84	—	3309.31 लाख रुपए
1984-85	—	4634.10 लाख रुपए

रेल फाटकों पर दुर्घटनाएं

2607. श्री गुरुदास कामत : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान रेल फाटकों पर जोन-वार कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) 1984-85 के दौरान, समपारों पर 65 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थीं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्षेत्र	दुर्घटनाओं की संख्या		
	चौकीदार वाले	बिना चौकीदार वाले	जोड़
मध्य	3	2	5
पूर्व	5	2	7
उत्तर	5	8	13
पूर्वोत्तर	2	5	7
पूर्वोत्तर सीमा	2	6	8
दक्षिण	1	6	7
दक्षिण मध्य	2	5	7
दक्षिण पूर्व	1	3	4
पश्चिम	1	6	7

सर्वोदय एक्सप्रेस को राजकोट तक बढ़ाना

2608. श्री यू० एच० पटेल : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के संसद सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल कुछ समय पहले रेल मन्त्री से मिला और सर्वोदय एक्सप्रेस को पश्चिम रेल में राजकोट तक बढ़ाने के बारे में बातचीत की;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सर्वोदय एक्सप्रैस को राजकोट तक कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) से (ख) जी, हां। सौराष्ट्र क्षेत्र के सांसदों के एक शिष्ट मंडल के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें 181/182 सर्वोदय एक्सप्रैस को राजकोट तक बढ़ाने सहित लम्बी दूरी की गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाने के सम्बन्ध में अनेक मांगे उठाई गयी थीं।

(ग) इसकी जांच की गयी है लेकिन डीजल इंजनों की कमी के कारण यह व्यावहारिक नहीं पाया गया है ।

पश्चिम बंगाल में सड़कों और पुलों के विकास के लिये सहायता

2609. **श्री अतीश चन्द्र सिंह** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार को अंतरर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों तथा सामरिक महत्व की सड़कों एवं पश्चिम बंगाल में छठी योजना अवधि के दौरान कुछ पुलों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता मंजूर की है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकार ने वर्ष 1980-85 के दौरान केन्द्र द्वारा मंजूर की गई सहायता का कितना उपयोग किया है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष	अंतरार्राज्यीय आर्थिक महत्व की सड़कें	सामरिक महत्व की सड़कें (लाख रु० में)	दूसरा हुगली पुल
1980-81	40.00	—	1000.00
1981-82	60.00	—	1200.00
1982-83	25.00	—	1456.00
1983-84	50.30	—	500.00
1984-85	30.00	15.00	2000.00
कुल	205.30	15.00	6156.00

(ग) सरकार द्वारा छठी योजना (1980-85) में इन स्कीमों पर खर्च की गयी राशि का ब्योरा निम्नलिखित है :—

	(लाख रुपए में)
अन्तरार्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कें	263.11
सामरिक महत्व की सड़कें	54 28
कलकत्ता में दूसरा हुगली पुल	5502.24

जंतर मंतर वेधशाला का रख-रखाव

2610. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में जंतर-मंतर वेधशाला के संरक्षण की जिम्मेवारी ली है;

(ख) क्या सरकार को जंतर मंतर वेधशाला की उपेक्षित दशा की जानकारी है;

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है कि उसकी खगोलीय उपयोगिता पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां, ।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जन्तर-मन्तर का, 18 वीं शताब्दी के भारतीय खगोल-विज्ञान के एक स्मारक के रूप में, रखरखाव कर रहा है और इसके उपयुक्त परिरक्षण के लिए समय-समय पर कदम उठाता रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नये जल मार्गों पर वायुदूत सेवाएं आरम्भ करना

2611. श्री राम प्यारे पनिका : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन मार्गों पर वायुदूत सेवायें चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या नए मार्गों पर वायुदूत सेवायें आरम्भ करने के कोई प्रस्ताव हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) (क) वे मार्ग, जिन पर इस समय वायुदूत अपनी सेवाओं का प्रचालन कर रही है, संलग्न विवरण-1 में दिये गए हैं।

(ख) जी हां, ।

(ग) आधार संरचनात्मक सुविधाओं और प्रचालनों की आर्थिक साध्यता के आधार पर वर्ष 1985-86 के अन्त तक वे मार्ग जिन पर वायुदूत के प्रचालन के प्रस्ताव हैं, संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

वे मार्ग जहां वायुदूत सेवाएं प्रचलित की जा रही हैं

कलकत्ता बेस :

1. कलकत्ता—जमशेदपुर—कलकत्ता
2. कलकत्ता—जमशेदपुर—पटना—और वापस
3. कलकत्ता—शिलांग—गुवाहाटी—सिल्चर—और वापस
4. कलकत्ता—लीलाबाड़ी—कलकत्ता
5. लीलाबाड़ी—डिब्रूगढ़—लीलाबाड़ी
6. कलकत्ता—कूचबिहार—कलकत्ता
7. कलकत्ता—राऊरकेला—रांची—और वापस
8. राऊरकेला—भुवनेश्वर—राऊरकेला

हैदराबाद बेस :

1. हैदराबाद—तिरूपति—बंगलोर और वापस
2. बंगलोर—मैसूर—बंगलोर
3. बंगलोर—बेल्लारी—बंगलोर
4. हैदराबाद—नांदेड़—हैदराबाद
5. हैदराबाद—राजामुन्दरी—विशाखापटनम् और वापस
6. हैदराबाद—वारंगल—हैदराबाद
7. हैदराबाद—कुडुप्पा—हैदराबाद

बम्बई बेस :

1. बम्बई—सूरत—भावनगर—और वापस
2. सूरत—भावनगर—सूरत
3. बम्बई—रत्नागिरी—बम्बई
4. बम्बई—पुणे—इन्दौर—और वापस
5. बम्बई—औरंगाबाद—नांदेड़—और वापस
6. बम्बई—औरंगाबाद—बम्बई
7. बम्बई—कांडला—बम्बई

दिल्ली बेस :

1. दिल्ली—लुधियाना—दिल्ली
2. दिल्ली—देहरादून—दिल्ली
3. दिल्ली—चंडीगढ़—कुल्लू—और वापस
4. दिल्ली—कानपुर—रायबरेली—और वापस
5. दिल्ली—जयपुर—जोधपुर—जैसलमेर—और वापस
6. दिल्ली—चंडीगढ़—दिल्ली
7. दिल्ली—जयपुर—कोटा और वापस
8. दिल्ली—जयपुर—बीकानेर और वापस
9. दिल्ली—पंतनगर—दिल्ली
10. दिल्ली—ग्वालियर—गुना

विवरण-2

वायुदूत प्रचालन

बकाया वित्तीय वर्ष 1985-86 के लिए मार्ग पद्धति

उत्तर :

1. दिल्ली—पठानकोट—जम्मू और वापस
2. जम्मू—पुंछ—राजौरी और वापस
3. जम्मू—किसतवार—जम्मू
4. दिल्ली—भटिन्डा—दिल्ली
5. दिल्ली—पटियाला—दिल्ली
6. दिल्ली—गुना—भोपाल और वापस

पश्चिम :

1. बम्बई—दमन—बम्बई
2. बम्बई—दीव—अहमदाबाद और वापस
3. बम्बई—कोलापुर—बम्बई
4. बम्बई—औरंगाबाद—पुणे
5. बम्बई—मंगलौर—कालीकट और वापस

पूर्व :

1. कलकत्ता—जमशेदपुर—धनबाद—पटना और वापस
2. कलकत्ता—गया—पटना—पूर्णिया और वापस
3. भुवनेश्वर—गोपालपुर—भुवनेश्वर
4. भुवनेश्वर—जैपोर—भुवनेश्वर
5. कलकत्ता—अगरतला—कैलाशहर और वापस
6. कलकत्ता—एजवल—सिल्चर—और वापस
7. लीलाबाड़ी—जैरो—लीलाबाड़ी
8. लीलाबाड़ी—डिपारिजो—लीलाबाड़ी
9. लीलाबाड़ी—डिबरूगढ़—पासीघाट——डिबरूगढ़—लीलाबाड़ी

दक्षिण :

1. मद्रास—तूतीकोरिन—मद्रास
2. बंगलोर—मद्रास—बंगलोर
3. बंगलोर—रायचूर—बंगलोर
4. बंगलोर—हुबली—बंगलोर
5. मद्रास—तंजावूर—मद्रास

नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में साइकिल रिक्शों का चलाया जाना

2612. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में साइकिल रिक्शा चलाये जाने पर प्रतिबन्ध है; और

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में साइकिल रिक्शा के अवैध रूप से चलाये जाने को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (यातायात) द्वारा जारी किए गए आदेश संख्या 2674—774/टी सामान्य दिनांक 16.2.82 के अनुसार नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्रों में प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक साइकिल रिक्शा चलाने पर प्रतिबंध लगा है, साथ में यह भी प्रावधान है कि फर्नीचर, आवश्यक वस्तुएं जैसे गैस सिलिंडर, कोयला, जलाने की लकड़ी तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं ढोने वाले साइकिल रिक्शा कुछ निर्दिष्ट सड़कों पर दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे तक चलाए जा सकते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों को ले जाने वाले साइकिल रिक्शों को इस आदेश से छूट दी गई है। यदि कोई साइकिल रिक्शा चालक निषेध

आज्ञा का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो दिल्ली पुलिस प्राधिकारियों द्वारा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

भिवानी एक्सप्रेस को सांपला स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर रोकना

2613. **श्री सरफराज अहमद** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिचालन तथा वाणिज्यिक दृष्टि से उपयुक्त पाए जाने पर उत्तर रेलवे द्वारा 185 अप/86 डाउन, भिवानी एक्सप्रेस को 1 अप्रैल, 1985 से दिल्ली रोहतक सैक्शन के सांपला (उत्तर रेलवे) स्टेशन पर रोकने की व्यवस्था की गई थी;

(ख) क्या 1 अक्तूबर, 1985 से सांपला का स्टापेज समाप्त कर दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दैनिक यात्रियों ने इन आदेशों का कड़ा विरोध करते हुए अभ्यावेदन दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार सांपला (उत्तर रेलवे) के स्टापेज को बहाल करने के उद्देश्य से इस मामले पर पुनर्विचार कर रही है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां, यहां 1.4.83 से गाड़ी के ठहराव की व्यवस्था की गयी थी।

(ख) जी, हां। गाड़ी की रफ्तार तेज करने के लिए ऐसा किया गया है।

(ग) ठहराव की पुनः व्यवस्था करने के लिए कुछ अभ्यावेदन मिले हैं।

(घ) फिलहाल नहीं।

तेलुगु गंगा नहर परियोजना को पूरा करने के लिए सहायता

2614. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सतलुज यमुना संपर्क नहर को पूरा करने के लिये पंजाब सरकार को 2.30 करोड़ रुपये की राशि दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र सरकार द्वारा प्रस्तुत ऐसा ही अनुरोध केन्द्रीय सरकार के पास अभी तक अनिर्णीत पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो सतलुज यमुना संपर्क नहर के नमूने पर तेलुगु गंगा नहर के लिये आवश्यक धनराशि देने के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) केन्द्रीय सरकार ने पंजाब और हरियाणा राज्यों को सतलुज यमुना सम्पर्क नहर के लिए केन्द्रीय सहायता के सातवीं योजना के समग्र आबंटनों में से इन राज्यों को अग्रिम योजना सहायता देना स्वीकार किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

डीजल/विद्युत तथा भाप के इंजनों में तुलना

2615. **श्री मोहन लाल झिकराम** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी विद्युत तथा डीजल इंजनों को भाप के इंजनों में बदलने की दशा में खपत होने वाले कोयले की मात्रा क्या है और वर्तमान दर के अनुसार उसकी कुल लागत क्या है तथा इस समय भाप के इंजनों में कुल कितने मीट्रिक टन कोक की दैनिक खपत होती है और उसकी लागत क्या है;

(ख) डीजल और विद्युत इंजनों द्वारा प्रतिदिन कितनी मात्रा में डीजल और बिजली की खपत की जाती है तथा उनकी लागत क्या है;

(ग) डीजल, विद्युत और भाप के इंजनों में सबसे अधिक शक्तिशाली और सस्ता इंजन कौन सा है तथा सारे देश में इसे प्रयोग में न लाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या हमारे वैज्ञानिक सौर ऊर्जा से चलने वाले इंजन का आविष्कार करने की योजना बना रहे हैं और यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) यदि सभी डीजल तथा बिजली रेल इंजनों को हटाकर भाप रेल इंजन चलाये जायें तो कोयले की संभावित खपत की कुल अनुमानित मात्रा तथा उस पर आने वाली अनुमानित लागत इस प्रकार होगी :—

प्रतिदिन कोयले की खपत की कुल अनुमानित मात्रा	152862 टन
ऊपर दिखायी गयी मात्रा की कुल अनुमानित लागत	6.11 करोड़ रुपये

इस समय भाप रेल इंजनों द्वारा प्रतिदिन उपयोग किये जाने वाले कोयले की कुल अनुमानित मात्रा (टन में) तथा उस पर आने वाली लागत नीचे दी गयी है :—

मात्रा	22605 टन
लागत	0.91 करोड़ रुपये

(ख) डीजल तथा बिजली इंजनों द्वारा प्रतिदिन उपयोग की जाने वाली पावर यूनिटों की अनुमानित मात्रा तथा उस पर आने वाली अनुमानित लागत इस प्रकार है :—

कर्षण की किस्म	मात्रा	अनुमानित लागत
डीजल	4050 किलो लिटर	1.42 करोड़ रुपये
बिजली	7.55 मिलियन यूनिटें	59.33 लाख रुपये

(ग) भारतीय रेलों पर डीजल, बिजली और भाप रेल इंजनों की मौजूदा किस्मों में बिजली रेल इंजन सबसे अधिक शक्तिशाली हैं । सामान्यत:, केवल ऊर्जा खपत के आधार पर बिजली रेल इंजन सबसे अधिक किफायती हैं। लेकिन, समग्र वित्तीय मूल्यांकन के आधार पर विद्युतीकरण केवल भारी घनत्व वाले मार्गों/उपनगरीय खंडों पर ही औचित्यपूर्ण होने के कारण तथा समग्र वित्तीय कठिनाइयों के कारण भी समूचे देश में बिजली कर्षण नहीं अपनाया गया है।

(घ) परिवहन मंत्रालय (रेल विभाग) को सौर ऊर्जा से चलाये जाने वाले इंजन के आविष्कार के लिए किसी योजना की जानकारी नहीं है ।

[अनुवाद]

होम्योपैथी की पेटेंट दवाइयों का आयात बंद करने का औचित्य

2616. श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने होम्योपैथी की कुछ किस्मों अथवा पेटेंट दवाइयों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसका क्या औचित्य है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात के कार्यालय से मिली सूचना के अनुसार 1985-88 के लिए होम्योपैथी की औषधियों की आयात संबंधी नीति पिछली नीति जैसी ही रहेगी अर्थात खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत सभी व्यक्ति तैयार शुदा होम्योपैथिक दवाइयां या मूल रूप में होम्यापैथिक औषधियां (एकल) और/या किसी भी शक्ति की औषधियां जिनमें बड़ी मात्रा में "शूगर आफ मिल्क" तथा जीव रसायनिक औषधियां भी शामिल हैं, आयात कर सकते हैं ।

गंगा के तट पर भूमि कटावरोधी कार्य

2617. श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने गंगा के तट पर भूमि कटावरोधी कार्य करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से, 1163 लाख रुपए की अनुमानित लागत से गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने जिस स्कीम को अन्तिम रूप दिया है उसमें संकोपान, दुर्गापुर तथा बजीतपुर मौजा में फरक्का बराज के गंगा अनुप्रवाह के दांये तट पर कटाव-रोधी कार्यों को हाथ में लेने की परिकल्पना की गई है। इन निर्माण कार्यों से जो मुख्यतः शिलाखण्ड को पलस्तर लगाने तथा 6.6 कि०मी० के असुरक्षित भाग में एप्रन जलावतरण के रूप में है, रेल पट्टी तथा राजमार्ग को सुरक्षा मिलेगी। इन कार्यों की लागत को बांटने के लिए पारस्परिक स्वीकार्य निर्णय पर पहुंचने के वास्ते जल संसाधन मंत्रालय राज्य सरकार तथा केन्द्रीय एजेंसियों की सहायता कर रहा है।

रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के माध्यम से ऋण

2618. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे के पूर्ण आधुनिकीकरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के माध्यम से ऋण लेने का समझौता किया था;

(ख) क्या इस ऋण का उपयोग न किए जाने के कारण इस ऋण की पूर्ण धनराशि रेलवे के लिए निरर्थक रही है;

(ग) क्या सरकार ने देश के कुछ अन्य अत्यन्त आवश्यक कार्यों पर इस ऋण को प्रयोग में लाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) रेल परियोजनाओं के लिए दो चालू क्रेडिट/ऋण हैं यथा—

1. 1299—आई एन/ऋण 2210, जो 400 मिलियन अमरीकी डालर का है और निम्नलिखित मदों के लिए है:—

   1.1 डीजल पुर्जा कारखाना, पटियाला

   1.2 माल डिब्बों के पुर्जे,

1.3 ए० सी० बिजली रेल इंजन,

1.4 यूनिट एक्सचेंज प्रणाली,

1.5 इंधन की बचत और गाड़ी परिचालन,

2. ऋण 2417, जो 280.7 मिलियन डालर का है और निम्नलिखित मदों के लिए है :—

2.1 रेल विद्युतीकरण,

2.2 अनुरक्षण डिपुओं सहित कारखानों का आधुनिकीकरण आदि, आदि ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) क्रेडिट 1299—आई०एन०/ऋण 2210 आई०एन० की परियोजना की समीक्षा करने के परिणामस्वरूप तथा विश्व बैंक की सहमति से इसकी सार्थकता में सुधार लाने के लिए परियोजना के भिन्न-भिन्न हिस्सों की राशि में कुछ उपयुक्त समायोजन किये गये हैं।

[हिन्दी]

सेंसर बोर्ड के लिए नियम

2619. **श्री निर्मल खत्री** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मों में अश्लीलता और हिंसा की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से सरकार का विचार सेंसर बोर्ड के नियमों को और अधिक कठोर बनाने का है; और

(ख) क्या सरकार फिल्म प्रचार के माध्यम से नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना करने वाली फिल्मों को कोई प्रोत्साहन सुविधाएं प्रदान करेगी ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) ऐसे नियम पहले ही हैं, जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड को, फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करना होता है :

(i) हिंसा जैसी समाज विरोधी गतिविधियों को प्रदर्शित या न्यायोचित न ठहराया जाए;

(ii) अपराधियों की कार्य पद्धति या अन्य ऐसे दृश्यों अथवा शब्दों को न दर्शाया जाए जिनसे कोई अपराध करने की भावना भड़कने की सम्भावना हो;

(iii) हिंसा, क्रूरता तथा भय के निरर्थक अथवा परिहार्य दृश्यों का प्रदर्शन न हो; और

(iv) माननीय सवेदनाओं को अशिष्टता, अश्लीलता तथा भ्रष्टता से ठेस न पहुंचे।

(ख) जी, हां।

[अनुवाद]

लक्षद्वीप में हवाई मैदान बनाने का प्रस्ताव

2620. श्री पी०एन० सईद : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्षद्वीप के एक द्वीप में एक हवाई-मैदान का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस कार्य के कब तक आरम्भ किए जाने का संभावना है; और

(ख) अनुमानित लागत, इसका स्थान और इसके पूरा होने में लगने वाले अनुमानित समय सहित इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

समन्वित बाल विकास कार्यक्रम

2621. श्री मूल चन्द डागा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समन्वित शिशु विकास के लिये "यूनिसेफ" के सहयोग से अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय बाल आपात कोष से प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) क्या सरकार ने इन कार्यक्रमों की कभी समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन कार्यक्रमों में किए गए सहयोग का ब्यौरा क्या है ?

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) समेकित बाल विकास सेवा योजना (आई०सी०डी०एस०) में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यूनिसेफ इस योजना के कुछ अवयवों के लिए सहायता दे रहा है।

(ख) अभी तक 1229 केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 130 परियोजनाएं राज्य क्षेत्र में शुरू की गई हैं। 1984 में समेकित बाल विकास सेवा के लिए 61,75,000 डालर की यूनिसेफ सहायता दी गई थी। आशा है कि 1985 के लिए यूनिसेफ सहायता 62,10,000 डालर की होगी।

(ग) और (घ) समेकित बाल विकास सेवा योजना की लगातार समीक्षा की जाती है इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए अनेक सर्वेक्षण और अनुसंधान अध्ययन किये गये हैं।

(ङ) समेकित बाल विकास सेवा योजना में, आंगनवाड़ी ब्लाक, जिला, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश और केन्द्रीय सरकार जैसे विभिन्न स्तरों पर विभिन्न संबंधित विभागों और संगठनों के बीच समन्वय की व्यवस्था की गई है।

वादिनार पत्तन का विकास

2622. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ की खाड़ी वादिनार पत्तन के विकास हेतु सरकार द्वारा किए गए निर्णय के पश्चात उसमें संभाव्यता रिपोर्ट कांडला पत्तन न्यास के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) वादिनार पत्तन पर 30 किलो मीटर बड़ी रेल लाइन का विस्तार करने हेतु कार्य कब से आरम्भ करने का विचार है;

(घ) क्या कांडला पत्तन न्यास, वादिनार पत्तन से सम्पर्क स्थापित करने वाली नई रेलवे लाइन के सर्वेक्षण कार्य हेतु प्रभार वहन करने के लिए सहमत है;

(ङ) यदि हां, तो वहां सर्वेक्षण कार्य कब से आरम्भ किए जाने की संभावना है; और

(च) आगामी वित्तीय वर्ष में इस परियोजना के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) कांडला पोर्ट ट्रस्ट ने परामर्शकों द्वारा प्रस्तुत व्यावहारिकता रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है।

(ग) वादिनार पत्तन तक बड़ी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजना के लिए वित्तीय आवंटन का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

विश्व-भारती में रवीन्द्र संगीत

2623. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक
श्री सैफुद्दीन चौधरी
डा० सुधीर राय
: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रवीन्द्र संगीत की परम्परा को इसके प्रवर्तक विश्व-भारती द्वारा बनाए रखना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या सरकार रवीन्द्र संगीत की परम्परा को बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों से सन्तुष्ट है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) विश्व भारती, रवीन्द्र संगीत की परम्परा को, खासतौर पर संगीत भवन के कार्यक्रमों और कार्यकलापों के माध्यम से सुरक्षित रखने का प्रयास करती रही है। संगीत भवन रवीन्द्र नाथ टैगोर के मूल संगीत आदर्शों के लिए है और प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा और डिग्री स्तरों पर पाठ्यक्रम प्रदान करता है इसके अलावा, प्रदर्शनों का रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से पूरे वर्ष प्रसारण किया जाता है।

(ग) विश्वभारती, रवीन्द्र संगीत की परम्परा को सुरक्षित रखने और इसको लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कामकाजी बच्चों की शिक्षा के बारे में गोष्ठी

2624. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में 7 से 10 नवम्बर, 1985 तक कामकाजी बच्चों की शिक्षा के बारे में एक राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या गोष्ठी ने दस करोड़ कामकाजी बच्चों के लिए साक्षरता की व्यवस्था करने हेतु अनौपचारिक शिक्षा ढांचे की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) "कामकाजी बच्चों की शिक्षा" सम्बन्धी एक राष्ट्रीय सेमिनार बंगलौर में 8—10 नवम्बर, 1985 को आयोजित किया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) इस सेमिनार और अधिक संख्या में अन्य सेमिनारों की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करते समय इनको ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

सूरतगढ़ बीकानेर बड़ी रेल लाइन पर काम

2625. **श्री मनफूल सिंह चौधरी :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरतगढ़-बीकानेर बड़ी लाइन पर निर्माण कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक उस पर कितना खर्च हुआ है;

(ग) इस काम को कब तक पूरा कर लिया जाएगा; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस बड़ी लाइन पर घटसिसर को मुख्य स्टेशन बनाने का है और यदि लालगढ़ को मुख्य स्टेशन बनाया जाए तो इससे बीकानेर नगर को क्या-क्या लाभ होने की आशा है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) 22.67 करोड़ रुपये।

(ग) इसका पूरा होना आगामी वर्षों में धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) प्रस्तावित बड़ी रेल लाइन पर एक घटसिसर स्टेशन नहीं होगा। बड़ी रेल लाइन लालगढ़ में समाप्त हो जायेगी। बीकानेर और लालगढ़ के बीच गाड़ियों की संख्या कम होगी तथा इन दोनों स्टेशनों के बीच समपारों पर जनता को कम असुविधा होगी।

[अनुवाद]

कुमारघाट-अगरतला रेल लाइन का सर्वेक्षण

2626. **श्री अजय बिस्वास :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुमारघाट से अगरतला तक रेल लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है और रिपोर्ट के कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इंजीनियरी सर्वेक्षण का 99 प्रतिशत और यातायात सर्वेक्षण का 5 प्रतिशत काम हो चुका है। सर्वेक्षण 1986 की प्रथम छःमाही में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

गोरखपुर-कप्तानगंज-तुमकुही रोड के बीच लूप लाइन को बदलना

2627. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर कप्तानगंज-तुमकुही रोड और सीवान वरास्ता थवे के बीच लूप लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये जनता तथा उस क्षेत्र के विभिन्न संस्थान बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नेपाल की सीमा पर इस लूप रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां

(ख) जी, नहीं।

[अनुवाद]

दिल्ली—मुगलसराय मार्ग का विद्युतीकरण

2628. **श्री बी०बी० देसाई**
श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे ने दिल्ली, मुगल सराय विद्युतीकृत मार्ग पर यातायात क्षमता का अधिक उपयोग करने में उल्लेखनीय प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे डीजल, ऊर्जा की भारी मात्रा में बचत हुई है, जिसे रेलवे द्वारा अन्य क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है;

(ग) क्या विद्युतीकृत मार्ग पर प्रतिदिन 13,300 माल डिब्बे चलाए जा रहे हैं;

(घ) क्या इस सफल उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार विद्युत कर्षण का और अधिक कुशल और बेहतर इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो माल की ढुलाई के लिए विद्युतीकृत यातायात मार्ग का सुधार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (घ) जी हां।

(ङ) विद्युतीकृत रेलपथ के बेहतर उपयोग के लिए आवश्यक अवसंरचना का सृजन किया जा रहा है।

वर्ष 1985 के दौरान न्यू मंगलौर पत्तन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

2629. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान न्यू मंगलौर पत्तन वहां के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कितने दिन बन्द पड़ा रहा;

(ख) हड़ताल के क्या कारण थे;

(ग) हड़ताल के कारण कुल कितने राजस्व की हानि हुई;

(घ) यदि माल खराब हो जाने के कारण कोई हानि हुई है तो कितनी हानि हुई है; और

(ङ) क्या पत्तन न्यास के प्रबन्ध-मंडल ने हड़ताल को रोकने के लिए समय पर कोई कार्यवाही नहीं की ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसीलाल) : (क) पत्तन बन्द नहीं हुआ था। तथापि प्राइवेट पूल के कार्गो हैंडलिंग श्रमिकों की हड़ताल के कारण 1985 में (नवम्बर, 1985 के अन्त तक) 53 दिनों तक जहाजों पर माल न तो चढ़ाया ही गया और न ही उतारा गया।

(ख) 19 जून, 1985 से 29 जुलाई, 1985 तक की सबसे लम्बी अवधि की यह हड़ताल कर्नाटक डॉक एंड जनरल वर्कर्स एम्प्लाइज यूनियम की, उनके दो पदाधिकारियों को गोदी में प्रवेश करने की अनुमति देने, यूनियन को मान्यता प्रदान करने और सूचीबद्ध श्रमिकों को पूरा रोजगार दिए जाने तक नैमित्तिक श्रमिकों को रोजगार नहीं देने की मांग को लेकर थी।

(ग) पोर्ट को अनुमानतः लगभग 15 लाख रु० मूल्य के राजस्व का घाटा हुआ।

(घ) हड़ताल की अवधि में माल की कोई क्षति नहीं हुई।

(ङ) प्रबन्धकों ने यूनियन के साथ विभिन्न स्तरों पर बार-बार बातचीत की थी और श्रमिकों को हड़ताल न करने का अनुरोध किया था।

बाढ़ के कारण कृषि फसल का नुकसान

*2630. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या सरकार को यह पता है कि महानदी, ब्राह्मणी और वैतरणी नदियों में इस वर्ष भारी बाढ़ से उत्पन्न बाढ़ विभीषिका के कारण कृषि फसलो को भारी क्षति पहुंची है तथा अनेक गांवों को नुकसान पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त गांवों में आई बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि हीराकुंड प्रणाली अब उड़ीसा में महानदी बेसिन की बाढ़ पर नियन्त्रण नहीं करती और यदि हां, तो महानदी की बिध्वंसक बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने क्या अन्य उपाय किए हैं; और

(घ) क्या सातवीं योजना के दौरान उड़ीसा में बाढ़ नियन्त्रण उपायों को कार्यान्वित करने का विचार है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने से सम्बन्धित कदमों की आयोजना और क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना से किए जाते हैं। मार्च, 1984 तक उड़ीसा राज्य ने निम्नलिखित कार्य किए हैं :—

(i) तटबन्ध	967 कि० मी०
(ii) जल निकास नालियां	98 कि० मी०
(iii) शहर/गांव सुरक्षा कार्य	संख्या 13
(iv) गांवों को ऊंचा करना	संख्या 29

इसके अलावा, भारत सरकार के केन्द्रीय जल आयोग ने मानव जीवन, पशु तथा चल सम्पत्ति की हानि को कम करने के लिए आने वाली बाढ़ की पहले से ही चेतावनी देने के लिए महानदी, ब्राह्मणी तथा वैतरणी नदियों पर बाढ़ पूर्वानुमान सुविधाओं की स्थापना है।

(ग) महानदी पर हीराकुण्ड बांध महानदी में बाढ़ों को नियंत्रित कर रहा है। इसके अलावा ब्राह्मणी के ऊपर एक जलाशय परियोजना, जो अब पूरी हो चुकी है, भी बाढ़ पर नियंत्रण रखेगी राज्य का महानदी पर हीराकुण्ड के अनुप्रवाह की ओर एक और जलाशय परियोजना शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उड़ीसा राज्य में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 17 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

सरक्युलर रेलवे, कलकत्ता के लिए मंजूर की गई धनराशि को अन्य कार्यों में लगाना

2631. **श्री भोलानाथ सेन**
श्री बसुदेव आचार्य } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में सरक्युलर रेलवे के निर्माण के लिए चालू वर्ष हेतु मंजूर की गई धनराशि के एक भाग को अन्य कार्यों में लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) उल्टाडांगा से दमदम जंक्शन तक सरक्युलर रेलवे के विस्तार तथा प्रिन्सेप घाट के आगे सरक्युलर रेलवे के विस्तार के लिए कलकत्ता गोदी क्षेत्र के ऊपर ऊंचे रेल मार्ग के निर्माण में देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) कलकत्ता में सरक्युलर रेलवे परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) चूंकि सर्कूलर रेलवे संरेखण के लिए निर्धारित रेलवे भूमि पर अतिक्रमणों के कारण उलटाडांगा रोड स्टेशन से दमदम जंक्शन तक सर्कूलर रेलवे लाइन का विस्तार नहीं किया जा सकता है। इस लिए परियोजना के लिए आवन्टित पूरी धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सकता है । अतः कलकत्ता सर्कूलर रेलवे परियोजना के लिए आबंटित 4.8 करोड़ रुपये में से 0.8 करोड़ रुपये का अपवर्तन कर दिया गया है ।

(ग) और (घ) जब तक राज्य सरकार द्वारा रेलवे भूमि से अतिक्रमणों को हटा नहीं दिया जाता तब तक उल्टाडांगा रोड स्टेशन से दमदम जंक्शन तक, जो परियोजना का दूसरा चरण है, सर्कूलर रेलवे का विस्तार करना संभव नहीं है। प्रिसेप घाट से आगे के कार्य के लिए, जिसमें उत्थापित संरचना का निर्माण निहित है तथा जो परियोजना का तीसरा चरण है, अधिक धन की आवश्यकता है और इसे रेल विभाग के नियन्त्रणाधीन महानगर परिवहन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध धनराशि से पूरा नहीं किया जा सकता है ।

राज्य सरकार से कहा गया है कि रेलवे भूमि से अतिक्रमणों को हटवा दें और भूमि पूर्व रेल प्रशासन के सुपुर्द कर दें ताकि काम को आगे बढ़ाया जा सके ।

अध्यापकों सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग का प्रतिवेदन

2632. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अध्यापकों सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं; और

(ग) क्या ये प्रतिवेदन संसद सदस्यों को उपलब्ध कराये जायेंगे ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) दो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग स्थापित किए गए थे जिनमें से एक का सम्बन्ध स्कूल शिक्षा के अध्यापकों तथा दूसरे का उच्च शिक्षा के अध्यापकों से था। दोनों ने ही अपनी-अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं।

(ग) आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों की सरकार द्वारा जांच करने के बाद रिपोर्टें संसद सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएंगी।

मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में कंडक्टर

2633. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने प्रमुख एक्सप्रेस/मेल रेलगाड़ियों में प्रत्येक शयन-यान के लिए एक टिकट निरीक्षक एवं कंडक्टर की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो शयन-यानों में कंडक्टरों के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने के क्या कारण हैं जिसके परिणामस्वरूप अनधिकृत यात्री शयन-यानों में घुस जाते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो कंडक्टरों को कितने डिब्बों को देखना होता है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) से (ग) एक साथ जुड़े बिना गलियारे वाले प्रत्येक शयनयान और दूसरे दर्जे के गलियारे वाले दो शयनयानों में एक चल टिकट परीक्षक तैनात करना अपेक्षित है। तथापि कभी-कभार ऐसा हो जाता है कि कर्मचारियों की कमी और अन्तिम क्षण की आकस्मिकताओं के कारण कुछ सवारी डिब्बे बिना कर्मचारी के ही चलते हैं।

सिक्किम में विश्वविद्यालय की स्थापना

2634. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम में स्कूलों, तकनीकी/प्रौद्योगिक संस्थानों और उच्च शिक्षा की सीमित सुविधाएं हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस राज्य की विकास की गति को तेज करने के लिए नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत परिवर्तित तथा व्यवहारिक आधार पर क्षेत्र की सभी शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सिक्किम में एक नई संकल्पना, उद्देश्य और लक्ष्य वाला विश्वविद्यालय स्थापित करने का है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सिक्किम में 10 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें 1000 छात्र हैं। एक राजकीय कालेज है, जिसमें 350 छात्र हैं तथा एक विधि कालेज है, जिसमें 137 छात्र हैं। राज्य में कोई तकनीकी/शिल्पविज्ञान संस्थान नहीं है।

(ख) इस समय सिक्किम में अलग विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा

2635. **श्री ई० अय्यपु रेड्डी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री द्वारा 30 अक्टूबर, 1985 को प्रधानमन्त्री को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में अनुरोध किया गया था कि वर्ष 1946 से आन्ध्र प्रदेश में एक भी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के अन्तर्गत नहीं लिया गया है और क्या भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा बनाए गए एक फार्मूला के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश में विद्यमान 2350 किलोमीटर के बजाय 5540 किलोमीटर राजमार्ग होना चाहिए,

(ख) क्या मुख्यमन्त्री ने अपने ज्ञापन में 10 सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिए जाने की पेशकश की है, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) धन की कमी के कारण आंध्र प्रदेश सहित किसी भी राज्य में किसी भी नई सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना संभव नहीं है।

रामटेक (महाराष्ट्र) में संस्कृत महाविद्यालय

2636. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र राज्य में रामटेक में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) : ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र के रामटेक में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते रहे हैं। इन सुझावों को महाराष्ट्र सरकार के पास उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा पर मांझी में घाघरा नदी पर पुल का निर्माण

2637. **श्री जगन्नाथ चौधरी**
श्री कृष्ण प्रताप सिंह } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बलिया और छपरा को जोड़ने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं पर मांझी में घाघरा नदी के ऊपर पुल के निर्माण की मंजूरी दे दी है।

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कब मंजूरी दी थी और निर्माण कार्य पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) उक्त पुल के निर्माण पर होने वाले काम की क्या अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) भारत सरकार ने अन्तर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सीमा पर मांझीघाट के निकट बलिया-छपरा सड़क पर घाघरा नदी पर पुल बनाने के लिए 4.50 करोड़ रुपए की ऋण सहायता की मंजूरी दी।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो इस पुल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, भारत सरकार की स्वीकृति के लिए व्यय का ब्यौरेवार अनुमान भेजा है जिस पर अभी कार्रवाई चल रही है। आशा है यह पुल निर्माण कार्य सौंपने की तारीख से लगभग 4 वर्षों में बन कर तैयार हो जायगा।

(ग) इस पुल पर अनुमानतः 11.00 करोड़ रुपये खर्च होंगे जिसमें से भारत सरकार 4.50 करोड़ रुपये की ऋण सहायता देगी और शेष खर्च तथा अनुमान से अधिक खर्च होने वाली उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारें बराबर-बराबर खर्च करेगी।

[अनुवाद]

तकनीकी व्यावसायिक क्षेत्रों में विदेशी मांग पूरी करने के लिये शैक्षणिक संस्थायें

2638. **श्री आर० प्रभु** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय तकनीकी कर्मियों जैसे डाक्टर, इंजीनियर आदि की भारी मांग है;

(ख) क्या ये व्यक्ति बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं;

(ग) क्या भारत में ऐसे उच्च तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति बेरोजगार हैं; और

(घ) क्या सरकार विदेशी मांग पूरी करने के और बेरोजगारी कम करने तथा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से तकनीकी व्यावसायिक क्षेत्रों में गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थायें खोलने पर विचार करेगी ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) मांग अस्थिर है।

(ख) जो विदेश में कार्यरत हैं, वे विदेशी मुद्रा भेजते हैं।

(ग) कुल मिलाकर, भारत में उच्च तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के लिए रोजगार अपर्याप्त नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

छोटी कृषि नहरों के निर्माण के लिए राज्यों को सहायता

2639. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान छोटी कृषि नहरों के निर्माण के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न राज्य सरकारों को केन्द्रीय अनुदान के रूप में दी गई कुल राशि के संबंध में ब्यौरा क्या ;है

(ख) क्या यह सच है कि अधिकतर राज्य सरकारें इस प्रयोजन के लिए दिए गए केन्द्रीय अनुदान का 50 प्रतिशत का भी उपयोग नहीं कर पाई हैं;

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) राज्यों को केन्द्रीय सहायता बराबर के हिस्से के आधार पर रिलीज की जाती है और यह सहायता पहले प्राप्त की जा चुकी है। भौतिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए वास्तव में खर्च की गई तथा वित्तीय वर्ष के शेष महीनों में खर्च की जाने वाली संभावित राशि पर आधारित होती है अत: 50% तक के केन्द्रीय अनुदान का उपयोग न कर पाने की उनकी असमर्थता का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1984-85 के दौरान फील्ड चैनलों के निर्माण के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य के लिए निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के अनुसार रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता

(लाख रुपयों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुदान	ऋण
1. आन्ध्र प्रदेश	75.47	75.46
2. असम	13.20	12.49
3. बिहार	96.88	121.00
4. गोवा	1.62	1.62
5. गुजरात	48.30	49.06
6. हरियाणा	34.29	32.50
7. हिमाचल प्रदेश	3.73	2.48
8. जम्मू व कश्मीर	6.17	1.27
9. कर्नाटक	457.25	113.46
10. केरल	8.52	0.71
11. मध्य प्रदेश	113.17	113.16
12. महाराष्ट्र	—	—
13. मणिपुर	5.43	2.33
14. उड़ीसा	47.86	33.02
15. राजस्थान	240.53	392.89
16. तमिलनाडु	102.66	29.67
17. उत्तर प्रदेश	475.00	380.00
18. पश्चिम बंगाल	—	—
जोड	1730.08	1361.12

दिल्ली में इस शीतकाल में "मेनिनजाइटिस" का पुनः फैलना

2640. श्री के० कुन्जम्बु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पिछले वर्ष "मेनिनजाइटिस" माहमारी के रूप में फैला था;

(ख) क्या सरकार यह महसूस करती है कि इस वर्ष शीतकाल के दौरान भी यह बीमारी फिर फैल सकती है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बीमारी से बचाव के पर्याप्त उपाए किए गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं। तथापि, चालू वर्ष के दौरान फरवरी से लेकर मई के महीनों के बीच मेनिनजाइटिस की घटनाओं में वृद्धि हुई थी।

(ख) मेनिनजाइटिस की घटनाओं के बारे में पूरे वर्ष के दौरान सूचना मिलती रहती है। चूंकि पिछले वर्षों में इस रोग की घटनाओं में किसी विशेष मौसम के दौरान वृद्धि नहीं देखी गयी, इसलिए यह बात पहले से बताना कठिन है कि इन सर्दियों में इस रोग की घटनायें असामान्य रूप से फिर होंगी।

(ग) और (घ) जब यह रोग हाल ही में फैला था तो उस समय रोकथाम के पर्याप्त उपाय किये गये थे, जैसे रोग से निजी बचाव करना, उन व्यक्तियों का रोग-प्रतिरक्षण करना जिन्हें यह रोग शीघ्र लग जाता है, रोगी के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों की रसाय-चिकित्सा करना और प्रारम्भ में ही रोग का निदान तथा उपचार करना ।

इस समय इस रोग की दिल्ली के सात अस्पतालों में प्रहरी के रूप में मानीटरिंग की जा रही है ताकि लोगों को रोकथाम के विशिष्ट उपायों के बारे में तत्काल सचेत किया जा सके।

सर्कुलर रेलवे हैदराबाद

2641. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण मध्य रेलवे ने हैदराबाद महानगरीय क्षेत्र के लिए सर्कुलर और सम्बद्ध रेल परिवहन प्रणाली हेतु प्राथमिक प्रोद्योगिकी-आर्थिक व्यवहारिकता का अध्ययन किया है और सरकार को नवम्बर, 1984 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रारम्भिक तकनीकी-आर्थिक व्यवहारिकता रिपोर्ट राज्य सरकार को अग्रेषित कर दी गई। सर्कुलर रेलवे की व्यवस्था अनिवार्यत: दैनिक-यात्री यातायात के हालात को

राहत पहुंचाने के लिए एक महानगर परिवहन परियोजना है, इसलिए राज्य सरकार से कहा गया है कि वह विस्तृत सर्वेक्षण कराने और परियोजना के निष्पादन के लिए, सामान्य रेल योजना से बाहर लाभांशदायिता मुक्त धन की व्यवस्था सहित, योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करें।

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को विशेष प्राथमिकता

2642. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को विशेष प्राथमिकता देने का है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से कोई चर्चा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाता है जहां इसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों और उप-केन्द्रों आदि के विशाल तंत्र के जरिए चलाया जाता है। जो बुनियादी कार्यनीति अपनाई गई है वह है—लोगों में जन शिक्षा एवं प्रोत्साहन सम्बन्धी प्रयासों के माध्यम से परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता पैदा करके उसे अपनाना तथा लोगों को उनके घरों के नजदीक सेवायें उपलब्ध करना। इस कार्यक्रम की क्रियान्विति की कार्यकुशलता बढ़ाने के प्रयासों के अंग के रूप में राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

नौवहन विकास निधि समिति को ऋणों के भुगतान करने हेतु नौवहन कंपनियों को नोटिस

2643. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने नौवहन विकास निधि समिति की संपूर्ण ऋण ब्याज सहित भुगतान करने हेतु नौवहन कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं;

(ख) क्या किसी कंपनी/कम्पनियों को छूट दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) नौवहन विकास निधि समिति ने ऐसी नौवहन कम्पनियों, जिसका रेहननामा समाप्त करने के मामले हाईकोर्ट में लंबित पड़े हैं, उनको छोड़कर, उन सभी नौवहन कंपनियों को नियमानुसार नोटिस जारी किए हैं, जिन्होंने बकाया धनराशि अदा नहीं की है।

कोचीन में नया हवाई अड्डा

2644 प्रो० पी० जे० कुरियन
प्रो० के० वी० थामस } : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में नया हवाई अड्डा स्थापित करने के बारे में निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की आशा है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[हिन्दी]

समस्तीपुर-दरभंगा-जयनगर रेल लाइन

2645. **श्री राम भगत पासवान** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता के बाद उत्तरी भारत में रेल विकास कार्य नगण्य रहा है और इस अवधि के दौरान समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, जयनगर, नरकटियागंज आदि क्षेत्रों में बिछाई गई बड़ी रेल लाइन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उत्तरी बिहार में बड़ी तथा छोटी लाइन बिछाने के लिए तैयार की गई योजना के नाम क्या हैं और यह कबसे लम्बित पड़ी है अब तक कितनी रेल लाइनों के लिए सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा इस सर्वेक्षण कार्य पर अलग-अलग कितनी राशि खर्च हुई है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं । स्वतन्त्रता के बाद उत्तर-बिहार में निम्नलिखित बड़ी लाइनें बिछायी गयी हैं :—

(1) रामपुर—डुमरा—बरौनी	(10 कि० मी०)
(2) न्यू जलपाइगुड़ी—बरसोई	(बिहार में 35 कि० मी०)
(3) मुकुरिया—बरसोई	(5 कि० मी०)
(4) बरौनी—समस्तीपुर	(50 कि० मी०)
(5) बाराबंकी—समस्तीपुर	(बिहार में 220 कि०मी०)
(6) बरौनी—कटिहार	(180 कि० मी०)

(ख) उत्तर-बिहार में लाइनें बिछाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं बनायी गयी हैं :—

क्रम० सं०	परियोजना	टिप्पणी
(क)	छितौनी—बगहा मीटर लाइन	यह 1974-75 में अनुमोदित की गयी थी। बगहा से बाल्मीकि नगर रोड (9 कि० मी०) तक का भाग अक्तूबर, 1978 में यातायात के लिए खोल दिया गया है। शेष कार्यों के लिए, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे गंडक नदी पर पुल के सुरक्षा कार्य की बढ़ी हुई लागत के अपने हिस्से को वहन करने की सहमति दें।
(ख)	सकरी—हसनपुर मीटर लाइन	यह 1974-75 में अनुमोदित की गयी थी। संसाधनों की कमी के कारण इसे शुरू करना संभव नहीं हो सका है।
(ग)	समस्तीपुर—दरभंगा मीटर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव	यह 1974-75 में अनुमोदित किया गया था। संसाधनों की कमी के कारण इसे शुरू करना संभव नहीं हो सका है। बदलाव के बजाय एक समानान्तर बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण का अनुमोदन किया गया है।

स्वतन्त्रता के बाद निम्नलिखित रेल लाइनों के सर्वेक्षण पूरे किये हैं :—

क्रम संख्या	रेल लाइन	सर्वेक्षण की अनुमानित लागत हजार रुपयों में
1	2	3
1.	सीतामढ़ी—सोनबरसा	50
2.	दोरम—माधेपुरा—सिंहेश्वरस्थान	40
3.	बिहारी गंज—सिमरी बख्तियारपुर	150
4.	प्रतापगंज—बलुआ—भीमनगर	125
5.	भीमनगर—बथनाहा	100

1	2	3
6.	लौकाहा—बाजार—लौकाही	70
7.	सहरसा—तारापीठ महेंशी	100
8.	सुपौल—चांद—पीपरा	40
9.	निर्मली—सरायगढ़	250
10.	मुजफ्फरपुर—दरभंगा	240
11.	मुजफ्फरपुर—सीतामढ़ी	600
12.	हाजीपुर—बछवाड़ा (समानान्तर ब० ला०)	550
आमान परिवर्तन		
13.	समस्तीपुर—रक्सौल, मुजफ्फरपुर के रास्ते	600
14.	समस्तीपुर—रक्सौल, दरभंगा के रास्ते	300
15.	नरभंगा—जयनगर	400
16.	सगौली—नरकटियागंज—बगहा	730

[अनुवाद]

तरणतालों (स्वीमिंग पूल) का निर्माण

2646. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए तीन वर्षों के दौरान देश में केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध की गई राशि से कितने तरणतालों का निर्माण किया गया ; और

(ख) उन स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव पर 1982-83 के दौरान 7 तरण तालों के निर्माण के लिए 6,25,000/रु०, 1983-84 के दौरान 9 तरणतालों के लिए 4,86,400/रु० तथा 1984-85 के दौरान 12 तरणतालों के लिए 8,94,575/रु० की वित्तीय सहायता दी गई थी। इन परियोजनाओं के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकारों से इनके पूरे होने के प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) स्थान संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

विवरण

क्रम० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	स्थानों के नाम
1	2	3
	1982-83	
1.	हरियाणा	करनाल
2.	मणिपुर	इम्फाल
3.	पंजाब	लुधियाना
4.	तमिलनाडु	(i) सेलम
		(ii) धर्मापुरी
		(iii) तंजौर
		(iv) जमनामरथुर
	1983-84	
1.	गुजरात	भावनगर
2.	हरियाणा	(i) अम्बाला
		(ii) सिरसा
3.	हिमाचल प्रदेश	सनावर
4.	कर्नाटक	(i) मल्लाधिहल्ली (जिला छित्रादुर्ग)
		(ii) वटावडे
5.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद
6.	राजस्थान	अलवर
7.	अरुणाचल प्रदेश	न्यू इटानगर
	1984-85	
1.	कर्नाटक	हासन
2.	महाराष्ट्र	(i) करनजिआ (जिला अकोला)
		(1) डोमबिवली* (जिला थाने)
		*इन्डोर कम्पलेक्स तथा तरण-ताल

1	2	3
3.	मणिपुर	(1) छुराचांदपुर
		(ii) बिश्नूपुर
		(iii) इम्फाल
		(iv) थौबल
4.	उड़ीसा	सम्बलपुर
5.	पंजाब	(i) रोपड़
		(ii) भटिण्डा
6.	राजस्थान	हनुमानगढ़
7.	दादर और नगर हवेली	सिलवासा

[हिन्दी]

नेहरू युवक केन्द्र के संयोजक

2647. श्री हरीश रावत : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने नेहरू युवक केन्द्रों के संयोजक एक ही स्थान पर पिछले छः वर्षों से कार्यरत हैं;

(ख) क्या उन्हें स्थानांतरित करने का कोई विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) देश में 106 नेहरू युवक केन्द्र हैं। जिनमें वही युवक समन्वयक 6 साल से ऊपर कार्य कर रहे हैं। सरकार द्वारा स्थानान्तरण लोकहित में किए जाते हैं। विशेष स्थान पर केवल सेवा की अवधि स्थानान्तरण करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। ऐसे युवक समन्वयक जो आरम्भ से ही कार्य करते हैं और जिन्हें स्थानीय वातावरण और लोगों को जानना है, के मामले में उपयुक्त लंबी सेवा लाभदायक है। अतः सरकार का इन युवा समन्वयकों को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव नहीं है, जब तक कि यह लोकहित में आवश्यक न हो।

[अनुवाद]

क्षतिपूर्ति निधि

2648. श्री एस० जी० घोलप : क्या परिवहन मंन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षतिपूर्ति निधि बनाई गई है, यदि हां, तो कब बनाई गई है;

(ख) यह तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उसका वास्तविक संग्रह और व्यय कितना है; और

(ग) 31 मार्च, 1985 को निधि में शेष कितनी धनराशि थी ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां । हिट-एण्ड-रन मोटर दुर्घटनाओं के संदर्भ में तोषण/मुआवजा के भुगतान के लिए पहली, अक्टूबर, 1982 से एक तोषण निधि की स्थापना की गयी है।

(ख) सूचना निम्नलिखित है :—

वर्ष	तोषण निधि में अंशदानों के रूप में जमा राशि	तोषण के भुगतान के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को रिलीज की राशि के रूप में व्यय
1982-83	100,10,0C0 रुपए	20,90,000 रुपए
1983-84	100,10,000 रुपए	9,43,000 रुपए
1984-85	99,80,000 रुपए	18,60,C00 रुपए
	300,00,0(0 रुपए	48,93,000 रुपए
	बाद में रिलीज की गई राशि	14,48,000 रुपए
	कुल योग :	63,41,000 रुपए

(ग) 2,55,97,679.10 रुपए (बैंक ब्याज सहित)

कोचीन शिपयार्ड संबंधी दत्ता आयोग की सिफारिशें

2649. **एच० एन० नन्जे गौडा**
डा० वी० वेंकटेश : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के कार्य निष्पादन आदि के बारे में दत्ता आयोग की सिफारिशों और सुझावों को कार्यान्वित नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि कोचीन शिपयार्ड पिछले तीन वर्षों से कोई भी आर्डर पाने में असफल रहा है; और

(घ) कोचीन शिपयार्ड के कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) दत्ता समिति द्वारा उत्पादन और उत्पादकता के बारे में की गई अनेक सिफारिशों और सुझावों को उत्तरोत्तर क्रियान्वित किया जा रहा है। अतिरिक्त संतुलन सुविधाओं के लिए पूंजी निवेश की जरूरत होती है, जिसके लिए सातवीं योजना में उपयुक्त प्रावधान किया गया है। तथापि, गेटों पर पंच करने और भोजन के समय पंच करने जैसी कुछ सिफारिशों को कुछ कारणों से पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया जा सका। जहां तक प्रोत्साहन स्कीम का संबंध है, इसे परामर्शदाता के पास भेज दिया गया है, जो स्कीम तैयार कर रहे हैं।

(ग) कोचीन शिपयार्ड ने पिछले तीन वर्षों में जहाज निर्माण के लिए किसी नए आर्डर पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि, कोचीन शिपयार्ड को भारतीय नौवहन निगम से 86 हजार डी०डब्ल्यू०टी० क्षमता वाले तीन तेल टैंकरों के निर्माण का आशय पत्र प्राप्त हुआ है।

(घ) शिपयार्ड के कार्य में सुधार लाने के लिए जो उपाय किए गए हैं, उनमें एकमात्र ड्राइंग बनाने, यूनिटों की पहले से ही फिटिंग समस्याओं को तरीके से सुलझाने सामग्री उपलब्ध कराने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाने, वस्तु सूची में कमी लाने, औद्योगिक संबंध सुधारने तथा कर्मचारियों की प्रशिक्षण और विकास द्वारा प्रबंधकीय कुशलता सुधारने जैसे विभिन्न आधुनिक काम करना शामिल है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए गैर-सरकारी उद्यमियों को दिया गया कार्य

2650. **कुमारी पुष्पा देवी**
श्री गुरूदास कामत } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों (उप-मार्गों सहित) के निर्माण की चुनिन्दा योजनाओं में निवेश करने के लिए गैर-सरकारी उद्यमियों को आमंत्रित किया था;

(ख) यदि हां, तो कितने गैर-सरकारी उद्यमियों ने सरकार के आमंत्रण का उत्तर दिया है; और

(ग) उन्हें अब तक सौंपे गये कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) संख्या में आठ।

(ग) किसी प्राइवेट उद्यमी को कोई काम आवंटित नहीं किया गया है।

सातवीं योजना के दौरान नसबन्दी के लिए आबंटित राशि

2651. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं योजना अवधि में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को पुरुषों और महिलाओं की नसबन्दी के लिए कितनी राशि आबंटित की गई और इसके लिए क्या मापदण्ड है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार): राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को हर वर्ष किए जाने वाले कार्य के आधार पर धन आबंटित किया जाता है। राज्यवार किए जाने वाले कार्य का भी वार्षिक आधार निर्धारण किया जाता है।

नौवहन विकास निधि समिति द्वारा मछली पकड़ने वाली कंपनियों को नोटिस

2652. **श्री दौलतसिंह जी जडेजा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन विकास निधि समिति द्वारा मछली पकड़ने वाली कंपनियों को दिए गए ऋण की अदायगी न किए जाने के कारण इस समिति ने मछली पकड़ने वाली कम्पनियों को कोई नोटिस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन मछली पकड़ने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनको ये नोटिस प्राप्त हुए हैं; और

(ग) क्या कठिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन मछली पकड़ने वाली कंपनियों को ब्याज में और छूट देने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) मछली पकड़ने वाली जिन कंपनियों को नौवहन विकास निधि समिति की बकाया राशि की अदायगी नहीं करने के कारण नोटिस जारी की गयी है, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) नौवहन विकास निधि समिति को मछली पकड़ने वाली कंपनियों द्वारा देय कुल 184.000 लाख रुपये में से अब तक 132.82 लाख रुपये प्राप्त हो चुके हैं जो कुल राशि का 72 प्रतिशत है। मछली पकड़ने वाली कंपनियों को ब्याज में अब और रियायत देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

मछली पकड़ने वाली उन कम्पनियों की सूची जिन्हें नौवहन विकास निधि समिति द्वारा नोटिस जारी की गयी है :—

राज्य लोक क्षेत्र

(क) आन्ध्र प्रदेश फिशरिज कारपोरेशन, काकीनाडा

(ख) केरल फिशरिज कारपोरेशन लिमिटेड, अर्नाकुलम।

निजी क्षेत्र

(क) प्रोन मैगनेट (प्रा०) लि०, विशाखापत्तनम

(ख) वेस्ट कोस्ट मैरिन (प्रा०) लि०

(ग) मार्शल सी फूड्स, कलकत्ता

(घ) यूनी मैरिन (प्रा०) लि०, कलकत्ता

(ङ) फोयनिक्स इंडिया मैरिन (प्रा०) लि०, विशाखापत्तनम

(च) संचेती फूड प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०, कलकत्ता

दिल्ली हवाई अड्डे पर स्वास्थ्य जांच

2653. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली हवाई अड्डे के अन्तर्राष्ट्रीय आगमन स्थल पर यात्रियों की जांच करने के संबंध में स्वास्थ्य निदेशालय और पर्यटन विभाग के बीच समन्वय का अभाव है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इससे यात्रियों को अनावश्यक विलम्ब होता है;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त दोनों विभागों के बीच बेहतर समन्वय रखने तथा यात्रियों को होने वाले विलम्ब को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) दिल्ली हवाई अड्डे पर स्वास्थ्य जांच के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

सौराष्ट्र मेल में खम्भालिया स्टेशन से द्वितीय श्रेणी के आरक्षण कोटे को बढ़ाना

2654. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में सौराष्ट्र, गुजरात में खम्भालिया रेलवे स्टेशन से होकर केवल एक रेल अर्थात् सौराष्ट्र मेल गुजरती है जो बम्बई जाती है जबकि अन्य रेल गाड़ियां हापा रेलवे स्टेशन से होकर जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि हापा रेलवे स्टेशन खम्भालिया रेलवे स्टेशन लगभग 75 कि० मी० की दूरी पर है;

(ग) यदि हां, तो क्या मीटर गेज रेलवे लाइन को ब्राड गेज रेलवे लाइन में परिवर्तित किए जाने के कारण खम्भालिया के तीव्र विकास को ध्यान में रखते हुए सौराष्ट्र मेल में खम्भालि

स्टेशन से द्वितीय श्रेणी के वर्तमान 4 सीटों के आरक्षण कोटे को बढ़ाकर 10 सीटें करने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो आरक्षण कोटे को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) हापा और खम्भालिया स्टेशन के बीच की दूरी लगभग 63 कि० मी० है।

(ग) जी, हां ।

(घ) खम्भालिया स्टेशन पर 6 अप सौराष्ट्र मेल में दूसरे दर्जे का कोटा बढ़ाकर 1-7-1985 से 6 शायिकाएं कर दिया गया है ।

दक्षिण दिल्ली की कालोनियों को डी० टी० सी० रात्रि सेवा से जोड़ना

2655. **श्री अनूप चन्द शाह** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण दिल्ली में आनन्द निकेतन, मोतीबाग, नानकपुरा की और सत्य निकेतन जैसी कालोनियां दिल्ली परिवहन निगम की रात्रि सेवा से वंचित रखी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उल्लिखित कालोनियों को डी० टी० सी० की रात्रि सेवा से जोड़ने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार 062 सेवा को मलाई मंदिर से धौला कुआं तक बढ़ाने का है ताकि उपरोक्त कालोनियां डी० टी० सी० रात्रि सेवा से जोड़ी जा सकें ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम ने शहर में केवल सीमित संख्या में ही रात्रिकालीन सेवाएं प्रारम्भ की हैं। यह पाया गया है कि रात्रिकालीन बसों में यात्रियों की संख्या सामान्यत: बहुत कम होती है । आनन्द निकेतन, मोतीबाग, नानकपुरा और सत्य निकेतन जैसे दक्षिणी दिल्ली की कालोनियों सहित नगर की विभिन्न कालोनियों में इन सेवाओं का अभी तक विस्तार नहीं किया गया है ।

(ग) से (ङ) दिल्ली परिवहन निगम के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था

2656. प्रो० राम कृष्ण मोरे
श्री यशवंत राव गडाख पाटिल : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान, अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल झोंक कर विमान तथा प्रतिबन्धित क्षेत्रों में चले जाने की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं और उन हवाई अड्डों के नाम क्या हैं;

(ग) देश में विभिन्न हवाई अड्डों पर वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था की पुनरीक्षा करने तथा यदि कोई कमी है तो उसे दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सुरक्षा प्रबन्धों में ढील बरतने, जिसके कारण प्रतिबन्धित क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रवेश संभव हुआ, के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न हवाई अड्डों पर पिछले एक वर्ष के दौरान (1-12-84 से 30-11-85 तक) प्रतिबंधित क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रवेश की 8 घटनायें हुई हैं, जो इस प्रकार हैं :—

(i) दिल्ली — 3
(ii) बम्बई — 3
(iii) कलकत्ता — 2

(ग) हवाई अड्डों पर सुरक्षा उपायों की लगातार समीक्षा की जाती है। परिचालन क्षेत्रों में सभी प्रवेश स्थलों पर विमान क्षेत्र सुरक्षा स्टाफ द्वारा चौकसी रखी जाती है और प्रवेश द्वार पर परिचालन क्षेत्र में जाने की अनुमति केवल उन्हीं कर्मचारियों को दी जाती है, जिनके पास फोटो-पहिचान-पत्र/पास होते हैं। विमान क्षेत्र प्रशासन को कहा गया है कि वे निर्धारित प्रकार की परिधि दीवार/बाड़ की व्यवस्था करें। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर परिधि गश्त को बढ़ा दिया गया है। अपनी परिचालन कार्य कुशलता में सुधार करने के लिए विमान क्षेत्र सुरक्षा कर्मचारियों को सेवा-कालीन प्रशिक्षण दिया जाता है।

(घ) सुरक्षा व्यवस्था में ढीलाई के लिए जिम्मेदार पाए गए पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध नियमों के अन्तर्गत तुरन्त कार्यवाही की गई।

राष्ट्रीय सुरक्षा निधि, सुरक्षा परिषदों और सड़क सुरक्षा निदेशालय का सृजन

2657. श्री मानिक रेड्डी : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क सुरक्षा संबंधी समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा निधि का सृजन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस निधि की कार्य प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र और राज्यों में सुरक्षा परिषदों और सड़क सुरक्षा निदेशालयों का सृजन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) सड़क सुरक्षा निधि के सृजन से संबंधित सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया।

(ग) और (घ) व्यापक प्रशासनिक तंत्र के सृजन के लिए समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि मौजूदा प्रणाली में सुधार करके और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र, राज्य और जिला स्तरों पर सड़क सुरक्षा कक्ष स्थापित करके सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था की जा सकती है। तदनुसार, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है।

बंगलौर, राज्य की राजधानियों और ऐतिहासिक स्थानों के बीच विमान सेवा

2658. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्य की राजधानी तथा विभिन्न राज्यों में ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के बीच विमान सेवा स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु विभिन्न राज्यों में किन-किन स्थानों का पता लगा लिया गया है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार को पर्यटक आकर्षित करने के लिए बंगलौर और राज्य के कुछ ऐतिहासिक स्थानों के बीच विमान सेवा की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसे बारे में कर्नाटक सरकार द्वारा दिए गए सुझावों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) वायुदूत ने पहले ही बंगलौर से बेलारी और मैसूर तक हवाई सेवाओं की व्यवस्था कर रखी है । कर्नाटक राज्य में रायचूर और हुबली अन्य स्टेशन हैं जिन्हें आधार-भूत सुविधाओं और प्रचालनों की आर्थिक साध्यता के उपलब्ध हो जाने पर, वर्ष 1985-86 के दौरान हवाई सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है ।

मैट्रो रेलवे, कलकत्ता के लिए निगरानी कक्ष

2659. **श्री अमल दत्त :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैट्रो रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए किसी निगरानी कक्ष का गठन किया गया है;

(ख) हां, तो इस कक्ष का गठन क्या है और यह कक्ष किसके समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है;

(ग) क्या इस कक्ष ने कोई गड़बड़ी पकड़ी है और यदि हां, तो ऐसी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रकार की गड़बड़ी को दूर करने के यदि कोई उपाय किए गए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या ये प्रयास असफल हो गए हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, हां ।

(ख) कलकत्ता मैट्रो परियोजना, रेल विभाग द्वारा मानीटर की जा रही है, जहां इस प्रयोजन के लिए एक अलग महानगर परिवहन निदेशालय कार्य कर रहा है ।

(ग) जी, हां । ठेकेदार श्रमिक समस्याओं में उलझे रहने के कारण एस्प्लेनेड-टालीगंज खण्ड पर कार्यों में लगभग दो महीने तक गड़बड़ी रही है ।

(घ) और (ङ) इस प्रकार के विलम्ब की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठेकेदारों के विरुद्ध इस मामले में तत्परता से कार्रवाई की गई है । मानिटरिंग को और कड़ा कर दिया गया है ।

इण्डियन एयरलाइन्स की बुकिंग में प्राथमिकताएं

2660. **श्री अमल दत्त :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स के बुकिंग कर्मचारियों को कतिपय वर्गों के लोगों को प्राथमिकताएं देने के बारे में क्या नियम और अनुदेश जारी किए गए हैं;

(ख) सभी श्रेणियों और मार्गों संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों को "इकानोमी" और "एक्जीक्यूटिव" श्रेणियों में क्रमश: कौन-सी प्राथमिकता प्रदान की जाती है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलाइन्स की सभी उड़ानों पर उस व्यक्ति की बुकिंग पहले की जाती है जो पहले आता है। तथापि, प्रतीक्षा-सूची के यात्रियों की तुलना में अतिगण्यमान्य व्यक्तियों, अत्यधिक आपात मामलों और सुरक्षा से संबंधित अनुरोधों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) संसद सदस्यों से प्राप्त अनुरोध प्रतीक्षा सूची में सबसे ऊपर रखे जाते हैं और रद्द गई की सीटों की जगह उन्हें पुष्टिकृत सीटें दी जाती हैं।

इंडियन एयरलाइन्स में और एयर इंडिया में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या

2661. **श्री जनार्दन दास** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन एयरलाइन्स और एयर इन्डिया में 30 सितम्बर, 1985 को उच्च प्रबन्धकीय स्तर पर अधिकारियों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या कितनी थी; और

(ग) उच्च प्रबन्धकीय स्तर पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) इन्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इन्डिया में, 30 सितम्बर, 1985 की स्थिति के अनुसार, उच्च प्रबन्धकीय स्तर पर अधिकारियों की कुल संख्या क्रमश: 398 और 1295 थी। इस स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
इन्डियन एयरलाइन्स	10	1
एयर इन्डिया	56	8

(ग) उच्च प्रबन्धकीय स्तर पर पदों का कोई आरक्षण नहीं है। तथापि, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि यहां पर भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित उम्मीदवारों पर शिथिल मानकों के आधार पर विचार किया जाता है और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता।

इण्डियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की एयर होस्टेसों की संख्या

2662. श्री अनादिचरण दास : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन एयरलाइन्स में एयर होस्टेसों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है; और

(ग) उनकी संख्या कम होने के क्या कारण हैं और सरकार का विचार इन्डियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की एयर होस्टेसों की संख्या बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाने का है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) इन्डियन एयरलाइन्स में 15-11-85 की स्थिति के अनुसार 534 विमान परिचारिकायें हैं।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित विमान परिचारिकाओं की संख्या क्रमश: 105 तथा 39 है।

(ग) कोई कमी नहीं है।

[हिन्दी]

सातवीं योजना में सिंचाई के लिए निर्धारित लक्ष्य

2663. श्री विलास मुत्तेमवार
श्री मोहनभाई पटेल
श्री अमर सिंह राठवा
प्रो० चन्द्रभानु देवी
श्री आनन्द सिंह
श्री आर०एम० भोये
डा० कृपा सिंधु भोई

: क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य के लिए सिंचाई हेतु निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में सातवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसी निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के लिए जो पूर्ण होने की उन्नत अवस्था में हैं तथा सातवीं योजना में सिंचाई लाभ देने में सक्षम हैं, पर्याप्त निधियां प्रदान की जाएं।

विवरण

(000 हैक्टेयर)

राज्य का नाम	छठी योजना 1980-85 के लिए लक्ष्य	सातवीं योजना 1985-90 के लिए लक्ष्य	छठी योजना (1980-85) के दौरान प्रत्याशित उपलब्धि
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	870	933	686.6
2. असम	226	260	143.0
3. बिहार	1680	1455	1514
4. गुजरात	453	547	477
5. हरियाणा	298	369	290
6. हिमाचल प्रदेश	28	20	26
7. जम्मू व कश्मीर	65	67	56
8. कर्नाटक	715	464	308.4
9. केरल	303	280	186
10. मध्य प्रदेश	1033	1080	802
11. महाराष्ट्र	855	745	830
12. मणिपुर	61	39.5	49.8
13. मेघालय	15	14.0	10.8
14. नागालैंड	10	12.00	8.5
15. उड़ीसा	660	706.0	537
16. पंजाब	410	404	413
17. राजस्थान	482	570	452

1	2	3	4
18. सिक्किम	8	8	5.1
19. तमिलनाडु	233	133	128.4
20. त्रिपुरा	13	35	19.6
21. उत्तर प्रदेश	4550	4237	3934
22. पश्चिम बंगाल	687	470	343
कुल राज्य	13675	12848.5	11220.2
संघ शासित राज्य	66	33	43
कुल जोड़	13741	12881.5	11263.2

[अनुवाद]

पारादीप पत्तन के लिए नए निकर्षण पोत

2664. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन के बेसिन तथा प्रवेश जलमार्ग से गाद निकालने का काम ऊंची दरों पर किराये पर लिए गए निकर्षण पोत (ड्रेजर) से किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका वार्षिक किराया कितना है;

(ग) क्या पारादीप पत्तन न्यास के चेयरमैन ने केन्द्रीय सरकार से पत्तन के लिए एक नया निकर्षण पोत देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है और पारादीप पत्तन को नया निकर्षण पोत कब तक दिया जाएगा ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) पत्तन का सभी रख-रखाव, ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इन्डिया से भाड़े पर लिए ड्रेजरों द्वारा किया जाता है। जहां तक भाड़े की दरों का संबंध है, यह उल्लेखनीय है कि भाड़े की दरें मेसर्स ड्रेजिंग कार्पोरेशन आफ इन्डिया द्वारा लगाई गई पूंजी, संचलनात्मक लागत और उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर लाभ को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है।

(ख) ड्रेजिंग अनुरक्षण के लिए लगाए गए ड्रेजरों के वार्षिक भाड़े की राशि लगभग पांच करोड़ रुपए होगी।

(ग) जी, हां।

(घ) संसाधनों की कमी के कारण परियोजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया जा सका।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 30 की मरम्मत

2665. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 30 पटना से होकर गुजरता है;

(ख) यदि हां, यो क्या यह भी सच है कि मुनेर, शेरपुर, दौड़पुर, बायापुर, आदि गांवों में यह सड़क बहुत खराब हालत में है और इससे परिवहन में कठिनाई होती है; और

(ग) यदि हां, तो सड़क की मरम्मत हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 30 के कोइलवर-दानापुर खण्ड में किलोमीटर 152 और 163 के बीच में मुनेर, शेरपुर, दौड़पुर, बायापुर, गांव पड़ते हैं। इस खंड में पानी के जमाव के कारण, विशेषकर बरसात में जब अधिक पानी एकत्रित हो जाता है, रोड क्रस्ट को क्षति पहुंचती है। 1984 के दौरान वर्षा के कारण क्षति के परिणामस्वरूप, इसके मरम्मत कार्यों के लिए मार्च, 1985 में 7.067 लाख रुपये की धनराशि संस्वीकृत की गयी थी और मरम्मत कार्य हो रहा है। इस साल भी राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में किलोमीटर 150 और 165.2 के बीच सड़क सतहों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली है। राज्य लोक निर्माण विभाग से इन क्षतिग्रस्त खण्डों के मरम्मत कार्यों के लिए अनुमान प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 30 के इस भाग को भी चरणों में मजबूत किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सामुदायिक स्वास्थ्य गाइडों के वेतन में वृद्धि

2666. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामुदायिक स्वास्थ्य गाइडों को प्रतिमाह केवल 50 रुपए दिए जाते हैं और उसका भुगतान भी अनियमित है; और

(ख) यदि हां, तो क्या जीवन निर्वाह की लागत में हुई भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन में वृद्धि की जाएगी ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को प्रतिमाह 50/-रुपए मानदेय के रूप में दिए जाते हैं। ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को यह

मानदेय प्रतिमाह मनीआर्डर, क्रॉस्ड चेक या क्रास्ड पोस्टल आर्डर के जरिए तथा ग्राम पंचायत/ग्राम स्वास्थ्य समिति के माध्यम से भी देने के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया गया है।

(ख) मानदेय की राशि बढ़ाने सम्बन्धी कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भारत से पुरावशेषों की तस्करी

2667. श्री एस० एम० भट्टम : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक संस्कृति संगठन की हाल की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि गत दस वर्षों के दौरान भारत से 70000 से भी अधिक पुरावशेषों की तस्करी की गई है; और

(ख) क्या पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 में संशोधन की आवश्यकता है जिससे तस्करों के साथ प्रभावकारी तरीके से निपटने में अनेक खामियों को दूर किया जा सके ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को किसी हाल की यूनेस्को रिपोर्ट की जानकारी नहीं है जिसमें पिछले दस वर्षों के दौरान भारत से बाहर 70,000 पुरावशेषों की तस्करी का उल्लेख किया गया है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

आयुर्वेदिक स्नातकों की संख्या और उनमें व्याप्त बेरोजगारी

2668. श्री सी० जंगा रेड्डी
डा० ए० के० पटेल
} : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और इस समय बेरोजगार आयुर्वेदिक स्नातकों की संख्या क्या है और उन्हें समुचित रोजगार न मिलने के क्या कारण हैं;

(ख) प्रतिवर्ष कितने आयुर्वेदिक स्नातक कालेजों से निकलते हैं और उन्हें अधिक खपाने योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) अन्य सभी पहलुओं के समान होने के बावजूद एलोपैथी स्नातकों की तुलना में आयुर्वेदिक स्नातक में क्या खामियां हैं; और

(घ) क्या इन खामियों को दूर करने संबंधी कोई प्रस्ताव है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 1981, 1982, और 1983 के अन्त तक भारत में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में क्रमश: 5962, 6721 और 6874 आयुर्वेद के स्नातक दर्ज थे।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार आयुर्वेदिक कालेजों से प्रतिवर्ष लगभग 2000 स्नातक निकलते हैं। व्यावसायिक दृष्टि से अर्हता प्राप्त स्नातकों के लिए व्यवसाय के अनेक अवसर होते हैं जिसमें निजी प्रैक्टिस एवं सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों में नौकरी शामिल है।

(ग) और (घ) प्रत्येक चिकित्सा पद्धति के अपने-अपने गुणावगुण होते हैं। सरकारी क्षेत्र के कार्मिकों का वेतन तथा उनकी सेवाशर्तें विभिन्न मानदण्डों और वेतन आयोग आदि, जो वेतन-मान और सेवा शर्तें निर्धारित करते समय सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखते हैं, की सिफारिशों पर आधारित होती हैं।

अमरीकी वैज्ञानिक द्वारा विकसित मलेरिया विरोधी इन्जेक्शनों का प्रयोग और परीक्षण

2669. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 अक्तूबर, 1985 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी वैज्ञानिक द्वारा विकसित मलेरिया विरोधी इंजेक्शन आयात करने का निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यदि उन पर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा उसका प्रयोग और परीक्षण किए गए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सरकार ने इस समाचार को देखा है। उपलब्ध सूचना के अनुसार न्यूयार्क यूनिवर्सिटी मेडिकल सेन्टर के कुछ वैज्ञानिकों ने मलेरिया परजीवी की स्पोनो जोयट स्टेजरोधी मलेरिया वैक्सीन विकसित की है। यह समझा जाता है कि मनुष्यों पर इसकी नैदानिक आजमाइश तीन चरणों में की जानी है। प्रथम चरण की आजमाइशें 1985 के अन्त तक अथवा 1986 के प्रारम्भ तक किए जाने का विचार है। चूंकि यह वैक्सीन नैदानिक उपयोग के लिए अभी तैयार नहीं है, इसलिए इसके आयात का प्रश्न नहीं उठता।

हावड़ा पुल

2670. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 9 नवम्बर, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "हावड़ा ब्रिज "फालिंग डाउन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस अत्यन्त महत्वपूर्ण पुल को नष्ट होने से बचाने के लिए क्या समयानुकूल कदम उठाने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां ।

(ख) मेसर्स रेल इन्डिया तकनीकी और आर्थिक सेवा, नई दिल्ली को केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, परामर्शी इन्जीनियर्स लिमिटेड और पुल के मूल डिजाइनर के सहयोग से पुल के स्थायित्व की जांच करने और आवश्यक उपाय सुझाने के लिए नियुक्त किया गया है ।

माल की ढुलाई में वृद्धि

2671. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष (1985-86) की पहली छमाही में पिछले वर्ष की इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में रेलवे द्वारा माल की ढुलाई में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जोन में किस किस्म की तथा कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और रेलवे बोर्ड तथा जोनल रेलों द्वारा बेहतर कार्य निष्पादन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) अधिकांशतः सभी क्षेत्रों में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में अधिक लदान हुआ । क्षेत्रवार लदान और राजस्व अर्जक यातायात की स्थिति नीचे दी गई है :--

रेलवे	(मिलियन टन में) अप्रैल से सितम्बर तक	
	1984-85	1985-86
मध्य रेलवे	11.39	11.64
पूर्व रेलवे	23.49	25.43
उत्तर रेलवे	8.55	10.11
पूर्वोत्तर रेलवे	1.23	1.32
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	1.64	2.17
दक्षिण रेलवे	6.26	6.52
दक्षिण-मध्य रेलवे	10.96	12.42
दक्षिण-पूर्व रेलवे	37.36	39.75
पश्चिम रेलवे	10.21	10.60
जोड़	111.09	119.96

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय रेलवे उपयोक्ता समितियां

2672. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक जोन के अन्तर्गत डिवीजनों के लिए राष्ट्रीय रेलवे उपयोक्ता समिति, नौ जोनल रेलवे उपयोक्ता समितियों और अन्य उपयोक्ता समितियों का गठन इस बीच पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय रेलवे उपयोक्ता समिति और उत्तर रेलवे उपयोक्ता समिति तथा फिरोजपुर और दिल्ली डिवीजन के लिए डिविज़नल उपयोक्ता समितियों के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी समितियों के क्या नाम हैं जिनका गठन किया जा चुका है, शेष समितियों को कब तक गठित किए जाने की सम्भावना है तथा उनका गठन किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मण्डल/क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों का 1.1.1986 से पुनर्गठन करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

सातवीं योजना के दौरान केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ

2673. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संस्कृत भाषा और साहित्य के विकास के लिए और संबंधित राज्यों/क्षेत्रों में विभिन्न संस्कृत पाठशालाओं और विद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से सातवीं पंचवर्षीय योजना में कई केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ खोलने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें योजना के दौरान इस प्रकार के विद्यापीठ खोले जाएंगे और इस समय देश में राज्य-वार किन-किन स्थानों में ऐसे विद्यापीठ कार्य कर रहे हैं; और

(ग) क्या योजना के पहले वर्ष (1985-86) के दौरान भी विद्यापीठ खोले जायेंगे और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी,

हां। जबकि कुछ पाठशालाएं परीक्षा संबंधी प्रयोजनों के लिए इस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से सम्बद्ध हैं, किन्तु उनके कार्य का सामान्य समन्वय राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में पांच केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों की स्थापना करने का प्रस्ताव शामिल है। इन विद्यापीठों का वास्तविक स्थान यथासमय तय किया जाएगा। इस समय राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के अन्तर्गत तिरुपति (आन्ध्र प्रदेश), पुरी (उड़ीसा) गुरुवायूर (केरल), जयपुर (राजस्थान), इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) जम्मू (जम्मू और कश्मीर) और दिल्ली में स्थित सात केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ कार्य कर रहे हैं।

(ग) 1985-86 के दौरान लखनऊ में एक केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ स्थापित करने के लिए स्वीकृति दे दी गयी है। इस विद्यापीठ के शैक्षिक सत्र 1986-87 से कार्य शुरू करने की सम्भावना है।

उड़ीसा के परम्परागत खेल

2674. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण ने उड़ीसा के परम्परागत खेलों के कोई आंकड़े एकत्र किए हैं; यदि हां, तो किन-किन परम्परागत खेलों का पता लगाया गया है;

(ख) क्या उड़ीसा खेल प्राधिकरण ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार अथवा भारतीय खेल प्राधिकरण को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा) : (क) कुछ समय पहले भारतीय खेल प्राधिकरण ने उड़ीसा राज्य सरकार से उड़ीसा में परम्परागत खेलों के बारे में सूचना लेने के लिए उन्हें लिखा था। राज्य सरकार से भारतीय खेल प्राधिकरण को कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) ऐसी कोई रिपोर्ट या तो सरकार द्वारा या भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय चिकित्सकों के अमरीकी संगठन द्वारा प्रस्तावित सहयोग योजना

2675. **श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सकों के अमरीकी संगठन द्वारा प्रस्तावित सहयोग योजना को स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) अमेरिकन इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने सूचित किया था कि वे भारतीय मूल के उन डाक्टरों को, जो स्वदेश छुट्टी पर हों, मेडिकल कालेजों और अन्य संस्थाओं में जाकर व्याख्यान देने, गोष्ठियां और संगोष्ठियां आयोजित करने तथा अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए भेजना चाहेंगे। इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को केन्द्र बिन्दु बना दिया है। वर्ष 1985 के लिए यह निर्णय किया गया है कि यह योजना निम्नलिखित विशिष्टियों और संस्थाओं में चलाई जाएगी :—

1. यूरोलजी एस० एम० एस० मेडिकल कालेज, जयपुर।

2. कार्डियोलाजी एवं कार्डियो थोरेसिस सर्जरी	(i) जी०एस० मेडिकल कालेज, एवं (ii) के०ई०एम० अस्पताल, बम्बई

3. न्यूरोलाजी एवं अपोलो अस्पताल, मद्रास, न्यूरो सर्जरी

4. गेस्ट्रोएन्ट्रोलाजी—जी०बी० पन्त अस्पताल, नई दिल्ली।

परिवार नियोजन निगम

2676. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक परिवार नियोजन निगम की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बांध सुरक्षा निरीक्षणालय का गठन

2677. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बांधों की सुरक्षा के बारे में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो बांधों की सुरक्षा की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस दिशा में उपयुक्त विधान बनाया जाएगा; और

(घ) क्या "बांध सुरक्षा निरीक्षणालय" जैसा कोई स्वतन्त्र निकाय बनाया जाएगा ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) विभिन्न क्षेत्रों से बांधों की सुरक्षा के बारे में सुझाव तथा शिकायतें प्राप्त हुई हैं। चूंकि जल एक राज्य विषय है, इसलिए बहुत से जलाशय तथा बांध राज्य सरकारों के स्वामित्व में हैं, तथा उनका संचालन और रख-रखाव राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इसलिए मामले पर आगे कार्रवाई करने के लिए आधार तैयार करने हेतु राज्यों के साथ विचार-विमर्श करना होता है। तथापि, बांधों की सुरक्षा के महत्व को मानते हुए, भारत सरकार ने सम्भावित परेशानी के मामलों का पता लगाने तथा उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए राज्य सरकारों की सहायता हेतु केन्द्रीय जल आयोग में एक बांध सुरक्षा संगठन गठित किया हुआ है।

नए हवाई अड्डों का निर्माण

2678. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में नए हवाई अड्डों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक राज्य में किन स्थानों पर नए हवाई अड्डे स्थापित किए जायेंगे;

(ग) इन प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की आशा है;

(घ) देश में किन अन्य स्थानों पर नए हवाई अड्डे स्थापित किए जाएंगे; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार की, कर्नाटक राज्य में किसी नए हवाई अड्डे के निर्माण की कोई योजना नहीं है। तथापि कर्नाटक सरकार ने हुबली में एक हवाई अड्डे के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है।

(ग) राज्य सरकार ने हुबली हवाई अड्डे के पूरा होने के बारे में. कोई निश्चित अवधि नहीं बताई है।

(घ) कालीकट, शिमला, गंगटोक, इटानगर, सलेम, और तूतिकोरिन।

(ङ) (1) कालीकट में निर्माण कार्य चल रहा है।

(2) शिमला में स्थल के विकास का कार्य किया जा रहा है; और

(3) अन्य हवाई अड्डों पर—स्थलों का अभी अंतिम रूप से चुनाव किया जाना है/उनका विकास किया जाना है ।

तकनीकी शिक्षा तथा अनुसंधान केन्द्र

2679. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में और अधिक तकनीकी शिक्षा तथा अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित संस्थानों में विदेशी विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त करके कतिपय विकसित प्रौद्योगिक की व्यवस्था की जाएगी;

(ग) यदि इन संस्थानों की स्थापना क्षेत्र-वार की जानी है तो कर्नाटक में ऐसे कितने संस्थान तथा कहां स्थापित किए जायेंगे; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) तकनीकी संस्थानों की स्थापना राज्यों की योजनाओं के अन्तर्गत की जाती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्वीकृति के लिए कुछ राज्यों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जबकि सातवीं योजना के दौरान तकनीकी संस्थान की स्थापना के लिए कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं के विस्तार से सम्बन्धित सभी प्रस्तावों पर, जा विशेषकर उभारते शिल्प विज्ञानों तथा कमजोर क्षेत्रों में सुस्थापित तथा सुपरिभाषित आवश्यकताओं पर आधारित हैं, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा विधिवत विचार किया जाता है। नये तकनीकी संस्थानों को अनुमोदित करते समय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एक सुविचारित नीति के मामले के तौर पर क्षेत्रीय असंतुलनों को यथा सम्भव दूर करने का प्रयास करती है ।

बाढ़ नियंत्रण परिव्यय योजनायें

2680. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव**
श्री सुभाष यादव
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री मानिक रेड्डी
: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए बाढ़ नियंत्रण परिव्यय योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की जाने वाली एजेंसियों की संख्या कितनी है; और

(ग) उस पर कितना व्यय आयेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) सातवीं योजना अवधि के लिए बाढ़ नियंत्रण के वास्ते 947.39 करोड़ रुपए के परिव्यय को अन्तिम रूप दिया गया है और इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा किसी नई एजेंसी के स्थापित किए जाने की संभावना नहीं है।

दिल्ली जाने वाली जी० टी० एक्सप्रेस का भोपाल के निकट पटरी से उतर जाना

2681. **श्री सुभाष यादव**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 अक्तूबर, 1985 को दिल्ली जाने वाली जी०टी० एक्सप्रेस के नौ डिब्बे भोपाल के निकट पटरी से उतर गए थे;

(ख) यदि हां, तो जानमाल का कितना अनुमानित नुकसान हुआ;

(ग) इस दुर्घटना के कारण क्या थे;

(घ) क्या इस बीच दुर्घटना के कारणों की कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां। पटरी से उतरने की घटना 27.10.1985 को हुई थी न कि 28-10-85 को।

(ख) कोई जन हानि नहीं हुई। रेल सम्पत्ति को लगभग 10,60,000/-रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) रेल-पथ से छेड़-छाड़।

(घ) और (ङ) इस मामले में विभागीय जांच की गई थी और दुर्घटना का कारण किसी अनजान व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा फिश प्लेटों का हटाया जाना निर्धारित किया गया है।

"मिक" से पीड़ितों की मृत्यु

2682. **श्री सुभाष यादव**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अक्तूबर, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि भोपाल में हर दूसरे दिन एक "मिक" पीड़ित व्यक्ति की मौत हो रही थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा "मिक" पीड़ितों के जीवन की सुरक्षा हेतु क्या नये कदम उठाए जा रहे हैं ?

परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) सरकार को इस समाचार की जानकारी है। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि गैस लगने की हिस्ट्री वाले लोगों की मौतें हुई हैं।

(ग) सरकार देश में उपलब्ध तथा विदेशों से प्राप्त उपकरणों, दवाइयों और सामग्री के रूप में राज्य सरकार को हर सम्भव सहायता उपलब्ध करा रही है।

गैस से प्रभावित लोगों को उपलब्ध की गयी विशेष चिकित्सा सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. यूनियन कार्बाइड कारखाने के पास 30 पलंगों वाला एक अस्पताल खोल दिया गया है जिसमें एक्सरे मशीन, प्रयोगशाला और रक्त विश्लेषक की सुविधायें उपलब्ध हैं।

2. चार विशेष क्लीनिक खोले गए हैं जिनमें एक्सरे मशीन और प्रयोगशाला की सुविधायें उपलब्ध हैं।

3. सभी सुविधाओं से युक्त छः औषधालय दिन-रात कार्य कर रहे हैं।

4. गैस से प्रभावित व्यक्तियों के लिए मेडिकल कालेज अस्पताल, प्रसूति अस्पताल और जे० पी० अस्पताल में विशेष क्लीनिकों की व्यवस्था।

5. दृष्टिहीनता की रोकथाम के लिए रॉयल कामनवैल्थ सोसायटी के सहयोग से 20 पलंगों वाला एक अस्पताल खोला गया है।

गैस से प्रभावित व्यक्तियों की लम्बे अर्से तक अनुवर्ती देख-भाल लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने 20 अनुसंधान परियोजनाएं शुरू कर दी हैं।

दिल का दौरा पड़ने के मामलों में नया उपचार

2683. श्री सुभाष यादव
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1985 के तीसरे सप्ताह के दौरान नई दिल्ली में हुए तीन सप्ताह की राष्ट्रीय कार्यशाला में दिल का दौरा पड़ने के मामलों में धमनियों में जमें खून के थक्के (क्लोट) को घुलाकर नया उपचार करने के बारे में विस्तृत चर्चा हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त चर्चा के क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) 60 वाले दशक के प्रारम्भिक वर्षों में कारोनरि केयर यूनिटों की स्थापना होने के परिणामस्वरूप थ्रोम्बालिटिक थेरापी (क्लाट डिजालविंग ट्रीटमेंट) से तीव्र दिल के दौरे के उपचार में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई जब मृत्यु दर में (अस्पताल मृत्यु दर में) कुछ हद तक कमी आ गयी थी । इस बात का प्रमाण है कि इस नए इलाज से मृत्यु दर को 25-30 प्रतिशत से लगभग 8 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है । थ्रोम्बालिटिक थेरापी से पहले और बाद में कारोनरि एंगियोग्राफी के और अधिक तथा अनुवर्ती अध्ययन करने की बात हुई है ।

[हिन्दी]

गुजरात में परिवार नियोजन के लिए वित्तीय सहायता

2684. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में गुजरात के लिए परिवार नियोजन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस लक्ष्य को किस हद तक प्राप्त किया गया है और कुल लक्ष्य का वह कितना प्रतिशत है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए गुजरात सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से कितनी धनराशि की मांग की गई थी और वास्तविक रूप से केन्द्रीय सरकारा द्वारा कितनी धनराशि दी गई ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात राज्य के वर्षवार लक्ष्यों, उपलब्धियों और प्रतिशत उपलब्धि का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात राज्य द्वारा मांगी गई राशि तथा उस राज्य को वर्षवार जारी की गई राशि इस प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा मांगी गई राशि	जारी की गई राशि
1980-81	:062.65	743.45
1981-82	1096.50	1152.61
1982-83	2290.58	1676.37
1983-84	2633.45	1951.72
1984-85	2866.44	2209.47

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-81 से 1984-85) के दौरान गुजरात राज्य के लक्ष्य, उपलब्धियां और लक्ष्यों की उपलब्धि का प्रतिशत

वर्ष	नसबन्दी			आई०यू०डी०निवेशन			प्रचलित गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता		
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्यों की प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्यों की प्रतिशत उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्यों की प्रतिशत उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1980-81	162,300	200,594	123.6	47,300	40,942	86.6	253,900	168,776	66.5
1981-82	162,300	237,405	146.3	47,300	45,647	96.5	253,900	164,988	65.0
1982-83	260,000	241,519	92.9	88,000	63,127	71.7	280,000	206,022	73.6
1983-84	284,000	235,853	83.0	200,000	111,574	55.8	475,000	284,671	60.3
1984-85	300,000	256,516	85.5	250,000	214,161	85.7	472,000	437,865	92.8

खाई जाने वाली गोलियों के प्रयोगकर्ता

	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्यों की प्रतिशत उपलब्धि
	11	12	13
1980-81	21,300	15,365	72.1
1981-82	21,300	16,030	75.3
1982-83	22.000	20,383	92.7
1983-84	74,000	38,130	51.5
1984-85	74,000	61,502	83.1

[अनुवाद]

सम्बलपुर में रेल डिवीजन

2685. **श्री नित्यानन्द मिश्र :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सम्बलपुर में रेल डिवीजन की स्थापना के लिए आधारशिला कब रखी गई थी;

(ख) उसके पश्चात् उपर्युक्त रेल डिवीजन की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) उड़ीसा में सम्बलपुर रेलवे मण्डल की स्थापना के लिए 14-9-1984 को नींव रखी गयी थी।

(ख) और (ग) 1985-86 के दौरान 4.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सम्बलपुर में मण्डल कार्यालय की स्थापना का कार्य बिना बारी के स्वीकृत किया गया है जिसके लिए चालू वर्ष के दौरान 5 लाख रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। मण्डल के क्षेत्राधिकार के बारे में निर्णय किया जा चुका है और भूमि अधिग्रहण करने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार को मांग भेजी जा रही है।

अपर इन्द्रावती बहु-प्रयोजनीय परियोजना

2686. **श्री नित्यानन्द मिश्र :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के अन्त तक अपर इन्द्रावती बहु-प्रयोजनीय परियोजना का समस्त कार्य पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या उपरोक्त परियोजना के कार्यान्वित करने में पहले ही विलम्ब हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) उपरोक्त योजना के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) अपर इन्द्रावती परियोजना निर्माण कार्यों को आठवीं पंचवर्षीय योजना में ले जाया जाएगा। विलम्ब के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण हैं : वार्षिक योजनाओं में राज्य सरकार द्वारा अपर्याप्त निधियों की व्यवस्था, भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब, सीमेंट, इस्पात, कुशल श्रमिकों आदि की कमी। परियोजना का विद्युत घटक 326.4 मिलियन अमरीकी डालर के आई० डी० ए० क्रेडिट तथा आई० बी० आर० डी० ऋण सहायता के लिए स्वीकृत कर लिया गया है। सीमेंट तथा संरचनात्मक इस्पात जैसी दुर्लभ सामग्रियों को प्राप्त करने में भी राज्य सरकार को सहायता दी जा रही है।

तालचेर-सम्बलपुर रेल संपर्क

2687. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तालचेर-सम्बलपुर रेल लाइन के निर्माण पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है;

(ख) वर्ष 1985-86 में उपर्युक्त लाइन के निर्माण के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) उक्त लाइन के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) अक्तूबर, 1985 तक लगभग 3.11 करोड़ रुपये।

(ख) तीन करोड़ रुपये।

(ग) 2 प्रतिशत।

उड़ीसा में अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास

2688. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय योजनाओं/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में इस सम्बन्ध में अब क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) केन्द्र द्वारा प्रवर्तित स्कीम के रूप में 17 मार्च, 1971 को महानदी के पार मुंडाली बांध पर एक लाक के निर्माण की स्कीम मंजूर की गई थी। मार्च, 1979 से पूर्व राज्य सरकार को कुल 50.18 लाख रुपये ऋण सहायता के रूप में दिए गए थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से कोई सहायता नहीं मिली है।

महानगरी/गंगा-कावेरी एक्सप्रेस गाड़ी को पटना तक बढ़ाना

2689. श्री सी० पी० ठाकुर : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महानगरी एक्सप्रेस अथवा गंगा-कावेरी एक्सप्रेस गाड़ी को पटना तक बढ़ाने का है क्योंकि पटना के लोगों के लिए दक्षिण जाने हेतु कोई उचित रेल सम्पर्क नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रेल सम्पर्क की कब तक व्यवस्था की जायेगी ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में आरक्षण कार्यालयों को सुव्यवस्थित करना

2690. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल आरक्षण कार्यालयों में आरक्षण कार्य को आसान बनाने तथा उसमें देरी को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ख) क्या स्टेशनों के प्रशासन और आरक्षण सुविधाओं के बारे में रेल भवन द्वारा कोई सीधा प्रबन्ध किया जा रहा है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) आरक्षण कार्यालयों में सरलीकरण के लिए तथा विलम्ब कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) अग्रिम आरक्षणों की अवधि 120 दिन से घटाकर 90 दिन करना;

(ii) प्रतीक्षा सूचियों में रखे जाने वाले यात्रियों की उपयुक्त संख्या निर्धारित करना;

(iii) कार्य घंटों में वृद्धि;

(iv) प्रमुख शहरों के भीतरी भागों में सिटी बुकिंग-एवं आरक्षण कार्यालय खोलना;

(v) बिजली के उपकरणों तथा जुगतों का उत्तरोत्तर इस्तेमाल;

(vi) 17-10-1985 से सिकन्दराबाद में एक नया आरक्षण कम्पलेक्स खोला गया है जहां टोकन नंबर जारी करने की सुविधा है। आरक्षण प्राप्त करने वाले यात्री निर्धारित काउंटरों पर अपनी मांग पर्चियां प्रस्तुत करते हैं जहां पर उन्हें मांग पर्ची का छिद्रित भाग दे दिया जाता है जिस पर टोकन नंबर तथा काउंटर लिख दिया जाता है जिस पर उन्हें आरक्षण प्राप्त करने के लिए जाना होगा। तदोपरान्त, सम्बद्ध काउंटरों पर बारी-बारी से टोकन नंबरों को चमकदार अंकों के माध्यम से दर्शाया जाता है। इस बीच की अवधि के दौरान ग्राहक अन्य काम कर सकते हैं अथवा वहां रखी गयी कुर्सियों पर बैठ सकते हैं; और

(vii) शुरू में दिल्ली में आरक्षण कार्य का संगणकीकरण करना है और अन्य महानगरों में विभिन्न चरणों में उसका विस्तार करना आदि

(ख) जी, नहीं ।

उड़ीसा में सिकन्दराबाद के लिए नई रेलगाड़ियां

2691. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को कोणार्क एक्सप्रेस, जो उड़ीसा और सिकन्दराबाद के बीच चलती है, की एक नई संपूरक रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता की जानकारी है;

(ख) उपरोक्त क्षेत्र की यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) उड़ीसा से होकर जाने वाली प्रस्तावित नई रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) वर्तमान गाड़ी सेवाओं द्वारा मौजूदा यातायात की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पारादीप पत्तन का विकास

2692. **श्री सोमनाथ रथ**
श्रीमती जयन्ती पटनायक } : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पारादीप पत्तन के विकास के लिए कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : सातवीं योजना के दौरान पारादीप पत्तन के विकास के लिए कार्यान्वित किए जाने वाली स्कीमों की सूची निम्न प्रकार हैं :—

पारादीप पत्तन-सातवीं योजना में स्कीम

स्कीमों के नाम

(क) जारी स्कीमें

1. थर्ड अमरल कारगो बर्थ का निर्माण
2. उर्वरक घाट का निर्माण
3. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कम्प्लेक्स का निर्माण
4. कार्यशाला मशीनरियों और भवनों का निर्माण

5. अस्पताल सुविधाएं

6. सीवाल

7. बकेट व्हील रिक्लेमर को बदलना

8. केन्द्रीय स्टोर गोदाम

9. ओपेन स्टैकिंग यार्ड

10. फायर फाइटिंग उपकरण

(ख) नयी स्कीमें

(ख) (1) बदलना

1. कारगो हैंडलिंग उपकरणों का बदला जाना

2. फ्लोटिंग क्रैफ्ट्स का बदला जाना

3. स्टैण्ड बाई-पासिंग प्रबंध-आईलैंड ब्रेकवाटर और सैंड ट्रेप ड्रेजिंग का निर्माण

(ख) (2) आधुनिकीकरण

1. आयरन और बर्थ का सुधार और आधुनिकीकरण

2. सीवेज डिस्पोजल एण्ड ड्रेनेज सिस्टम का विकास

3. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का विस्तार, ओवरहैड टैंक और सहायक निर्माण कार्य

4. नाली और बाढ़ नियंत्रण को प्रभावकारी बनाने के लिए पत्तन क्षेत्र में औपनिंग क्रेक सिस्टम

5. पत्तन क्षेत्र के भीतर इलेक्ट्रीकल इंस्टालेशन

(ख) (3) जोड़

1. गोदी क्षेत्र में पत्तन परिचालन भवन का निर्माण

2. ओपेन स्टैकिंग यार्ड

3. कारगो हैंडलिंग वर्कर्स के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था

4. केन्द्रीय स्टोर गोदाम का निर्माण

5. पत्तन कर्मचारियों के लिए आवासीय मकानों का निर्माण-क, ख, ग, और घ

6. सड़क पुलियों—1 पुल का निर्माण

7. आवासीय क्षेत्र में कारगो हैंडलिंग और गोदी कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था

8. विकास कार्यों के लिए भूमि के 100 क्षेत्रों का सुधार

9. पत्तन कर्मकारों और व्यापार के लिए पत्तन टाउनशीप में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करना।

10. पत्तन कर्मचारियों के लिए आवासीय कम्प्लेक्स क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था करना।

11. अग्नि शमन सेवा स्थल और उपकरण

12. कोल हैंडलिंग सुविधाएं

परिवार कल्याण का बीमा योजना

2693. **श्री सोमनाथ रथ**
श्रीमती जयन्ती पटनायक
श्री मुरलीधर माने : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नवविवाहित दम्पतियों के लिए मुफ्त परिवार कल्याण बीमा योजना आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो देश में यह कार्यक्रम कब तक चालू हो जाएगा;

(ग) क्या सरकार राज्यों में दूर-दराज के भागों में नवविवाहित दम्पतियों को यह सुविधा प्रदान करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) सरकार ने परिवार कल्याण बीमा योजना शुरू करने संबंधी किसी प्रस्ताव को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

[हिन्दी]

रेल सेवा आयोग द्वारा की गई अनियमितताएं

2694. **श्री शांति धारीवाल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल विभाग में तृतीय श्रेणी के पदों को भरने के लिए चयन के दौरान रेल सेवा आयोग द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अब तक उन पर कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो सरकार को प्राप्त शिकायतों के संबंध में की गई कार्यवाही के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (च) यह नहीं कहा जा सकता कि उम्मीदवारों के चयन में रेल सेवा आयोगों (जो अब रेल भर्ती बोर्डों के नाम से जाने जाते हैं) द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें बढ़ रही हैं। रेल भर्ती बोर्डों के कार्यों की निरन्तर प्रशासनिक संवीक्षा की जाती है। यदि कोई प्रक्रिया सम्बन्धी अनियमितताएं पायी जाती हैं तो उन्हें ठीक किया जाता है। रेल भर्ती बोर्डों से भी कहा गया है कि वे एक चरण-बद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण करें। जिन अनियमितताओं में सतर्कता दृष्टिकोण अन्तर्निहित होता है, उनकी जांच की जाती है और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

राजस्थान में रेल लाइनों का नवीकरण

2695. **श्री शांति धारीवाल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय राजस्थान में पांच रेल जोन कार्यरत हैं;

(ख) क्या पिछले कई वर्षों से इन पांच जोनों के अधीन अधिकांश रेल लाइनों के नवीकरण की आवश्यकता है;

(ग) क्या यह सच है कि यदि निकट भविष्य में ऐसा नहीं किया गया, तो कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त जोनों के अधीन इस समय किए जा रहे रेल लाइनों के नवीकरण कार्य का जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं। राजस्थान में केवल तीन क्षेत्रीय रेलें यथा पश्चिम, मध्य और उत्तर रेलें पड़ती हैं।

(ख) राजस्थान में कुल 5981 कि० मी० रेलपथ में से लगभग 1103 कि० मी० रेलपथ का नवीकरण किया जाना है।

(ग) जी, नहीं। रेलपथ को सुरक्षित हालत में रखा जाता है और किसी अप्रिय घटना की कोई सम्भावना नहीं है।

(घ) और (ङ) रेलपथ का नवीकरण एक सतत प्रक्रिया है। वर्ष 1985-86 में, राजस्थान में निम्नलिखित कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है :—

पश्चिम रेलवे	—	303 कि० मी०
उत्तर रेलवे	—	125 कि० मी०
	जोड़	428 कि० मी०

रेल विभाग द्वारा भुगतान किये गये दावे

2696. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेल विभाग से सम्बन्धित दावों के एवज में वर्ष-वार अलग-अलग कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ख) दावों का भुगतान किन कारणों से किया जाता है; और

(ग) क्या विभाग ने इस बारे में कोई विस्तृत जांच करवाई है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान रेलों द्वारा क्षतिपूर्ति के दावों के लिए गये भुगतान की राशि नीचे दी गयी है :—

1982-83	—	2,192.63 लाख रुपये
1983-84	—	3,053.02 लाख रुपये
1984-85	—	3,302.80 लाख रुपये

जिन कारणों से क्षतिपूर्ति के दावे उद्भूत होते हैं, वे हैं परेषणों का गुम हो जाना, चोरी, उठाईगीरी, टूट-फूट, रिसाव, भीगने तथा पारवहन में विलम्ब के कारण क्षतिग्रस्त हो जाना, आदि

(ग) सामान्यत: दावों का निपटारा करने से पहले विस्तृत जांच की जाती है ।

[अनुवाद]

जैसलमेर के लिए वायुदूत सेवा

2697. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसलमेर (राजस्थान) जो कि पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है, को वायुदूत सेवा से नहीं जोड़ा गया है; और

(ख) जैसलमेर से वायुदूत सेवा कौन-सी तारीख से प्रारम्भ करने की सम्भावना है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) वायुदूत ने 2-12-1985 से दिल्ली—जयपुर—जोधपुर-जैसलमेर मार्ग पर सप्ताह में तीन दिन जैसलमेर तक हवाई सेवा की व्यवस्था कर दी है ।

बिहार में बाढ़ के कारण जान और माल की हानि

2698. श्री विजय कुमार यादव : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी बिहार के आधे दर्जन से अधिक जिले और हजारों गांव इस वर्ष भीषण बाढ़ से प्रभावित हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) बाढ़ के कारण कितने व्यक्ति मारे गए हैं और सम्पत्ति को कितना नुकसान हुआ है; और

(घ) इस संकट के स्थायी समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) राज्य सरकार के अनुसार उत्तरी बिहार में 16 जिले जिनमें 3751 गांव शामिल हैं, इस वर्ष भारी वर्षा/बाढ़ से प्रभावित हुए। मारे गये व्यक्तियों की सूचित की गई संख्या तथा सम्पत्ति की हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(1) मारे गये व्यक्तियों की संख्या	29
(2) प्रभावित जनसंख्या	40 86 लाख
(3) प्रभावित फसल क्षेत्र	3.645 लाख हैक्टेयर
(4) प्रभावित फसल का मूल्य	2880.07 लाख रुपए
(5) क्षतिग्रस्त हुए मकानों की संख्या	53093 लाख रुपए
(6) क्षतिग्रस्त हुए मकानों का मूल्य	273.07 लाख रुपए
(7) जन उपयोगी सेवाओं की हानि	120.73 लाख रुपए

(घ) राज्य सरकार तटबंधों, जल निकास/नालियों के निर्माण, तट सुरक्षा उपाय आदि करके अल्पकालीन उपाय करती रहेगी। केन्द्रीय जल आयोग ने मानव जीवन, पशु तथा चल सम्पत्ति की हानि को कम करने के लिए पहले से ही चेतावनी देने के लिए क्षेत्र में बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन स्थापित किये हैं।

अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के प्रवर्तन कर्मचारियों को अनन्तिम भत्ते के भुगतान में असंगति

2699. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तदशीय जल परिवहन निदेशालय के प्रवर्तन कर्मचारियों को पहले दस वर्षों से 3 रुपये प्रति दिन की दर से अनन्तिम भत्ता मिल रहा है;

(ख) क्या मात्स्यिकीय संगठन के अन्तर्गत नौकाओं में कार्यरत प्रवर्तन कर्मचारियों को मई, 1982 से 10 रुपया प्रति दिन की दर से खुराक भत्ता मिल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के प्रवर्तन कर्मचारियों के अनन्तिम भत्ते की दर मात्स्यिकीय संगठन के प्रवर्तन कर्मचारियों को मिल रहे 10 रुपए प्रतिदिन की दर के समान करने का है?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के उन कर्मचारियों को जो जलयानों पर रहते हैं, मार्च 1983 के बाद 3 रुपये प्रतिदिन की दर से रसद भत्ता मिल रहा है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के उक्त कर्मचारियों को अदा किए जा रहे 3 रुपये प्रतिदिन की दर के रसद भत्ते में वृद्धि करने का मामला विचाराधीन है ।

सूखा प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ जल प्रबंध

2700. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए बाढ़ और जल प्रबंध के लिए कार्य प्रक्रिया नीति क्या है;

(ख) अधिकतर नदियों के एक से अधिक राज्यों से होकर बहने के कारण नदी घाटियों के विकास के प्रति सरकार की नीति क्या है; और

(ग) सरकार ने वर्तमान सिंचाई जल वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण और नई प्रौद्योगिकियों के योजनाबद्ध अंतरण के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) बाढ़ निवारण व्यवस्था के लिए नीति में जलाशयों, बाढ़ तटबंध तथा जल निकास चैनलों के निर्माण जैसे संरचनात्मक उपायों और बाढ़ पूर्वानुमान तथा चेतावनी और बाढ़ क्षेत्र विभाजन जैसे गैर-संरचनात्मक उपाय शामिल हैं ।

सूखा निवारण व्यवस्था नीति में अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के संबंध में सामान्य मानदण्ड में छूट सहित सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना की व्यवस्था है ।

(ख) सरकार की नीति में, संबंधित राज्यों के बीच जहां आवश्यक होता है केन्द्र की सहायता से बातचीत द्वारा अन्तर्राज्यीय नदियों के जल के बंटवारे तथा जिन मतभेदों को बातचीत द्वारा हल नहीं किया जा सकता, उन मामलों को अधिनिर्णयण से हल करने की परिकल्पना की गई है ।

(ग) उपलब्ध संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए पुरानी सिंचाई प्रणालियों को आधुनिक बनाने की राज्य सरकारों को सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त, वितरण प्रणाली के बेहतर संचालन को लागू करके विद्यमान सिंचाई परियोजनाओं की निष्पत्ति में सुधार लाने का कार्यक्रम भी विचाराधीन है ताकि कमान क्षेत्र के सभी कृषकों को जल की न्यायोचित उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके ।

दिल्ली/नई दिल्ली और आसपास की कालोनियों के लिए बिजली की रेलगाड़ी

2701. **श्री विजय एन० पाटिल : क्या परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में बिजली से चलने वाली उपनगरीय रेलगाड़ियों की तरह दिल्ली/नई दिल्ली और आस-पास की कालोनियों में कम दूरी का फासला तय करने के लिए बिजली की रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी रेलगाड़ियां कब तक चलनी शुरू हो जायेंगी ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में नए डिविजनों/जोनों की स्थापना

2702. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुधार समिनि ने बेहतर प्रशासन, रखरखाव और परिचालन के लिए नए डिविजन/जोनों के सृजन की सिफारिश की है;

(ख) क्या रेल विभाग द्वारा किसी नए डिवीजन/जोन का सृजन किया गया है तथा वह किस तारीख से अस्तित्व में आए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नए जोनों/ डिविजनों का सृजन किया जाएगा ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर रेल में मझनगढ़ में एक्सप्रेस गाड़ियों का रुकना

2703. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है पूर्वोत्तर रेल में छपरा-सेड़ा-दरमुआ-थाने होते हुए लूप लाइन पर गोरखपुर के निकट मझनगढ़ नामक स्थान है जो कि ब्लाक मुख्यालय और एक वाणिज्यिक नगर है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस स्थान के निवासी काफी समय से इस स्थान से होकर जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ियों की यहां पर रुकने की मांग कर रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार मक्षनगढ़ में जल्द ही एक्सप्रेस गाड़ियों के रुकने की व्यवस्था करने का है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) मक्षनगढ़ ब्लाक मुख्यालय है न कि वाणिज्यिक नगर।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

[अनुवाद]

नौवहन विकास निधि समिति का समाप्त किया जाना

2704. **श्री बी०बी० देसाई** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आरम्भ में ही नौवहन विकास निधि समिति को समाप्त करने का निर्णय किया था;

(ख) क्या सरकार ने इस बीच अपना यह निर्णय बदल दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) अभी तक इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

हुबली स्थित रेल कार्यशाला का विस्तार

2705. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली स्थित रेलवे कार्यशाला के विस्तार का कोई प्रस्ताव रेलवे के समक्ष है; और

(ख) यदि हां, तो इस विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) हुबली कारखाना दक्षिण मध्य रेलवे के मीटर लाइन के रेल इंजनों, सवारी और माल डिब्बों की आवधिक ओवरहाल की आवश्यकताओं को पूरा करता है। कार्यभार को सम्हालने के लिए वर्तमान सुविधाएं पर्याप्त हैं। इस समय कारखाने का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल सवारी डिब्बों का निर्माण

2706. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1984-85 के दौरान रेल सवारी डिब्बों की कितनी जरूरत थी;

(ख) उस अवधि के दौरान कितने सवारी डिब्बों का निर्माण हुआ;

(ग) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान आधुनिक डिजाइन वाले सवारी डिब्बों का आयात करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है; और

(घ) देश में और अधिक सवारी डिब्बों के निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) 1229 सवारी डिब्बों और 174 बिजली गाड़ियों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था ।

(ख) निर्यात और मैट्रो के लिए बिजली गाड़ियों और सवारी डिब्बों सहित कुल उत्पादन 1308 सवारी डिब्बे था ।

(ग) नवम्बर, 85 के दौरान नये डिजाइन के 60 सवारी डिब्बे आयात करने के लिए एक टेन्डर मांगा गया है तथापि, आयात 1985-86 में फलीभत होने की संभावना नहीं है ।

(घ) प्रतिवर्ष 1000 सवारी डिब्बों का निर्माण करने के लिए पंजाब के कपूरथला में एक नया सवारी डिब्बा कारखाना लगाया जा रहा है और सवारी डिब्बा कारखाने की उत्पादन क्षमता को प्रतिवर्ष 1000 सवारी डिब्बे तक बढ़ाया जा रहा है ।

राज्य सड़क परिवहन निगमों को केन्द्रीय पूंजी अंशदान में कटौती का प्रस्ताव

2707. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सड़क परिवहन निगमों को केन्द्रीय पूंजी अंशदान में कटौती करने संबंधित कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे राज्य सड़क परिवहन निगमों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) और (ख) जी, हां । तथापि इस बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

आन्ध्र प्रदेश की बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

2708. **श्री एस०एम० भट्टम** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की बड़े और मध्यम दर्जे की अधिकांश परियोजनाओं को अभी मंजूरी नहीं मिली है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक ऐसे मामले में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) तकनीकी आर्थिक स्वीकृति तथा योजना आयोग की स्वीकृति के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार से केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त परियोजना रिपोर्टों का ब्यौरा निम्नवत् है :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त होने की तारीख	विलम्ब के कारण
1	2	3	4
(क)	**बृहद स्कीमें**		
1.	सिंगूर परियोजना	25.10.77	तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत है। योजना आयोग के विचाराधीन है।
2.	तेलुगु गंगा	·.12.83	तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता को अभी स्थापित किया जाना है। अन्तर्राज्यीय पहलुओं को हल किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा पर्यावर्णिक पहलुओं से स्वीकृति तथा वन क्षेत्र से संबंधित स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
3.	श्री सेलम बायां तट नहर	16.2.85	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 4/85 तथा 10/85 के दौरान राज्य को भेजी गई टिप्पणियों पर राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त होने हैं।
4.	पोलावराम परियोजना	12.4.83 (बांध तथा बांयीं नहर रिपोर्ट) 11.3.85 (दायीं नहर रिपोर्ट)	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर राज्य सरकार ने उत्तर भेजने हैं।
5.	सोमासिला	19.8.85	हाल ही में प्राप्त हुई है तथा केन्द्रीय जल आयोग के परीक्षणाधीन है।

1	2	3	4
6.	कृष्णा डेल्टा प्रणाली का आधुनिकीकरण	29.4.83	राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर उत्तर भेजने हैं।
7.	गोदावरी डेल्टा प्रणाली का आधुनिकीकरण	अक्तूबर 85	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के अनुसार आशोधित रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और परीक्षणाधीन है।
8.	येलेरू	9.5.80	राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर उत्तर भेजने हैं।
9.	जुराला	10.9.80	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर 3/85 से 10/85 तक प्राप्त हुए हैं और केन्द्रीय जल आयोग के परीक्षणाधीन हैं।
10.	पुलिचिनाताला	14.10.85	हाल ही में प्राप्त हुई है तथा जांच का कार्य शुरू कर दिया गया है।
11.	वमसधारा चरण-दो	16.5.83	राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर उत्तर भेजने हैं। उन्होंने उड़ीसा सरकार के साथ अन्तर्राज्यीय पहलुओं को भी हल करना है।
(ख)	मध्यम परियोजनाएं		
1.	कौलासनाला	3.9.83	राज्य सरकार ने महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के साथ अन्तर्राज्यीय पहलुओं को हल करना है।
2.	पेड्डावागु	15.5.83	राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर उत्तर भेजने हैं।

1	2	3	4
3.	चेलमेलधा वागु	29.5.85	राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर भेजने हैं।
4.	बुगावंका	28.12.83	राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर भेजने हैं। उन्हें वन संबंधी स्वीकृति भी प्राप्त करनी है ।

दिल्ली के केन्द्रीय अस्पतालों में गंभीर रूप से अतिग्रस्त गुर्दे के रोगी और डाइलेसिस सुविधाएं

2709. श्री मूल चन्द डागा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के प्रमुख केन्द्रीय अस्पतालों में गंभीर रूप से गुर्दा खराब हो जाने के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) इनमें से कितने मामले विषाक्त (सेप्टिक) गर्भपात और अतिसार और निर्जलीकरण के कारण होते हैं;

(ग) इन अस्पतालों में से कितनों में प्रशिक्षित कर्मचारियों सहित डायलेसिस एकक हैं;

(घ) गुर्दा खराब होने के ऐसे गंभीर मामलों में से कितनों को डायलेसिस सुविधाएं प्राप्त हैं; और

(ङ) डायलेसिस की सुविधा प्राप्त करने वालों और प्राप्त न कर पाने वालों की मृत्यु दर कितनी है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) दिल्ली में स्थित केन्द्रीय सरकार के प्रमुख अस्पतालों, अर्थात राममनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा उसके सहयोगी अस्पतालों में गुर्दा खराब होने के 92 गंभीर मामलों का पता लगाया गया है ।

(ख) केवल 10 मामले ।

(ग) डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में डाइलेसिस यूनिटें तथा प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है ।

(घ) डायलेसिस के लिए रैफर किये गये सभी रोगियों को डायलेसिस की सुविधा उपलब्ध है परन्तु इसके लिए यह देखना होता है कि रोगी की सामान्य स्थिति डायलेसिस लगाने योग्य है या नहीं।

(ङ) ऐसे रोगियों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनका विभिन्न यूनिटों में इलाज किया गया और जिन्हें डायलेसिस के लिए रेफर नहीं किया गया था अथवा जिनके मामले में डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल में डायलेसिस करना आवश्यक नहीं समझा गया था। तथापि, जिन 27 रोगियों का डायलेसिस किया उसमें से 18 रोगियों की हालत में सुधार आया। जो 16 रोगी गुर्दे खराब होने के पुराने अथवा गंभीर रोग से पीड़ित थे उनमें से 9 रोगियों की बाद में मृत्यु हो गयी। सफदरजंग अस्पताल की डायलेसिस यूनिट में जिन रोगियों ने डायलेसिस का उपचार प्राप्त किया था उनकी मृत्यु दर 5.4 प्रतिशत है और जिन रोगियों ने डायलेसिस नहीं लगाया था उनकी मृत्यु दर का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सभी रोगियों को डाइलेसिस का उपचार किया गया था।

गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा सड़कों का निर्माण

2710. **श्री भोला नाथ सेन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र के सड़क निर्माताओं से सड़क बनवाने के लिए परियोजनाएं तैयार की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां।

(ख) प्राइवेट क्षेत्र में वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित किस्म की स्कीम को उपयुक्त समझा गया है : –

(i) बड़े नगरों के आसपास चुनींदा बाईपास।

(ii) एक्सप्रेसवे जैसी नई सुविधाएं।

(iii) नए पुल।

(iv) दोहरी लेन वाले खण्डों को चौहरी लेन में बदलना जिसमें दो तेज वाहनों के लिए हो और जिसके लिए मार्ग कर वसूला जाए और बाकी दो लेनें धीमी गति वाले वाहनों के लिए जिसके लिए मार्ग कर नहीं वसूला जाए।

ऐसी स्कीमों को चुनने में निम्नलिखित की पूर्ति करनी पड़ेगी :—

(i) नई सुविधा से एकाधिकार न हो और इसलिए आम नागरिक को वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध हों।

(ii) प्राइवेट उद्यमकर्ताओं को अपने संसाधन से धन और खुले बाजार से ऋण प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिए ।

(iii) उद्यमकर्ताओं को उनकी वाणिज्यिक सूझ-बूझ के अनुसार शुल्क वसूलने की अनुमति होगी । यह अनुमति इस शर्त पर होगी कि नि:शुल्क सुविधा प्रदान कर प्रयोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाएगी ।

नर्सिंग प्रशिक्षण में सुधार और विस्तार के उपाय

2711. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नर्सिंग प्रशिक्षण में सुधार और विस्तार के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में छठी योजना अवधि के दौरान क्या प्रगति हुई है ।

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) सरकार देश में नर्सिंग प्रशिक्षण को सुधारने और उसका विस्तार करने के लिए कई वर्षों से लगातार कार्यवाही करती आ रही है । छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी के स्कूलों की संख्या 286 से बढ़ा कर 326 कर दी गई है । उपलब्ध सूचना के अनुसार इस अवधि में लगभग 4000 अतिरिक्त नर्सों को प्रशिक्षित किया गया है । कई स्वयंसेवी/निजी संगठनों को नर्सिंग शिक्षा की सीटें बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है । स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर, केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान, रांची आदि जैसी कई स्वशासी संस्थाओं ने भी प्रशिक्षण सुविधाओं को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं ।

सिक्किम में खेती के लिए पानी का उपयोग

2712. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में पानी के नैसर्गिक उपहार के बावजूद इसका वहां कृषि के लिए पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा;

(ख) यदि हां, तो क्या पानी की उपलब्धता और उसके उपयोग के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) क्या सातवीं योजना को चरणबद्ध अवधि में पानी का पूरा उपयोग करने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सिंचाई स्कीमों की आयोजना और क्रियान्वयन स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं तथा सिक्किम सरकार सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल संसाधनों का उपयोग कर रही है।

(ख) जैसाकि राज्य सरकार के मूल्यांकन के अनुसार सिक्किम की अन्ततः सिंचाई क्षमता 50,000 हैक्टेयर है।

(ग) और (घ) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सृजित किए जाने के लिए अनुमानित 14,000 हैक्टेयर के अलावा सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 8,000 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के चिकित्सा संकायों में अनुसूचित जातियों, अनसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

2713. **श्री अनादि चरण दास** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अब केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के चिकित्सा संकायों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के के लिए आरक्षण बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर संविधान के उपबन्धों तथा सरकार के निदेशों का पालन न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

इंडियन एयरलाइन्स में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को पदोन्नति देने से इन्कार करना

2714. **श्री अनादि चरण दास** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को पदोन्नति देने से इन्कार किया गया है और उनके स्थान पर उनसे कनिष्ठ सामान्य उम्मीदवारों को पदोन्नति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो पदोन्नति में आरक्षण संबंधी सरकार के निदेशों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया था ताकि वे अपना स्तर बढ़ा सकें जैसाकि आरक्षण नियमों में व्यवस्था की गई है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का अनारक्षण करने से पहले सक्षम अधिकारियों से अनुमति ली गई थी ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों को नामित किया जाता है।

(घ) जी, हां।

गुजरात में नई रेलगाड़ियां

2715. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम रेलवे में अहमदाबाद और बम्बई, अहमदाबाद-बड़ोदा और बड़ोदा-सूरत के बीच कोई नई रेलगाड़ियां चलाने या इस क्षेत्र की वर्तमान लाइन क्षमता का विस्तार करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात में रेल सुविधाओं के सुधार या विस्तार और लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या चालू परियोजनाओं और योजना में शामिल की गई परियोजनाओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह परिव्यय पर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) सातवीं योजना में नयी गाड़ियों को आरम्भ करना विशिष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। तथापि यात्री और माल यातायात की प्रक्षेपित वृद्धि के लिए अपेक्षित लाइन क्षमता साधन-सामग्री की व्यवस्था की गयी है।

(ख) रेलवे के निर्माण कार्यों के लिए धनराशि का आबंटन राज्यवार नहीं किया जाता है। सातवीं योजना के दौरान यातायात सुविधा सम्बन्धी, कार्यों, उपयोगकर्ताओं और कर्मचारियों के लिए सुविधाओं आदि के लिए कुल परिव्यय 1475 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) भारतीय रेलों की विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों की तंगी है। सातवीं योजना में शामिल की गयी योजनाओं को उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप सीमित कर दिया गया है और प्रारम्भ की जाने वाली नयी योजनाओं को आवश्यक रूप से न्यूनतम रखा गया है।

[हिन्दी]

औंरिहार-छपरा रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2716. **श्री जगन्नाथ चौधरी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बलिया जंक्शन से होकर जाने वाली औंरिहार-छपरा छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और क्या विभाग द्वारा इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) और (ख) वाराणसी-औंडिहार-बलिया-छपरा मीटर लाइन खंड का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने के लिए 1980 में सर्वेक्षण किया गया था। परियोजना वित्तीय दृष्टि से लाभकारी नहीं पायी गयी। वाराणसी-औंडिहार खण्ड पर वाराणसी-भटनी मीटर लाइन खंड के बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के एक हिस्से के रूप में एक समानान्तर बड़ी लाइन की व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल, औंडिहार-छपरा मीटर लाइन खंड का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

हुगली नदी को गहरा करने के लिए खर्च की गई धनराशि और खर्च करने का प्रस्ताव

2717. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता और हल्दिया पत्तन को बचाने के उद्देश्य से हुगली नदी की गहराई बढ़ाने के लिए छठी योजना अवधि के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गयी और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है और तत्सम्बन्धी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान हुगली नदी मे गहराई की वृद्धि के लिए कुल 13.44 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गयी। इसमें से, 8.43 करोड़ रुपये भागीरथी हुगली नदी की धारा ठीक करने के कार्य पर और 5.01

करोड़ रुपये हुगली मुहाने पर गहराई के सुधारने से संबंधित विस्तृत स्कीम पर खर्च किये गये थे। भागीरथी हुगली में नदी की धारा ठीक करने का कार्य पूरा किया जा चुका है। सीधी धारा के साथ-साथ इस निर्माण कार्य से कलकत्ता और मोयापुर के बीच वूह और क्रासिंगों पर संकड़े नौचालन दुबाव को सुस्थिर बना दिया गया है। कुछ भागों में नौचालन गहराई में सुधार देखा गया है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि 1985-90 के दौरान, उपरोक्त विस्तृत स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 30 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम में गाइड वालों का निर्माण, बैंक प्रोटेक्शन कार्य, बलारी बार में कैपिटल ड्रेजिंग, शोर डिस्पोजल टर्मिनल, अतिरिक्त टगों और नौचालन उपकरणों और आंकड़ों के संकलन के लिए उपकरणों की खरीद शामिल है।

शिकागो में आयोजित 'इण्डिया ए फैस्टीवल आफ साइंस' प्रदर्शनी

2718. **श्री पी०एस० सईद** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिकागो में आयोजित 'इंडिया ए फैस्टीवल आफ साइंस' प्रदर्शनी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या यह प्रदर्शनी अमरीका में अन्य स्थानों पर ले जाई जा रही है, यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इसे किन-किन स्थानों पर दिखाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इससे देश को क्या लाभ हो रहा है?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) प्रदर्शनी निम्नलिखित तीन अन्तरसम्बद्ध क्षेत्रों पर आधारित थी : (1) वैज्ञानिक संकल्पनाओं और सिद्धांतों का विकास; (2) विस्तृत विभिन्न क्षेत्रों में उपस्करों, तकनीकों और शिल्पविज्ञानों का विकास; और (3) आधुनिक भारत का स्वरूप, जो स्वतंत्रता के बाद के प्रयासों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करता हो। प्रदर्शन की वस्तुओं में पुरातत्वीय खोजें, ऐतिहासिक कला वस्तुएं, कार्यशील और/अथवा सजीव मॉडल, अन्त:सक्रिय और सहभागी प्रदर्शनी दो आगामी दृश्यों और लेखा-चित्र कलाओं के साथ सजीव प्रदर्शन।

(ख) इस समय प्रदर्शनी लॉस एन्जेल्स में दिखाई जा रही है। यह 1 मार्च, से 31 मई, 1986 तक पोर्टलैंड (आरगन), 1 जुलाई से 31 अक्तूबर, 1986 तक शिएटल (वाशिंगटन), 15 दिसम्बर, 1986 से 15 मार्च, 1987 तक कारलोट (नार्थ कारोलिना) और 1 मई से 2 अगस्त, 1987 तक बोस्टन (मेसेचूसेट) में प्रदर्शित की जाएगी।

(ग) इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह रहा है कि इससे भारत के आत्मनिर्भर रूप से अपने बहुमुखी विकास में विज्ञान और शिल्पविज्ञान के प्रयोग के सम्बन्ध में प्रयासों के प्रति विदेशों में जागरूकता पैदा हुई है।

फोकर फ्रेंडशिप विमानों का बदला जाना

2719. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दम-दम हवाई अड्डे से फोकर फ्रेंडशिप विमानों की उड़ानें धीरे-धीरे समाप्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कलकत्ता और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच सेवाएं बनाए रखने के लिए फोकर विमानों के स्थान पर किस प्रकार के विमानों का प्रयोग किया जायेगा;

(ग) क्या इस क्षेत्र के लिए प्रास्तावित नये विमान का आधार दम-दम हवाई अड्डा होगा और इसकी रखरखाव संबंधी व्यवस्था यहीं होगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इस हवाई अड्डे का भविष्य क्या होगा ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

जबलपुर हवाई अड्डे पर हुई विमान दुर्घटना

2720. श्री मोहन लाल झिकराम : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 सितम्बर, 1980 को जबलपुर हवाई अड्डे पर कोई विमान दुर्घटना हुई थी और यदि हां, तो उसमें हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दुर्घटना का मुख्य कारण विमान में अथवा हवाई पट्टी में कुछ दोष का होना था; और

(ग) क्या जबलपुर हवाई अड्डे की हवाई पट्टी पूरी है और विमानन नियमों के अनुरूप है और यदि नहीं, तो सरकार इस कमी को कब तक पूरा करेगी ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) 12 सितम्बर, 1985 को जबलपुर विमान क्षेत्र पर कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। तथापि, टायर फटने की एक घटना हुई थी।

(ख) टायर फटने की घटना की जांच की जा रही है।

(ग) जबलपुर की विमान पट्टी का निर्माण पूरा हो चुका है। तथापि, पुनः फर्श बिछाने का कार्य चल रहा है और इसके कुछ महीनों में पूरा हो जाने की आशा है।

जबलपुर से दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा

2721. श्री मोहन लाल झिकराम : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर से दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य को रोकना

2722. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) ऐसी बहुत सी बृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं जो निधियों की अपर्याप्त व्यवस्था, दुर्लभ सामग्री की अनुपलब्धता, भूमि अधिग्रहण की समस्याओं आदि के कारण धीमी प्रगति कर रही हैं । सिंचाई चूंकि राज्य विषय है, इसलिए सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना और क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किये जाते हैं । राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता दें ।

अलाभकारी रेल लाइनें

2723. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विद्यमान अलाभकर रेल मार्गों का राज्य-वार ब्योरा क्या है तथा इनके कारण प्रति वर्ष कुल कितना घाटा होता है; और

(ख) क्या सरकार का विचार धीरे-धीरे ऐसे मार्गों को बन्द करने का है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) 1983-84 के दौरान अलाभप्रद शाखा लाइनों का राज्यवार ब्योरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । उक्त अवधि के दौरान इन अलाभप्रद शाखा लाइनों पर हुई कुल हानि लगभग 61 करोड़ रुपये थी ।

(ख) जी नहीं, सभी अलाभप्रद लाइनों को बन्द करना व्यावहारिक नहीं होगा तथापि, जैसाकि अभी तक किया जाता रहा है इस प्रकार की लाइनों को बन्द करने के बारे में गुण-दोष के आधार पर तथा रेलवे सुधार समिति द्वारा उन लाइनों को, जहां पर्याप्त वैकल्पिक सड़क परिवहन

सुविधाएं मौजूद हैं, बन्द करने के लिए की गयी सिफारिशों को ध्यान में रखकर समय-समय पर विचार किया जायेगा।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश

1. जनकमपेट—बोधन
2. नौपाड़ा जं०—गुन्नूर (कुछ भाग उड़ीसा से भी गुजरता है)
3. बोब्बिली—सालूर

असम

4. सिमलगुड़ी जं०—नागिनीमोरा
5. माकुम जं०—डांगरी
6. सिमलगुड़ी जं०—मोरानहाट
7. लेडो—लेखापानी
8. मरियानी जं०—नियामती
9. रंगापाड़ा—नार्थ—तेजपुर
10. बरईग्राम जं०—दुल्लभचेरा
11. फकीराग्राम जं०—धुबड़ी
12. करीमगंज जं०—महीशसन

बिहार

13. बख्तियारपुर जं०—राजगीर
14. बनमानखी जं०—बिहारीगंज
15. साहेबपुर कमल जं०—मुंगेरघाट
16. सकरी जं०—जयनगर
17. नरकटियागंज जं०—भिखना थोरी
18. नरकटियागंज जं०—बगहा
19. दरौंदा—महाराजगंज
20. कटिहार जं०—कुमेदपुर (कुछ भाग पश्चिमी बंगाल से भी गुजरता है)
21. कटिहार जं०—मनिहारीघाट
22. कटिहार जं०—जोगबानी

23. पुरूलिया जं०—कोटशिला—रांची—लोहारदगा (कुछ भाग पश्चिमी बंगाल से भी गुजरता है)
24. टाटा—बादाम पहाड़
25. तीन पहाड़—राजमहल
26. भागलपुर—मंदार हिल
27. अहुटिया—नवगांव

गुजरात

28. छुच्छपुरा जं०—तेखांला
29. कोसम्बा—उमरपाडा
30. झागड़िया—नेत्रंज
31. चोरंडा जं०—मोती कोरल
32. समनी जं०—दहेज
33. गोधरा जं०—लुनावडा
34. पिपलोद जं०—देवगढ़ बरिया
35. दभोई जं०—टिम्बा रोड
36. ज़ोरावर नगर जं०—सायला
37. बरोच—जम्बूसर—कवि
38. चांपानेर—शिवराजपुर पानी माइन्स
39. छोटा उदयपुर—जम्बूसर जं०
40. अंकलेश्वर—राजपिपला
41. चोंदोद—मालसर
42. कुंकावाव—देरडी
43. मेहसाणा—तारंगा हिल
44. आणन्द—कैम्बे
45. नडियाड जं०—कापडवंज
46. बिल्लीमोरा जं०—वघई
47. मोरबी—टंकारा
48. नडियाड जं०—भादरन
49. मोरबी—चोटीला

50. भावनगर—तलाजा—महुवा जं०
51. थान—चोटिला
52. बोटाड जं०—जसदन
53. गांधी धाम—न्यू कांडला
54. प्राची रोड जं०—कोडिनार
55. तलाला जं०—देलवाडा
56. हिम्मतनगर—खेड—ब्रह्मा
57. हडमडिया—जोडिया
58. निंगाला जं०—गोधाडा—स्वामीनारायण
59. खम्बालिया—सलाया
60. चाणस्मा जं०—हारिज
61. सिहोर—पालीताणा
62. डूंगर जं०—विक्टर
63. शापुर जं०—सरदिया
64. कुंकाबाव जं०—बागसारा
65. बोरिया विवदताल—स्वामी नारायण

हरियाणा

66. रोहतक—गोहाना
67. गढ़ी—हरसरु जं०—फर्रुखनगर

हिमाचल प्रदेश

68. कालका—शिमला
69. पठानकोट—जोगिन्द्र नगर (कुछ भाग पंजाब से भी गुजरता है)

कर्नाटक

70. बेंगलरु सिटी—बंगारपेट
71. चिकजाजूर जं०—चित्रदुर्ग
72. नंजनगुड—चामराज नगर
73. सागरा—तालगुप्पा
74. बेल्लारी—रायदुर्ग
75. होसपेट—कोट्टूर

केरल

76. शोराण्णूर—निलम्बूर

मध्य प्रदेश

77. ग्वालियर—शयोपुर—कलां
78. ग्वालियर—भिण्ड
79. रायपुर—धमतारी

महाराष्ट्र

80. पनवेल—आप्ता
81. पचोरा—जामनेर
82. मिरज—कुर्डुवाडी—लातूर
83. सतपुड़ा रेलवे
84. पनवेल—ऊरान
85. नेवाल—माथेरान
86. मुडखेड—आदिलाबाद (कुछ भाग आंध्र प्रदेश से भी गुजरता है)

उड़ीसा

87. रूपसा—तालबन्द
88. कोट्टावलासा—किरून्दल (कुछ भाग आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से भी गुजरता है)
89. सम्बलपुर—तितलागढ़
90. कटक—पारादीप
91. बोंडामुण्डा—नौगांव—पूर्णापानी

पंजाब

92. बटाला—कादियां
93. वेरका—डेरा बाबा नानक
94. अमृतसर—अटारी
95. फगवाड़ा—जजोन दोआबा

राजस्थान

96. धोलपुर—तांतपुर—सिमृतरा
97. पिपर रोड—बिलाड़ा

98. समड़ड़ी—मुन्नाबाओ
99. बालोतरा—पचपाद्रा
100. रायका बाग—पोखरन
101. मेड़ता रोड—मेड़ता सिटी
102. रतनगढ़—सरदार साहब
103. पोखरन—जैसलमेर
104. सांगानेर टाउन—टोडा रायसिंह
105. मावली जं०—बारीसदरी

तमिलनाडु

106. मेट्टुपलयम—उदगमंडलम
107. मदुरै—बोदिनायकनूर
108. नीडामंगलम—मन्नारगुडी
109. मायूरम—तारंगम्बाडी
110. तिरुत्तुरेपूंडी—प्वाइंट सेलीमियर
111. तिरुनेलवेलि—तिरुचेंदूर
112. विषुपुरम—पाण्डिचेरी (कुछ भाग पाण्डिचेरी से भी गुजरता है)
113. पेरालाम—करेक्कल (कुछ भाग पाण्डिचेरी से भी गुजरता है)

उत्तर प्रदेश

114. ऐट—कोंच
115. दिलदार नगर—तारीघाट
116. बरहान—एटा
117. मथुरा—वृन्दावन
118. माधोसिंह—भील्ह
119. कप्तानगंज—छितौनी
120. सलेमपुर—बरहाज बाजार
121. मानकपुर—कटरा
122. इन्दारा—दोहरीघाट
123. गेंसरी—आरवा
124. दुधवा—चन्दन चौकी
125. दुधवा—गौरीफांटा

126. शाहबाजनगर—केरूगंज

127. काशीपुर—रामनगर

128. मंधाना—ब्रह्मावत

129. आनन्दनगर—नौतनवां

पश्चिम बंगाल

130. बारसोई जं०—राधिकापुर (कुछ भाग बिहार से भी गुजरता है)

131. बारासात—हसनाबाद

132. शांतिपुर—नवद्वीप घाट

133. इकरा—घोरांडी

134. भीमगढ़—पलास्थली

135. बर्दमान—कटवा

136. अलीपुरद्वार जं०—न्यू गितलदह—बामणहाट

137. लालगुड़ी—रामशाई

138. न्यू माल—चंगराबंधा

139. सिंहाबाद—ओल्ड माल्दा

140. राजा भात खावा—जयन्ती

141. न्यू जलपाईगुडी—दार्जिलिंग

142. सोनारपुर—केनिंग

143. पांसकुड़ा—हल्दिया

144. बरुईपुर—लक्ष्मीकान्तपुर

द्वितीय अखिल भारतीय परिवार नियोजन सर्वेक्षण की रिपोर्ट

2724. **श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय अखिल भारतीय परिवार नियोजन सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) इस सर्वेक्षण से इस बात का पता चलता है कि परिवार नियोजन के विभिन्न आम तरीकों तथा विशेषकर निरोध के बारे में लोगों की जानकारी, व्यवहार और आचरण कैसा है। सर्वेक्षण के निष्कर्षों का उपयोग इस कार्यक्रम की कार्यनीतियां तथा संचार विधियां बनाने में किया जाता है जिनका उद्देश्य परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाले कार्य में सुधार लाना होता है।

[हिन्दी]

अयोध्या में यात्री गाड़ियों के लिए अनुरक्षण सुविधायें और अयोध्या से "सरयू एक्सप्रेस" गाड़ी चलाना

2725. **श्री निर्मल खत्री** : क्या **परिवहन** मन्त्री 16 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 886 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जनता की मांग की दृष्टि से सरकार का विचार "सरयू एक्सप्रेस" को फैजाबाद की बजाय अयोध्या से चलाने का है और क्या यात्री गाड़ियों के लिए अयोध्या रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर अनुरक्षण सुविधायें उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : फैजाबाद के बजाय अयोध्या से सरयू एक्सप्रेस चलाने का अभी तक सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर गाड़ियों के लिए अनुरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

फैजाबाद को वायुदूत सेवा से जोड़ना

2726. **श्री निर्मल खत्री** : क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फैजाबाद नगर (उत्तर प्रदेश) को वायुदूत सेवा से जोड़ने का है;

(ख) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में यूथ-होस्टल

2727. **श्री हरीश रावत** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालयों में यूथ होस्टल खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों में भी ऐसे होस्टल खोले जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) जिला मुख्यालयों सहित देश के स्थानों में युवा छात्रावास खोलने की योजना विद्यमान है, बशर्ते: कि सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराई गई हो और संसाधनों की उपलब्धता हो। सरकार ने पहले ही चालू योजना अवधि के दौरान युवा छात्रावासों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव आमन्त्रित किए हैं। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर युवा छात्रावास स्थापित करने की सम्भावना राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रस्तावों पर आधारित होगी ?

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय खोलने के लिए मानदण्ड

2728. **श्री हरीश रावत** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय खोलने के लिए निर्धारित वर्तमान मानदण्डों में ढील दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के पहाड़ी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय खोलने के लिए न्यूनतम जनसंख्या सम्बन्धी मानदण्डों में ढील दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्र खोलने के लिए न्यूनतम जनसंख्या सम्बन्धी मानदण्डों में ढील दी गई है। अन्य क्षेत्रों में 30,000

आबादी के मुकाबले पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में 20,000 आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अन्य क्षेत्रों में 5000 आबादी के मुकाबले पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में 3000 *आबादी के लिए एक उप-केन्द्र ।*

पिथौरागढ़ को वायुदूत सेवा से जोड़ना

2729. **श्री हरीश रावत : क्या परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में पिथौरागढ़ (उतर प्रदेश) की नगर सीमा पर हवाई पट्टी बनाने और इसे वायुदूत सेवा से जोड़ने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सीमावर्ती जिला मुख्यालय को विमान सेवा का लाभ उपलब्ध कराने के लिए क्या वैकल्पिक कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पिथौरागढ़ पन्तनगर के बिलकुल निकट है जो पहले से ही वायुदूत द्वारा हवाई सेवा से जुड़ा हुआ है ।

ग्रामीण स्वास्थ्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करना

2730. **श्री हरीश रावत** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण स्वास्थ्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रश्न पर विचार करने का है जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/डिस्पेंसरियों के लिए पर्याप्त संख्या में डाक्टर उपलब्ध हो सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत ढांचे में तैनात किये जाने हेतु पर्याप्त संख्या में डाक्टर उपलब्ध हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों के 34001 स्वीकृत पदों में से केवल 3210 पद खाली हैं ।

[अनुवाद]

भारत में डेक्स्ट्रोप्रोक्सीफेन और ट्रैंक्विलाइजर के सम्मिश्रण का विपणन

2731. **श्री विष्णु मोदी :** *क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा* करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेक्स्ट्रोप्रोक्सीफेन और ट्रैंक्विलाइजर का सम्मिश्रण जहर का काम करता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसी औषधियों के सम्मिश्रण से इंग्लैण्ड और अन्य देशों में विशेष रूप से नशा करने वाले रोगियों की मृत्यु हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसे सम्मिश्रण का भारत में विपणन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे सम्मिश्रण को अनुमति देने के क्या कारण हैं और क्या उसके विपणन की अनुमति नैदानिक परीक्षणों के बाद दी गई थी;

(ङ) यदि हां, तो नैदानिक रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(च) उन ब्रांडों के नाम क्या हैं जिनके अन्तर्गत देश में ऐसा सम्मिश्रण बेचा जा रहा है और कब से ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) यदि उपचारी खुराक अधिक हो जाए तो यह औषधि विशेषकर अल्कोहल के साथ लेने पर अत्यधिक विषाक्त हो जाती है।

(ख) जी, हां। ब्रिटेन में 1983 में 300 से अधिक मौतें सूचित की गई हैं।

(ग) से (ङ) डेक्स्ट्रो-प्रोपोक्सीफीन संयोजन के सम्बन्ध में प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने से भी पहले, राज्य औषध नियंत्रकों द्वारा इसके निर्माण और विपणन के लिए लाइसेंस दे दिए गए थे। चूंकि डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफीन के संयोजन का निर्माण करने की अनुमति राज्य औषध नियंत्रकों द्वारा दी गई थी, इसलिए हमें यह मालूम नहीं है कि इस औषधि की नैदानिक अजमाइश के लिए आग्रह किया गया था अथवा नहीं। प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर औषध नियंत्रक (भारत) ने राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों को यह सलाह दी कि जो फर्में डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफीन वाले संयोजनों को बेचती हैं उन्हें यह निर्देश दिया जाए कि वे पैकेज में रखी गई पर्ची में एक चेतावनी और सावधानी विवरण का उल्लेख करें। डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफीन वाले निश्चित खुराक संयोजनों का निर्माण और बिक्री करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रश्न पर निर्माता संघ के विचार प्राप्त किए गए है। औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड, जो औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन एक सांविधिक निकाय है और सभी तकनीकी मामलों में सरकार को सलाह देता है, अपनी अगली बैठक में

इस औषधी वाले निश्चित खुराक संयोजनों पर प्रतिबन्ध लगाने के मुद्दे पर विचार करेगा और अपनी सिफारिशें उपयुक्त कार्यवाही के लिए सरकार को भेजेगा।

(च) जिन आम ब्रांडों के अधीन ऐसे संयोजनों को देश में बेचा जा रहा है उनके नामों का विवरण संलग्न है। यह संयोजन पिछले बारह वर्ष से बाजार में उपलब्ध है।

विवरण

डेक्स्ट्रोप्रोपोक्स्फेन ट्रांकुलाइजेरस को अन्य औषधियों के साथ मिलाना

क्र० सं०	उत्पाद का नाम	उत्पादक का नाम	अन्तर्विष्ट
1	2	3	4
1.	बेटाफ्लैम	मैसर्स विल्को लेबोरेटरी, बम्बई	डक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफीन — 65 मि० ग्रा० पैरासिटामोल —400 मि० ग्रा० ओक्सिफेनबुटाजोन —100 मि० ग्रा० डाइजेपाम — 2 मि० ग्रा०
2.	डोलोपार-प्लस	मैसर्स माइक्रो-लैब्स मद्रास	डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफीन — 65 मि० ग्रा० पैरासिटामोल —400 मि० ग्रा० डाइजेपाम — 2 मि० ग्रा०
3.	पारवोन-एन	मैसर्स जगसोन पाल नयी दिल्ली	डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफीन — 32 मि० ग्रा० पैरासिटामोल — 350 मि० ग्रा० डाइजेपाम — 2 मि० ग्रा०
4.	प्रोक्सिवोन	मैसर्स वोखारडट बम्बई	डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफीन — 65 मि० ग्रा० पैरासिटामोल —400 मि० ग्रा० डाइजेपाम — 2 मि० ग्रा०
5.	स्पैस्मो-प्रोक्सिवोन	मैसर्स वोखाराडट बम्बई	डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफीन — 65 मि० ग्रा० डाइसाइक्लोमिन — एच० सी० एल० — 10 मि० ग्रा० पैरासिटामोल —400 मि० ग्रा० क्लोरडायाजेपोक्साइड — 5 मि० ग्रा०

1	2	3	4
6.	सुधिनोल	मैसर्स रैनबैक्सी लैब्स नयी दिल्ली	डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफीन —100 मि० ग्रा० पैरासिटामोल —325 मि० ग्रा० डाइजेपाम — 2 मि० ग्रा०
7.	वैलाजेसिक	मैसर्स वालासे पन्जिम, गोआ	डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफीन — 65 मि० ग्रा० पैरासिटामोल —400 मि० ग्रा० डाइजेपाम — 2 मि० ग्रा०

वायुदूत की उप-कम्पनियों के रूप में क्षेत्रीय विमान सेवायें

2732. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय ने वर्ष 1983 में वायुदूत विमान सेवा की उप-कम्पनी के रूप में क्षेत्रीय विमान सेवा हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में संयुक्त क्षेत्र में विमान सेवा निगम की स्थापना करने का अनुरोध किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, नहीं। तथापि मंत्रालय ने एक व्यक्ति विशेष से कहा था, जिसने एक विशेष प्रस्ताव करने के लिए, इस विषय पर विचार-विमर्श करने की इच्छा जाहिर की थी।

(ख) जी, हां। जून, 1985 में एक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(ग) परियोजना रिपोर्ट में, निजी क्षेत्र में एक कम्पनी का निर्माण करने की संकल्पना की गई है जो विद्यमान मार्गों पर अतिरिक्त अनुसूचित उड़ानों का परिचालन करेगी और चार्टर परिचालनों के लिए विमान भी उपलब्ध करायेगी।

(घ) देश में दूरस्थ और दुर्गम स्थानों को, तथा उन स्टेशनों को, जो पर्यटन और उद्योग की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, विमान सेवा से जोड़ने की जिम्मेदारी वायुदूत को सौंपी गई है। वायुदूत ने 46 स्टेशनों को पहले ही विमान सेवा से जोड़ दिया है और चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक अपने नेट-वर्क में उसकी 29 और स्टेशनों को जोड़ने की योजना है। तथापि, प्राइवेट सैक्टर में चार्टर की गई एयर-टैक्सी की सेवाओं का परिचालन करने के लिए अनुमति देने के प्रस्ताव की सरकार जांच कर रही है।

नई शिक्षा नीति पर चर्चा

2733. प्रो० मधु दंडवते : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा नीति के मसौदे पर शिक्षाविदों और शिक्षण संघ के साथ चर्चा कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो नई शिक्षा नीति के दस्तावेज पर उनकी आम राय क्या है;

(ग) दस्तावेज के किन-किन विशिष्ट क्षेत्रों की आलोचना की गई है; और

(घ) इस आलोचना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) "शिक्षा की चुनौती-एक नीति परिप्रेक्ष्य" नामक एक स्थिति रिपोर्ट, जिसमें शिक्षा की स्थिति पर दृष्टिकोण निहित है तथा जो अनिवार्य रूप से शैक्षिक आयोजकों, शिक्षकों, छात्रों तथा बुद्धिजीवियों के विचारों तथा सुझावों पर आधारित है, सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी चर्चा के लिए आधार की व्यवस्था करने के लिए जारी की गई है, जिससे नई शिक्षा नीति तैयार करने के संबंध में मदद मिलेगी। इस पर परामर्श की प्रक्रिया (अगस्त 29-30, 1985) को राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन से शुरू की गई थी तथा यह निर्णय लिया गया था कि जहां तक संभव हो, राज्य तथा केन्द्रीय सरकार इन चर्चाओं में सारे देश के छात्रों, शिक्षकों, युवाओं, महिलाओं, नियोक्ताओं कार्यकर्त्ता संगठनों, प्रबन्ध लोगों, माध्यम विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, सृजनात्मक लेखकों, कलाकारों, गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों तथा राजनैतिक संगठनों सहित उन सभी वर्गों के लोगों को शामिल करना चाहिए जो शिक्षा में इच्छुक हों। नई शिक्षा नीति पर एक सार्थक परिचर्चा प्रारम्भ करने के लिए केन्द्रीय, राज्य तथा क्षेत्रीय स्तरों पर काफी संख्या में सेमिनार आयोजित किए गए हैं। इन राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय सेमिनारों में शिक्षण समुदाय के सदस्यों तथा शिक्षाविदों को शामिल करने के अलावा, मंत्रालय ने शिक्षा प्रणाली के विभिन्न स्तरों को शामिल करते हुए विभिन्न शिक्षण संघों द्वारा आयोजित चार सेमिनारों को प्रायोजित किया है। नई शिक्षा नीति तैयार करते समय इन निकायों तथा सेमिनारों द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

बम्बई और विजयवाड़ा के बीच नई एक्सप्रेस गाड़ी

2734. श्री वी० सोभनाद्रीश्वर राव : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में यात्री यातायात तथा माल भेजने संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बम्बई और विजयवाड़ा के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाए जाने के लिए बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस गाड़ी के कब तक चलाए जाने की संभावना है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) बम्बई और विजयवाड़ा के बीच एक गाड़ी चलाने के सुझाव की जांच की गई है, लेकिन टर्मिनल सुविधाओं तथा मार्गवर्ती खण्डों पर लाइन क्षमता का अभाव और सवारी डिब्बों तथा रेल इंजनों जैसे संसाधनों की कमी के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया है ।

कलकत्ता-दिल्ली रेल मार्ग का विद्युतीकरण

2735. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता-दिल्ली रेल मार्ग का अभी तक पूरा विद्युतीकरण नहीं हुआ है, यदि हां, तो किन सैक्शनों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है;

(ख) इस सम्पूर्ण कलकत्ता-दिल्ली मार्ग का विद्युतीकरण करने तथा इस व्यस्त मार्ग पर अधिक आधुनिक रेलगाड़ियां चलाने में कितना समय लगेगा;

(ग) कलकत्ता-बम्बई और कलकत्ता-मद्रास मार्गों के विद्युतीकरण के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है और इस कार्य के पूरा होने में कितना समय लगेगा;

(घ) सातवीं योजनावधि के दौरान उपरोक्त मार्गों के विद्युतीकरण में क्या प्रगति होने की आशा है; और

(ङ) क्या इस बारे में अधिक घने यातायात वाले सैक्शनों और विशेष रूप से अत्यधिक भीड़ वाले मार्गों को प्राथमिकता दी जाएगी ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी, नहीं। ग्राण्ड कार्ड के रास्ते कलकत्ता-दिल्ली का रेलपथ पहले से ही विद्युतीकृत है। सीतारामपुर-मुगलसराय के बीच मुख्य लाइन खंड का अभी विद्युतीकरण किया जाना है। इस खंड के विद्युतीकरण का कार्य अनुमोदित हो गया है किन्तु संसाधनों की तंगी के कारण, इस योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आस्थगित रखा गया है ।

(ग) और (घ)

खण्ड	खण्ड जिनका विद्युतीकरण कर दिया गया है ।	खण्ड जिनका अभी विद्युतीकरण किया जाना है ।
कलकत्ता-बम्बई	कलकत्ता छोर से कलकत्ता-दुर्ग, और बम्बई छोर से बम्बई भुसावल	दुर्ग-नागपुर-भुसावल
कलकत्ता-मद्रास	कलकत्ता छोर से कलकत्ता-खड़गपुर-विजयवाड़ा खड़गपुर-और मद्रास छोर से मद्रास-विजयवाड़ा	खड़गपुर, विजयवाड़ा

कलकत्ता-बम्बई खंड के गैर-विद्युतीकृत भाग का विद्युतीकरण सातवीं योजना के अन्त तक पूरा होने की सम्भावना है। फिलहाल, सातवीं योजना के दौरान कलकत्ता-मद्रास मार्ग के गैर-विद्युतीकृत खण्डों के विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, दिल्ली-बम्बई (पश्चिम और मध्य दोनों रेलवे के मार्ग), दिल्ली-मद्रास, और कलकत्ता-बम्बई ट्रंक मार्गों तथा कोयला तथा लौह अयस्क आदि के संचलन के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खण्डों के विद्युतीकरण करने को प्राथमिकता दी गई है।

भुसावल रेलवे स्टेशनों के पास रेल पटरियों और ऊपरी तारों को नुकसान

2736. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 11 नवम्बर, 1985 को भुसावल स्टेशन के निकट एक उपमार्ग पर एक एल० पी० जी० टैंकर में विस्फोट से आग लग गई थी जिससे निकटवर्ती रेल यार्ड को रेल लाइनों और ऊपरी तारों को नुकसान पहुंचा और उस खंड में रेलगाडी सेवा में व्यवधान पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दुर्घटना के कारणों की कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, हां। 12-11-1985 को न कि 11-11-85 को भुसावल स्टेशन पर एक सड़क टैंकर रेलवे के निचले पुल से टकरा गया था। टैंकर में आग लग गई थी जिसके परिणामस्वरूप रेलपथ तथा बिजली के सिरोपरि उपस्कर क्षतिग्रस्त हो गये थे और गाड़ी सेवाओं में बाधा पड़ गयी थी।

(ख) और (ग) रेल अधिकारियों द्वारा की गई जांच से पता चला है कि दुर्घटना टैंकर के ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुई थी। ड्राइवर ने अधिआयामी भारों/वाहनों के पारगमन को रोकने के उद्देश्य से उपमार्ग से पहले लगाये गये हाइटगेज को उखाड़ दिया था। महाराष्ट्र राज्य पुलिस भीसड़ सड़क दुर्घटना की जांच कर रही है।

(घ) यह एक सड़क दुर्घटना है और (1) सड़क परिवहन प्राधिकारियों द्वारा एल०पी०जी० टैंकरों के लिए उनके परिवाहित आयामों को दृष्टि में रख कर अनुमेय मार्ग निर्धारित किया जाता है।

(2) अधिआयामी भार उप मार्ग से न गुजरें, इसके लिए निचले सड़क पुलों से पहले कुछ दूरी पर हाइट गेज लगा रखे हैं।

(3) उपयुक्त समझी जाने वाली अन्य उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई होगी। राज्य सड़क परिवहन प्राधिकारियों द्वारा की जायेगी।

खाद्य पदार्थों में रंगों विशेष रूप से लाल रंग और जामुनी रंग का प्रयोग

2738. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि खाद्य पदार्थों में रंगों विशेष रूप से लाल रंग और जामुनी रंग का प्रयोग करना मानव के लिए हानिकर है और कैंसर तथा जन्मांग रोगों के कारण बन रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो खाद्य पदार्थों में रंगों के प्रयोग को बन्द करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति, जो एक सांविधिक सलाहकार समिति है, ने एक विशेषज्ञ उपसमिति गठित की थी जिसने बैंगनी और गाढ़ा लाल "ई" सहित कोलतार रंगों से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इन रंगों पर रोक लगाने के प्रश्न पर विचार करते हुए यह सिफारिश की कि खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों में बैंगनी रंगों की निर्धारित सह्य-सीमा 200 पी० पी० एम० से घटाकर 100 पी० पी० एम० कर दी जानी चाहिए और गाढ़े लाल "ई" का इस्तेमाल बन्द कर दिया जाना चाहिए। खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति इस मामले पर विचार कर रही है।

गुजरात से नमक की परिवहन ढुलाई के लिए वैगन

2739. **श्री दौलत सिंह जी जडेजा :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात से नमक के परिवहन के लिए एक वर्ष में कितने माल डिब्बों की मांग की जाती है;

(ख) इस वर्ष कितने माल डिब्बे उपलब्ध कराए गए;

(ग) क्या रेलवे ने गुजरात के नमक उद्योग से उनकी मांगों के बारे में चर्चा की है; और

(घ) पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जनवरी से अक्तूबर, 1985 की अवधि के दौरान गुजरात से नमक के लदान के लिए कुल मांग 91949 माल डिब्बे (बड़ी लाइन चौपहियों के हिसाब से) थी।

(ख) इसी अवधि के दौरान गुजरात से 69974 माल डिब्बों का, अर्थात् मांग का 76 प्रतिशत लदान हुआ था।

(ग) जी, हां।

(घ) माल डिब्बों की सप्लाई बढ़ा दी गयी है । गुजरात से रेल द्वारा नमक के परिवहन में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में जनवरी से अक्तूबर, 85 तक 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

"नाड़ू" रोग का उन्मूलन

2740. **श्री विष्णु मोदी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अनेक राज्यों में "नाड़ू" रोग अभी भी डाक्टरों के लिए चुनौती बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रोग के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस रोग के उन्मूलन के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (घ) अब तक किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार नाड़ू रोग (जिसे गिनी वार्म रोग के नाम से भी जाना जाता है ।) राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में स्थानिकमारी रूप में है । इन राज्यों के प्रभावी जिलों के सभी गांवों में इन रोगियों का पता लगाने, जिनमें यह रोग व्याप्त है, के लिए की गई खोजों के अनुसार 1984 के दौरान इन राज्यों में इस रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	रोगियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	4413
गुजरात	1310
कर्नाटक	5422
मध्य प्रदेश	10447
महाराष्ट्र	3641
राजस्थान	15210

इस रोग का उन्मूलन करने के लिए गिनी वार्म उन्मूलन कार्यक्रम स्थानिकमारी वाले राज्यों में चलाया जा रहा है । इसके अतिरिक्त इस संबंध में निम्नलिखित उपाय भी किए जा रहे हैं :—

1. ग्रामीण जल आपूर्ति विभागों के माध्यम से प्राथमिक आधार पर प्रभावित गांवों में साफ पानी की सप्लाई करने की व्यवस्था करना ।

2. टैमिफोस 50 प्रतिशत ई० सी० से असुरक्षित जलस्रोतों को रसायन द्वारा साफ करना।

3. रोगियों का उपचार करना।

4. प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य शिक्षा।

ट्रकों के राष्ट्रीय परमिट जारी करने के मामले में कथित भ्रष्टाचार

2741. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी-भाई मावणि** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ट्रकों के राष्ट्रीय परमिट जारी करने के मामले में व्याप्त कदाचार और भ्रष्टाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार और संबंधित अधिकारियों को 1 जनवरी, 1985 और 30 अक्तूबर, 1985 के बीच इस संबंध में (एक) विभिन्न संगठनों (दो) जनता और व्यक्तियों और (तीन) संसद सदस्यों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है तथा उनका क्या परिणाम प्राप्त हुआ है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) से (ग) ट्रकों के लिए राष्ट्रीय परमिटों की मंजूरी की प्रक्रिया के बारे में आम शिकायतों को देखते हुए, 17 और 18 अक्तूबर, 1985 को परिवहन विकास परिषद की बैठक में इस विषय पर विचार विमर्श किया गया। परिषद ने योग्य आवेदकों को आसानी से राष्ट्रीय परमिटों को उपलब्ध कराने के लिए .कोटा संबंधी प्रतिबंध को हटाने की सिफारिश की है। सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है और इस निर्णय के कार्यान्वयन के आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

नर्मदा नदी पर जलमार्ग के लिए योजना

2742. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा नदी में जलमार्गों का विकास करने हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई योजनायें हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नर्मदा सिंचाई परियोजना पर किया गया कार्य

2743. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा सिंचाई परियोजना पर हुए कार्य में लागत और निर्माण के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान सरकारों से बकाया राशि वसूल हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सितम्बर, 1985 तक गुजरात में नर्मदा सिंचाई परियोजना (सरदार सरोवर परियोजना) पर 287 करोड़ रुपये का खर्च किया गया है। नदी-व्यपवर्तन, फाल्ट जोन कानक्रीटिंग तथा मुख्य बांध स्थल की खुदाई के कार्य पूरे हो गए हैं। पतली परतों, पिलाई कार्य, 1 से 10 तक बायां ब्लाक के निर्माण, रॉक फिल बांध और 0 से 21 कि० मी० के बीच मुख्य नहर के कार्य प्रगति पर हैं। रॉक फिल बांध का कार्य वर्ष 1985-86 के दौरान पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान से बकाया तथा वसूल की गई राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपये में)

	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	राजस्थान
मार्च 1985 तक की अवधि का हिस्सा	57.30	27.15	11.01
अक्तूबर 1985 के अन्त तक वसूल की गई राशि	44.68	31.43	शून्य
बकाया राशि जो अभी वसूल की जानी है।	12.62	शेष शून्य (+ 4.28) (वर्ष 1985-86 के खर्च के प्रति)	11.01

वर्ष 1992 के ओलम्पिक खेलों के लिए भारत की प्रार्थना

2744. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के आयोग ने वर्ष 1992 के ओलम्पिक खेलों का आयोजन करने की भारत की प्रार्थना की जांच करने के लिए हाल ही में नई दिल्ली का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, ता आयोग और सरकार के अधिकारियों के बीच हुई बात-चीत का ब्यौरा क्या है;

(ग) आयोग के सुझाव/टिप्पणियां क्या हैं;

(घ) नई दिल्ली में सफलतापूर्वक ओलम्पिक खेलों को आयोजन करने में भारत की समर्थता के बारे में आयोग को समझने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस मामले में वर्तमान स्थिति क्या है ?

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के एक आयोग ने हाल ही में 1992 ओलम्पिक खेलों के लिए सम्भव स्थान के रूप में दिल्ली में उपलब्ध सुविधाओं को देखने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया था। आयोग को सूचित किया गया था कि सरकार उपयुक्त समय पर दिल्ली में 1992 खेल आयोजित करने के प्रस्ताव को ध्यान में रखेगी।

(ग) और (घ) भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन, जिसके साथ आयोग ने विस्तार से विचार विमर्श किया था, ने सूचित किया है कि आयोग के अध्यक्ष के अनुसार खेल आयोजित करने के लिए दिल्ली पूरी तरह सुसज्जित है इस प्रयोजनार्थ इसकी क्षमता तथा समर्थता पर कोई सन्देह नहीं है।

(ङ) भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन ने हाल ही में 1992 ओलम्पिक खेलों के लिए बिड करने के अपने प्रस्ताव से संबंधित सम्भाव्यता रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है। सरकार रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है।

कालाजार, जठरांत्र शोथ और जापानी मस्तिष्क शोथ की रोकथाम के उपाय

2745. **डा० फुलरेणु गुहा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालाजार, जठरांत्र शोथ और जापानी मस्तिष्क शोथ की रोकथाम के उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश मे कालाजार, जठरांत्र शोथ और जापानी मस्तिष्क शोथ के कितने मामलों के समाचार मिले हैं; और

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं;

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान भिन्न-भिन्न राज्यों के द्वारा सूचित किए गए काला-आजार, जठरांत्र शोथ और जापानी एनसेफेलाइटिस के रोगियों की संख्या क्रमश: संलग्न विवरण 1, 2 और 3 में दी गई है।

इन रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(क) काला-आजार :

(1) निगरानी।

(2) रोगियों का उपचार।

(3) स्वास्थ्य शिक्षा।

(4) सैन्डफलाईरोधी उपाय।

(5) अनुसंधान व प्रशिक्षण।

(ख) जठरांत्र शोथ :

(1) लोगों के इस्तेमाल के लिए प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य गाइड और उप-केन्द्रों को प्रति वर्ष क्रमश: 100 तथा 200 पैकटों की दर से ओरल रिहाइडेशन साल्ट सप्लाई किया जा रहा है।

(2) सभी अतिसार रोगों के नियंत्रण और उपचार के लिए जिला स्तर के स्वास्थ्य अधिकारियों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सा/अर्ध-चिकित्सा स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया है।

(3) अतिसार रोगों पर नियंत्रण पाने के बारे में सभी क्षेत्रीय भाषाओं में 11 लाख पुस्तिकायें छापी गई हैं और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजी गई हैं।

(4) 31 मार्च, 1985 की स्थिति के अनुसार निर्माण विभाग द्वारा 53.2 प्रतिशत ग्रामीण लोगों और 81.1 प्रतिशत शहरी लोगों को जल पूर्ति की सुविधा प्रदान की गई है।

(ग) जापानी एनसेफेलाइटिस) :

(1) केन्द्र और राज्य सरकारों के कार्यकलाप में तालमेल बैठाने के लिए राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम निदेशालय में एक सैल खोला गया है।

(2) स्वास्थ्य शिक्षा उपायों को तेज किया गया है और विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जापानी एनसेफेलाइटिस के बारे में एक नोट वितरित किया गया है। उनके द्वारा यह नोट जनता तथा चिकित्सा कार्मिकों को बांटा जाएगा।

(3) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि जिस इलाके में रोग पाये जाने की सूचना मिले उस क्षेत्र के आस-पास 2/3 किलोमीटर तक बी०एच० सी०/डी० डी० टी० का छिड़काव करें।

(4) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कीटनाशी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की गई हैं।

(5) सलाह देने और रोगियों का निदान करने के लिए इस कार्यक्रम में वाइरस अनुसंधान केन्द्र, पुणे, ट्रापीकल स्कूल आफ मेडिसिन, कलकत्ता, अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कलकत्ता, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली को शामिल किया गया है।

(6) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उनकी मांग पर वैक्सीन सप्लाई की जाती है।

विवरण-1

काला-आजार

राज्य	1982 मामले	1983 मामले	1984 मामले	1985 (अनन्तिम) मामले
असम	4	—	—	—
बिहार	11120	11687	12224	8723
दिल्ली	1*	2*	1*	1*
जम्मू व कश्मीर	1	—	—	—
तमिलनाडु	—	—	2	—
उत्तर प्रदेश	—	—	3	—
पश्चिम बंगाल	1234	2727	4229	1984
योग :	12360	14406	16459	10708

दूसरे राज्यों से किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

विवरण-2

1982-1985 के दौरान भारत में गैस्ट्रो इन्ट्राइटिस के सूचित किए गए रोगी और मौतें

क्र० सं० राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1982 सी 2 डी	1983 सी डी	1984 सी डी	1985 सी 2 डी अनि
1 2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	96159	93834	89952	26256
2. असम	134892	123124	197864	+
3. बिहार	3045	8740	2902	+
4. गुजरात	36338	52056	39512	15961
5. हरियाणा	7422	1164	1317	581
6. हिमाचल प्रदेश	72514	68723	91354	45149
7. जम्मू व कश्मीर	+	108265	130099	23823
8. कर्नाटक	153170	182215	117443	47537
9. केरल	14714	17682	24300	14602
10. मध्य प्रदेश	25176	12436	23002	16432
11. महाराष्ट्र	34869	48907	51034	32451
12. मणिपुर	12581	19404	+	+
13. मेघालय	15301	4578	10118	6744
14. नागालैंड	+	3061	9276	+
15. उड़ीसा	64364	2971	36362	+
16. पंजाब	175474	176554	189828	92102
17. राजस्थान	10654	13083	18345	8626
18. सिक्किम	+	+	11450	3193
19. तमिलनाडु	32108	28398	52598	23863
20. त्रिपुरा	10702	12802	14765	7218
21. उत्तर प्रदेश	3838	5142	9926	92102
22. पश्चिम बंगाल	+	+	+	+
23. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	9783	+	8973	5495

1	2	3	4	5	6
24.	अरुणाचल प्रदेश	†	†	12676	†
25.	चण्डीगढ़	11432	10956	16331	8828
26.	दादरा व नगर हवेली	854	765	1169	1356
27.	दिल्ली	64300	70525	84823	47407
28.	गोवा दमन व दीप	264	196	235	67
29.	लक्षद्वीप	†	1101	471	533
30.	मिजोरम	18502	20366	28279	15984
31.	पांडिचेरी	6719	8886	6353	3559
	योग	1015175	1095984	1270757	5448711

सी — रोगी —शून्य　1. आंकड़े अनन्तिम है तथा अपरिमानित कवरेज के कारण ये तुलनीय नहीं हैं।

† — सूचना प्राप्त नहीं हुई है। 2. दिल्ली के आंकड़े एम० सी० डी० (अगस्त) प्रशासन (जून) और अस्पताल से संबंधित है।]

विवरण-3

भारत में 1983 से 1985 तक जापानी इनसेफेलाइटिस के सूचित किए रोगी और मौतें

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1983* रोगी	1983* मौतें	1984£ रोगी	1984£ मौतें	1985£ रोगी	1985£ मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	325	—	603	—	146	—
2.	असम	29	—	37	—	45	—
3.	बिहार	116	—	236	—	131	—
4.	गुजरात	—	—	—	—	—	—
5.	हरियाणा	15	—	—	—	—	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—
8.	कर्नाटक	410	—	81	—	125	—
9.	केरल	—	—	—	—	—	—
10.	मध्य प्रदेश	—	—	—	—	—	—
11.	महाराष्ट्र	—	—	—	—	—	—
12.	मणिपुर	35	—	—	5	—	—
13.	मेघालय	—	—	—	—	—	—
14.	नागालैण्ड	†	—	—	29	—	—
15.	उड़ीसा	—	—	—	—	—	—
16.	पंजाब	—	—	—	—	—	—
17.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—
18.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
19.	तमिलनाडु	623	—	524	—	51	—
20.	त्रिपुरा	14	—	31	—	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	149	—	2	—	1037	—
22.	पश्चिम बंगाल	—	—	1868	—	220	—
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
25.	चण्डीगढ़	—		—	—	—	—
26.	दादर व नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
27.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—
28.	गोवा दमन व द्वीप	—	—	—	—	—	—
29.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
30.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—
31.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—
	योग :—	1716	—	3382	—	—	1789

नोट :— 1. आंकड़े अनन्तिम —शून्य † अप्राप्त

*2. एन० एम० ई० पी० से प्राप्त सूचना के आधार पर आंकड़े

£3. राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से प्राप्त साप्ताहिक/मासिक रिपोर्टों के आधार पर आंकड़े

हैदराबाद सिकन्दराबाद रेल लाइन को दोहरा करना

2746. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेल ने हैदराबाद और सिकन्दराबाद रेलवे स्टेशनों के बीच दोहरी बड़ी रेल लाइन का निर्माण आरम्भ किया है;

(ख) प्रस्तावित कार्य की अनुमानित लागत का ब्योरा क्या है;

(ग) इस समय योजना की स्थिति क्या है; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) से (घ) सिकन्दराबाद-हुसैनसागर के बीच दोहरी लाइन पहले से ही है। हुसैनसागर और हैदराबाद के बीच दोहरी लाइन बिछाने का कार्य हैदराबाद और तेलापुर (28 कि० मी०) के बीच दोहरी लाइन बिछाने की अनुमोदित परियोजना का भाग है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 8.76 करोड़ रुपये है और इस समय सनत नगर और तेलापुर के बीच निर्माण कार्य प्रगति पर है। दोहरी लाइन बिछाने का कार्य पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

दिल्ली हवाई अड्डे पर यात्रियों को विमान से उतारा जाना

2747. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान आज तक कितने मामलों में दिल्ली हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइन्स द्वारा निश्चित बुकिंग वाले यात्रियों को विमान वे उतारा गया और प्रत्येक अवसर पर कितने यात्रियों को उतारा गया;

(ख) निश्चित बुकिंग वाले यात्रियों को विमान से उतारने के क्या कारण हैं जिसके कारण उन्हें बड़ी असुविधा तथा कठिनाइयां हुईं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) इण्डियन एयर-लाइन्स ने उड़ानों में ओवर-बुकिंग का निर्णय सितम्बर, 1985 में लिया था और केवल उसी महीने से रिकार्ड रखे जाते हैं। सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1985 (25-11-85 तक) के दौरान दिल्ली से उड़ानों पर यात्रियों के उतारने का उल्लेख संलग्न विवरण 1,2 और 3 में किया गया है।

(ख) क्षमता का अधिकतम उपयोग करने और प्रतीक्षा-सूची में यात्रियों की संख्या में कमी करके उड़ानों के समय पर प्रस्थान को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, इंडियन एयरलाइन्स द्वारा सभी जेट उड़ानों पर कुछ प्रतिशत योजनाबद्ध ओवर-बुकिंग की जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया

का अनुसरण विश्वभर में सभी एयरलाइनों द्वारा किया जाता है। कभी-कभी जब प्रत्याशित संख्या में टिकट रद्द नहीं हो पाते तो यात्रियों को उतारना पड़ जाता है।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स ने अब यात्रियों को उतारने की स्थिति से बचने के लिए जेट उड़ानों पर ओवर-बुकिंग के स्तर को कम कर दिया है और सीटों की ओवर-बुकिंग की संख्या का निर्धारण, कुछ समयावधि में यातायात के रुझान को देख कर तय किया जाता है।

विवरण-1

सितम्बर, 1985 के दौरान दिल्ली से होकर जाने वाले उड़ानों से उतारे गए यात्रियों का विवरण

क्र० सं०	उड़ान सं०	दिनांक	यात्रियों की सं०	कारण	कैफियत
1.	आई०सी-421 एस०एक्स०आर०	1 सितम्बर	3	कोई रिकार्ड नहीं	उस दिन की उड़ान आई० सी-427 में जगह दी गई।
2.	आई०सी-405 बी०ओ०एम०	6 सितम्बर	11	ओवर बुकिंग	10 यात्रियों को 6 सितम्बर, की उड़ान संख्या आई० सी-184 में और 1 यात्री को 7 सितम्बर, की उड़ान संख्या आई०सी-182 में जगह दी गई।
3.	आई० सी०-40 बी०ओ०एम०	17 सितम्बर	7	ओवर बुकिंग	उस दिन की आई० सी-184 में जगह दी गई।
4.	आई०सी०-405 बी०ओ०एम०	18 सितम्बर	2	ओवर बुकिंग	—वही—
5.	आई०सी०-405 बी०ओ०एम०	24 सितम्बर	10	ओवर बुकिंग	—वही—
6.	आई०सी०-540 एम०ए०ए०	25 सितम्बर	3	—वही—	होटल आवास प्रदान किया गया।
7.	आई०सी०-401 सी०जी०यू०	26 सितम्बर	1	सुरक्षा पुलिस द्वारा उतार दिया गया।	गेट-नो-शो घोषित किया गया।

विवरण-2

अक्तूबर, 1985 के दौरान दिल्ली से होकर जाने वाली उड़ानों से उतारे गये यात्रियों का विवरण

क्र० सं०	उड़ान सं०	दिनांक	यात्रियों की सं०	कारण	कैफियत
1	2	3	4	5	6
1.	आई०सी०-427 एस०एक्स०आर०	1 अक्तूबर, 85	2	ओवर बुकिंग	उस दिन की आई०सी०-423 में जगह दी गई।
2.	540 एम०ए०ए०	—वही—	5	—वही—	होटल आवास उपलब्ध कराया गया।
3.	427 एस०एक्स०आर०	2 अक्तूबर, 85	7	—वही—	—
4.	405 बी०ओ०एम०	—वही—	1	—वही—	उस दिन को आई०सी०-184 में जगह दी गई।
5.	184 बी०ओ०एम०	4 अक्तूबर, 85	3	—वही—	—
6.	182 बी०ओ०एम०	12 अक्तूबर, 85	13	—वही—	8 यात्रियों को एयर इंडिया की उड़ान पर स्थानांतरित किया गया 5 को बाद वाली इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान से ले जाया गया था (एक यात्री को होटल आवास उपलब्ध कराया गया था)
7.	518 पी०एन०क्यू०/ बी०एल०आर०	15 अक्तूबर, 85	6	—वही—	4 यात्रियों को बम्बई होकर, एक एम०ए०ए० होकर, एक पी०एन०क्यू० "बोम" होकर।
8.	540 एम०ए०ए०	—वही—	2	—वही—	होटल आवास उपलब्ध कराया गया और 16 अक्तूबर, 1985 की आई०सी०-439 से भेजा गया।

1	2	3	4	5	6
9.	182	16 अक्तूबर, 85	9	—वही—	उसी दिन की बाद वाली एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में जगह दी गई।
10.	427 एस०एक्स०आर०	18 अक्तबर, 85	12	ओवर बुकिंग	उस दिन की आई०सी०-423 पर भेजा गया।
11.	182 बी०ओ०एम०	19 अक्तूबर, 85	2	—वही—	गोवा होकर मार्ग परिवर्तित कर दिया गया।
12.	427 एस०एक्स०आर०	—वही—	30	—वही—	उसी तारीख को आई०सी०-423 में चार को जगह दी गई। 26 को उसी तारीख की आई०सी०-425 में जगह दी गई (आई०सी०-425 पर 90 बच्चों का एक समूह)
13.	461. ए०एम०डी०	26 अक्तूबर, 85	5	—वही—	—वही—
14.	264 सी०सी०यू०	29 अक्तूबर, 85	11	—वही—	होटल आवास उपलब्ध कराया गया और बाद वाली उड़ानों में जगह दी गई।
15.	401 सी०सी०यू०	30 अक्तूबर, 85	13	—वही—	बाद वाली उड़ानों में जगह दी गई।

विवरण-3

नवम्बर, 1985 (25-11-1985 के दौरान) दिल्ली से होकर जाने वाली उड़ानों से उतारे गये यात्रियों की संख्या को दिखाने वाला विवरण

उड़ान संख्या	दिनांक	यात्रियों की संख्या	कारण	कैफियत
आई०सी०-405	6-11-85	2	ओवर बुकिंग	2 यात्रियों को उतारा गया और 1815 बजे आई०सी०-405 में जगह दी गई।
आई०सी०-405	17-11-85	12	यात्रियों का कोई रिकार्ड नहीं	आई०सी०-184 में जगह दी गई।

वर्ष 1982 में एयर इंडिया बोइंग दुर्घटना संबंधी रिपोर्ट

2748. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 जून, 1982 को सांताक्रुज हवाई अड्डे पर एयर इंडिया बोइंग दुर्घटना की जांच करने वाले न्यायाधीश पी०बी० सावंत की सिफारिशों को अभी तक क्रियान्वयन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो न्यायाधीश सावंत द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं; और उन्हें क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाने का है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) न्यायाधीश पी०बी० सावंत की अध्यक्षता में बने न्यायालय ने 65 व्यापक सिफारिशें की थी, जिनमें नागर विमानन महानिदेशालय/एयर इंडिया/भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यकलाप और संबंधित विमानचालकों की गतिविधियां शामिल थीं। जबकि इनमें से 59 सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है लेकिन इनमें से केवल 41 सिफारिशें ही कार्यान्वित की गई हैं। शेष 18 सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिए लम्बे समय की आवश्यकता है और इसमें विभिन्न अभिकरणों के बीच समन्वय की जरूरत है। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की कार्यवाही चल रही है और नागर विमानन महानिदेशक की अध्यक्षता में बनी स्थायी समिति द्वारा इसकी देख-रेख की जा रही है।

2. बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पी०बी० सावंत के जांच न्यायालय की रिपोर्ट में सभी सिफारिशें उपलब्ध हैं, जिसकी एक प्रति इंडैक्स नम्बर 629.13255 आर० के तहत पहले ही संसद पुस्तकालय में रख दी गई है।

कर्नाटक में रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण

2749. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के जिला बीदर, ताल्लुक भालकी में जयगांव रेलवे स्टेशन का विद्युतीकरण नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या उपाय किए हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) कर्नाटक राज्य के जिला बीदर, ताल्लुक भालकी में जयगांव नाम का कोई रेलवे स्टेशन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेहरू युवक केन्द्रों के लिए स्वशासी निकाय

2750. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस मंत्रालय के अधीन नेहरू युवक केन्द्रों के लिए एक स्वशासी निकाय बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त नेहरू युवक केन्द्रों के सीधे भर्ती किए गये युवा-समन्वयकों (यूथ-कोआर्डिनेट्र्स) को नव गठित निकाय में खपाया जाएगा;

(ग) वर्ष 1972 से अब तक सीधे भर्ती किए गए युवा-समन्वयकों को नियमित करने हेतु मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, नहीं। तथापि, ऐसा निकाय बनाने का निर्णय लिया गया है।

(ख) बनाए जाने वाले स्वायत्त निकाय द्वारा इस मामले पर विचार करने की आशा है।

(ग) और (घ) संघ लोक सेवा आयोग से पदों के भर्ती नियमों के संशोधन द्वारा ऐसे युवा समन्वयकों को नियमित करने के पात्र बनाने के विचार से सलाह ली गई है।

दिल्ली में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की स्मृति में सांस्कृतिक परिसर (काम्पलैक्स)

2751. **श्री हरिहर सोरन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की स्मृति में दिल्ली में एक सांस्कृतिक परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किस स्थल का चयन किया गया है;

(ग) उपरोक्त परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(घ) प्रारम्भिक कार्य कब तक शुरू होने की आशा है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र का प्रधान मंत्री द्वारा 19-11-85 को औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था।

(ख) सेन्ट्रल विस्टा में लगभग 21 एकड का एक क्षेत्र आबंटित किया गया है।

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान योजना आयोग द्वारा इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के पूंजीगत कार्य के लिए 60 करोड़ रुपए तथा कार्यक्रमों/कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए 25 करोड़ रु० उपलब्ध कराए गए हैं।

(घ) एक अन्तर्राष्ट्रीय वास्तुकला डिजाइन प्रतियोगिता घोषित की गई है जिसके परिणाम नवम्बर, 1986 तक घोषित किए जाने की आशा है। ब्यौरेवार डिजाइन तथा ड्राइंग उसके पश्चात् ही तैयार की जाएगी।

चालू जनसंख्या परियोजना में और राज्यों का शामिल होना

2752. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान चालू जनसंख्या परियोजना में और राज्य शामिल होंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार सर्वप्रथम उन ग्रामीण क्षेत्रों और वर्गों पर पूरी तरह से ध्यान केन्द्रित करेगी जिनमें जनसंख्या वृद्धि अधिकतम है; और

(ग) क्या सरकार इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परियोजना में सभी सामाजिक समस्याओं को शामिल करेगी ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) पश्चिम बंगाल क्षेत्र परियोजना कार्यक्रम में भारतीय जनसंख्या परियोजना—IV के रूप में शामिल हुआ है। यह परियोजना पहली सितम्बर, 1985 को राज्य के चार जिलों में शुरू हुई थी। इस परियोजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) ये परियोजना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं। आशा है कि संबंधित राज्य सरकारें सभी सामाजिक संस्थाओं की सहायता और सहयोग प्राप्त करेंगी।

विवरण

पश्चिम बंगाल (आई०पी०पी० IV) में विश्व बैंक सहायता प्राप्त क्षेत्र परियोजना

पश्चिम बंगाल में चौथी भारतीय जनसंख्या परियोजना पहली सितम्बर, 1985 से लगभग 107.47 करोड़ रुपये की कुल लागत से शुरू की गई है। यह परियोजना 5 वर्ष की अवधि तक चलाई जानी है।

बर्दवान प्रभाग के चार जिले अर्थात बर्दवान, बांकुरा बीरभूम और पुरूलिया इस परियोजना के लिये चुने गये हैं। इन जिलों की जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का 23 प्रतिशत है और राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 17 प्रतिशत है।

इस परियोजना के चार प्रमुख कार्यात्मक घटक हैं :—

(क) सेवा-प्रदान करना

(ख) लोगों की मांग को बढ़ाने संबंधी कार्यकलाप

(ग) मानिटरिंग, मूल्यांकन और आपरेशन अनुसंधान;

(घ) परियोजना का प्रबन्ध।

पहला घटक सबसे बड़ा घटक (लगभग 77.23 करोड़ रुपये) है तथा इसमें चार चुने हुये जिलों में अनेक सेवा केन्द्रों (उप-केन्द्र, नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र; प्रशिक्षण केन्द्र और स्टाफ क्वार्टर) का निर्माण करने, उपकरण उपलब्ध करने और स्टाफ प्रदान करने की व्यवस्था है। शेष तीन घटकों का उद्देश्य सेवाओं की मांग बढ़ाना, कार्मिकों की तकनीकी और प्रबंध क्षमता में सुधार करना और सारे राज्य में प्रबंध कार्य और पद्धति में सुधार करना है।

बच्चों में "थेलास्सामिया" रोग

2753. **श्रीमती डी०के० भंडारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बच्चे बड़े पैमाने पर थेलास्सामिया रोग से प्रभावित हो रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इस रोग का इलाज अत्यधिक मंहगा होने के कारण राजधानी में 300 मामलों में से केवल 4 का ही इलाज हो रहा है और यदि हां, तो कमजोर वर्ग की तकलीफों को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है; और

(ग) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद/पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूशनों द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा है और यदि हां, तो कब से और अब तक इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। आम लोगों में थेलास्सामिया विशेषक की 3 से 11 प्रतिशत घटनाएं देखी गई हैं। इस रोग से प्रभावित बच्चों का राज्यवार ब्योरा उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि यह रोग बहुत कम होता है।

(ख) मोती बाग स्थित नई दिल्ली नगरपालिका अस्पताल प्रशासन प्रतिदिन 8 बच्चों को रक्ताधान करने की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। नई दिल्ली नगर पालिका प्रशासन 50 बच्चों के

लिए डेसफेरल इंजेक्शन और ल्यूकोसाइट फिल्टर द्वारा विशिष्ट उपचार सुलभ कराने के लिए भी सहमत हो गया है। कमजोर वर्गों की तकलीफों को कम करने के लिए प्रस्तावित उपचारी कदमों में मूल दृष्टिकोण "खतरे वाले" दम्पत्तियों का पता लगाना और प्रसव-पूर्व निदान के अवसर प्रदान करना है। इसे ध्यान में रखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इम्यूनोहेमेटालॉजी संस्थान, बम्बई में थैलास्सोमिया का प्रसव-पूर्व निदान केन्द्र स्थापित किया है। जहां पर बुनियादी तौर-तरीकों को मानकीकृत किया जा चुका है और सामान्य नमूनों पर आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के बुलेटिन के माध्यम से एक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है कि कोई भी इच्छुक पार्टी थैलास्सोमिया के प्रसव-पूर्व निदान के लिए उक्त संस्थान से सम्पर्क कर सकती है।

(ग) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित तीन केन्द्रों में अगस्त, 1983 को थैलास्सोमिया पर तीन वर्षों का लम्बा सहयोगी अध्ययन शुरू किया :—

1. इंस्टीट्यूट आफ इम्यूनोहैमाटलाजी, बम्बई।

2. यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसिस, नई दिल्ली।

3. स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसिन, कलकत्ता।

प्रयोगशाला तकनीकों को मानकीकृत कर दिया गया है और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।

इसके अलावा, स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसिन, कलकत्ता में परिषद् के हैमाटालाजी यूनिट में हाल ही में थैलास्सोमिया पर गहराई से अध्ययन किए गए हैं। इस अध्ययन के मुख्य-मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

1. थैलास्सोमिया के रोगियों को बुखार बहुत जल्दी हो जाता है।

2 ऐसा प्रतीत होता है कि इन रोगियों की रोगरोधी शक्ति में परिवर्तन आ जाता है।

3. बंगाली लोगों में बार-बार किए गए सर्वेक्षणों से यह पता चला कि हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में थैलास्सोमिया विशेषक का मान काफी अधिक है।

इस वृद्धि के कारणों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

ओंगल से रायचूर तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना

2754. **श्री सी० सम्बु** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र को ओंगोल से रायचूर बरास्ता गिद्देलूर, नन्दयाल, कूरनूल और उप्पल की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के अन्तर्गत लेने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : (क) जी, हां ।

(ख) धन की कमी के कारण आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के अनुरोध को मानना संभव नहीं है ।

आस्ट्रेलिया के चिकित्सा वैज्ञानिकों द्वारा खांसी (ब्रानकाइटिस) के लिए विकसित नया उपचार

2755. **श्री मानिक रेड्डी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया के चिकित्सा वैज्ञानिकों द्वारा ब्रानकाइटिस के लिए किसी नए उपचार का विकास किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने भारत में इस नये औषध/उपचार के बारे में कोई परीक्षण किये हैं; और

(ग) क्या भारत के चिकित्सा वैज्ञानिक ब्रानकाइटिस के इलाज के सम्बन्ध में कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो अनुसंधान सम्बन्धी ऐसे अध्ययनों का अब तक क्या परिणाम निकला है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) भारत सरकार को आस्ट्रेलिया के चिकित्सा वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई श्वसनीशोथ की नई औषधि के बारे में जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने पहले पुराने श्वसनो शोथ और दमे पर अनुसंधान किए हैं परन्तु पुराने श्वसनी शोथ और दमे के रोगियों को ठीक करने के लिए अभी तक किसी विशेष औषधि का पता नहीं लगाया गया है । तथापि, इन रोगियों को लाक्षणिक आराम पहुंचाने के लिए दवाइयां उपलब्ध हैं और इन औषधियों के इस्तेमाल से रोगी अलग-अलग समय तक ठीक रहते हैं ।

ग्रामीण भारत के लिए खेल सुविधायें

2756. **श्री सी० सम्बु :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि ग्रामीण भारत के खिलाड़ियों को खेलों के विकास हेतु प्रशिक्षण और सुविधाएं देने के लिए पंचवर्षीय योजना में किया गया धन का नियतन बहुत ही कम है;

(ख) क्या खेलों के क्षेत्र में विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में खराब प्रदर्शन का यह मुख्य कारण है; और

(ग) यदि हां, तो विश्व स्तरीय खेलों में भारत के खेलों के प्रदर्शन में सुधार लाने हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना में और अधिक धन का नियतन करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

युवक कार्यक्रम और खेल तथा महिला कल्याण विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) संसाधनों में कठिनाई के कारण सामान्यतः और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध राशि अपर्याप्त रही है। विश्व प्रतियोगिता में राष्ट्रीय खेल टीमों के निकृष्ट प्रदर्शन के लिए एक पहलू यह भी माना गया है।

(ग) 7वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण खेलों और नए खेल प्रतिभाशालियों का पता लगाने के लिए योजनाओं पर विशेष बल देने के लिए पर्याप्त मात्रा में राशि बढ़ाने का प्रस्ताव है।

चिराला रेलवे स्टेशन फाटक पर ऊपरी पुल

2757. **श्री सी० सम्बु** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-मध्य रेल के चिराला रेलवे स्टेशन फाटक पर रेल आवागमन से फाटक के बार-बार बन्द होने के कारण यातायात रुक जाने को ध्यान में रखते हुए वहां पर एक ऊपरी पुल का निर्माण करने का कोई विचार है;

(ख) क्या चिराला नगरपालिका ने अपने संकल्प में दक्षिण-मध्य रेलवे के प्राधिकारियों से कहा है कि वह चिराला में रेल एवं सड़क ऊपरी पुल के निर्माण पर होने वाले व्यय में भागीदार होने को तैयार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) रेलें मौजूदा व्यस्त समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण राज्य सरकारों के साथ लागत की भागीदारी के आधार पर संयुक्त रूप से करती है। चिराला नगर निगम के अध्यक्ष ने चिराला में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए पूछा था और यह भी जानना चाहा था कि नगर निगम को लागत का कितना हिस्सा वहन करना पड़ेगा। दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा उनको सलाह दी गयी है कि वह अपना प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित करायें। आन्ध्र प्रदेश सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मधुपुर में "लोको स्टीम शेड" को समाप्त करना तथा कर्मचारियों का स्थानांतरण

2758. **श्री सलाहुद्दीन** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मधुपुर, पूर्वी रेलवे से लोको स्टीम शेड समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्यवाही श्रमिकों तथा कार्य दक्षता के प्रतिकूल हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए और क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है; और

(घ) इस निर्णय के फलस्वरूप मधुपुर लोको शेड पूर्वी रेलवे से कितने कर्मचारियों को स्थानांतरित किया जायेगा ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सामान्यत: लगभग 125 कामगारों का स्थानान्तरण किये जाने की संभावना है। तथापि, इस संख्या को न्यूनतम रखा जायेगा और जिन कामगारों पर स्थानान्तरण का प्रभाव पड़ने की संभावना है, उन पर उनके संघात को समायोजनों के जरिये कम किया जायेगा।

केरल में नर्सिंग विश्वविद्यालय

2759. **श्री टी० बशीर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक नर्सिंग विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा पटना में पुस्तक मेला आयोजित करना

2760. **श्री सरफराज अहमद** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल बुक ट्रस्ट ने पटना में सितम्बर-अक्तूबर, 1985 में एक पुस्तक मेला आयोजित करने की घोषणा की थी और यदि हां, तो उस पर अब तक कितनी धन-राशि व्यय की गई है;

(ख) इस पुस्तक मेला के लिए आमंत्रित किये गये प्रकाशकों के क्या नाम हैं; और

(ग) क्या यह पुस्तक मेला आयोजित किया जा चुका है यदि हां, तो कब ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) 2 अक्तूबर से 10 अक्तूबर, 1985 तक पटना में हुए राष्ट्रीय पुस्तक मेले पर राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा किया जाने वाला संभावित कुल व्यय लगभग 7.6 लाख रु० है।

मेले में लगभग 5000 प्रकाशकों, पुस्तक-विक्रेताओं तथा संस्थाओं को आमन्त्रित किया गया था। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रकाशकों के नामों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

2 अक्तूबर से 10 अक्तूबर, 1985 को पटना में आयोजित 12वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भाग लेने वालों की सूची

क्र०सं०	भाग लेने वालों का नाम
1	2
1.	अभिव्यंजना, 109/48 पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026.
2.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, 27, जवाहर लाल नेहरू रोड, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता-700016
3.	अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ, ए-2/1, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051
4.	आर्य बुक डिपो, 30, नाईवाला, करौल बाग; नई दिल्ली
5.	अशोक प्रैस, शेखपुरम, पटना-14
6.	एशियन एज्यूकेशनल सर्विसिज, सी-2/15, एस० डी० ए०

1	2
	पी० ओ० बाक्स नं० 4534 नई दिल्ली-1
7.	अनामिका प्रकाशन, बी० एम० दास रोड, पटना-800004
8.	अकाडमिक पब्लिसर्स, 5 ए, भवानी दत्त लेन, पो० बाक्स नं० 12341, कलकत्ता-700073
9.	अलाइड पब्लिसर्स, 17, चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता-700072
10.	अतुल प्रकाशन, 1131, कटरा, इलाहाबाद-1
11.	अदविता आश्रम, 5, देही इंताले रोड, कलकत्ता-700014
12	अमर प्रकाशन, ए-वन/139-बी, लारेंस रोड, दिल्ली-110035
13.	अगम कला प्रकाशन, 34, सेंट्रल मार्किट, अशोक विहार, दिल्ली-110052
14.	एशियन पब्लिशिंग हाउस; 8/81, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026
15.	भारती प्रकाशन, ए-123, अमर कालोनी,

1	2
	लाजपत नगर, नई दिल्ली-110024
16.	भारती भवन, पब्लिसर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, गोविन्द मितरा रोड़, पटना-800004
17.	बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, प्रेमचन्द मार्ग, राजेन्द्र नगर, पटना-800015
18.	बिहार ब्रह्मविद्या संघ, डा० एनीबेसेंट रोड, पटना-800004
19.	बी० आई० पब्लिकेशंस, 13, गवर्नमेंट प्लेस, ईस्ट, कलकत्ता-700069
20.	भारत बुक डिपो, सुजा गंज, भागलपुर-812002
21.	भारतीय ज्ञानपीठ, इंस्टीच्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-1
22.	बिहार राष्ट्र भाषा, परिषद्, पटना-800004
23.	ब्राइट कैरियर्स इंस्टीच्यूट, 1525, नई सड़क, दिल्ली-110006

1	2
24.	चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, महुआ टोली, पटना-800004
25.	चिल्ड्रनस बुक ट्रस्ट, नेहरू हाउस, 4, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
26.	कम्पीटीसंस सकसिश रिव्यू (पी) लिमि०, 604, प्रभात किरण, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली
27.	भारतीय भाषा संस्थान, मनसागंगोत्री, मैसूर-570006
28.	कम्पीटीशन एडवाइजर, 4457, नई सड़क, दिल्ली-110006
29.	कलिपटन एण्ड कं० पी० लिमि०, 53/2, दुर्गा मार्किट, देश बन्धू गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110055
30.	केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, शीतला रोड, आगरा-282005
31.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय, वेस्ट ब्लाक नं०7, आर० के० पुरम, नई दिल्ली।

1	2
32.	चौखम्बा ओरियनटेलिय, के-37/109, गोपाल मन्दिर लेन, पी० बी० नं० 1032, वाराणसी ।
33.	डायमण्ड पाकेट बुक्स (पी०) लिमि० 2715, दरिया गंज, नई दिल्ली ।
34.	प्रकाशन विभाग, केरल मन्त्रालय, त्रिवेन्द्रम
35.	धरती प्रकाशन, गंगा शहर बीकानेर (राज०)
36.	प्रकाशन विभाग, गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर ।
37.	हिन्दी माध्यम कार्यान्वियन डायरेक्टरेट, दिल्ली विश्वविद्यालय, ई ए/6, माडल टाउन, दिल्ली-110009
38.	दि डिफेंसरिव्यू, एन-74, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048
39.	अनुसंधान निदेशालय, अरूणाचल प्रदेश, शिलांग
40.	प्रकाशन विभाग, निर्माण तथा आवास मंत्रालय, पुराना सचिवालय, सिविल लाइन्स, दिल्ली ।

1	2
41.	इमका प्रकाशन केन्द्र, 1712 गांधी रोड, अहमदाबाद ।
42.	फ्रेंक ब्रादर्स एण्ड कं० (पब्लिसर्स) पी० लिमि०, 4675-ए, अंसारी रोड, 21, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002
43.	फिरमा के० एल० एम० (प्राइवेट) लिमि०, 257 बी, बी० बी० गाँगुली स्ट्रीट, कलकत्ता-700012
44.	गोल्डन कामिक्स, 66, कालेज स्ट्रीट, कलकत्ता-73
45.	सरकारी लेखन सामग्री भंडार और प्रकाशन, गुलजार बाग, पटना-800007
46.	जी० के० इण्टरप्राइजिज, अशोक राज पथ, चौहाटा, पटना-800004
47.	हिमालय पब्लिशिंग हाउस, पूजा अपार्टमेंट्स, 4 बी, अन्सारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002
48.	हंस प्रकाशन, 18, नया मार्ग, पी० बी० नं० 103, इलाहाबाद ।

1	2
49.	हिन्दी प्रचारक संस्थान, पी० औ० बाक्स 1106, सी-21/30, पिशाच मोचन, वाराणसी-221001
50.	हिन्दी बुक सेंटर, 4/5 बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली
51.	इंडियन बुक सेंटर, 40/5, शक्ति नगर, दिल्ली-110007
52.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, राष्ट्रपति निवास, सुमर हिल, शिमला-171005
53.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
54.	भारतीय खनन संस्थान, न्यू सेक्रेटरियेट बिल्डिंग, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001
55.	जानकी प्रकाशन, अशोक राज पथ, चौहाटा, पटना-800004
56.	जयको बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, जी-2-16, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली ।

1	2
57.	जे०पी० ब्रादर्स, जी-16, इमका हाउस, 23/23-बी, अन्सारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली ।
58.	काशी प्रसाद, जयसवाल रिचर्स इंस्टीच्यूट, म्यूजियम बिल्डिंग, बुद्धा मार्ग, पटना-800001
59.	किताब महल एजेंसी, अशोक राज पथ, पटना ।
60.	किताब घर, मेन बाजार; गांधी नगर; दिल्ली-110031
61.	के० पी० बागची एण्ड कं०, 286, बी० बी० गांगुली स्ट्रीट, कलकत्ता-700012
62.	किशोर भारती, खजांची रोड, पटना-4
63.	ललित कला अकादमी, रविन्द्र भवन, नई दिल्ली
64.	लोक भारती प्रकाशन, 15-ए महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद ।
65.	मित्रा एण्ड घोष पब्लिसर्स (पी०) लिमि०, 10, श्यामा चरण दी स्ट्रीट, कलकत्ता-700073

1	2
66.	मनीशा ग्रन्थालय प्राइवेट लिमि०, 4/3 बी, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता-700073
67.	मोती लाल बनारसीदास, बंगलो रोड, जवाहरनगर, दिल्ली
68.	माधव स्टोर्स, बुकसेलर्स कल्याणी, मुजफ्फरपुर
69.	मैथिली अकादमी, 4/बी, श्री कृष्ण पुरी, पटना-800001
70.	मैकमिलन इंडिया लिमि०, सिन्हा कोठी, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना-800001
71.	नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 23, दरिया गंज, नई दिल्ली ।
72.	राष्ट्रीय एटलस और थिमेटिक मैपिंग संगठन, 50, ए गरियाहट रोड, कलकत्ता-700019
73.	निधि प्रकाशन, 1590, मदरसा रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली ।
74.	नरेश पब्लिकेशन्स, 111, शंकर रोड मार्किट, न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

1	2
75.	न्यू लाइट पब्लिसर्स, बी-8, रतन ज्योती, 18, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
76.	न्यूमैन ग्रुप्स आफ पब्लिसर्स, 4-सी, अंसारी रोड, नई दिल्ली-110002
77.	नव विकास प्रकाशन, अशोक राजपथ, पटना-800006
78.	नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, ए-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016
79.	न्यू सेंट्रल बुक एजेंसी, 8/1, चिन्तामोनी दास लेन, कलकत्ता-700009
80.	नारोसा पब्लिशिंग हाउस, 6, कम्यूनिटी सेंटर, पंचशील, नई दिल्ली-110017
81.	नारोसा बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स, 5, कम्यूनिटी सेंटर, पंचशील, नई दिल्ली-110017
82.	न्यू बुक सेंटर, 14, रामनाथ, मजूमदार स्ट्रीट, कलकत्ता-700009
83.	एम० ई० पब्लिसर्स, 16, मोतीलाल मलिक लेन, कलकत्ता-700035

1	2
84.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली-110016
85.	राष्ट्रीय मनोविज्ञान निगम, 4/230, कचहरी घाट, आगरा-282004
86.	नावल्टी एण्ड रीडर्स कार्नर, पटना
87.	पुस्तक महल, 6686, खारी बावली, दिल्ली-110006
88.	प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, बिहार स्टेट कोआरेपटिव बैंक बिल्डिंग, अशोक राज पथ, पटना-800004
89.	परिजात प्रकाशन, डाक बंगलो रोड, पटना
90.	प्रगति प्रकाशन, पो० बाक्स० नं० 62, बेगम ब्रिज, मेरठ-250001
91.	पुनथी पुस्तक, 136/4 बी, बिधान साराणी, पो० ओ० बाक्स नं० 16602, कलकत्ता-700004
92.	पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला-147002
93.	परिमल प्रकाशन, 17, एम० आई० जी० भागम्बरी आवास योजना, अल्लाहपुर, इलाहाबाद-211006
94.	प्रभात प्रकाशन, 205, चावड़ी बाजार, दिल्ली-110006

1	2
95.	पराग प्रकाशन, 3/114, कर्ण गली, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032
96.	पिताम्बर पब्लिशिंग कम्पनी, 888, ईस्ट पार्क रोड, करौल बाग, नई दिल्ली-110005
97.	पिरेनटिस हाल आफ इंडिया पी० लिमि०, एम-97, कनाट सरकस, नई दिल्ली-110001
98.	प्रवीण प्रकाशन, महरौली, नई दिल्ली ।
99.	पापुलर प्रकाशन पी० लिमि०, 4648/1, अंसारी रोड, 21 दरिया गंज, नई दिल्ली
100.	पंचशील प्रकाशन, फिल्म कालोनी, जयपुर-302003
101.	पांडुलिपि प्रकाशन, ई-11/5, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051
102.	प्रैस सर्विस आफ इंडिया, रोड नं० 6-सी, राजेन्द्र नगर, पटना
103.	पायोनियर प्रिंटर्स, 2/27, सेठ गली, आगरा-282003
104.	प्रकाशन संस्थान, 4715/21, दयानन्द मार्ग, दरिया गंज, नई दिल्ली
105.	राजपाल एण्ड संस, मदरसा रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006
106.	रविन्द्र प्रकाशन, 1131, कटरा, इलाहाबाद ।
107.	राजकमल प्रकाशन (पी०) लिमि०, 6, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110002
108.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, गली नं० 4, विशाल एन्कलेव, राजा गार्डन, नई दिल्ली ।

1	2
109.	राधा कृष्ण प्रकाशन, 2/38, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002.
110.	रीडर्स कार्नर एण्ड एसोसिएटिड बुक एजेंसी, अशोक राज पथ पटना ।
111.	ऋषभ चरन जैन, ई० वी० एम० सनतती, 4662/210, दरियागंज, नई दिल्ली
112.	सीप्रंट इंडिया पब्लिसर्स, 1588/31, नाईवाला, करोल बाग, नई दिल्ली
113.	सुरुचि प्रकाशन, केशव कुंज, झंडेवालान, नाज सिनेमा के सामने, नई दिल्ली-110055.
114.	साहित्य भवन, हासपीटल रोड, आगरा-282003.
115:	सोम सुधा प्रकाशन, 7483, तेल मिल मार्ग, राम नगर, नई दिल्ली-110055.
116.	एस० चंद एण्ड कम्पनी, पो० बाक्स नं० 5733, राम नगर, नई दिल्ली-110055.
117.	सुल्तान चंद एण्ड संस, 4792/23, दरियागंज, नई दिल्ली-110002.
118.	सोवीनियर पब्लिसर्स, 10452, ईस्टपार्क रोड, नई दिल्ली
119.	सनमार्ग प्रकाशन, 16-यू बी, बंगाली रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-110007.
120.	सोवियत बुक्स एण्ड पीरियोडीकल्स शोरूम, 7, कैमक स्ट्रीट, कलकत्ता-700017.
121.	साहित्य अकादमी, रविन्द्र भवन, 35 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001.

1	2
122.	सप्रिंगर बुक्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमि०, 6, कम्यूनिटी सेंटर, पंचशील, नई दिल्ली
123.	सामयिक प्रकाशन, 3543, जटवारा, दरियागंज, नई दिल्ली-110002.
124.	सर्वश्री आलेख प्रकाशन, बी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032.
125.	स्टरलिंग पब्लिशिंग (पी०) लिमि०, एल 10, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110032
126.	शाह एण्ड ब्रादर्स, 8/9367, मुल्तानी ढांढा, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055.
127.	सशधर प्रकाशनी, 19 ए, केदार बोस लेन, भवानीपोक्स, कलकत्ता-700025.
128.	सर्वोदय साहित्य प्रकाशन, के-61/99-100, बुलानाला, वाराणसी-221001.
129.	शारदा पुस्तक भवन, विलेज एण्ड पोस्ट महुआ (वैशाली) 844122.
130.	सीमान्त प्रकाशन, 922, कूंचा रोहल्ला, दरियागंज, नई दिल्ली-110002.
131.	मानक साहित्य, 76, आचार्य जगदीश चंद बोस रोड, कलकत्ता-14
132.	सुबोध पब्लिकेशन, 2/4240-ए, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली
133.	शकुन प्रकाशन, 3625, सुभाष मार्ग नई दिल्ली-110002.
134.	सरस्वती प्रकाशन मंदिर, 69, नया बिरहाना, इलाहाबाद ।
135.	शारदा प्रकाशन, 16/एफ-3, अंसारी रोड, नई दिल्ली ।

1	2
136.	साहित्य सहकार, ई-10/4, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051
137.	शिवाजी युनिवर्सिटी, विद्या नगर, कोलाहपुर-416004
138.	सेज पब्लिकेसंस इंडिया पी०लिमि०, पी० बी० नं० 4215, नई दिल्ली-110048
139.	श्री भूमि पब्लिशिग कंपनी, 79, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता-700009
140.	सबसिडी यूनिट, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, इंडिया, ए-5, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016
141.	दि टाइम्स आफ इंडिया, 7, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
142.	टाटा मैकग्रा हिल पब्लिशिंग कम्पनी लिमि०, 12/4, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002
143.	तमिलनाडु प्रिंटर्स एण्ड ट्रेडर्स पी० लिमि०, पी० बी० नं० 21, 328 जी० एस० टी० रोड, चिरमपेट, मद्रास-44
144.	तक्षशिला प्रकाशन, 23/4763, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002
145.	यू० बी० एस० पब्लिसर्स "डिस्ट्रीब्यूटर्स" लिमि०, 5, अन्सारी रोड, पो० बाक्स० नं० 7015, नई दिल्ली-110002
146.	यूनिवर्सल पब्लिकेशन्स, सिंधी गली, आगरा-282003
147.	उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, लखनऊ यू० पी०

1	2
148.	यूनिवर्सिटी आफ मैसूर, मनसागंगोत्री, मैसूर-570006
149.	विवेक प्रकाशन, 7-यू ए, जवाहर नगर, दिल्ली-110007
150.	विश्व विजय प्राइवेट लिमि०, एम-12, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001
151.	वानी प्रकाशन, 4697/5, 21-ए, दरिया गंज, नई दिल्ली
152.	विद्या प्रकाशन मंदिर, 1681, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002
153.	विधि साहित्य प्रकाशन, विधि मंत्रालय न्याय और कम्पनी कार्य, भगवानदास रोड, नई दिल्ली-110001
154.	विजन बुक्स (पी०) लिमि०, 1590, मदरसा रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006
155.	विभूति प्रकाशन, के-14 नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032
156.	विले ईस्टर्न लिमि० पब्लिसर्स, 4835/24, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली।
157.	वेस्ट बंगाल स्टेट बुक बोर्ड, आर्यमेंनशन, 8वां तल, 6 ए, राजा सुबोध मलिक स्केयर, कलकत्ता-700013
158.	कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी, दरभंगा।
159.	बिहार ग्रन्थ कुटीर, नाला रोड, पटना-800004

1	2
160.	शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार, एक्स० ए० एफ० ओ० हटमेंट्स, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001
161.	आत्मा राम एण्ड संस, 1376 कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006
162.	दीपायतन, बिहार राज्य प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, बी/39, श्रीकृष्ण पुरी, पटना-800001 (बिहार)
163.	प्रेम प्रकाशन मंदिर, नई दिल्ली
164.	प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली
165.	ब्रिटिश बुक स्टैंडर्ड, नई दिल्ली
166.	कुमार बुक सेंटर, पटना।
167.	कमलापुरी प्रकाशन, पटना
168.	गुप्ता बुक मार्ट, पटना
169.	सूरज बुक सेंटर, पटना
170.	नाथ पब्लिसर्स, कलकत्ता
171.	अलंकार प्रकाशन, दिल्ली।
172.	मरकाजी मक्तब इस्लामी दिल्ली।

मध्य प्रदेश और राजस्थान द्वारा चम्बल नहर के पानी का उपयोग

2762. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 से 1985-86 तक चम्बल नहर के पानी का उपयोग मध्य प्रदेश और राजस्थान में किस अनुपात में किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश को पानी का पर्याप्त हिस्सा नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान अन्तर्राज्य नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जल विनियमन के लिए अभी तक "फील्ड एजेंसी" गठित नहीं की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इसके शीघ्र गठन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) राजस्थान सरकार के अनुसार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों ने साझे चम्बल दायां मुख्य नहर प्रणाली से निम्नलिखित प्रकार से पानी का उपयोग किया :

वर्ष	राजस्थान	मध्य प्रदेश (मिलियन एकड़ फुट में)
1982-83	1.00	1.1764
1983-84	1.0861	0.8905
1984-85	1.0964	1.1723
1985-86	(अभी रबी मौसम समाप्त नहीं हुआ है)	

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश शिकायत करता रहा है कि उन्हें रबी की अधिकतम मांग के समय के दौरान नहर के ऊपरी स्थानों में राजस्थान द्वारा अधिक पानी लिये जाने के कारण राजस्थान से अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन राजस्थान के अनुसार मध्य प्रदेश गांधी सागर बांध के अनुप्रवाह से पानी निकाल रहा है जिससे जलाशय में प्रवाह कम हो जाता है।

(घ) और (ङ) जल विनियमन के लिए प्रस्तावित फील्ड एजेंसी अभी दोनों राज्यों द्वारा गठित नहीं की गई है क्योंकि वे इस विषय पर अभी विचार-विमर्श कर रहे हैं।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाल मृत्यु

2763. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाल मृत्यु के बारे में पिछले एक दशक के दौरान कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) ग्रामीण और शहरी बच्चों का पोषण स्तर क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की माताओं के लिए कोई योजनाएं बनाई है ताकि समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्प पोषण के स्तर को उठाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) भारत में पिछले दस वर्षों में ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में 0-4 वर्षों के बच्चों की प्रति हजार आबादी पर 0 से 4 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों की मौतों के बारे में शिशु मृत्यु-दर के अनुमान नमूना पंजीयन पद्धति पर आधारित हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इससे पता चलता है कि ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में शिशु मृत्यु-दर में कमी आ रही है।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अन्तर्गत राष्ट्रीय पोषण मानिटरिंग ब्यूरो द्वारा 1982 में किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार बच्चों (1-5 वर्ष) में कुपोषण की प्रतिशतता इस प्रकार है :—

1.	तीव्र कुपोषण	6.1 प्रतिशत
2.	साधारण कुपोषण	34.8 प्रतिशत

(ग) और (घ) माताओं और बच्चों के पोषण स्तर को उठाने के लिए अनेक योजनाएं आरम्भ की गई हैं जैसे पोषण की कमी से होने वाली अरक्तता की रोकथाम, विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाली दृष्टिहीनता से रोकथाम, स्वीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम, पोषण शिक्षा आदि।

विवरण

शिशु-मृत्यु-दर (0-4)—भारत

वर्ष	ग्रामीण	शहरी	संयुक्त
1	2	3	4
1973	56.8	31.4	52.3
1974	54.8	27.3	50.0

1	2	3	4
1975	60.3	31.7	55.0
1976	55.2	29.7	51.0
1977	56.1	27.1	50.9
1978	53.2	26.3	48.3
1979	50.6	[1.9	45.7
1980	46.1	22.2	41.8
1981	45.5	20.4	41.2
1982	45.9	20.9	39.1

[हिन्दी]

नवयुग स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा

2764. **श्री गंगा राम** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे नवयुग स्कूलों में उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 15,000 रुपए से कम है और क्या यह सीमा कुछ वर्ष पहले निर्धारित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आगामी शैक्षिक सत्र से माता-पिता की वार्षिक आय की निर्धारित सीमा बढ़ाकर कम से कम 20,000 रुपए करने का है, ताकि निम्न आय वर्ग के लोगों को राहत मिल सके; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा यह सूचित किया गया है कि नवयुग स्कूल के छात्रों के माता-पिता की आय पर ध्यान दिये बिना उनसे कोई भी शिक्षा-शुल्क नहीं लिया जाता है। वर्ष 1982-83 से जूनियर नवयुग स्कूल/सीनियर नवयुग स्कूल के लिए निर्धारित सीमा के अनुसार जिन छात्रों के माता-पिता की वार्षिक आय 15,000 रुपये से अधिक है, उनको अन्य सुविधाओं जैसे कि पुस्तकों, लेखन सामग्री, वर्दी, जलपान इत्यादि के लिए भुगतान करना पड़ता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्याम में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

2765. श्री अमर राय प्रधान : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में देश में राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का एक संकल्प मंजूर करने के लिए, जिसमें बच्चों और प्रौढ़ों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, स्तर में सुधार, शिक्षा का व्यवसायीकरण और राष्ट्रीय एकता का संवर्धन शामिल होगा, शिक्षा मंत्रियों का दो दिन का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री इससे सहमत नहीं थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) नई शिक्षा नीति तैयार करने से पहले राष्ट्रीय स्तर पर वाद-विवाद के एक भाग के रूप में शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "शिक्षा की चुनौती—एक नीतिप रिप्रेक्ष्य" दस्तावेज पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श आरम्भ करने के लिए 29-30 अगस्त, 1985 को राज्य शिक्षा मंत्रियों का दो दिन का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।

2. सम्मेलन ने एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की ओर अग्रसर होने के महत्व का समर्थन किया, जिसमें बच्चों और प्रौढ़ों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, स्तरों में सुधार, शिक्षा का व्यावसायीकरण और शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का संवर्धन शामिल होगा। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सरकार के शिक्षा मंत्रियों को छोड़कर पठन-पाठन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में पर्यावरण के साथ नए सह सम्बन्ध और विषय-वस्तु के बारे में उच्च डिग्री के लचीलेपन वाले समग्र ढांचे के अन्तर्गत एक सामान्य कोर पाठ्यचर्या तैयार तथा लागू करने के विचार का सभी मंत्रियों ने स्वागत किया। उन्होंने यह महसूस किया कि यह कुछेक राष्ट्रीय अध्ययन मानदंड स्थापित करने, गतिशीलता का संवर्धन करने और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के भाग के रूप में राष्ट्रीय दृष्टि से साझे प्रत्यक्ष ज्ञान और मूल्य प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन होगा।

3. तथापि, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के शिक्षा मंत्रियों की यह राय थी कि ऐसे देश में जहां अनेक भाषाएं, संस्कृतियां और क्षेत्रीय विषमताएं हों, राज्य, शिक्षा प्रणाली को अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप विकसित करने की बेहतर स्थिति में होते हैं।

उड़ीसा में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

2766. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब आरम्भ किया गया था;

(ख) इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए अब तक कितने कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं;

(ग) कमान क्षेत्र में इन प्राधिकरणों द्वारा विचार किए गए विभिन्न कार्यक्रम कौन-कौन से हैं;

(घ) छठी योजना में कमान क्षेत्र विकास पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ङ) उपर्युक्त योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित धनराशियों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) 1974-75 ।

(ख) चार कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किए गए हैं ।

(ग) इन प्राधिकरणों द्वारा आरम्भ किए गए कार्यकलापों में, स्थलाकृति सर्वेक्षण, मृदा सर्वेक्षण, चकबन्दी, खेत-चैनलों तथा खेत नालियों का निर्माण, भू-अकारण वाराबन्दी लागू करना, अनुकूलन परीक्षण, बहु सफल प्रदर्शन तथा कृषक प्रशिक्षण शामिल हैं । कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरणों ने मत्स्यपालन विकास तथा डेरी, मुर्गीपालन और सुअर पालन कार्य-कलाप जैसे सम्बद्ध कृषि कार्य-कलापों को भी प्रोत्साहित किया है ।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार ने छठी योजना के दौरान कमान क्षेत्र विकास पर राज्य सेक्टर से 737.51 लाख रुपए खर्च किए हैं । इसके अतिरिक्त, छठी योजना के दौरान 956.88 लाख रुपए की कुल राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य सरकार को रिलीज की गई है जिसमें से 477.97 लाख रुपए अनुदान के रूप में तथा 478.91 लाख रुपए ऋण के रूप में रिलीज किए गए हैं ।

सेंसर बोर्ड को प्रस्तुत की गई फिल्में

2767. श्री एन० डेनिस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान आज तक सेंसर बोर्ड को विभिन्न भाषाओं की कितनी फिल्में प्रस्तुत की गईं;

(ख) उनमें से भाषा-वार कितनी फिल्में प्रदर्शन के लिए मंजूर/नामंजूर की गईं; और

(ग) इन फिल्मों में से प्रत्येक भाषा की कितनी फिल्में प्रदर्शित की गई; और कितनी प्रदर्शित की जानी हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जनवरी से सितम्बर, 1985 के दौरान, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड को कुल 725 भारतीय फीचर फिल्में प्रस्तुत की गईं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड का सम्बन्ध केवल फिल्मों के प्रमाणीकरण से है, अत: कितनी फिल्में प्रदर्शित हुई और कितनी प्रदर्शित होनी हैं, इसके सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

स्वीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम चलाने के लिए राजस्थान में चुने गए विकास खंड

2768. श्री राम सिंह यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1985 के मध्य तक देश के 1,000 विकास खंडों में एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम चलाये जाने तथा सक्रिय होने की संभावना थी;

(ख) क्या इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) राजस्थान राज्य में सितम्बर, 1985 तक इस कार्यक्रम को चलाने के लिए कितने विकास खंडों को चुना गया है और उनकी प्रगति क्या है ?

युवक कार्य तथा खेलकूद और महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) और (ख) 1984-85 तक 1,000 समेकित बाल विकास सेवा (आई० सी० डी० एस०) परियोजनाओं के लक्ष्य की तुलना में 1019 केन्द्रीय प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं जो निम्न प्रकार है :

1981-82		300
1982-83		320
1983-84		202
1984-85		197
	जोड़	1019

एक परियोजना के चलाने में लगभग 18—24 महीने लगते हैं। तदानुसार 1983-84 तक

स्वीकृत 822 परियोजनाएं, 1985 के अन्त तक चलाए जाने की संभावना है। जून 1985 तक 964 परियोजनाओं की रिपोर्ट प्राप्त हो गई थीं और उनमें से 822 परियोजनाएं चलाई गई थीं।

इसके अतिरिक्त छठी योजना के अन्त तक राज्य क्षेत्र में 117 समेकित बाल विकास सेवा परियोरना शुरू की गई थीं। उनमें से 116 परियोजनाओं ने जून 1985 में कार्य करना शुरू कर दिया था।

(ग) 1984-85 तक राजस्थान में 45 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी। उनमें से 38 परियोजनाएं सितम्बर, 1985 में परिचालित थीं। 1985-86 के लिए राजस्थान में 10 और परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

फ्रांस और अमरीका में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन

2769. श्री उत्तम राठौड़ : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत महोत्सव के अन्तर्गत फ्रांस तथा अमरीका में दर्शकों को अब तक दिखाए गए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) जैसा कि संचार व्यवस्था और लोगों की प्रक्रिया के मूल्यांकन के आधार पर फ्रांस और अमरीका में आयोजित भारतोत्सव एक प्रभावशाली सांस्कृतिक समारोह हाल के वर्षों में अभूतपूर्व रहा है और भारत को इसकी समृद्ध विरासत के साथ एक प्रगतिशील और आत्मनिर्भर देश के रूप में दर्शाने में सफल हुआ है।

पब्लिक स्कूलों और सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर

2770. श्री बी० एस० विजयराघवन : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैर-सरकारी प्रबन्धकों द्वारा चलाए जा रहे पब्लिक स्कूलों और सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों के स्तरों में काफी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्तरों में एकरूपता लाने के लिए कभी कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) यद्यपि शिक्षा के स्तरों को सही रूप से मापा नहीं जा सकता लेकिन सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि देश में स्कूलों की कुल संख्या की तुलना में शिक्षा के उच्च स्तर वाले स्कूलों की संख्या कम है। कई सरकारी स्कूल भी हैं जहां शिक्षा का उच्च स्तर है। उन पब्लिक स्कूलों की संख्या अर्थात जो पब्लिक स्कूल कांफ्रेंस के सदस्य हैं, 57 हैं और इसमें दोनों प्राइवेट तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। चूंकि पब्लिक स्कूलों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधनों के रास्ते हैं, अत: उनके पास अपेक्षित अधिकांश सुविधाएं हैं और परिणामस्वरूप सामान्यतया शिक्षा का स्तर ऊंचा है। दूसरी ओर ज्यादातर सरकारी स्कूलों में सुविधाओं का पर्याप्त रूप से अभाव होता है जिससे शिक्षा के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ख) और (ग) कई वर्षों से सरकार, शिक्षक सक्षमताओं को स्तरोन्नत करने पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों में सुधार करने तथा स्कूलों में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता के प्रति सचेत रही है। तथापि, इस पद्धति का विस्तार इतनी तेज गति से हो रहा है कि कोटि सुधार की तुलना में विस्तार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपलब्ध अधिकांश संसाधनों का उपयोग किया गया है।

यद्यपि, देश के स्कूलों को संसाधनों की कुल आवश्यकता बहुत अधिक है और ये तत्काल उपलब्ध नहीं हो सके, अत: स्कूलों में न्यूनतम स्तर की सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा शिक्षक सक्षमताओं को स्तरोन्नत करने पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है। आशा की जाती है कि इन उपायों से आगामी वर्षों में स्कूलों में शिक्षा के स्तरों में सुधार होगा।

[हिन्दी]

संस्कृत के अध्ययन में रत संस्थान

2771. **श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से संस्थान संस्कृत के संवर्धन में संलग्न हैं;

(ख) संस्कृत के अध्ययन, अनुसंधान और ज्ञान के प्रसार के प्रति अरुचि को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में उसके लिए क्या वित्तीय आवंटन किए गए हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) भारत सरकार ने संस्कृत की प्रोन्नति के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नई दिल्ली में एक स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना की है। संस्थान के प्रशासनिक तथा शैक्षिक नियंत्रण में जम्मू, दिल्ली, इलाहाबाद, पुरी, तिरुपति, गुरुवायूर तथा जयपुर स्थित सात

केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान सहित ये विद्यापीठ शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा प्रकाशन कार्यकलापों का कार्य करते हैं जिससे संस्कृत की प्रोन्नति में सहायता मिलती है।

मंत्रालय पूरे भारत में लगभग 650 संस्कृत के संस्थानों को भी अनुदान देता है जो संस्कृत की प्रोन्नति के कार्य में लगे हुए हैं। संस्कृत के अध्यापकों की नियुक्ति छात्रों को छात्रवृत्तियां, पुस्तकालयों पुस्तकों आदि की खरीद के लिए अनुदान दिया जाता है। आदर्श संस्कृत पाठशाला/शोध संस्थानों की योजना के अन्तर्गत मंत्रालय 13 संस्थाओं को अनुमोदित आवर्ती व्यय के 95% तथा गैर-आवर्ती व्यय के 75% तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। इन संस्थाओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) मन्त्रालय ने संस्कृत के अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा संस्कृत के ज्ञान के प्रसार के साथ-साथ संस्कृत के अध्ययन को लोक प्रिय बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

(क) स्वैच्छिक संगठनों/संस्थानों को अनुदान देना जो संस्कृत की प्रोन्नति के कार्य में लगी है;

(ख) संस्कृत संस्थाओं को निःशुल्क वितरण के लिए संस्कृत पुस्तकों की खरीद सहित संस्कृत साहित्य का प्रकाशन;

(ग) पूर्व-मैट्रिक अध्ययन तथा पारम्परिक प्रकार के संस्कृत अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करना;

(घ) प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय संस्कृत वक्तृता प्रतियोगिता तथा अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन आयोजित करना;

(ङ) अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे संस्कृत के पुराने तथा विख्यात पंडितों को वित्तीय सहायता;

(च) विज्ञान गणित तथा सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों के शिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करके संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण;

(छ) संस्कृत का शिक्षण प्रदान करने वाले उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(ज) शास्त्रों के गहन अध्ययन के लिए संस्कृत के विख्यात अध्येताओं की सेवाओं का उपयोग करना;

(झ) विख्यात संस्कृत अध्येताओं को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मान प्रमाण पत्र प्रदान करना; और

(ख) संस्कृत पाठशालाओं के उत्तीर्ण छात्रों के लिए विशेष अनुस्थापन पाठ्यक्रमों को आयोजित करने के लिए पंजीकृत शैक्षिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(ग) सातवीं पंच-वर्षीय योजनाओं के लिए, योजना आयोग ने संस्कृत के विकास, प्रोन्नति तथा प्रसार के लिए 10.75 करोड़ रु० का परिव्यय अनुमोदित किया है।

विवरण

आदर्श संस्कृत पाठशालाओं की सूची

1. श्री रंग लक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, वृन्दावन।
2. जगदीश नारायण ब्रह्मचारी आश्रम संस्कृत महाविद्यालय, लग्मा, वाया लोहना रोड, रामभद्रपुर, जिला दरभंगा (बिहार)।
3. भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय, डाकघर : गुरुकुल कांगड़ी (हरिद्वार)।
4. दीवान कृष्ण किशोर, एस० डी० संस्कृत कालेज, अम्बाला कैन्ट (हरियाणा)।
5. मद्रास संस्कृत कालेज एंड एस० एस० वी० पाठशाला, 84, रायपेटा हाई रोड, माइलापोर मद्रास।
6. एकसारान संस्कृत महाविद्यालय, मैनपुरी (उ० प्र०)।
7. मुम्बादेवी संस्कृत महाविद्यालय, मार्फत भारतीय विद्या भवन, के० एम० मुंशी मार्ग बम्बई-7।
8. हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ, भागोला, जिला फरीदाबाद (हरियाणा)
9. कुप्पुस्वामी शास्त्री अनुसंधान संस्थान, 84 रोयापेट हाई रोड, माइलापोर-मद्रास, तमिलनाडु।
10. कालीकट आदर्श संस्कृत विद्यापीठ, बालासरी, जिला कालीकट (केरल)।
11. वैदिक संशोधन मंडल, तिलक विद्यापीठ नगर, पूना-9 (महाराष्ट्र)।
12. श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती न्याय शास्त्र संस्कृत महाविद्यालय, मार्फत श्री शंकराचार्य स्वामी मठ न० 1, सलाई स्ट्रीट, कांचीपुरम-631502 (टी० एन०)।
13. लक्ष्मी देवी सराफ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, काली रेखा, ग्राम तथा डाकघर देवघर-814112 (बिहार)

[अनुवाद]

शिक्षा को गांवों तक ले जाने की आवश्यकता

2772. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन की प्रशिक्षण कार्यशाला में मन्त्री जी ने शिक्षा को गांवों तक ले जाने की आवश्यकता पर बल दिया था;

(ख) यदि हां, तो इस समय कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं और वे कितनी प्रभावी हैं;

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई नई योजना चालू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) सातवीं योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उनके लिए कितना धन आवंटित किया गया है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) यूनेस्को मानव संसाधन विकास मन्त्रालय औरप्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा 23-10-1985 से 4-11-1985 तक संयुक्त रूप से आयोजित साक्षरता में प्रादेशिक प्रशिक्षण कार्यशाला में अपने उद्घाटन भाषण में मानव संसाधन विकास मन्त्री ने ग्रामों में उपलब्ध परिस्थितियों के आधार पर सूक्ष्म योजना की आवश्यकता पर बल दिया है।

(ख) और (ग) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम निम्नलिखित योजनाओं के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है :—

(i) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं की केन्द्रीय प्रायोजित योजना;

(ii) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए सहायता की केन्द्रीय योजना;

(iii) राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की राज्य सेक्टर योजना;

(iv) विश्वविद्यालयों, कालेजों द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम; और

(v) श्रमिक विद्यापीठों के जरिए प्रौढ़ शिक्षा।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का लगभग 95 प्रतिशत भाग उन ग्रामीण लोगों के लिए ही है जो गांवों में रह रहे हैं।

(घ) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में वर्ष 1990 तक 15—35 आयु वर्ग के लगभग 11 करोड़ निरक्षर लोगों की निरक्षरता को दूर करने की परिकल्पना की गई है। छठी योजना की अवधि में लगभग 2.3 करोड़ नवसाक्षरों को नामांकित किया गया है और बाकी निरक्षरों को 7वीं योजना की अवधि में नामांकित किया जाना है। यह कार्यक्रम मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है और इसमें महिलाओं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों का शामिल करने को प्राथमिकता दी जाती है। सातवीं योजना के लिए आवंटन को अन्तिम रूप की प्रक्रिया में है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में नए इंजीनियरी कालेज

2773. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में कोई नया इंजीनियरी कालेज खोलने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने उसके स्थान के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ग) क्या उनमें से एक कालेज केरल में आर्थिक रूप से पिछड़े परन्तु शैक्षिक रूप से विकसित कन्नानूर जिले में स्थापित किया जाएगा ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) से (ग) संबंधित राज्यों की योजनाओं के अन्तर्गत नए इंजीनियरी कालेज खोले जाते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल सरकार का पांच इंजीनियरी कालेज खोलने का प्रस्ताव है। एलवेय, कोट्टायम तथा कन्नानूर में तीन इंजीनियरी कालेजों की स्थापना के प्रस्ताव केरल सरकार से प्राप्त हो चुके हैं और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं।

बाढ़ की रोकथाम के लिए विदेशों से सहायता

2774. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ों से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए सोवियत संघ अथवा किसी अन्य ऐसे देश से सहायता मांगी है, जो बाढ़ों की रोकथाम में सफल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) डेनिश जल विद्युत संस्थान की सहायता से केन्द्रीय जल आयोग द्वारा एक सहयोगी परियोजना निष्पादित की जा रही है। जिसमें

दामोदर नदी प्रणाली के संबंध में बाढ़ पूर्वानुमान तथा बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, बाढ़ों के बार-बार आने से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों पर काबू पाने की दृष्टि से विशेषज्ञों तथा अनुभवों के परस्पर आदान-प्रदान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन जैसे कई देशों के साथ, जहां ऐसी ही समस्याएं हैं, जल संसाधन मंत्रालय ने वैज्ञानिक तथा आर्थिक सहयोग के कार्यक्रम तैयार किए हैं। यमुना नदी के लिए बाढ़-पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित करने के लिए यू० एन० डी० पी० भी केन्द्रीय जल आयोग को सहायता प्रदान कर रहा है।

इस्पात की पटरियों का आयात

2775. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रेलवे ने नवीकरण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ मात्रा में इस्पात की पटरियों का आयात करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) हर वर्ष 75 पौंड और 60 पौंड की पटरियों का, जो देश में अब नहीं बनाई जाती है, आयात किया जाता है। इसके अतिरिक्त 60 कि० ग्राम० और 52 कि० ग्रा० की पटरियों का केवल इतनी मात्रा में आयात करना पड़ता है जितनी कि हमारी 4 लाख टन से अधिक की वार्षिक जरूरत की तुलना में एस० ए० आई० एल० द्वारा की जाने वाली सप्लाई कम होती है।

सभी बड़ी और मध्यम वर्ग की सिंचाई योजनाओं पर प्रतिबन्ध

2776. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चल रही परियोजनाओं के पूरा होने तक सभी नई बड़ी और मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजनाओं पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ख) क्या विलम्ब और लागत में वृद्धि को रोकने के लिए सीमेंट जैसी आवश्यक सामग्रियों को सप्लाई कश सिंचाई योजनाओं के साथ सम्बद्ध किया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना की नीति इन सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करना है, जो पूरा होने की उन्नत अवस्था में हैं तथा सातवीं योजना में लाभ देने में समर्थ हैं। नई परियोजनाएं, जो सूखा-प्रवण इलाकों तथा आदिवासी और पिछड़े इलाकों में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई स्कीमों तक ही सीमित रहेंगी।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग सिंचाई परियोजनाओं के लिए सीमेंट तथा इस्पात जैसी दुर्लभ निर्माण सामग्री की आपूर्ति को समन्वित करता है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता

2777. श्री मुरलीधर माने : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या इस समस्या का सामना करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के प्रशासकों को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो विश्वविद्यालय के प्रशासकों को दिए गए इन अधिकारों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में समय-समय पर अनुशासनहीनता और आंदोलन की घटनाएं होती रही हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण का पुनरीक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति ने यह सिफारिश की है कि छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों को समय पर दूर करने के लिए प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में पर्याप्त तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा अनुशासन के नियम बनाये जाने चाहिए और इन नियमों का पालन करने के लिए छात्रों से आश्वासन लिया जाना चाहिए। कुछेक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों और संविधियों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुशासन लागू करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। अधिकांश मामलों में अनुशासन लागू करने का अधिकार कुलपति में निहित होता है।

महाराष्ट्र में शुरू की गई मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएं

2778. श्री मुरलीधर माने : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्यम श्रेणी की कितनी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गईं;

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इनके पूरा होने पर कुल कितना क्षेत्र इनके अंतर्गत लाया गया;

(ग) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में छठी योजना के दौरान शुरू की गई मध्यम श्रेणी की कुछ परियोजनाएं अब तक पूरी नहीं हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) छठी योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र में 44 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वित की गई थीं तथा सृजित की गई कुल सिंचाई क्षमता निम्नवत् है :

(000 हैक्टेयर में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	सृजित क्षमता
1	2	3
1.	दिनन्दी	11.36
2.	अधाला	5.09
3.	कन्होली	4.24
4.	केलजार	3.54
5.	अनेर	7.18
6.	सुकी	5.69
7.	बोरी	5.96
8.	घाटशिल	2.13
9.	पानगांव (हिंगनी)	6.75
10.	केसरनाला	0.79
11.	चन्द्रभोगा	2.00
12.	चुलबन्ध	4.04
13.	चारगांव	2.12
14	मसोली	3.75
15.	तवारजा	4.04
16.	तकलीभा	1.17

1	2	3
17.	मंडोहल	2.61
18.	सिद्धेवाडी	1.11
19.	बासप्पावाडी	0.86
20.	पलथाग	2.41
21.	मांडवे	1.23
22.	सोनल	3.16
23.	शेखादारी	1.34
24.	उमा	2.24
25.	सखलीनाला	1.46
26.	देवगांव तालाब	1.64
27.	मकरधोकरा	3.37
28.	मोरधम नाला	1.32
29.	रेंगेपार	1.20
30.	बोठेकर बोथाली	1.31
31.	चदईनाला	3.61
32.	अंबादी	2.15
33.	लहूकी	1.09
34.	अजन्ता अंधारी	1.31
35.	सरस्वती	1.23
36.	बोर्नी	1.45
37.	पेथवादाज	2.07
38.	महालिंगी	0.79
39.	बाटेफल	1.02
40.	नागजारी	1.26

1	2	3
41.	शाहजानी औराद	1.27
42.	बहाती	1.76
43.	तुरोरी	1.02
44.	गिरटसाल	2.14

(ग) और (घ) 86 मध्यम स्कीमों को 7वीं योजना में ले जाया गया है। इनमें 60 छठी योजना पूर्व आगे ले जाई गई स्कीमें हैं तथा शेष 26 नई स्कीमें हैं जो छठी योजना में हाथ में ली गई हैं।

वापी उपरि पुल का निर्माण

2779. श्री यू० एच० पटेल : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में पश्चिम रेलवे पर वापी उपरि पुल के निर्माण के लिए बुलसर तथा वापी से विभिन्न संगठनों और सांसदों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) उक्त उपरि पुल का कब तक निर्माण होने और जनता के लिए खुलने की सम्भावना है; और

(घ) उनकी क्या योजनाएं, परियोजनाएं और अनुमान हैं ?

रेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) और (ख) जी, हां। अभ्यावेदन वापी में समपार संख्या 80 के बदले ऊपरी सड़क पुल के निर्माण करने के संबंध में थे।

(ग) और (घ) कार्य को शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकार को घनी आबादी वाले क्षेत्र में भूमि के अधिग्रहण की समस्या के कारण पहुंच मार्गों के निर्माण की योजना बनाने में कठिनाइयां थीं। गुजरात सरकार द्वारा पहुंच मार्गों के लिए योजनाओं और अनुमानों को अन्तिम रूप दिये जाने तथा प्रस्ताव को पुन: प्रायोजित करने, जिसे अभी प्रायोजित किया जाना है, के पश्चात रेलें इस प्रस्ताव पर विचार कर सकती हैं।

शिशुओं की मृत्यु और इसके कारण

2780. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 और 1984 के दौरान में क्रमश: कितने शिशुओं और बच्चों (5 वर्ष से कम आयु के बच्चे) के मरने की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) इनकी मृत्यु के क्या कारण हैं; और

(ग) इनमें से कितने प्रतिशत मृत्यु अतिसार के कारण हुई हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 1983 और 1984 के शिशु और बच्चों की मृत्यु के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार 1982 के नवीनतम उपलब्ध अनुमान इस प्रकार हैं :—

	संख्या (लाखों में)
शिशु मृत्यु	24.43
बच्चों की मृत्यु (1-4 वर्ष)	11.08

(ख) और (ग) इस समय देश में शिशु और बच्चों की मृत्यु के प्रमुख कारण असामयिक जन्म, श्वसन प्रणाली के विकार, अतिसार, टेटनस, कुपोषण और बुखार हैं।

अतिसार के कारण होने वाली मौतों के सही अनुमानों की प्रतिशतता उपलब्ध नहीं हैं।

एथिको फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बिहार में आई० एन० एच०, युक्त रेफाम्पिसीन और आई० एन० एच० पाइराजिनामाइड की बिक्री

2781. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के औषध नियन्त्रक ने कुछ वर्ष पहले औषधों के असंगत संयोजन पर प्रतिबन्ध लगा दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार में एथिको फार्मास्यूटिकल्स द्वारा मोन्टोलेक्स व्यापार चिन्ह के अधीन आई०एन०एच० युक्त रेफाम्पिसीन और आई० एन० एच० युक्त पाइराजिनामाइड जैसे बहुत सारे संयोजनों की बिक्री हो रही है;

(ग) क्या मैसर्स लुपीन लैबरेटरीज, महाराष्ट्र में व्यापार चिन्ह "काम्बिनेक्स 800" के अधीन "ऐथेम्बुटोल" और आइसोनियाजाइड संयोजन बेच रहा है;

(घ) क्या इन संयोजनों का वैज्ञानिक परीक्षण कर लिया गया है;

(ङ) क्या बिक्री से पहले, उन्हें व्यापारिक स्वीकृति दी गई थी और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उन्हें बाजार में बेचने पर प्रतिबन्ध लगाने का है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) रिफेम्पिसिन प्लस आई०एन०एच० के निश्चित खुराक संयोजन को देश में बेचने की अनुमति है। अन्य दो संयोजनों के बारे में राज्य औषध नियन्त्रण प्राधिकारियों, जो लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी हैं, से सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

दहेज के कारण होने वाली मौतें और दहेज विरोधी कानन में संशोधन

2782. **श्री एस० एम० भट्टम :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में दहेज के कारण अनेक मौतें हो रही हैं;

(ख) क्या सरकार इस प्रकार की घटनाओं का प्रभावकारी तरीके से रोकने के लिए दहेज-विरोधी कानून में कोई संशोधन लाने के बारे में विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो संशोधनों का स्वरूप क्या होगा ; और

(घ) क्या दहेज शब्द को फिर से परिभाषित किया जाएगा और उसके लिए दिये जाने वाले दण्ड में वृद्धि करने का विचार है ?

युवक कार्य तथा खेल-कूद और महिला कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) से (ग) दहेज निषेध (संशोधन) अधिनियम, 1984 जो 2 अक्तूबर, 1985 को लागू किया गया था, में अन्य बातों के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को और अधिक कठोर एवं कारगर बनाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दहेज विरोधी विधान के भाग के रूप में अब संशोधन किया गया है ताकि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड को और अधिक कठोर एवं कारगर बनाया जा सके तथा पत्नी पर पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा अत्याचार करने पर उन्हें दंड दिया जा सके। निर्दोष सिद्ध किये जाने की जिम्मेदारी इस तरह के अपराध करने वालों की अपनी होगी।

(घ) संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत दहेज की परिभाषा में संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त विवाह के अवसर पर दुल्हा या दुल्हन को दिए गए उपहारों की सूची का संरक्षण करना अपेक्षित है। उपहारों की अपेक्षित सूची न बनाना या सूची में किसी उपहार (उपहारों) को दर्ज न करने का अभिप्राय अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत यह माना जायेगा कि "दहेज" सूची में सभी

उपहार दर्ज नहीं किये गए और दहेज देने या लेने वाले को दहेज लेने या देने के लिए सजा दी जा सकती है। जहां तक संशोधित दहेज निषेध अधिनियम के अन्तर्गत दंड बढ़ाने का संबंध है, दहेज लेने या देने के लिए दंड बढ़ा दिया गया है और यह दण्ड 6 मास से दो वर्ष तक कारावास और मूल अधिनियम में रखे जुर्माने की 500/- रुपए की राशि को बढ़ाकर 10,000/- रुपए तक हो सकता है।

बंसबाड़ा (राजस्थान) में मंदिरों आदि की दशा

2783. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अक्तूबर, 1985 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "नेगलैक्ट्स टैम्पल्स आफ बंसबाड़ा इन राजस्थान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या बांसबाड़ा और डूंगरपुर (राजस्थान) के जिलों में विभिन्न मन्दिर, मूर्तियां और वास्तुकलात्मक सुन्दरता की अन्य वस्तुएं उपेक्षित दशा में हैं और उनमें से कुछ गायब हैं;

(ग) क्या उक्त क्षेत्रों में ऐसे बहुत से स्थल हैं जिनमें विशाल वास्तुकलात्मक खजाना है; वहां उनकी तत्काल खुदाई की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) बंसबाड़ा के मंदिरों के संबंध में प्रकाशित समाचार की सरकार को जानकारी है।

(ख) बंसवाड़ा जिले में अर्थुना स्थित शिव मंदिर और प्राचीन अवशेष और विठल देव स्थित प्राचीन अवशेष डूंगरपुर जिले में बडौदा स्थित जैन मंदिर शिलालेख और देव सोमनाथ स्थित सोमनाथ मंदिर केन्द्रीय परिरक्षण के अन्तर्गत हैं।

अर्थुना में अबद्ध वास्तुशिल्पीय इकाइयों और मूर्तियों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कि मूर्ति शेड में रखा गया है। मंदिर और मूर्तियों की देखभाल करने के लिए स्थल पर आवश्यक पहरा और निगरानी स्टाफ तैनात किया गया है।

अर्थुना स्थित शिव मंदिर की संरचनात्मक मरम्मत पूरी हो गई है जबकि इसके परिसर के भीतर वाले सूर्यकुण्ड और सोमनाथ मंदिर की मरम्मत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू की जा रही है।

संरक्षित स्मारकों से किसी पुरावशेष/मूर्ति के गायब होने की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) भारत के कुछ अन्य भागों की तरह इस क्षेत्र में पुरातत्वीय रूप से समृद्ध अनेक स्थल हैं। विभिन्न स्थलों की खुदाई के कार्य एक चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार शुरू किए गए हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम, नाफेड आदि को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत न लाया जाना

2784. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम, नाफेड आदि जैसी सरकारी खाद्य एजेंसियों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं लाया गया है;

(ख) क्या इस अधिनियम के कार्यान्वित न होने में यह एक अड़चन है; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजकोट, भावनगर, अहमदाबाद और बड़ौदा में रेलवे की भूमि पर बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण

2785. **श्री यू० एच० पटेल :** क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में जामनगर जिले के (गुजरात-सौराष्ट्र) राजकोट डिवीजन में खम्भालिया रेलवे स्टेशन के सामने रेलवे भूमि के कितने क्षेत्र पर अब तक अतिक्रमण किया गया है तथा अतिक्रमण करने वालों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है; और

(ख) गुजरात में भावनगर, राजकोट, अहमदाबाद और बड़ोदा में वर्ष 1981 से 1985 तक अतिक्रमण के ऐसे कितने मामले रेलवे की जानकारी में लाये गए और भविष्य में ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) खम्भालिया रेलवे स्टेशन पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा रेलवे भूमि पर 24 अतिक्रमण किए गए थे। रेलवे ने दो अतिक्रमण हटा दिए हैं तथा शेष अतिक्रमणों को हटाने के लिए सरकारी स्थान (अनाधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अधीन कार्रवाई की गई है। अतिक्रमणकर्ताओं के नाम तथा उनके द्वारा अधिक्रमण की गई भूमि का क्षेत्र संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) गुजरात में 1981 से 1985 (31-3-85 तक) तक रेलवे के नोटिस में लाये गए ऐसे अतिक्रमणों के मामलों की संख्या इस प्रकार है :

भाव नगर मंडल = 8

राजकोट मंडल = 164 (दो अतिक्रमण हटा दिए गए हैं।
162 मामले शेष हैं।

अहमदाबाद-बड़ोदरा मंडल = 6

सरकारी स्थान बेदखली अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई करके इस प्रकार की अवैध गतिविधियों की रोकथाम करने तथा सम्पदा अधिकारियों के पास मामले दायर करके अतिक्रमणों को हटाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

विवरण

खम्मालिया रेलवे स्टेशन पर अतिक्रमण की गई रेलवे भूमि का क्षेत्र तथा अतिक्रमणकर्ताओं के नाम

		क्षेत्र वर्ग मीटर में
1.	श्री नत्था कारा	800
2.	श्री केशव देना	819
3.	श्री मंजी भाई सरवारा	12.20
4.	श्री अजीत भाई नानूभाई	14
5.	श्री गोपाल भाई एन०	867.30
6	श्री चुंगी चौकी (पंचायत)	184.50
7.	श्री बाबू भाई (चाय स्टाल)	61.50
8.	श्री करसेन एन०	426.30
9.	श्री श्रीमती केशरबाई तलबार	411.84
10.	श्री जूढ़ाभाई एस०	280.80
11.	श्री विश्राम पी० जोशी	696.78
12.	श्री नान जी भाई	1390.62

		क्षेत्र वर्ग मीटर में
13.	श्री धर्मशी बेचर	17.76
14.	श्री अशोक आयल मिल	2613.50
15.	श्री केशव जी मूल जी	2640.00
16.	श्री शिवजी अर्जुन	2640.00
17.	श्री शिवजी अर्जुन	2208.76
18.	श्री धाना जीव	553.20
19.	श्री लाला जीवा	331.92
20.	श्री सदा जावा	819.00
21.	श्री सदा जीवा	282.00
22.	श्री धामजी जीवा	320.00
	जोड़ :	8501.08

[अनुवाद]

विवादास्पद गर्भ निरोधक "डालकोन शील्ड"

2786. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चिकित्सक समुदाय का यह व्यापक विश्वास है कि विवादास्पद डालकोन शील्ड गर्भाशयान्तर्गत गर्भनिरोधक उपाय केवल पश्चिम दशों तक ही सीमित है और भारतीय महिलाएं इसके प्रतिकूल प्रभाव से बची हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) "डालकोन शील्ड" एक औषध रहित अन्तर्गभाशय गर्भ निरोधक उपाय है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार ने इस तरीके को स्वीकृत नहीं किया है।

कलकत्ता और हावड़ा में कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा प्रबंधित सड़कों की मरम्मत

2787. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और हावड़ा में कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा प्रबंधित सड़कें टूटी-फूटी हालत में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन सड़कों की मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल): (क) और (ख) कलकत्ता और हावड़ा की तरफ लगभग 40 सड़कें हैं जिनका निर्माण कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किया गया था और काफी लम्बे समय से उनका रख-रखाव भी पोर्ट ट्रस्ट ही कर रहा है। लम्बे समय तक असामान्य वर्षा और जनता द्वारा काफी उपयोग में लाये जाने के कारण इनमें से कुछ सड़कों में मरम्मत की जरूरत है।

(ग) मौसम साफ होने से कलकत्ता पोर्ट की मौजूदा वित्तीय दशा के अनुरूप सड़कों की मरम्मत का काम शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है। पोर्ट ट्रस्ट ने मार्च, 1985 में लगभग 70 लाख रुपये की लागत से सड़क मरम्मत करने की एक व्यापक स्कीम शुरू की थी। इस कार्य के मार्च, 1886 तक पूरा होने की आशा है।

देश में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

2788. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार संख्या दर्शाते हुए देश में कार्य कर रहे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) उपर्युक्त मामलों में आवंटित धनराशि तथा वास्तविक व्यय की गई राशियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना की सही उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए क्या नियन्त्रण लगाये जाते हैं ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान संचालित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की राज्य वार संख्या और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में हुए खर्च को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) कार्यक्रम की उपयुक्त उपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :

(i) अनुश्रवण का एक अन्तरनिर्मित तंत्र है, जिसमें कार्यान्वयन एजेंसियों से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त की जाती हैं :

(ii) सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त बाहरी एजेंसियों से कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है और रिपोर्टों के माध्यम से उपलब्ध पुनर्निवेशन के आधार पर सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(iii) स्वैच्छिक एजेंसियों को अनुदान संस्वीकृत करने से सम्बन्धित प्रक्रिया को निधियों की उचित उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए सरल बना दिया गया है।

(iv) केन्द्रीय सरकार के अधिकारी और राज्य सरकार के अधिकारी क्षेत्र के दौरों के माध्यम से कार्यक्रम के कार्यान्वयन का निरीक्षण करते हैं।

विवरण

(रुपए लाखों में)

		1982-83		1983-84		1984-85	
क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चल रहे केन्द्रों की संख्या	खर्च की गई राशि	चल रहे केन्द्रों की संख्या	खर्च की गई राशि	चल रहे केन्द्रों की संख्या	खर्च की गई राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	9158	119.75	9152	130.72	9659	258.86
2.	असम	2448	51.34	5824	78.02	8152	145.85
3.	बिहार	24122	135.24	18844	190.30	45226	241.67
4.	गुजरात	6667	72.48	6209	164.18	11487	194.45
5.	हरियाणा	3848	48.79	4245	87.35	5060	116.07
6.	हिमाचल प्रदेश	1044	9.64	1011	16.71	1149	21.38
7.	जम्मू और कश्मीर	3156	17.45	2927	26.86	3245	47.52
8.	कर्नाटक	7411	83.71	10746	110.23	12202	211.43
9.	केरल	3652	13.63	4559	35.89	1136	60.24
10.	मध्य प्रदेश	18048	142.29	18356	278.09	22872	369.22
11.	महाराष्ट्र	10658	101.60	13819	220.83	19418	279.63

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मणिपुर	218	20.81	1049	21.86	1532	53.49
13.	मेघालय	1000	19.67	868	27.28	515	30.84
14.	नागालैंड	600	12.03	600	22.22	650	24.54
15.	उड़ीसा	4765	64.41	4902	96.69	4900	161.89
16.	पंजाब	2467	61.88	2982	72.91	2937	70.47
17.	राजस्थान	8804	103.14	10739	186.34	11566	300.85
18.	सिक्किम	588	4.77	644	13.89	777	25.24
19.	तमिलनाडु	11158	98.13	17676	173.83	22121	261.52
20.	त्रिपुरा	1694	15.34	1705	17.10	28.91	32.75
21.	उत्तर प्रदेश	12782	205.83	18398	325.36	22658	504.86
22.	पश्चिम बंगाल	12554	78.32	16569	101.11	15136	119.82
23.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	190	2.70	194	2.52	164	6.57
24.	अरुणाचल प्रदेश	744	3.72	790	7.88	762	21.87
25.	चण्डीगढ़	283	1.21	348	12.63	304	25.22
26.	दादर और नागर हवेली	74	—	66	3.25	67	9.34
27.	दिल्ली	1658	8.25	1582	25.76	1650	29.34
28.	गोवा, दमन और दीव	64	0.39	75	0.91	148	10.06
29.	लक्षद्वीप	81	0.70	37	0.47	44	2.05
30.	मिजोरम	290	4.76	500	10.82	400	9.02
31.	पाण्डिचेरी	623	3.85	691	15.19	692	14.10
	योग :	150849	1507.83	176107	2477.20	229476	3660.67

[हिन्दी]

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएं

2789. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत तारीख-वार शुरू की गई योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है, और प्रत्येक को कब पूरा करना था;

(ग) पूरे किये गये कार्यक्रमों के क्या नाम हैं तथा उनके पूरा होने की तारीख क्या है; और

(घ) जो कार्यक्रम अभी पूरे होने बाकी हैं उनकी संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं और उन पर कितनी राशि खर्च किये जाने का अनुमान है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हाथ में ली गई परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत निधियां परियोजनावार निर्धारित नहीं की जाती हैं। 7वीं योजना के अन्त तक 1980 से पूर्व शामिल की गई सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं में कमान क्षेत्र विकास कार्यकलापों को पूरा करने तथा तदनुसार इन परियोजनाओं को संसाधन आबंटित करने की राज्यों को सलाह दी गई है।

(ग) महाराष्ट्र में गोध, इटियाडच तथा बाघ नामक तीन परियोजनाएं 1 अप्रैल, 1984 से कार्यक्रम मे निकाल दी गई थीं क्योंकि कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्भव सभी भौतिक कार्यकलाप पूरे किए जा चुके थे।

(घ) उपबंध में दर्शायी गई 102 परियोजनाओं को अभी पूरा किया जाना है। 7वीं योजना के दौरान इन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सेक्टर में 500 करोड़ रुपए तथा राज्य सेक्टर में 1152 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

विवरण

केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल की गई सिंचाई परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	राज्य का नाम/सिंचाई परियोजनाएं	जिस अवधि में शुरू की गई
1	2	3
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	के०सी० कैनाल	पांचवी योजना
2.	नागार्जुनसागर	
3.	श्रीराम सागर (पोचम पाद)	
4.	राजोली बन्ध व्यपवर्तन स्कीम	
5.	तुंगभद्रा काम्पलेक्स	
6.	गजुलैडिन्ने	
7.	स्वर्णा	1983-84
8.	चम्सधारा	
9.	पेड्डावागु	
	असम	
10.	जमुना	पांचवी योजना
11.	कालियाबोर बायां सिंचाई स्कीम	1983-84
12.	सुकला	
	बिहार	
13.	गंडक	
14.	कियूल	पांचवी योजना
15.	बदुआ	
16.	चंदन	
17.	कोसी	
18.	सोने	

1	2	3
	गुजरात	
19.	माही कडाना	पांचवी योजना
20.	शेत्रुंजी	
21.	उकई ककरापार	
	गुजरात	
22.	पानम	1983-84
23.	दमन गंगा	
24.	भादर	
25.	माछू	
26.	धारोई	
27.	दन्तीवाड़ा	
28.	हाथमती	
29.	मेशवू	
	हरियाणा	
30.	गुड़गांव नहर	पांचवी योजना
31.	जवाहर लाल नेहरू एल०आई० स्कीम	
32.	जूई एल०आई० स्कीम	
33.	रेवाड़ी एल०आई० स्कीम	
	जम्मू व कश्मीर	
34.	तवी एल०आई० स्कीम	पांचवी योजना
35.	रवी	1979-80
36.	बनीमुल्ला मंक्सुलजवूरी	
37.	लेठापोरा	1983-84
38.	मारवल	
39.	निऊ कारेबायुस्मार्गी	
	कर्नाटक	
40.	कावेरी बेसिन परियोजना	पांचवी योजना
41.	घटाप्रभा	
42.	मालाप्रभा	
43.	तुंगभद्रा	
44.	अपर कृष्णा	

1	2	3
	केरल	
45.	चाला कुड़ी	पांचवी योजना
46.	मालमपुजिया	
47.	पीर्वा	
48.	नेय्यार	1979-8)
49.	पोथुंडी	
50.	गायत्री	
51.	वालायर	
52.	मंगलम	
53.	चीराकुक्षी	
54.	वाशनी	
	मध्य प्रदेश	
55.	बर्ना	पांचवी योजना
56.	हलाली	
57.	चम्बल	
58.	हसदेव	
59.	खरून	
60.	मनियारी	
61.	तवा	
62.	महानदी	1983-84
63.	प्यारी	
	महाराष्ट्र	
*64.	बाघ	पांचवी योजना
*65.	इतियादोह	
*66.	चोड	
*67.	भीमा	
68.	पूरना	
69.	गिरना	
70.	अपर तापी	
71.	कृष्णा	

* केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम से 1-4-84 से निकाल दिया गया है।

1	2	3
72.	आयकवाडी चरण-एक	
	,, चरण-2	
73.	मुल्ला	
74.	कुकाडी	
75.	पंच	1979-80
76.	अपर पेनगंगा	
77.	वर्ना	
78.	पनजान वाम तट नहर	
79.	खडगवासला	
80.	अपर गोदावरी	1983-84
81.	मंजरा	
82.	सूर्य	
	मणिपुर	
83.	लोकताक एल०आई० स्कीम	पांचवी योजना
84.	सकमई बराज	1983-84
	उड़ीसा	
85.	हीराकुंड	
86.	महानदी डेल्टा	पांचवी योजना
87.	सोलंदी	
	राजस्थान	
88.	भाखड़ा गंग नहर	
89.	चम्बल	पांचवी योजना
90.	आर०सी०पी० चरण-एक	
91.	माही बाजाज सागर	1983-84
	तमिलनाडु	
92.	कावेरी सिस्टम	
93.	लोवर भवानी	पांचवी योजना
94.	पेरियार वैगई	

95.	सथानूर	1983-84
96.	परमबीकुलम अलियार	
	उत्तर प्रदेश	
97.	गंडक	पांचवी योजना
98.	राम गंगा	
99.	शारदा सहायक	
	पश्चिम बंगाल	
100.	डी०वी० सिस्टम	पांचवी योजना
101.	कंगसबती	
102.	मयूरकक्षी	
103.	तिस्ता बराज	1983-84
	हिमाचल प्रदेश	
104.	गिरी सिंचाई परियोजना	1983-84
	गोवा	
105.	सलोली	1979-80

[अनुवाद]

कलकत्ता विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रानिक्स में एम० एस० सी० पाठ्यक्रम

2790. श्री भोलानाथ सेन : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रानिक्स में एम०एस०सी० पाठ्यक्रम का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा कितनी सहायता दिए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) विभिन्न क्षेत्रों में परिष्कृत इलैक्ट्रानिकी उपस्करों के व्यापक प्रयोग के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इलैक्ट्रानिक में जनशक्ति के प्रशिक्षण के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना

में चुने हुए विश्वविद्यालयों में इलैक्ट्रानिकी में एम०एस०सी० पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए इलैक्ट्रानिक विज्ञान का अलग विभाग स्थापित करने की परिकल्पना है। कलकत्ता विश्वविद्यालय उन विश्व-विद्यालयों में से एक है, जो इलैक्ट्रानिक विज्ञान के एक विभाग की स्थापना के लिए निर्धारित किया गया है तथा इस विभाग की स्थापना के लिए आयोग ने विश्वविद्यालय को सहायता प्रदान करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की है।

(ग) और (घ) दो प्रोफेसरों चार रीडरों, तीन लेक्चररों तथा कुछ सहायक स्टाफ की नियुक्ति पर व्यय के अलावा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सम्भावी सहायता भवन के लिए 35 लाख रुपए, उपस्कर के लिए 20 लाख रु०, पुस्तकालय के लिए 2 लाख रु० तथा अन्य अनावर्ती मदों के लिए 2 लाख रु० है। इलैक्ट्रानिकी विभाग उपस्कर, पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के लिए सहायता प्रदान करेगा तथा भवन तथा अन्य आवर्ती लागत वि०अ० आयोग द्वारा वहन की जाएगी। इस सम्पूर्ण पद्धति के अन्तर्गत, किसी भी विश्वविद्यालय को दी जाने वाली वास्तविक सहायता एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तभी निर्धारित की जाएगी जब वह विश्वविद्यालय जाकर पहले से उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन करेगी। इस कार्य के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय का दौरा करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। समिति को अभी विश्वविद्यालय का दौरा करना है।

गुजरात में लोथल में सांस्कृतिक विरासत और पुरातत्वीय खोज

2791. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में लोथल में हड़प्पा युग और हमारी सांस्कृतिक विरासत और पुरातत्वीय खोजें लुप्त तथा नष्ट होने की स्थिति में है ;

(ख) यदि वर्तमान परिस्थितियां बनी रहीं तो क्या लोथल में हुई खुदाई के बेकार चले जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या एक 9 फुट का मानव कंकाल जो कि विश्व की एक अद्वितीय पुरावस्तु है, पुरातत्व विभाग के गोदाम में लावारिस पड़ा है;

(घ) क्या लोथल को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का राष्ट्रीय स्थान घोषित किया गया है;

(ङ) क्या हमारी 5000 वर्ष पुरानी सांस्कृतिक विरासत के स्थान के रूप में इसकी रक्षा, संरक्षण और रख-रखाव राष्ट्रीय हित में है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) लोथल में हड़प्पा युग के संरचनात्मक अवशेष और पुरातत्वीय वस्तुएं अच्छी तरह परिरक्षित हैं। उत्खनित क्षेत्र

के कुछ भाग हाल की चक्रवाती वर्षा से प्रभावित हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। लोथल के सामान्य आकार के मानव कंकाल अवशेष वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव-विज्ञान-सर्वेक्षण के पास हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा लोथल को राष्ट्रीय महत्व का एक संरक्षित स्थल घोषित किया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) उत्खनित अवशेषों के परिरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) वार्षिक अनुरक्षण और मरम्मत।

(2) संरचनात्मक मरम्मतें जिनमें ईंट की संरचनाओं का सुदृढ़ करना और अवशेषों के सिरे का जलरोधक बनाना और आवधिक रूप से गोदीबाड़ा की गाद निकालना शामिल है।

(3) इमारतों की रासायनिक सफाई और परिरक्षण।

(4) भू-दृश्य-निर्माण करके परिप्रदेश को सुधारना।

उत्खनित अवशेषों के परिरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे :—

(1) गोदी की नाली में भरा पानी निकालना और उसकी गाद निकालना।

(2) ईंट वाली इमारतों के प्रभावित भागों को समेकित और सुदृढ़ करना।

(3) ईंटों के परिरक्षण के लिए उनके वैज्ञानिक अध्ययन।

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संगतता न होना

2792. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च शिक्षा में असंगतता प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में पारस्परिक संगतता के अभाव के कारण पैदा होती है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन-राशि आवंटित करने तथा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में संगतता को बढ़ावा देने का है;

(ग) क्या उच्चतर शिक्षा को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सरकार के अन्य मन्त्रालयों और विभागों से जोड़ना आवश्यक है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर सकारात्मक है तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) क्योंकि उच्च शिक्षा का स्तर प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त है अतः इस समय उच्च शिक्षा के लाभ केवल उन्हीं को उपलब्ध हैं जो सफलतापूर्वक माध्यमिक शिक्षा पूरी कर लेते हैं। यदि प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण सामाजिक न्याय को सुनिश्चित नहीं करती तो उच्च शिक्षा अपने आप यह नहीं कर सकती। इसलिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर बराबरी को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा के वास्ते अधिक धनराशि आबंटित करने का केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) उच्च शिक्षा का एक मुख्य विषय शिक्षा और विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच लाभकारी सम्बन्धों को प्रोन्नत करना है। नई शिक्षा नीति को तैयार करने के संदर्भ में उच्च शिक्षा तथा विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों के बीच सम्बन्धों पर इस समय विचार किया जा रहा है। इस प्रकार के सम्बन्ध स्थापित करने के विशिष्ट उपायों पर तभी विचार किया जाएगा जब नई शिक्षा नीति को एक ठोस रूप मिलेगा।

"इण्डियन वीमन्स फार्वर्ड लुकिंग स्ट्राटजीज" पर गोष्ठी

2793. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली में 19 अक्तूबर, 1985 को संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के तत्वावधान में "इण्डियन वीमन्स फार्वर्ड लुकिंग स्ट्राटेजीज" पर की गई गोष्ठी और उसमें की गई सिफारिशों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विवाह अथवा विवाह के जारी रखने के सम्बन्ध में उपहारों को शामिल करने के लिए संगत अधिनियम में दहेज की परिभाषा में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

युवक कार्यक्रम तथा खेल और महिला कल्याण विभागों में राज्य मन्त्री (श्रीमती मारग्रेट अल्वा) : (क) जी, हां।

(ख) दहेज निषेध (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा दहेज की परिभाषा में आवश्यक संशोधन किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अन्तर्राज्यीय जल विवाद के कारण अनिर्णीत पड़ी केरल की सिंचाई परियोजनाएं

2794. श्री के० कुन्जम्बु
श्री वी० एस० विजयराघवन } : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो अन्तर्राज्यीय जल विवाद के कारण अनिर्णीत पड़ी हैं; और

(ख) इन विवादों को सुलझाने और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) अन्तर्राज्यीय जल विवादों के कारण केरल में निम्नलिखित परियोजनाएं लम्बित हैं :—

1. कुटियाड़ी आगमेंटेशन बहुप्रयोजनी योजना (बानसूरा सागर सिंचाई योजना)।
2. आटापडी सिंचाई योजना।
3. मानन्थवडी बहुप्रयोजनी परियोजना।

(ख) केन्द्रीय सरकार विवाद को हल करने के लिए संबंधित राज्यो के अधिकारियों तथा मुख्य मन्त्री स्तर पर बातचीत करवाने का प्रबन्ध करती रही है। स्थिति की समीक्षा करने के लिए नवम्बर, 1985 में एक अधिकारी स्तर की बैठक बुलाई गई थी तथा मैत्रीपूर्ण समझौते के प्रयास जारी हैं।

बच्चों में कुपोषण को रोकने के लिए सुझाए गए उपाय

2795. श्री एच० एम० पटेल
श्री वी० एस० विजयराघवन } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 30 वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा किए गए विचार-विमर्श

की ओर ध्यान दिया है जिसमें उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि देश में 55 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से प्रभावित हैं;

(ख) क्या इस कुपोषण का कारण भोजन का अभाव, आस-पास के परिवेश में कम सफाई, पेयजल का अभाव संक्रामक रोग और दूषण है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस ग्रुप द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सरकार को उन 30 से भी अधिक वैज्ञानिकों के विचार-विमर्श तथा दक्षों के निष्कर्षों की जानकारी नहीं है जिनके अनुसार देश में 55 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से प्रभावित हैं। राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग ब्यूरो द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार भिन्न-भिन्न राज्यों में कुपोषण की प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) कुपोषण अनेक अंत:क्रिया कारणों के परिणामस्वरूप होता है जिनमें खुराक का अभाव, पर्यावर्णिक सफाई की कमी, पेयजल का अभाव, संक्रामक रोग की व्याप्तता और संक्रमण आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) सरकार को देश में कुपोषण की समस्या की जानकारी है। इस समस्या को हल करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के अधीन अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। वे हैं :—

1. **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय**

(क) माताओं और बच्चों में पोषण रक्ताल्पता की रोकथाम करने संबंधी कार्यक्रम।

(ख) विटामिन "ए" की कमी के कारण होने वाली दृष्टिहीनता की रोकथाम करने सम्बन्धी कार्यक्रम।

2. **कल्याण मंत्रालय**

(क) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना।

(ख) बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम।

3. **मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम।

विवरण

एन० एन० एम० बी० : गोमेज वर्गीकरण—1982 के अनसार 1—5 वर्ष सम्बन्धी वितरण की प्रतिशतता

क्रम संख्या	राज्य	सर्वेक्षितों की संख्या	सामान्य	मध्यम	मामूली	तीव्र
1.	केरल	201	31.8	49.3	17.4	1.5
2.	तमिलनाडु	598	16.1	44.1	34.6	5.2
3.	कर्नाटक	449	13.8	43.4	37.2	5.6
4.	आन्ध्र प्रदेश	340	12.6	43.0	38.5	5.9
5.	महाराष्ट्र	580	13.6	38.8	40.7	6.9
6.	गुजरात	171	11.7	28.7	44.4	15.2
7.	उड़ीसा	123	13.0	35.8	42.3	8.9
8.	पश्चिम बंगाल	61	21·3	55.7	23.0	0.0
9.	पूल्ड	2523	16.7	42.4	34.8	6.1

पुराने रेल पथों को बदलने के लिये विश्व बैंक की सहायता

2796. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुराने रेल पथों के कारण हुई रेल दुर्घटनाओं की प्रतिशतता कितनी है;

(ख) पुराने रेल पथों की प्रतिशतता कितनी है;

(ग) इस समय पुराने रेल पथों को बदलने के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है;

(घ) क्या सरकार की आगामी दस वर्षों के दौरान पूरे पुराने रेल पथों को बदलने की कोई योजना है;

(ङ) क्या इस प्रयोजन के लिए विश्व बैंक की सहायता मांगी जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) दुर्घटनाएं रेल पथ की खराबी के कारण होती हैं और गतायु रेल पथ स्वयं अपने में दुर्घटनाओं का प्रेरक कारण नहीं है। वर्ष 1985-86 के प्रथम छः महीनों के दौरान लगभग 3 प्रतिशत रेल दुर्घटनाएं रेल पथ की खराबियों के कारण हुई हैं।

(ख) भारतीय रेलों की कुल रेल पथ किलोमीटर-दूरी का लगभग 20 प्रतिशत।

(ग) जून, 1984 से पहले की कीमतों के आधार पर लगभग 5,000 करोड़ रुपये (शुद्ध)।

(घ) गतायु रेल पथों के बदलाव के बकाया को 10 वर्ष की अवधि में जो सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष से शुरू होगी, समाप्त करने के लिए एक समय-बद्ध कार्यक्रम बनाया गया है।

(ङ) इस पर विचार किया जा रहा है।

(च) इसके लिए विश्व बैंक से अभी कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं किया गया है।

माल यातायात से प्राप्त राजस्व में कमी

2797. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल यातायात से प्राप्त होने वाला राजस्व, निर्धारित लक्ष्य से कम हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राजस्व को बढ़ाने और लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिये धनराशि का आवंटन

2798. प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के दौरान शैक्षिक कार्य-कलापों के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में बजटीय आवंटन कितना था (एक) प्राथमिक शिक्षा, (दो) माध्यमिक शिक्षा, (तीन) उच्च शिक्षा; और

(ख) क्या सरकार इसे यथोचित आवंटन समझती है ?

शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) पिछले तीन वर्षों में केन्द्र और राज्यों दोनों की क्षेत्र-वार बजट आबंटन निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपये में)

	1982-83 (वास्तविक)	1983-84 (संशोधित प्राक्कलन)	1984-85 बजट प्राक्कलन
(i) प्राथमिक शिक्षा	2172	2511	2670
(ii) माध्यमिक शिक्षा	1513	1701	1749
(iii) उच्चतर शिक्षा	681	787	885

(ख) संसाधनों की कमी के बावजूद भी शिक्षा के लिए अधिक आबंटन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के जिलों के लिए विश्व बैंक से सहायता

2799. डा० बी० एल० शैलेश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत जनसंख्या परियोजना के लिए, जो उत्तर प्रदेश के छः आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े जिलों में क्रियान्वित की जा रही है, विश्व बैंक से कितनी राशि की सहायता मिली है;

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में यहां तक कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र आदि भी नहीं हैं, इलाहाबाद जिले को शामिल न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दर्जा बढ़ाने हेतु उत्तर प्रदेश के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) उत्तर प्रदेश में भारत जनसंख्या परियोजना—II पर 31 जुलाई, 1985 तक किए गए खर्च में से विश्व बैंक ने अब तक 2192.64 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति कर दी है।

(ख) दूसरी भारत जनसंख्या परियोजना के लिए जिलों का चयन करने का मानदण्ड इस प्रकार था :—

(1) क्षेत्र जहां जनसंख्या का घनत्व अधिक है,

(2) क्षेत्र जिनमें समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की प्रतिशतता अधिक है,

(3) क्षेत्र जिनमें मृत्यु-दर अधिक है और साथ ही जच्चा और बच्चा मृत्यु-दर अधिक है,

(4) जिले जिन्होंने विगत में मामूली कार्य निष्पादन दर्शाया है और जहां इसे स्वीकार करने की क्षमता अधिक है।

जिलों का चयन करते समय उनकी भौगोलिक निकटता और प्रशासनिक सुविधा को भी ध्यान में रखा गया था। उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए केवल छः जिलों का चयन किया गया था जिनमें इलाहाबाद जिला शामिल नहीं है।

(ग) राज्य सरकार ने 1985-86 के संशोधित अनुमानों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 40 लाख रुपये और दर्जा बढ़ाए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए 68 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा है। इस खर्च के वहन के लिए बजट में पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

"एड्स" नामक बीमारी का भारत में पहुंचना

2801. **श्री मानिक रेड्डी**
श्री यशवंतराव गडाख पाटिल } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी देशों में आयात किए गये पुराने वस्त्रों का उपयोग करने में "एड्स" नामक नई बीमारी के भारत में पहुंचने की सम्भावना की भारी आशंका है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या विचार है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ख) क्या अन्य देशों में इस प्रकार वस्त्रों के सम्पर्क में आने से "एड्स" बीमारी लगने के समाचार प्राप्त हुए हैं ?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अमेरिका से मलेरिया के टीकों का आयात

2802. डा० विजय रामा राव
श्री वृद्धि चन्द्र जैन
} : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा कि :

(क) क्या भारत का विचार अमेरिका से मलेरिया के टीके आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यह सौदा कब किए जाने की संभावना है और देश के मलेरिया से प्रभावित क्षेत्रों में इसके वितरण और उचित प्रयोग का तरीका क्या होगा;

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार न्यूयार्क यूनिवर्सिटी मेडिकल सेन्टर के कुछ वैज्ञानिकों ने मलेरिया परजीवी की स्पोरोजायट स्टेज रोधी मलेरिया वैक्सीन विकसित की है। यह समझा जाता है कि मनुष्यों पर इसकी क्लीनिकी आजमाइशें तीन चरणों में की जानी है। प्रथम चरण की आजमाइशों 1985 के अन्त तक अथवा 1986 के प्रारम्भ में किए जाने का विचार है। चूंकि यह वैक्सीन नैदानिक उपयोग के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इसका आयात करने का प्रश्न नहीं उठता।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, कल शहर में हुए रिसाव पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा करने की जरूरत है। इसमें प्रौद्योगिकी संबंधी अनेक मसले शामिल हैं। भाभा अनुसंधान केन्द्र ने सुरक्षा उपायों के बारे में कुछ परिपत्र भेजे हैं। टेलिविजन वालों ने इसका उल्लेख नहीं किया। इन सभी मसलों पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, एक मिनट। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुनिए तो, मैं सुन रहा हूं। इस तरह मत चिल्लाइये। कल मैंने मन्त्री जी को वक्तव्य देने के लिए कहा था। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, क्या यह स्थगन प्रस्ताव के लिए सही मामला नहीं है जब वहां इतना आतंक बना हुआ है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कल जैसा ही मेरे नोटिस में आया···

आप ऐसे क्यों खड़े हैं ? अपनी जगह पर जाइए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठते क्यों नहीं ? मैं केवल पुष्टि करना चाहता था···

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, शून्य काल में आपकी आवाज हमारे अनुरूप होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, ऐसा ही लगता है। महोदय, मुझे ऐसा करना ही होगा।

कल जैसा ही सदन में मुझे यह सूचना मिली तो मैंने प्रभारी मंत्री जी से कहा कि वह तथ्यों का पता लगाने के बाद सभा में वक्तव्य दें और शाम को उन्होंने आकर एक वक्तव्य दिया। मैं अब तैयार हूं। आप जब चाहें, नियम 193 या ध्यानाकर्षण के अन्तर्गत, नोटिस दे सकते हैं और मैं इस पर चर्चा कराऊंगा।

प्रो० मधु दंडवते : दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे नोटिस दीजिए मैं चर्चा कराऊंगा।

प्रो० मधु दंडवते : दे चुका हूं। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हम निर्णय ले लेंगे। आप जो चाहते हैं करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : इसे 4 बजे स्थगन प्रस्ताव के रूप में क्यों न ले लिया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका भी इस तरह की समस्या पर विचार करना होगा। क्या आप जांच समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करना चाहेंगे या आप जो भी चाहें मुझे बता दें मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, 4 बजे आप स्थगन प्रस्ताव को क्यों नहीं ले लेते ? इसे निंदा प्रस्ताव के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : निंदा का प्रश्न ही नहीं है। मैं चर्चा की अनुमति दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : लेकिन स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय मामलों के लिए होता है। आप इसे आज चार बजे ले सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा की अनुमति दूंगा। (व्यवधान)

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : मैंने पाशविक हमले के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अगर गलियारे में खड़े होकर बोलेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब तक वे लोग अपने स्थानों पर नहीं बैठेंगे तब तक मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट। क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? पहली बात तो यह कि आप गलियारे में खड़े मत होइए। मुझे देखने दीजिए कि आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है। आपमें से एक बोल सकता है। अगर व्यवस्था का कोई प्रश्न होगा तो मैं अनुमति दूंगा अन्यथा मैं इसे नामंजूर कर दूंगा।

श्री पी० कुलन्दईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, यह राज्य की कानून और व्यवस्था की समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। महोदय, इस बारे में आप क्यों फैसला देने का प्रयास कर रहे हैं? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हां, कहिए क्या है?

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : महोदय, मद्रास शहर में···

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मद्रास शहर राज्य का विषय है, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं राज्य के विषय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में मत बोलिए, इनको कह लेने दीजिए। (व्यवधान)

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नियमानुसार मैं करूंगा। जो नियम के अनुसार नहीं है उसे मैं नहीं करूंगा। मैंने किसी सज्जन को अनुमति नहीं दी। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप जितने जोरदार ढंग से कहिए मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं नियमों के अनुसार चलता हूं। मैं किसी राज्य-विषय में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। अगर मैं एक को अनुमति दूंगा तो प्रश्नों की बाढ़ आ जाएगी। मैं ऐसा नहीं करूंगा।

डा० ए० कलानिधि : महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था।

अध्यक्ष महोदय : इसे हम देख लेंगे। सभा में यहां ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नोटिस पर चर्चा नहीं होती। कलानिधि जी, आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन यहां इस पर चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आ सकते हैं लेकिन यहां नहीं—अनुमति नहीं है—एक भी शब्द नहीं। (व्यवधान)**

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : महोदय, आज झंडा दिवस है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री अजय मुशरान : महोदय, मेरा मुद्दा यह है कि आज झंडा दिवस है और सारा देश सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें उल्लेख करने की क्या बात है ?

श्री अजय मुशरान : बात यह है कि आज के दिन सारा देश सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। हमेशा ही ऐसा होता है।

श्री अजय मुशरान : महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि हमें भी संकल्प करना चाहिए और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमने ऐसा कभी नहीं किया जब तक सारे दल मिलकर निर्णय नहीं लेते मैं ऐसा नहीं करूंगा।...(व्यवधान)

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सुभाष यादव (खारगोन) : अध्यक्ष जी, मैंने वित्त मन्त्री जी को पंजाब सिंध बैंक में घोटाले के बारे में लिखकर दिया है···

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए। पता करवाते हैं। (व्यवधान)

श्री सुभाष यादव : अध्यक्ष जी, मैंने आपको लिखकर दिया है। उसमें मेरा निवेदन यह है कि कोई भी घोटाला तब तक सामने नहीं आएगा जब तक कि परिणाम सामने नहीं आएंगे और वहां के अधिकारियों को नहीं हटाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का एक नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइए। मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नोटिसों पर यहां चर्चा नहीं करता। महोदय, इस मामले के महत्व को समझाने के लिए आप आइए, आपका स्वागत है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हूं। ऐसा नहीं है। यहां अगर मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नोटिसों पर चर्चा करूं तो मेरे पास 115 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नोटिस हैं और इन्हीं में सारा समय लग जाएगा। यह तरीका नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय, मेरा एक निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : कोई निवेदन नहीं। व्यवस्था का क्या प्रश्न है? अब किसी निवेदन की अनुमति नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : प्रो० मधु दंडवते ने अनुदानों की पूरक मांगों की चर्चा में भाग लेते समय ज्योतिर्मय बसु रिपोर्ट से उद्धृत किया था।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित में कुछ दीजिए। इस तरह नहीं होता। इस तरह मैं इसे नहीं सुलझा सकता। आपको इसे किसी नियम के अन्तर्गत देना होगा।

प्रो० मधु दंडवते : मैं पहले ही दे चुका हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं केवल यह मांग कर रहा हूं कि रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा

जाए क्योंकि कल आपने अपने विनिर्णय में कहा था।···

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : वह जो कह रहे हैं वह आपके विनिर्णय से उत्पन्न हुआ है मैं आपके कक्ष से बाहर आते ही आपके विनिर्णय से संकेत लेकर मैंने अनुदानों की पूरक मांगों पर चर्चा में भाग लिया और ज्योतिर्मय बसु रिपोर्ट से उद्धरण दिये। आपके विनिर्णय के अनुसार आप मुझे सभा पटल पर कागजात रखने की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार कर रहा हूं। मैं नियमों के अनुसार इसकी अनुमति दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : आप मुझे कब अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी नियमों के अनुसार अनुमति दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : आप इसमें देरी क्यों कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपसे भी सलाह लेता हूं। मुझे नियमों के अनुसार काम करना होता है। तदनुसार मैंने कदम उठाए हैं। मैंने मामले को भेज दिया है। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : आपके कार्यालय ने दो सेट मांगे थे और मैंने दो सेट दे दिये हैं। अब सभा पटल पर रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप चिन्ता मत कीजिए। हम इसका ध्यान रखेंगे। हम आपकी ओर से रख देंगे। मैंने यह मामला नियमानुसार मंत्री महोदय को भेज दिया है। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने नियमों का पालन किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी नियमों का पालन किया है। मैं नियमों से बाहर नहीं जाऊंगा।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : महोदय, मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर मैं विचार करूंगा। आप मेरे पास आ सकते हैं। आप बहुत पुराने सांसद हैं। आप जानते हैं कि मैं यहां ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लेता।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : यह बहुत लम्बे समय से चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है। लेकिन इस पर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। मैं नियमों से बाहर नहीं जा सकता। इस तरह की बातों की क्या तुक है ? मैं आपसे इसकी आशा नहीं करता। आप बेहतर जानते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एलाउ नहीं किया है। इसका फायदा क्या है।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। चाहे कोई कुछ कह रहा हो, उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

12.11 म० प०

इस समय डा० ए० कलानिधि और श्री एन० वी० सोमू सभा-भवन से बाहर चले गये

———

प्राक्कलन समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं उद्योग मन्त्रालय—मोटर कारों के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (सातवीं लोक सभा) के 83 वें प्रतिवेदन अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही के बारे में इस समिति का 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : अध्यक्ष जी, ग्रामीण बैंकों के एम्पलाइज······

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह विषय नहीं है। कोई प्रश्न नहीं।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैंने एडजार्नमेंट मोशन दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं। अनुमति नहीं है। मैंने नामंजूर कर दिया है।

अब श्री मुल्लापल्ली (रामचन्द्रन)

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आ गया हूं।

———

12.12 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

काफी का न्यूनतम निकासी मूल्य नियत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर) : महोदय, मैं वाणिज्य मन्त्री जी का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे इस पर एक वक्तव्य दें :—

"काफी बोर्ड की सिफारिशों के बावजूद काफी का न्यूनतम निकासी मूल्य नियत नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप काफी बागानों में उत्पन्न हुए संकट और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम"

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : महोदय, कॉफी की न्यूनतम रिलीज कीमत समय-समय पर वित्त मन्त्रालय की लागत लेखा शाखा द्वारा किए जाने वाले अध्ययन के आधार पर निर्धारित की जाती है। न्यूनतम रिलीज कीमत में शामिल होता है कास्त की लागत जमा निवल मूल्य पर 10 प्रतिशत कर पूर्व लाभ।

पिछली बार न्यूनतम रिलीज कीमत में संशोधन 17.12.1983 को किया गया था जबकि

*कार्यवाही—वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उसे 5.5 रु० प्रति प्वाइंट से बढ़ाकर 6.54 रु० प्रति प्वाइंट किया गया था। घरेलू नीलामियों में इस रिजर्व कीमत के नीचे कोई काफी नहीं बेची जाती।

न्यूनतम रिलीज कीमत में संशोधन करने के परिणामस्वरूप घरेलू कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, किन्तु न्यूनतम रिलीज कीमत में संशोधनों के फलस्वरूप उपजकर्ताओं की आय में केवल लगभग 8% की वृद्धि हुई। इसका कारण यह था कि जिस 60% काफी का निर्यात किया जाता है, उसके लाभों पर न्यूनतम रिलीज कीमत का प्रभाव नहीं पड़ता। तथापि, निर्यातें पर लाभ घरेलू बिक्रियों से कहीं अधिक है।

न्यूनतम रिलीज कीमत में पिछला संशोधन 1982 में किए गए अध्ययन पर आधारित था और उसे दो चरणों में क्रियान्वित किया गया ताकि घरेलू कीमतों में अचानक वृद्धि न हो जिससे घरेलू मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सके।

काफी बोर्ड के अध्यक्ष ने दिसम्बर, 1984 में न्यूनतम रिलीज कीमत में और आगे तदर्थ संशोधन करके उसे 7.55 रु० प्रति प्वाइंट करने की आवश्यकता का अनुमान लगाया था। उसे तत्काल लागत लेखा शाखा के पास भेज दिया गया था जिसने लागत आंकड़े एकत्र करने के लिए प्रश्नावलियां तैयार की थीं। उन्हें केवल 600 उपजकर्ताओं के पास भेजा गया किंतु लागत लेखा विवरण लगभग 96 उपजकर्ताओं से ही प्राप्त हुआ है। तथापि, शीघ्र लागत अध्ययन करने के बराबर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि न्यूनतम रिलीज कीमत में संशोधन हो सके जिससे उपभोक्ताओं और काफी उपजकर्ताओं के हितों में सन्तुलन आता है।

गत 5 वर्षों में काफी उपजकर्ताओं को लगभग 8 रु० प्रति प्लाइंट लाभ हुआ है, जो काफी बोर्ड द्वारा सुझाई गई संशोधन न्यूनतम रिलीज कीमत से भी अधिक है। निर्यात में वृद्धि होने से, जो गत वर्ष लगभग 68,000 मे० टन के स्तर से बढ़कर चालू वर्ष में लगभग 97,000 मे० टन के स्तर तक पहुंच गया है, और निर्यात कीमतों में मजबूती आने से, जिसके अगले वर्ष बने रहने की सम्भावना है, ऐसी आशा है कि काफी उपजकर्ताओं के लाभ लाभप्रद बने रहेंगे।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि मुझे सारे देश के काफी उत्पादकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को प्रकाश में लाने का अवसर मिला है। काफी उद्योग जो कि मुख्यत: कर्नाटक केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी राज्यों में फैला हुआ है, एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना उपयुक्त होगा कि काफी के उत्पादन में कर्नाटक के बाद केरल का ही स्थान आता है। केरल में काफी का उत्पादन वायनाड की पहाड़ियों में ही केन्द्रित है, जो मुख्यत: मेरे चुनाव क्षेत्र में पड़ता है। अत: वहां जाने और उस स्थान-विशेष पर ही स्थिति का अध्ययन करने का मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है और मैं प्रत्यक्ष रूप से उनकी समस्याओं को समझता हूं।

काफी बागानों का जहां तक संबंध है, लोगों के मन में यह धारणा हो सकती है कि ये मुख्यत:

[श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन]

बड़े भू-स्वामियों तथा सम्पन्न काफी बागान मालिकों के ही हैं। यह बिल्कुल गलत है, 97% उत्पादकों के पास 10 हैक्टेयर से भी कम जमीन है। और इनमें से 63% के पास केवल 2 हैक्टेयर भूमि हैं। ये छोटे और सीमान्त कृषक अपनी आजीविका के लिये काफी पर निर्भर हैं और काफी का उत्पादन मानसून पर निर्भर है यह भी ध्यान रखना उपयुक्त होगा कि लघु एवं सीमान्त किसानों का भाग्य बहुत हद तक काफी बोर्ड के हाथों में है जो काफी का न्यूनतम निकासी मूल्य निर्धारित करता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान काफी के न्यूनतम निकासी मूल्य निर्धारित न किये जाने के कारण बड़ी गम्भीर एवं चिन्ताजनक स्थिति पैदा हो गयी है।

न्यूनतम निकासी मूल्य केवल काफी बोर्ड द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है, और उत्पादकों के पास इस बात के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है कि वे बोर्ड को अपना उत्पादन बेचें। प्रथा तो यह रही है कि प्रत्येक फसल कटाई से थोड़ा पहले न्यूनतम निकासी मूल्य निर्धारित किया जाए। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में ऐसा न किये जाने से उत्पादकों के समक्ष गम्भीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है।

भारत में काफी का विपणन सरकारी एजेंसी, काफी बोर्ड के माध्यम से पूल प्रणाली द्वारा होता है। न्यूनतम निकासी मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। 1979-80 के दौरान वित्त मंत्रालय के लागत लेखा अधिकारी और काफी बोर्ड द्वारा सरकार से सिफारिश की गई कि काफी का न्यूनतम निकासी मूल्य 6.54 रु० प्रति बिन्दु तय किया जाए, लेकिन इसका कार्यान्वयन 1983 में ही किया गया और वह भी दो किश्तों में। श्रम, खाद, कीटनाशक दवाओं और परिवहन जैसे आदानों की कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पादकों के व्यय में हर वर्ष वृद्धि होती जा रही है। न्यूनतम निकासी मूल्य के संशोधन में वर्तमान उत्पादन लागत एवं उत्पादक के लिये कुछ मुनाफे की व्यवस्था होनी चाहिए आदानों की लागत में प्रतिवर्ष वृद्धि की देखते हुए, न्यूनतम निकासी मूल्य को 30 सितम्बर तक अर्थात अन्तर्राष्ट्रीय काफी वर्ष तक वर्ष में एक बार संशोधित किया जाना चाहिये। अन्य औद्योगिक उपभोक्ता उत्पादनों के सम्बन्ध में जैसा होता है, उसी तरह यह भी एक नियमित कार्य होना चाहिये। छोटे उत्पादक अपनी सम्पत्ति को बनाये रखने में बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। यदि आदानों के मूल्यों में वृद्धि के अनुरूप ही न्यूनतम निकासी मूल्य को प्रतिवर्ष संशोधित नहीं किया जायेगा तो काफी उद्योग कुछ ही वर्षों में नष्ट हो जायेगा।

काफी उत्पादकों की समस्या कृषि आदानों जैसे रासायनिक खादों, कीटनाशकों आदि की कीमत में भारी वृद्धि के कारण कई गुना बढ़ गयी है।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उत्पादन लागत एवं प्राप्त किये हुए लक्ष्यों को ध्यान में रखकर समय-समय पर न्यूनतम निकासी मूल्य निर्धारित किया जाय। न्यूनतम निकासी मूल्य निर्धारित करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिये प्रभावकारी कदम उठाये जाने चाहिए कि राशि उत्पादकों तक समय पर पहुंच जाय। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी से एक स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं।

मानसून की कृपा से पिछले कुछ वर्षों के दौरान हमारी फसलें बहुत अच्छी हुई हैं। मौसम में होने वाले किसी भी परिवर्तन का काफी उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्राजील, जहां 1977 में पाले के कारण काफी की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी। जैसा कि हम जानते हैं ब्राजील पाला पड़ने से पहले तक काफी का सबसे बड़ा उत्पादक था। भारत के काफी बाजार के हाल ही के इतिहास पर नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि ब्राजील का दुर्भाग्य भारत के लिए सौभाग्य सिद्ध हुआ क्योंकि इसने हमारे लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में नए रास्ते खोल दिये। 1977 में ही भारत ने काफी की बिक्री द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमायी जो 217 करोड़ रुपये थी। लेकिन यह 1977 की तेजी थी जिसके कारण काफी पर ऊंचा निर्यात शुल्क लगाया गया। 1981 में वर्तमान स्थिति की तरह की ही एक स्थिति पैदा हो गयी थी जिसका कारण था अत्यधिक उत्पादन। बाजार में आवश्यकता से अधिक काफी उपलब्ध थी जिसके कारण सरकार निर्यात शुल्क समाप्त करने के लिए विवश हुई। लेकिन उसके बाद सरकार अस्थिर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखे बिना पुनः शुल्क लगा दिया गया।

हालांकि छः महीनों में निर्यात शुल्क तीन बार कम कर दिया गया है, यह इस समय 3000 रु० प्रति टन है। यह अप्रैल में 7,200 रुपये प्रति टन था।

यह जानना उचित है कि सरकार 1981 में उत्पादकों की समस्याओं के प्रति अधिक जागरूक थी और उसने निर्यात शुल्क को पूर्णतया समाप्त कर दिया था। निर्यात शुल्क को चरणों में या किश्तों में कम किया जाना, जैसे कि इस समय किया जा रहा है, छोटे और सीमान्त कृषकों को कोई लाभ नहीं पहुंचायेगा। उनकी तो जरूरत है—निर्यात शुल्क का पूरी तरह उन्मूलन। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार काफी पर निर्यात शुल्क को हमेशा के लिए खत्म करने पर विचार करेगी। मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

समस्या के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर आते हुए, मैं सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि विश्व भर में अत्यधिक उत्पादन और भारत में अभूतपूर्व रूप से अच्छे उत्पादन के बावजूद, सरकार, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत काफी का उत्पादन गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में भी 50,000 एकड़ में करने की सोच रही है।

वर्तमान उत्पादन के लिए बाजार की व्यवस्था किये बिना ही उत्पादन को बढ़ाने की सरकार की नीति अत्यन्त आपत्तिजनक है। भारत की तरह विश्व में भी उत्पादन बहुत बढ़ गया है लेकिन उपभोग स्थिर रहा है। तुरन्त सुधारात्मक कदम उठाये जाने चाहियें। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है काफी को गैर-कोटा देशों को निर्यात करने की सम्भावनाओं का पता लगाना। सरकार इस सम्बन्ध में सरकार की अकर्मण्यता इस बात से स्पष्ट है कि इस समय में 64 गैर कोटा देशों में से केवल कुछ ही देशों को काफी निर्यात कर रहे हैं। यह भी पता लगाया जाना चाहिये कि क्या कोटा देशों को निर्यात बढ़ाया जा सकता है।

खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि कर्नाटक सरकार ने काफी पर खरीद कर लगाकर परेशानी को और भी बढ़ा दिया है।

[श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन]

आखिर में, मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान काफी बोर्ड, जिससे आशा की जाती थी कि वह काफी उत्पादकों के हितों की रक्षा करेगा, के लापरवाही पूर्ण एवं उदासीन रुख की ओर दिलाना चाहता हूं। बोर्ड ने सभी बातों मे उत्पादकों को निराश किया है। यह एक सफेद हाथी बन चुका है और अकर्मण्यता का प्रतीक बन चुका है। मुझे इस पुरानी कहावत का स्मरण हो आता है कि "जिस समय रोम जल रहा था, नीरो उस समय बंशी बजा रहा था।" बोर्ड का "चिन्ता मत करो" वाला जा रुख है और वह भी ऐसे भी समय में, जबकि काफी का बाजार अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है, उसपर भी यही बात लागू होती है। यह स्पष्ट है कि बोर्ड ने एक अच्छे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्राप्ति के लिये कुछ भी नहीं किया है और यह घरेलू बाजार में भी स्थिरता को समाप्त करने में असफल रहा है ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हां, बसुदेव जी, आपके यहां भी काफी होती है क्या ?

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : हम इसका उत्पादन करने जा रहे हैं। यदि वे अपना उत्पादन नहीं बेच सकते तो हमारे पास कोई अवसर नहीं है। गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में हजारों हैक्टेयर भूमि सुरक्षित की गई है। हम भविष्य की ओर देख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इस दिशा में गतिशील होने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले रास्ता तैयार कर लीजिये।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, न्यूनतम निकासी मूल्य की मांग लम्बे समय से काफी उत्पादकों द्वारा की जा रही है। मंत्रीजी द्वारा अपने वक्तव्य में यह कहा गया है कि न्यूनतम निकासी मूल्य 1982 में संशोधित किया गया और तबसे इसे संशोधित नहीं किया गया है यद्यपि सारे भारत के काफी उत्पादकों ने इसकी मांग की थी और काफी बोर्ड ने भी काफी के लिए इस न्यूनतम निकासी मूल्य को घोषित करने की सिफारिश की है।

12.24 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

महोदय, हमारे देश में काफी उद्योग अब संकट का सामना कर रहा है। संकट आन्तरिक बाजार में ही नहीं बल्कि बाह्य बाजार में भी है। कांफी की पूर्ति अधिक होने के कारण गैर-कोटा देश बड़े उत्पादकों की दुर्दशा का लाभ उठा रहे हैं और ये देश विश्व कीमतों पर काफी छूट की मांग कर रहे हैं।

महोदय, वर्तमान वर्ष में काफी का उत्पादन 1.70 लाख टन होने का अनुमान है। इसमें से

हमारे घरेलू उपभोग के लिए केवल 55,000 टन की ही आवश्यकता पड़ेगी।

शेष अर्थात 85,000 टन से अधिक काफी को निर्यात करना है। विपणन की मौजूदा व्यवस्था 40 वर्ष पुरानी है और यह पूरी तरह से काफी बोर्ड के नियन्त्रण में है जो काफी का विपणन करती है। 1982 से कृषि के कच्चे माल उर्वरक तथा अन्य चीजों की लागत में भारी मात्रा से वृद्धि हुई है, लेकिन काफी का न्यूनतम मूल्य जो वर्ष 1982 में नियत किया गया था वह 6.45 रुपये प्रति प्वाइन्ट था। न्यूनतम मूल्य को निर्धारित करने की इस नीति की पुनरीक्षा की जानी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि काफी उद्योग ने केन्द्र से कुल उत्पादन का 15 से 50 प्रतिशत तक बाजार में लाने और काफी बोर्ड में उत्पादकों के प्रतिनिधित्व को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति मांगी है, क्योंकि कभी-कभी काफी बोर्ड में उत्पादकों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। इसलिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश के समय उत्पादन लागत तथा अन्य पहलुओं पर कभी-कभी विचार नहीं किया जाता है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जैसा कि मेरे साथियों ने कहा है कि क्या उत्पादक काफी पर निर्यात शुल्क को समाप्त करने की भी मांग कर रहे हैं जो काफी के निर्यात को उच्चतम बिंदु तक ले जाएगा और यह उद्योग को भी सुरक्षित रखेगा, क्या सरकार ने इस पर विचार किया है? काफी पर इस निर्यात शुल्क से केवल 0.26 प्रतिशत आया है।

तीसरे मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने गैर परम्परागत क्षेत्रों में 30,000 हेक्टेयर सहित 50,000 हेक्टेयर में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान काफी उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस दृष्टिकोण से मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने काफी की घरेलू खपत को बढ़ाने का विचार किया है जो केवल 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ती है। अतः मेरे प्रश्न हैं: (1) क्या उत्पादक काफी बोर्ड में प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और (2) क्या यह सही है कि उत्पादकों को काफी बोर्ड में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ है।

काफी उत्पादकों ने अभ्यावेदन किया है कि जिन उत्पादकों के साथ कोटा बंधा हुआ नहीं है उनको लाभांश देने के कारण जो हानि हुई है उसे सरकार द्वारा सीमा शुल्क से एकत्रित की गई राशि में से कुछ क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। काफी बोर्ड ने इसे सरकार के साथ पहले से ही उठाया हुआ है और मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि क्या सरकार प्रत्येक वर्ष लागत के कारण की जांच करेगी और काफी के लिए न्यूनतम क्रय मूल्य की घोषणा करेगी।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, मौजूदा समस्या जिसके कारण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है वह काफी उद्योग की विशाल समस्याओं का एक अंशमात्र है। पिछले दशक से ऐसा लगता है कि गत एक दशक से सरकार के द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण ही काफी उद्योग में भारी गिरावट आई है आदि आदि। काफी के उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ सरकार आन्तरिक रूप से काफी की खपत को बढ़ा नहीं सकी है।

[श्री अमल दत्त]

वस्तुत: पिछले 10 वर्षों के पहले चरण के दौरान उत्पादन में तेजी से वृद्धि के बाद, पिछले तीन चार वर्षों से लगभग 55,000 से 60,000 टन प्रतिवर्ष पर यह ठहरा हुआ है। स्पष्ट रूप से काफी बोर्ड ने, जो इस क्षेत्र में सरकार की केवल एक मात्र एजेन्सी है और कम से कम प्रारम्भिक स्तर पर काफी के विपणन में एकाधिकार प्राप्त है। काफी के विपणन, विकास और उन्नति के लिए बहुत कम काम किया है। वास्तव में, अब यह आरोपित किया जा रहा है कि युवा लोग काफी नहीं पीते हैं। यह काफी बोर्ड की असफलता बतलाता है।

दूसरा जिन देशों के साथ कोटा बंधा नहीं है उनके साथ काफी का निर्यात बढ़ाने के लिए व्यापक क्षेत्र है। वास्तव में जिन देशों के साथ कोटा बंधा हुआ नहीं है और जो केवल संख्या में तीन या चार हैं—उनके साथ हम बहुत ही कम मूल्यों पर निर्यात कर रहे हैं। कोटा वाले देशों से ये मूल्य 40 प्रतिशत कम होते हैं। उस हेतुक पर कोई आपत्ति नहीं होगी। काफी बोर्ड को आन्तरिक खपत के साथ-साथ उन देशों के साथ निर्यात को बनाना होगा जिनके साथ कोटा बंधा हुआ नहीं है, इसे नहीं किया गया है। मंत्री जी ने कहा है कि दोनों आन्तरिक और निर्यात बिक्री सहित एम० आर० पी० की औसत 8.1 प्वाइन्ट आती है तथा यह काफी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा सुझाए गए से अधिक है। मैं समझता हूं कि निर्यात तथा आन्तरिक मूल्यों की औसत निकालना गलती है, क्योंकि बड़े उत्पादकों द्वारा निर्यात मूल्य प्राप्त किए जाते हैं, जबकि छोटे उत्पादकों को आन्तरिक मूल्यों के साथ संतुष्ट होना पड़ता है। छोटे उत्पादकों से संकट के संकेत आ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि छोटे उत्पादकों के प्रभुत्व के कारण जो यह नहीं समझे थे कि यह नीति छोटे उत्पादकों के लाभ के लिए थी, निर्यात शुल्क की कमी के सुझाव को काफी बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किया गया था। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिन देशों के साथ कोटा बंधा हुआ नहीं है। उनके साथ जहां तक काफी का सम्बन्ध है, निर्यात को बढ़ाने, घरेलू बाजार में खपत की वृद्धि करने; घरेलू प्रयोजनों के लिए बेची गई काफी तथा जिस मूल्य पर उपभोक्ता खरीदता है। उसके अन्तर को कम करने के लिए क्या योजनाएं हैं? बिचौलियों के लाभ को कम करके इसे किया जाना है अन्यथा काफी की खपत बढ़ नहीं सकती है। गैर परम्पारिक क्षेत्रों में काफी की खेती को बढ़ाने के प्रयोजन के लिए इन सभी की आवश्यकता है, जिस पर हम सबको दिलचस्पी हैं, क्योंकि काफी केवल कुछ राज्यों का ही एकाधिकार हो गई है। गैर-एकाधिकार वाले क्षेत्रों में इसको बढ़ाने के लिए बहुत पहले निर्णय लिया गया था, लेकिन उसे करने से पहले ये सभी शर्तें पूरी होनी चाहिए। अत: क्या माननीय मंत्री इन मुद्दों का जवाब देंगे?

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय सबसे पहले मैं माननीय मंत्री को काफी उत्पादकों के कंधों पर काफी की एम० आर० पी० को नियत करने के बोझ को डालने के लिए धन्यवाद देता हूं। वास्तव में, दिसम्बर 1984 में काफी बोर्ड के अध्यक्ष ने काफी के अधिकतम खुदरा मूल्य का 7.55 रुपए प्रति प्वाइन्ट की सिफारिश की थी और भारत सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। पिछले अवसर पर जब वर्ष 1983 में 5.5 रुपए प्रति प्वाइन्ट से 6.54 रुपए प्रति प्वाइन्ट कीमतें बढ़ी थीं तो उस समय क्या हुआ था? काफी बोर्ड के कुछ बड़े अधिकारी तथा अध्यक्ष हवाई जहाज से बंगलौर गये थे तथा काफी उत्पादकों के साथ एक बैठक की थी। वे वापस आए और भारत सरकार

के संयुक्त सचिव को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा केवल तभी 6.54 रुपये प्रति प्वाइन्ट की दर पर कीमत निर्धारित की गई थी। इस समय यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और माननीय मंत्री महोदय हमें बता रहे हैं कि उन्होंने 600 उत्पादकों से सूचना को एकत्र करने के लिए प्रपत्र परिचालित करवाया था तथा वे केवल 96 उत्पादकों से सूचना प्राप्त कर सकें हैं। इसी कारण वे निर्णय नहीं ले सके। उत्पादकों के कन्धों पर भार डाल देने का सरकार का यह रवैया घटिया है और इससे बचना चाहिए। काफी बोर्ड के अध्यक्ष की सिफारिशों पर विचार करते हुए उन्हें काफी के अधिकतम खुदरा मूल्य को तदर्थ आधार पर निर्धारित करना चाहिए। इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। वास्तव में वे आकड़ों को इकट्ठा करने के नाम पर विलम्ब करने के हथकण्डों को अपना रहे हैं। इससे बचना चाहिए।

महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार गैर-परम्परिक क्षेत्रों में भी काफी के उत्पादन को बढ़ा रही है तथा काफी की कीमत आन्तरिक खपत और अन्य देशों को काफी के निर्यात पर निर्भर होनी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन की सदस्यता 73 हो गई है अर्थात 47 निर्यात करने वाले देश तथा 26 आयात करने वाले देश और कोटे को दो भागों में आबंटित किया गया था अर्थात निर्यात निष्पादन से सम्बन्धित स्टाक के 70 प्रतिशत को निर्धारित कोटा और स्टाक से सम्बन्धित प्रत्येक देश द्वारा रखी गई। सत्यापित स्टाक से संबंधित 30 प्रतिशत। अब इस वर्ष भारत के लिए क्या प्रभावी कोटा है? माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया है कि चालू वर्ष के दौरान वे 97,000 टन काफी के निर्यात करने की आशा करते हैं। अब, अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन से काफी का प्रभावी कोटा क्या है? हमें उन देशों से जिनके साथ कोटा बंधा नहीं है उनसे काफी के निर्यात पर निर्भर होना पड़ेगा। हम नहीं जानते हैं कि उन देशों के साथ जिनके साथ कोटा बंधा नहीं है काफी के निर्यात के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में क्या स्थिति है। वास्तविक रूप से अन्य देशों से काफी के निर्यात की प्रगति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन से उच्चयीय प्रभावी कोटा प्राप्त करने के लिए भी अन्य मुद्दों पर हमको विचार करना होगा। पिछले वर्ष की तुलना में यदि इस वर्ष प्रभावी कोटा कम है तब कुल निर्यात नीचे आएगा। काफी बोर्ड अपने स्थानीय एजेंसियों के माध्यम से काफी इकट्ठी करती है और स्थानीय एजेंसियों की संख्या लगभग 200 है। पिछले दो या तीन वर्षों से संग्रह करने वाली एजेंसियों की संख्या नहीं बढ़ी है। संग्रह करने वाली एजेंसियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि काफी का उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

महोदय, मैं इस तरह से प्रश्न पूछना चाहूंगा। काफी का अधिकतम खुदरा मूल्य तदर्थ आधार पर निर्धारित करने के लिए उन्होंने काफी बोर्ड के अध्यक्ष की सिफारिश को क्यों नहीं माना जब तक सूचना एकत्रित नहीं की जाती तब तक वे काफी के मूल्य को तदर्थ आधार पर निर्धारित कर सकते थे। लेकिन वे यह नहीं कर रहे हैं। इसे किया जाना चाहिए। इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए कि काफी का उत्पादन बढ़ रहा है और इसलिए हमें आन्तरिक बाजार के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार को उचित रूप से देखना चाहिए। हमें उन देशों के साथ जिनके साथ कोटा बंधा नहीं है तथा जिनके साथ कोटा बंधा हुआ है, काफी के निर्यात के लिए प्रगति के कदम भी उठाने चाहिए और वर्ष के लिए प्रभावी कोटा को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि निर्यात में धीरे-धीरे वृद्धि हो सके।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं पूरी तरह से माननीय सदस्य श्री रामचन्द्रन के साथ सहमत हूं कि

[श्री खुर्शीद आलम खां]

देश में एक लाख काफी उत्पादकों में से 63% वास्तविक रूप से छोटे उत्पादक हैं। परन्तु यहां मैं बताना चाहता हूं कि पूलिंग व्यवस्था इस प्रकार की है कि छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादित काफी के साथ-साथ बड़े उत्पादकों को एक साथ पूल किया जाता है और तब उसे निर्यात व घरेलू खपत के लिए रिलीज किया जाता है। इसलिए बिक्री और निर्यात से सम्बन्धित छोटे और बड़े का प्रश्न वास्तविक रूप में संगत नहीं है।

जहां तक न्यूनतम रिलीज कीमत का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने वक्तव्य में पहले से उल्लेख किया है कि जैसे ही हम काफी बोर्ड से प्रस्ताव करते हैं, उसे लागत लेखा शाखा को भेज दिया था जिसने 600 उत्पादकों को एक प्रश्नावली जारी की थी। बहुत मुसीबतों के साथ केवल 96 उत्पादकों से उन्हें उत्तर प्राप्त करना संभव हो पाया। वास्तविक रूप से लागत लेखा शाखा के लोगों ने सोचा कि इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त आंकड़े प्राप्त होना आवश्यक होगा।

डा० के० जी० अदियोडी (कालीकट): साधारण उत्पादकों को दिए गए प्रोफार्मा की मात्रा उनके लिए बहुत कठिन है। इस प्रकार की प्रश्नावली को भरने के लिए एक कम्प्यूटर की आवश्यकता होगी।

श्री अमल दत्त : क्या इस पद्धति को पहले नहीं अपनाया गया था!

श्री खुर्शीद आलम खां : इसको पहले भी अपनाया गया था।

श्री अमल दत्त : कितने लोगों ने जवाब दिया ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं उत्तर देता हूं। मैं यह नहीं बता सकता हूं। वह आंकड़े मेरे पास नहीं है लेकिन व्यवस्था इसी प्रकार की है।

जैसा कि मैंने कहा कि लागत के आंकड़े प्राप्त करने के लिए एक लाख उत्पादकों में से 600 उत्पादकों को प्रश्नावली परिचालित की गई थी। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि मामले की लागत लेखा शाखा के साथ बहुत सक्रियता से जोर दिया जा रहा है (व्यवधान)। मैं आश्वासन देता हूं कि यथाशीघ्र अंतिम रूप देने के लिए तथा कम से कम संभव विलंब को सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ किया जाएगा। (व्यवधान) मैं नहीं समझता कि इस समय तदर्थ संशोधन करने और तब अंतिम-न्यूनतम रिलीज मूल्य निर्धारित करने का यह बहुत उचित समय होगा। इसलिए यदि इसमें थोड़ा सा भी विलंब होता है तो यह अधिक अच्छा होगा कि यदि हमारे पास अन्तिम न्यूनतम रिलीज मूल्य हो।

जैसा कि मैंने कहा कि हम इस मामले पर सक्रियता से विचार करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि इस पर शीघ्रता से विचार करने के लिए सब कुछ किया जाएगा।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि न्यूनतम रिलीज मूल्य घरेलू बिक्री पर प्रभाव डालता है और निर्यात पर नहीं। न्यूनतम रिलीज मूल्य में संशोधन करने के लिए यह समय लेता है। आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं परंतु प्रत्येक फसल के मौसम से पहले आंकड़ों को इकट्ठा करना बहुत कठिन होता है जैसा कि अन्य कुछ कृषि उत्पादों के मामले में किया जाता है। वर्ष 1982 में एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर पिछले न्यूनतम रिलीज मूल्य में संशोधन किया गया था। इसलिए इसमें अधिक समय नहीं लगेगा और हमारे लिए लागत लेखा शाखा के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंच कर इसे अंतिम रूप देना संभव हो सकेगा। मैं यहां यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि लंदन सीमांत मूल्य निम्नतम किस्म की काफी के लिए है। हमारी काफी सदैव बढ़िया किस्म की काफी होती है और इसे निर्यात बाजार में जो कीमत मिलती है वह निम्नतम किस्म की काफी से अधिक होती है।

जहां तक उत्पादन में बढ़ोतरी का संबंध है मैं निश्चित तौर पर सहमत हूं। लेकिन मैं अपने माननीय बंधु श्री दत्त को बताना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र के वह हैं वहां लोग चाय की खेती ज्यादा करते हैं। अगर वह काफी की ही अधिक वकालत करते रहे तो हो सकता है लोग चाय छोड़ दें।

श्री अमल दत्त : गैर पारम्परिक क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल भी शामिल है।

श्री खुर्शीद आलम खां : जी हां, गैर पारम्परिक क्षेत्रों में भी हम यह परीक्षण कर रहे हैं। मेरे विचार से ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि विशाल देश होने के कारण अगर भारत में एक जगह फसल खराब हो जाती है तो ऐसा नहीं होगा कि अन्य क्षेत्र में भी फसल खराब हो। वैसे मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि श्री दत्त की रुचि चाय में है।

मैं मानता हूं कि उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए और उत्पादन बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया भी जाएगा। काफी को जिस मौजूदा रूप में निर्यात किया जाता है उसके अलावा भी उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करके उसका निर्यात किया जा सकता है और इस तरह निर्यात करने से अधिक कीमत मिलेगी। दूसरी बात यह कि निर्यात के नए बाजारों का पता लगाया जाना चाहिए। हमें यह भी देखना होगा कि गैर-पारम्परिक देशों और गैर-सदस्य देशों में भी निर्यात बढ़ाया जाए। माननीय सदस्य श्री रामचन्द्रन ने खरीद कर का उल्लेख किया है। मुझे खेद है कि मैं इसका उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा।

जहां तक बोर्ड के गठन का सम्बन्ध है मेरे विचार से यह बहुत संतुलित बोर्ड है। आप चाहें तो मैं सदस्यों के नाम पढ़ सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सब बातें पढ़ना जरूरी नहीं है।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं श्री अमल दत्त को जानकारी दे सकता हूं।

न्यूनतम निर्गम मूल्य 1982-83 के आंकड़े के अनुसार तैयार किया गया था। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं जैसे ही हमें कुछ और आंकड़े मिलेंगे हमारे लिए यह संभव हो सकेगा कि हम लागत

[श्री खुर्शीद आलम खां]

लेखा शाखा से कहें कि वह शीघ्रता से काम करे ताकि संशोधित न्यूनतम निर्गम मूल्य जारी किया जा सके।

यह भी ठीक है कि जिन देशों के लिए कोटा निर्धारित नहीं है उन्हें निर्यात में रियायत दी जाती है। लेकिन निर्यात शुल्क का निर्धारण करते समय इस पर भी विचार किया जा रहा है क्योंकि इसमें अनेक बार कमी की गई है और अब यह शुल्क एक तरह से न्यूनतम ही है अतः यह इस प्रकार से उत्पादकों पर किसी प्रकार का बोझ नहीं होना चाहिए कि इसके कारण उन्हें हानि नहीं होनी चाहिए।

गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में काफी उपजाने की संभावना का पता लगाना भी जरूरी है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, अगर कभी किसी एक क्षेत्र में फसल नहीं होती तो ऐसा नहीं है कि कुछ अन्य क्षेत्रों में भी फसल नहीं हो। इसीलिए गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में भी उसी तरह इसकी पैदावार की जानी चाहिए जिस तरह हम गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में रबड़ की खेती कर रहे हैं उत्पादकों को बहुत अच्छा समर्थन मूल्य मिल रहा है और अब कमी नहीं है। ब्राजील में फसल नहीं हुई है, इसलिए मेरे विचार से निर्यात मूल्य में कमी की आशंका नहीं होनी चाहिए। वस्तुतः, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि कीमतों में और वृद्धि होने की संभावना है।

यह भी सच बात है कि काफी का सेवन वास्तव में बढ़ता जा रहा है। मैं तो कहूंगा कि कालेज के पढ़ने के दौरान हम कभी काफी नहीं पीते थे। हम हमेशा चाय पीते थे। लेकिन अधिकतर कालेजों और शहरों में काफी का सेवन अधिक किया जाता है।

श्री अमल दत्त : पिछले तीन चार सालों में स्थिति फिर बदल गई है।

श्री खुर्शीद आलम खां : दत्त जी, मेरे विचार से आप दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहेंगे। हम गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में निर्यात कोटा की संभावनाओं का पता लगाने के लिए बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि यहां छोटे और बड़े उत्पादकों का सवाल नहीं उठता, क्योंकि जितनी काफी उगाई जाती है उस सबको मिला लिया जाता है और उसमें से केवल 60% काफी का निर्यात किया जाता है और 40% का घरेलू जरूरतों के लिए उपयोग किया जाता है।

बसु जी भी स्थिति को जानना चाहते हैं। जैसे ही काफी बोर्ड से प्रस्ताव प्राप्त हुआ उसे लागत लेखा शाखा के पास भेज दिया गया। लेकिन जहां तक जारी की गई प्रश्नावली का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं बता चुका हूं, 600 में से केवल 96 लोगों ने ही अभी तक जवाब भेजा है और वे भी, बहुत प्रयास के बाद प्राप्त हुए हैं। हम काफी बोर्ड के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं और इसमें जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं।

हम मौजूदा प्रभावी कोटे को यथा संभव बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्राजील में काफी की फसल नहीं होने के कारण विश्व में काफी की कमी हो गई है। इससे हमारा निर्यात बढ़ेगा।

श्री चिंता मोहन (तिरुपति) : भारत की क्या स्थिति है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : भारत की स्थिति ठीक 2 अगस्त 1985 से प्रति क्विंटल पर 300 रु० के निर्यात शुल्क की कमी की गई है जबकि इसकी कीमत प्रति टन लगभग 1800 पौंड ही चलती रही है। इसलिए इसमें और कमी करने या निर्यात शुल्क को पूरी तरह से खत्म करने का कोई औचित्य नहीं है। न्यूनतम निर्गम मूल्य का निर्धारण सभी बातों को जैसे कृषि संसाधन शुल्क, विपणन शुल्क बोनस ब्याज, कर, उत्पादकों को प्रतिफल और उत्पादकों को भी न्यूनतम 10 प्रतिशत का प्रतिफल ऋण के बाद सुनिश्चित करने को ध्यान में रखकर किया जाता है। 1982 में लागत लेखा रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम निर्गम मूल्य 1-3-83 से 4.45 रुपये प्रति अंश से संशोधित करके 5.5 रुपये प्रति अंश किया गया और 7-12-83 से और बढ़ाकर 6.5 रुपये प्रति अंश कर दिया गया। अब लागत लेखा भार व्यस्त हैं और मुझे विश्वास है कि इसमें जो भी संशोधन किया जाएगा वह काफी बोर्ड द्वारा सुझाई गई सिफारिशों से बेहतर ही होगा।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : पन्द्रह अन्य वस्तुओं को भी इस निर्यात शुल्क से मुक्त किया गया है इसमें आप काफी को भी शामिल क्यों नहीं करते ? वैसे भी 1981 में उत्पादन अधिक हुआ था। भारत सरकार निर्यात शुल्क को खत्म करना चाहती है यह बहुत उलझन में डालने वाली बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 377 के अन्तर्गत आने वाली मदें लेते हैं। आप किस बात का स्पष्टीकरण चाहते हैं ? अब कोई स्पष्टीकरण नहीं। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

श्री अनिल बसु : मेरे विचार से काफी बोर्ड के चेयरमैन बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उन्होंने सरकार को न्यूनतम निर्गम मूल्य की सिफारिश की है। तब आप तदर्थ आधार पर उन्हें मंजूर क्यों नहीं कर रहे ? आप उसे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। आप तो उत्पादकों पर बोझ डाल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री मदन पाण्डेय।

———

12.55 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों और बिहार के पश्चिमी जिलों की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए एक उच्च शक्ति सम्पन्न समिति का गठन

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले तथा उत्तरी बिहार

[श्री मदन पांडे]

के पश्चिमी जिलों में पिछड़ेपन का कारण औद्योगीकरण का अभाव तो है ही, परन्तु आवागमन के मार्ग भी उपेक्षित होने के कारण इस क्षेत्र का देश के अन्य भागों से संबंध नहीं जुड़ पा रहा है। सरकार द्वारा स्वीकृत छितानी बगहा रेल रोड पुल तथा भटनी वाराणसी रेल मार्ग के आमान परिवर्तन की योजनायें शिलान्यास होने तथा उन पर करोड़ों की राशि का व्यय होने के बाद भी उपेक्षित पड़े हुए हैं। इसी प्रकार इस हिस्से के गांवों का सम्पर्क देश के अन्य भागों से इसलिए नहीं जुड़ पाता है कि उनका प्रमुख राजमार्गों से सम्पर्क मार्ग नहीं बने हुए हैं।

अत: मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार एक उच्चाधिकार समिति का गठन करे, जो तीन महीने के भीतर उपरोक्त भू-भाग के रेल तथा सड़क मार्गों का सर्वे कर इस क्षेत्र की परिवहन संबंधी प्राथमिकताओं का आंकलन कर रिपोर्ट दे तथा सरकार उस पर अमल करे।

[अनुवाद]

(दो) जामिया मिलिया को पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा देने की आवश्यकता

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : जामिया मिलिया विश्वविद्यालय हमारी संस्कृति और शैक्षिक परम्परा का अवलम्ब और संरक्षक तथा स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रीय आन्दोलन का केन्द्र रहा है।

इसकी स्थापना महात्मा गांधी, डा० अंसारी, हकीम अजमल खां, अली बंधु, पंडित मोतीलाल नेहरू, मौलाना आजाद, जवाहर लाल नेहरू आदि की प्रेरणा, मार्गदर्शन और संरक्षण में हुई थी। डा० जाकिर हुसैन जैसे व्यक्तियों ने अपनी जिन्दगी का सबसे अच्छा भाग राष्ट्रीय आदर्शों के विकास और दशकों से सोए मुसलमानों को जगाने और साम्यवाद को समाप्त करने के लिए इस विश्वविद्यालय के निर्माण में लगा दिया। इस पवित्र कार्य में उनके साथी थे : डा० आबिद हुसैन, प्रो० मुजीब तथा स्वर्गीय शफीक्कुरहमान जिन्होंने अपना सारा जीवन इस पवित्र काम के लिए न्योछावर कर दिया। इसका जन-संचार संकाय विगत की तरह अभी भी उत्कृष्ट सेवा कर रहा हैं और इसे हर तरह से सुरक्षा और संरक्षण देने की जरूरत है।

बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस सबके बावजूद जामिया मिलिया को अभी भी पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया है और यह विश्वविद्यालय जैसा लगता है ही बना हुआ है और देश के शैक्षिक और साहित्य जगत को बढ़ावा देने वाले उक्त व्यक्तियों की यादगार में भी कुछ नहीं किया गया है।

भारत सरकार को चाहिए कि वह जामिया मिलिया को पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा देने, जामिया और अन्य विश्वविद्यालयों में पीठ, स्थापित करने तथा स्वर्गीय शफीक्कुरहमान किदवई, प्रो० मुजीब और डा० आबिद हुसैन जैसी हस्तियों, आदि, जिनकी लिखी पुस्तकें और अन्य अनुवाद कार्यों

को शैक्षिक और साहित्यिक जगत में श्रेष्ठ रचनाएं माना जाता है, के सम्मान में सड़कों और इमारतों के नाम रखने के लिए शीघ्र कार्यवाही करके तत्काल आदेश जारी करे।

[हिन्दी]

(तीन) ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए और प्रदूषण को रोकने के लिए चित्तौड़गढ़ के पास की खानों के पट्टे रद्द करने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम, 377 के तहत केंद्र सरकार का ध्यान राजस्थान के ऐतिहासिक नगर चित्तौड़गढ़ को माइनिंग विभाग द्वारा कुरूप बनाए जाने की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं।

चित्तौड़गढ़ की भूमि वीर तथा वीरांगनाओं के खून से सींची गई है, जो सर्वप्रथम आजादी की खातिर शहीद हुए। उनके जगह-जगह स्मारक बने हुए हैं। परन्तु अत्यन्त खेद के साथ निवेदन है कि माइनिंग विभाग अंधाधुन्ध माईनिंग लीज दे रहा है। ऐसी ही लीज बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री को दी गई है। बिड़ला सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ शहर के इतनी नजदीक है कि उनके प्रदूषण से मनुष्य तथा पशुधन का स्वास्थ्य तो विकृत हो ही रहा है और शहर के चार या पांच किलोमीटर के रेडियस पर माइनिंग लीज के कारण इस नगर के चारों तरफ खड्डे तथा ब्लास्टिंग भी शुरू हो गई है। इस क्षेत्र के ऐतिहासिक स्मारक फैक्ट्री वालों द्वारा तोड़े जा रहे हैं, जिनमें मंदिर भी सम्मिलित हैं।

चामरिया खेड़ा तथा ओछड़ी नाम के गांवों की चरागाह भूमि तथा आदिवासी भील तथा अनुसूचित जाति व्यक्तियों की जमीन भी माइनिंग लीज पर बिड़ला सीमेंट के अधिकारियों को दे दी गई है। मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि फैक्ट्री जो शहर के बिल्कुल नजदीक है, उसको अन्यत्र शिफ्ट किया जाए जिससे इस क्षेत्र में प्रदूषण रुके एवं इस क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों को तोड़ने से बचाया जा सके। अतः माइनिंग लीज जो शहर के पांच या सात किलोमीटर के रेडियस में है, उन सबको निरस्त किया जाए तथा नई लीज 20 या 25 किलोमीटर पर दी जाए। क्योंकि सारा पत्थर ही लाइम स्टोन है।

1.00 म० प०

[अनुवाद]

(चार) वार्षिक राजकीय पुरस्कारों के लिए पाली और प्राकृत भाषाओं को भी सम्मिलित करने और पुरस्कार की राशि बढ़ाने की आवश्यकता

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : भारत सरकार ने संस्कृत, अरबी और फारसी के विद्वानों के लिए 10 वार्षिक राजकीय पुरस्कारों का समारम्भ किया है। देश में दो अन्य शास्त्रीय भाषाएं यथा पाली और प्राकृत भी हैं जिसका धर्म और धर्मनिरपेक्ष साहित्य की दृष्टि से विपुल भंडार है। अतः सरकार से अनुरोध है कि वह पुरस्कार के लिए प्राचीन भाषाओं की सूची में इन दो भाषाओं

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

को भी शामिल करे। इसके अलावा, सारे देश के लिए वर्तमान पुरस्कारों की संख्या बहुत कम है। सरकार से अनुरोध है इनकी संख्या बढ़ाकर 25 की जाए और पुरस्कार की मौजूदा 5000 रु० की राशि को आगामी वित्तीय वर्ष में बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाए।

[हिन्दी]

(पांच) बिहार के गोपालगंज में विश्व बैंक की सहायता से पटसन, उर्वरकों, आदि के लिए गोदाम स्थापित करने की मांग

श्री काली प्रसाद पाण्डेय (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार का प्रतिष्ठान सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन विश्व बैंक के सहयोग से महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में गोडाउन बनवा रहा है जिसमें जूट, फर्टिलाइजर आदि रखा जायेगा। दुःख की बात है कि इस सुविधा से पूर्वी क्षेत्र को वंचित रखा गया है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और अभी भी हर दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है।

अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि बिहार राज्य के गोपालगंज जिले में विश्व बैंक के सहयोग से इस तरह का गोडाउन खोला जाये। गोपालगंज जिला पूज्य बापू का कर्मक्षेत्र रहा है और आजादी के 38 वर्षों बाद भी आज तक पूर्ण रूपेण अविकसित जिला है।

[अनुवाद]

(छः) टायरों के उचित मूल्यों का निर्धारण और टायर उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की मांग

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : पिछले 18 महीनों से टायर निर्माता टायरों की सप्लाई में गड़बड़ी कर रहे हैं और मंडी में टायरों का बनावटी अभाव पैदा कर रहे हैं तथा सरकार को इनके मूल्य कम से कम दुगने करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, जिसके कारण देश में बहुत गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। इसके बावजूद ट्रकों और बसों के टायर 1600 रुपए प्रति टायर अतिरिक्त मूल्य पर और सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक रहे हैं। यद्यपि औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को मूल्यों में वृद्धि के सम्बन्ध में अध्ययन करने के लिए कहा गया था, इस सम्बन्ध में अभी निर्णय लिया जाना है। सरकार द्वारा कोई निर्णय न लिए जाने के कारण उपभोक्ताओं को ठगा जा रहा है, टायर निर्माता खुले बाजार में टायरों की कम सप्लाई करके ट्रक-बसों के टायरों का बनावटी अभाव पैदा कर रहे हैं। निर्माता दूसरा तरीका क्षमता का कम उपयोग करके अपना रहे हैं हालांकि बाजार में टायरों की काफी मांग है। अधिकांश टायर बनाने वाली इकाइयों का प्रबन्ध कार्य ठीक नहीं है और बाजार में कोई प्रतियोगिता न होने के कारण निर्माताओं की प्रवृत्ति यह रही है कि वे टायर उद्योग की कीमत पर अपनी गतिविधियों को विभिन्न दिशाओं में फैलाते हैं। समय आ गया है कि सरकार इस मामले पर विचार करे और इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करे ताकि उपभोक्ताओं को और अधिक न लूटा जा सके

तथा इस उद्योग, जिसमें बहुत से श्रमिक लगे हुए हैं, को बचाया जा सके। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि सरकार को सभी प्रकार के टायरों के उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए भी तुरन्त कदम उठाने चाहिए। मेरा मंत्री महोदय से भी अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में सभा में वक्तव्य दें।

(सात) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : सरकार के इन दावों के बावजूद कि मूल्य स्थिति में समग्र रूप से काफी सुधार हुआ है, अधिकांश आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पिछले तीन महीनों में काफी बढ़ गए हैं। सरकार ने कहा था कि थोक मूल्य सूचकांक में 2 प्रतिशत की गिरावट आई है, किन्तु इसका आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्यों पर कोई संगत प्रभाव दिखाई नहीं देता है। अरहर दाल, चना दाल, सरसों का तेल, और वनस्पति घी के मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है। इसी तरह सब्जियों के मूल्यों में भी कोई कमी नहीं हुई है। टमाटर और प्याज जो कि सामान्यत: आजकल के मौसम में उचित मूल्यों पर मिल जाते हैं, उनके मूल्य भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों की इस प्रवृत्ति को देखते हुए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह खुदरा मूल्यों की इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए तुरन्त सख्त कदम उठाएं।

(आठ) आन्ध्र प्रदेश के वारंगल जिले में 'पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न' फैक्टरी स्थापित करने की मांग

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : माननीय उद्योग मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने यह घोषणा की थी कि भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में 140 करोड़ रुपए की लागत से एक 'पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न' उद्योग स्थापित करने का निर्णय लिया है।

हैदराबाद और हैदराबाद शहर के सीमावर्ती जिलों—नलगोंडा, महबूब नगर, मेडक, और रंगा रेड्डी में काफी उद्योग लगाए जा रहे हैं। उद्योग लगने के कारण उस शहर में तथा शहर के आस-पास के क्षेत्रों में भीड़-भाड़ बढ़ती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप लोगों को पानी, बिजली और मल जल जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और वहां की वायु में प्रदूषण है। वारंगल जिला हैदराबाद शहर और हवाई अड्डे से 70 किलोमीटर की दूरी पर है, वारंगल जिले में अन्य जिलों की तुलना में बेरोजगारी की समस्या अधिक है। वहां पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। आंध्र प्रदेश के इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। जंगांव, घनापुर, कोडाकांदला और चुंईयाल (पुराना) ताल्लुक आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार ने चिरकालिक सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया हुआ है। भूमिगत जल की कमी के कारण सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वित नहीं हो पा रहा है। इस कारण लोग घर छोड़कर जा रहे हैं और युवाओं में निराशा व्याप्त है। इसका एकमात्र उपाय यही है कि यहां अधिक उद्योग खोलकर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। वारंगल जिले के लोगों को आशा थी कि वहां कोच फैक्टरी लगाई जाएगी, किन्तु राष्ट्रीय एकता के हित में, इस फैक्टरी को पंजाब में लगाया जा रहा है। कम से कम वारंगल जिले में अब पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

उद्योग लगाया ही जाना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश सरकार इसके लिए सभी सुविधाएं देने—जैसे सस्ते मूल्य पर भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयार है क्योंकि पानी उपलब्ध न होने के कारण ये भूमि कृषि कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उपरोक्त फैक्टरी वारंगल में लगाए और वारंगल-जनगांव, घनपुरा और काजीपेट के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए।

(नौ) देश के डाक कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान देने की आवश्यकता

*डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : देश की अधिकांश जनता डाक सुविधाओं पर निर्भर करती है। लेकिन डाक सुविधाएं दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही हैं। 15 वर्ष पहले हमारी डाक-सेवा विश्व की सबसे अच्छी डाक सेवा मानी जाती थी। लेकिन अब इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। केन्द्र सरकार जिसने दूरसंचार को इतना अधिक महत्व दिया है, डाक सेवा की उपेक्षा कर रही है।

डाक विभाग में ऐसे अस्थायी कर्मचारी हैं जो प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं और उन्हें केवल 150 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। यहां तक कि विभाग के अधिकारी भी जीवन बीमा निगम या बैंक के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बराबर वेतन नहीं पा रहे हैं। 7.5 लाख कर्मचारियों में से एक-तिहाई कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के हैं जिन्हें तीन रुपए की सालाना वेतन वृद्धि दी जाती है।

रेल डाक सेवा (आर० एम० एस०) कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या घटा दी गई है। रिक्तियों की पूर्ति नहीं की जा रही है। जो लोग विभागीय परीक्षा पास करते हैं उनकी पदोन्नति नहीं की जाती है। डाक के थैले टिकाऊ नहीं होते हैं। अब यह प्रस्ताव रखा गया है कि लैटर बाक्स 1 किलोमीटर दूरी पर लगाए जाएं।

इन सब कठिनाइयों के बावजूद डाक विभाग बिना हड़ताल या आन्दोलन किए देश की प्रगति के लिए कार्य करता है। अतः मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह इन कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करें ताकि वे देश के लिए अच्छी तरह काम कर सकें।

---

* तमिल में दिए गए वक्तव्य के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 14 मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

2.14 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर चौदह मिनट पर पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

वायुयान (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और वायुयान (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 16 अक्टूबर, 1985 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित वायुयान (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (1985 का अध्यादेश संख्या 7) का निरनुमोदन करती है।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष जी, इस आर्डिनेंस का नोटिस 16 अक्टूबर को जारी किया और संसद का चालू सत्र बुलाने के लिए भी 16 अक्टूबर को समन इश्यु किया गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या एक महीने तक नहीं रुका जा सकता था। इसको विधेयक के रूप में ला सकते थे। सन् 83 से पहले आंध्र प्रदेश सरकार अध्यादेशों की सरकार जानी जाती थी। बार-बार आर्डिनेंस जारी करने की वजह से ही वहां की कांग्रेस सरकार हार गई और तेलुगु देशम का राज आया। राष्ट्रपति जी ने लोक सभा बुलाने के लिए जो नोटिस इश्यु किया, उसकी कापी मेरे पास है। वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं।

[अनुवाद]

राष्ट्रपति जी ने यह नोटिस 16 अक्तूबर को लोक सभा को 18 नवम्बर को सुबह 11 बजे बुलाने के लिए जारी किया और यह अध्यादेश भी राष्ट्रपति जी द्वारा 16 अक्तूबर को ही जारी किया गया।

[हिन्दी]

इसमें मूलभूत अधिकार जो जनता को दिया गया है उसको इस अध्यादेश के द्वारा छीना जा रहा है। जून में जो एयरक्राफ्ट बम विस्फोट के कारण नष्ट हुआ था, उसकी जांच श्री बी०एन० कृपाल कर रहे हैं, यह इसमें बताया गया है। "विद-इन दी कैमरा" जांच कर रहे हैं जिससे प्रेस के लोग वहां न जा सकें। इसके आपने दो कारण बताए हैं। एक तो आपने यह कहा कि अखबार में प्रोसीडिंग्स

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

आएंगी तो उसका कुछ न कुछ नुकसान होगा और जो विटनेस हैं वे भी आतंकवादियों से डर रहे हैं क्योंकि उनका नाम बताना ठीक नहीं है। इसलिए आप विद इन दी कैमरा इन्क्वायरी कराना चाहते हैं। इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत यह बताया गया है कि जो जज रहता है उसको "औपन" या "विद इन दी कैमरा" जांच करने का पूरा अधिकार है एमरजेंसी के समय भार्गव कमीशन, जो नक्सलवादियों के खिलाफ जांच कर रहा था, उसने विद इन दी कैमरा अपना फैसला कर लिया था। इसी प्रकार श्री बी०एन० कृपाल भी अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने नियम 75 में संशोधन कराने के लिए केन्द्र सरकार को लिखा, यह इसमें नहीं बताया है। नियम-75 को बदलने का सरकार को अधिकार है। अगर तीन महीने से पहले इम्प्लीमेंटेशन होता है तो सैक्शन-14 को भी बदलना पड़ता है। इस मामले में अलग से क्लाज बना सकते हैं या जांच होने तक ही सीमित रख सकते हैं। स्थाई रूप से बदलना ठीक नहीं है। सैक्शन-14 को मैं पढ़कर सुनाता हूं।

[अनुवाद]

धारा 14 में कहा गया है :

"इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अधीन है कि नियम तीन मास से अन्यून अवधि के पूर्व प्रकाशन के पश्चात बनाए जाएंगे।"

[हिन्दी]

नियम बनने के बाद सबार्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी में भी पास होना चाहिए। यदि नियमों में कोई बात ऐसी है जो जनता के हितों के खिलाफ है तो उसके विरुद्ध, नियमों के पब्लिकेशन के तीन महीने बाद, जनता अपनी आवाज उठा सकती है। चाहे लोक सभा के सदस्य हों अथवा साधारण नागरिक, यदि किसी नियम के कारण जनता का अहित होता है तो वे उसके खिलाफ ओब्जेक्शन पेश कर सकते हैं। उसे आप मानें या न मानें, मगर जनता के पास वह एक प्रकार का अधिकार था, लेकिन इस विधेयक के जरिए आप उसे जनता से छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इस सैक्शन के डर से विधेयक से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साफ मायने यह हैं कि सरकार सैक्शन 14 को पूरा निकाल कर सारे अधिकार अपने हाथों में लेना चाहती है। हां, अगर आप नियम 75 को बदलना चाहते हैं तो खुद बदल सकते हैं और उसके लिए अमैंडमैंट ला सकते हैं। कनिष्क की इंक्वायरी में कुछ लोग आतंकवादियों के डर से गवाही देने नहीं आ रहे हैं, उनकी आइडैन्टिफिकेशन करके बोलें तो ठीक नहीं होगा। अगर त्रिदिन कैमरा रख सकते हैं तो जांच के लिए आप अलग रख सकते हैं। मगर इससे हमको यह पता चलता है कि सैक्शन 14 को पूरा निकालकर सारे अधिकार सरकार अपने पास रखना चाहती है। सिर्फ एक नियम को बदलने के लिए आप पूरे अधिकार अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इंक्वायरी रिपोर्ट आप जल्दी चाहते हैं, इसके बारे में आपने कुछ सोचा है तो तीन महीने को घटाकर एक महीना कर सकते हैं, 15 दिन कर सकते हैं लेकिन आप तो इस पूरे सैक्शन को ही निकाल देना चाहते हैं।

[अनुवाद]

"इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अधीन है कि नियम पूर्व प्रकाशन के प्रश्चात् बनाए जाएंगे।"

[हिन्दी]

प्रीवियस पब्लिकेशन का नाम छोड़ दिया।

[अनुवाद]

"परंतु केन्द्रीय सरकार लोकहित में, लिखित आदेश द्वारा, किसी मामले में पूर्व प्रकाशन की शर्त से अभिमुक्ति दे सकेगी।"

[हिन्दी]

यदि आप समझते हैं कि 3 महीने बहुत हैं तो उसको कम करके 15 दिन कर दीजिए, एक महीना कर दीजिए लेकिन आप तो यह चाहते हैं कि हम जो चाहे नियम बना दें, लागू कर दें और कोई उनके खिलाफ आवाज न उठाये, कोई उनके विरुद्ध न बोले परन्तु डैमोक्रेसी में यह चलने वाला नहीं है और ऐसी चीजें तानाशाही में ही चल सकती हैं कि गवर्नमेंट जैसा चाहे आर्डर निकाल दे और जनता उसे हर हालत में मान ले। इस तरह से काम नहीं चलेगा।

अक्तूबर माह में आपने जो अध्यादेश निकाला है, उससे आप पता नहीं क्या चाहते हैं। कनिष्क वायुयान में जो बम विस्फोट हुआ, उसमें सारे ही लोग मारे गये, वे तो अब आ नहीं सकते। यदि उसकी रिपोर्ट एक महीना देरी से आती है तो उसमें आपको क्या ऑब्जेक्शन है, उसकी रिपोर्ट जल्दी आ जाए तो भी आपका उससे कुछ होने वाला नहीं है, आपने उसमें कुछ नहीं करना है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अध्यादेश निकालने की बात गलत है और इस नियम के जरिए सरकार जनता के मूलभूत अधिकारों को अपने हाथ में ले लेना चाहती है जो किसी भी गणतंत्र में डैमोक्रेसी में संभव नहीं है और सरकार के इस तरह जनता के अधिकार को छीनने की कोशिश करने के हम खिलाफ हैं।

इसके साथ-साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इण्डियन एयरलाइंस वाले क्या कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज क्या हैं। चूंकि इस समय एयरक्राफ्ट पर ही चर्चा चल रही है तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हमारे जगदीश टाइटलर जी, जो स्वयं इस विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने एक स्टेटमैंट में क्या कहा है :

[अनुवाद]

"इण्डियन एयरलाईंस पर भी नजर रखी जा रही है। श्री टाइटलर ने तीन वायु सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को निदेश दिये हैं कि वे जनता के समक्ष अपनी छवि सुधारने

[श्री० सी० जंगा रेड्डी]

की कोशिश करें, हवाई जहाजों में अच्छे किस्म का भोजन परोसें, और यात्रियों के साथ और अधिक शिष्टाचार का व्यवहार करें।"

नागर विमानन राज्य मंत्री श्री जगदीश टाइटलर ने यह वक्तव्य दिया है।

[हिन्दी]

उनका मतलब क्या है : अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। अगर समय पर आपको कोई फोन करे तथा फ्लाइट 3-4-5 या 6 घंटे लेट हो तो आप लोगों को फोन करके बुलाने की हिम्मत नहीं रखते हैं, बुलाने की कोई सुविधा नहीं है। बुलाने की कोई व्यवस्था नहीं है, हमको वे सीधे टेलीफोन कर सकते हैं, हम वहां पहुंचते हैं, हमें वहां बैठने के लिए कोई जगह नहीं। हम दिल्ली के एयर पोर्ट पर जाते हैं, वहां देखते हैं क्राउडेड पीपुल हैं, हमें बैठने का कोई जगह नहीं, हम परेशान होते हैं, वहां हमें बैठने को कुर्सी भी नहीं मिलती है। छः—साढ़े छः बजे को फ्लाइट होती है। आप सर्विसेस के बारे में क्या बोल रहे हैं, ये सर्विसेस बिलकुल ठीक नहीं हैं!

आपने कपूर साहब के खिलाफ बयान दिया। जिस वक्त वे विदेश में थे, आप तो जानते हैं, हम तो उनको सैक करने के लिए बोल रहे हैं, हम तो उनको हैंग करने के लिए बोल रहे हैं, उनको हैंग कीजिए। मुझे पता नहीं आपकी सरकार का रवैया क्या है। वह तो आलरेडी छुट्टी पर थे और आपकी सरकार ने बयान दे दिया कि हमने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया, हमारे मिनिस्टर साहब ने बयान दे दिया कि हमने छुट्टी पर भेज दिया है, वे कहते हैं कि मैं खुद गया हूं। यह क्या तमाशा है। महोदय उन्होंने कहा है, मैं आपके सामने उस अखबार में कोट करना चाहता हूं—

[अनुवाद]

कैप्टिन कपूर ने जो विदेश में छुट्टियां मना रहे थे, यहां पहुंचते ही तुरन्त उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया।

इससे पूर्व कैप्टिन कपूर ने पत्रकार सम्मेलन में घोषणा की थी कि प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के पास उनके हस्तक्षेप की मांग करने के लिए जाएंगे क्योंकि उन्हें यह महसूस हुआ कि उन्हें अन्तर्देशीय हवाई अड्डे के निर्माण के संबंध में विवाद में व्यर्थ ही उलझाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने राज्य मंत्री से मतभेद प्रकट किया था और एयरलाइन्स में कुछ वरिष्ठ पदों की नियुक्ति के संबंध में उनके सुझावों का विरोध किया था।

[हिन्दी]

इसके बारे में भी जांच होनी चाहिए और उपाध्यक्ष महोदय, जो जगदीश टाइटलर ने स्टेटमेंट

दिया है, उसके बारे में भी जांच होनी चाहिए। क्या कारण है कि हमारी बिलव्ड प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इन्दिरा गांधी के जन्म दिन पर उस इन्टरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला था, उसको दो साल आगे के लिए क्यों बढ़ाया गया, उसका क्या कारण है, महोदय, आप हमारी जानों से खेल रहे हैं, लेकिन इसकी कोई रेस्पांसिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो कारगोशेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में रहना चाहिए, वह तक आपके प्लान में नहीं है, जब कि वह अभी तक तो वहां होना चाहिए, लेकिन आपके प्लान में ही नहीं है। यह क्यों नहीं है, यह तो इन्टरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बहुत आवश्यक चीज है, इसका होना अत्यावश्यक है।

महोदय, एयरक्राफ्ट के बारे में बहुत कुछ चीजें मुझे आपको बतानी हैं। महोदय हमको फ्लाइट पकड़ने के लिए 45 मिनट या एक घण्टे पहले पहुंचना पड़ता है, लेकिन वहां पर फ्लाइट समय पर नहीं चलती है, जिसके कारण हमें वहां पर काफी इन्तजार करना पड़ता है। इसलिए मेरा आप से अनुरोध है कि जितनी भी फ्लाइट्स हैं, उनको आप इम्पोर्टेंस देकर समय पर भेजने की व्यवस्था कीजिए। इसके उपरान्त महोदय, मुझे दूसरा मुख्य सुझाव यह देना है कि समय सारिणी में तब्दीली होनी चाहिए। तीसरी बात महोदय, मुझे यह कहनी है कि जो टिकट हम लेते हैं, वह बहुत मंहगे होते हैं, एक हजार, दो हजार और तीन हजार रुपये तक के होते हैं, वह कोई छोटी-मोटी धनराशि नहीं होते, किंतु यदि टिकट खो जाए, तो हमें पैसा वापिस नहीं मिलता, जो कि बहुत गलत प्रथा है जब इस टिकट की वैलिडिटी तीन महीने तक होती है, तो टिकट खो जाने पर हमें पैसा वापस क्यों नहीं मिलता। इसकी आपको व्यवस्था करनी चाहिए कि यदि टिकट खो जाए, तो उसका पैसा हमको वापस मिल जाए। दो-तीन साल पहले भी तो यह प्रथा थी कि अगर टिकट खो जाए, तो उसका पैसा हमको मिल जाता था।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं एक और सुझाव यह दूंगा कि जो ऐयरक्राफ्ट पर पहुंचने के लिए सिटी बुकिंग एजेंसियों पर बस अथवा अन्य वाहन की सुविधा जैसे पहले मिलती थी वैसी ही सुविधा हमें अब मिलनी चाहिए। आपने इसका प्रबन्ध एक्स सर्विसमैन को दे दिया है, यह ठीक है, किंतु हमें तो फ्लाइट पकड़ने के लिए घर से एक-दो घण्टे पहले जाना पड़ता है और उस वक्त कोई व्यवस्था नहीं होती है। टैक्सी बुलाओ तो वह एक सौ रुपये ले लेता है और हमें पता तक नहीं लगता वह अपनी टैक्सी को कहां-कहां घुमाता रहता है और हमें पेमेंट करनी पड़ती है। इसलिए महोदय मेरा सुझाव है कि जैसे 5-6 साल पहले सिटी बुकिंग एजेंसीज से फ्लाइट पकड़ने के काफी समय पहले उनकी अपनी व्यवस्था परिवहन की होती थी, वैसी ही व्यवस्था अब होनी चाहिए। कभी-कभी तो महोदय यहां तक होता है कि जब हमें जरूरत होती है तो कोई भी टैक्सी वाला मिलता ही नहीं है। यह इन्तजाम मैं सिर्फ यहां दिल्ली में ही करने की बात नहीं कह रहा हूं, सारी जगहों पर जैसे हैदराबाद है, दिल्ली है या और जहां-जहां पर भी इस प्रकार की फ्लाइट्स होती हैं, वहां पर सभी जगह इस प्रकार का इन्तजाम होना चाहिए। टैक्सियों में सवारी सुरक्षित भी महसूस नहीं करती है क्योंकि कभी-कभी अकेले महिलाओं को भी सफर करना पड़ता है। इसलिए शहरों में एयर बुकिंग एजेंसियों से उनको अपनी परिवहन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि सही समय पर हम फ्लाइट पकड़ने के लिए एयर पोर्ट पर पहुंच सकें।

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

उपाध्यक्ष महोदय, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट ठीक होने चाहिए। जैसा कि आपको मालूम है "कनिष्क" दुर्घटना सिक्योरिटी का अरेंजमेंट ठीक न होने के कारण हुई है और आप अब उसके संबंध में कोई बिल भी ला रहे हैं। महोदय, आपको मालूम है कि जब हमारा विमान कनिष्क हवाई अड्डे से उड़ा, तो उसमें जो पेसेंजर्स चढ़े, उनको चैक करने के लिए सिक्योरिटी का प्रापर अरेंजमेंट नहीं था जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इंटरनेशनल एक्ट के तहत वहां पर सिक्योरिटी का ठीक इन्तजाम न होने के खिलाफ आपने क्या आवाज उठाई है और उसका क्या परिणाम निकला है।

महोदय, जो कम्प्यूटर की व्यवस्था है, वह भी ठीक नहीं है यानि हमारा कम्प्यूटर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। इस बारे में भी आपको सुधार करने और हमें उन सुधारों से अवगत कराए जाने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का पूरी तरह से विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि वायुयान अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक का उद्देश्य वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 में संशोधन करना है जिससे सरकार को संशोधित नियम के तीन महीने की अवधि के लिए पूर्व प्रकाशन की आवश्यकता को हटाना है। इसका परिणाम यह होगा कि, विधेयक में वायुयान (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (1985 का 7) दिनांक 16 अक्तूबर 1985 को संसद के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

एयर इंडिया का बोइन्ग 747-237 बी० विमान वी० टी०-ई० एफ० ओ० "कनिष्क" ए० एक-182 उड़ान पर जाते हुए 23 जून, 1985 को आयरलैंड से 185 समुद्री मील की दूरी पर उत्तर अटलांटिक समुद्र में नष्ट होकर गिर गया। केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बी० एन० कृपाल को इस दुर्घटना के सम्बन्ध में एक औपचारिक जांच करने के लिए नियुक्त किया है।

वायुयान, नियम 1937 के नियम 75 में वायुयान दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में औपचारिक जांच करने की व्यवस्था की गई है। इस नियम में अन्य बातों के साथ-साथ यह बात भी निर्धारित की गई है कि सरकार द्वारा नियुक्त न्यायालय खुली अदालत में औपचारिक जांच का कार्य करेगा।

इस मामले में यह देखा गया है कि सुरक्षा का तत्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और खुली अदालत में कोई कार्यवाही करना जनता के हित में नहीं होगा। एक दो मामलों में साक्ष्यों की पहचान को उनकी सुरक्षा तथा अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए गुप्त रखा जाएगा। अत: यह आवश्यक है कि नियम 75 में प्रावधान के लिए वायुयान नियम 1937 में तुरन्त संशोधन किया जाए जिससे न्यायालय यह निश्चय कर सकता है कि कार्यवाही का कुछ भाग बन्द कमरे से किया जा सके।

वायुयान अधिनियम की धारा 14 में यह व्यवस्था की गई है कि नियम बनाने से पूर्व इसे कम से कम तीन महीने की अवधि में प्रकाशित किया जाना चाहिए। अत: संशोधन में तीन महीने से अधिक समय लग जाता जिससे दुर्घटना की जांच में विलम्ब होगा।

अत: यह निश्चय किया गया कि जनता के हित में किसी भी मामले में पूर्व प्रकाशन की पूर्ति को छोड़कर केन्द्रीय सरकार को अधिकार देने के लिए वायुयान अधिनियम 1934 की धारा 14 में संशोधन किया जाए।

यह भी महसूस किया गया कि धारा में तीन महीने के पूर्व प्रकाशन का जो प्रावधान है वह अवधि अत्यधिक लम्बी है। हाल के अधिनियमों की प्रणाली का अनुसरण करते हुए यह बेहतर होगा कि पूर्व प्रकाशन की कोई न्यूनतम अवधि निर्धारित न की जाए।

संसद का अधिवेशन नहीं था और न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी, यह उचित समझा गया कि वायुयान अधिनियम 1934 की धारा 14 का अध्यादेश के द्वारा संशोधन किया जाए।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं सदन द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने की सिफारिश करता हूं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : "निर्धारित समय" क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

(एक) "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 16 अक्तूबर, 1985 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित वायुयान (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (1985 का अध्यादेश संख्या 7) का निरनुमोदन करती है।"

(दो) "कि वायुयान अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब, श्री अय्यप्पु रेड्डी बोल सकते हैं।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : उपाध्यक्ष महोदय, हम अधिनियम के इस संशोधन का दो कारणों से विरोध करते हैं।

संशोधन से तो सबसे पहले अधिनियम को ही खतरा है। 1934 के अधिनियम को 51 वर्ष पूर्व पारित किया गया। उस समय, वायुयान युग का प्रारम्भिक समय था। मेरा मतलब वायुयान युग के प्रारम्भिक चरण से है। 51 वर्ष के पश्चात भारी परिवर्तन हुआ है और अच्छा सुधार हुआ है कि अब हम पूरी तरह वायुयान युग में आ गए हैं। अब वायुयान युग से अंतरिक्ष युग में जाने का समय है—वायुयान से अंतरिक्ष युग भी आ चुका है। यह अधिनियम गत 51 वर्षों से चला आया है। आरम्भ में जब विधेयक की कल्पना की गई तो विधायी नीति बनाने में काफी कठिनाई हुई। अत: विधेयक केन्द्रीय सरकार को सभी शक्तियां देता रहा। यदि आप विधेयक देखेंगे तो आपको इसमें निर्णायक धारा 5 मिलेगी जिससे केन्द्र को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। यह अधिनियम बिमान विनियमन, उत्पादन, स्वामित्व, प्रयोग प्रचालन, बिक्री, आयात तथा निर्यात के उद्देश्य से बनाया गया था। यहां तक कि पतंग को भी वायुयान की परिभाषा में शामिल किया गया है।

अब इस बात का उल्लेख करके कि अधिनियम का उद्देश्य यह कार्य करना था। धारा 5 स्पष्ट रूप से यह सभी शक्तियां केन्द्रीय सरकार को दे रखी हैं। धारा 5 में कहा गया है कि :

> "केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति; केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी वर्ग के वायुयान के उत्पादन, स्वामित्व, प्रयोग, प्रचालन, बिक्री, आयात और निर्यात को विनियमित करने के संबंध में नियम बना सकती है।"

इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरी शक्ति केन्द्रीय सरकार को दी गई थी और विधान-मण्डल ने विधायी नीति की परिभाषा नहीं की। संसद ने भी विधायी नीति की परिभाषा नहीं की। और जब हम धारा 6 के सम्बन्ध में बात करते हैं, तो यह धारा आपात स्थितियों में केन्द्र सरकार द्वारा आदेश देने के संबंध में है। धारा 7 का संबंध केन्द्रीय सरकार की दुर्घटनाओं की जांच के लिए नियम बनाने के विषय में है। धारा 8 का संबंध केन्द्रीय सरकार को जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए नियम बनाना है। धारा 8 (ख) जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आपातकालीन शक्तियों के संबंध में है। धारा 9 का संबंध केन्द्रीय सरकार का घोषित सम्पत्ति के सुरक्षित अभिरक्षण और पुनः वितरण के लिए नियम बनाने से है। इसी कारण आरम्भिक चरणों में, विधायी नीति बनाने के बदले, केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने के सभी अधिकार दिये गये।

अब हम यह समझ सकते हैं कि विधानमण्डल ने केन्द्रीय सरकार को सभी शक्तियां देना उचित

क्यों समझा। इसलिए कि वायुयान उस समय प्रारम्भिक स्तर पर था, यह एक नया विज्ञान और एक नई तकनीक थी। अत: संसद ने संभवत: यह महसूस किया कि केन्द्रीय सरकार को यह सभी शक्तियां दे दी जाएं। किन्तु फिर धारा 14 शामिल करके एक प्रकार के नियन्त्रण की व्यवस्था करने के प्रति भी वे सतर्क थे। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया कोई नियम प्रकाशित होना चाहिए और तीन महीने तक यह प्रकाशित रहना चाहिए तत्पश्चात् यह लागू होना चाहिए। अब इस अधिनियम में धारा 14 को इसलिए रखा गया ताकि इसे स्वैच्छिक तथा असंवैधानिक मान कर रद्द किये जाने से रोकने के लिए बनाया गया। विधायी नीति अभी तयार नहीं की गई किन्तु केन्द्रीय सरकार को यह सौंप दी गई है। असंवैधानिक होने के कारण इसको अलग किए जाने की संभावना को रोक दिया गया और धारा 14 जोड़ने से अधिनियम की सुरक्षा हुई। इससे नियन्त्रण रखे जाने की व्यवस्था हुई। नियन्त्रण यह था कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी नियम इसके लागू होने से पूर्व प्रकाशित होना चाहिए। जब आप धारा 14 को अन्त:स्थापित कर रहे हैं तो वास्तव में आप अधिनियम की संवैधानिक वैधता को खतरे में डाल रहे हैं। यह मेरा नम्र निवेदन है। अत: कृपया इसकी जांच करवाइये, इस अधिनियम की धारा 5 से धारा 9 की विशेष स्थिति का ध्यान रखते हुए—अधिनियम के सभी व्यावहारिक महत्त्वपूर्ण खंडों में—केन्द्रीय सरकार को सभी शक्तियां दी गई हैं। संसद द्वारा कोई विधायी नीति निरूपित नहीं की गई है। अत: यदि आप यह छोटी धारा भी वापस ले लेते हैं जिसमें केन्द्रीय सरकार को दिए गए एकतरफा अधिकार और स्वच्छन्द शक्ति भी शामिल है तो अधिनियम को असंवैधानिक समझ कर खारिज किया जाएगा। यही मैं कहता हूं। केन्द्र को दिए जाने वाली नग्न शक्तियां तथा एकतरफा शक्तियां देने वाले अधिनियम थोड़े से ढके हुए थे। अत: यदि आप इस धारा को भी वापस लेंगे, तो अधिनियम की सारी कलई खुल जाएगी। अत: इस पहलू की जांच की जाए।

जैसा कि श्री जंगा रेड्डी द्वारा सुझाव दिया गया कि धारा 14 का संशोधन कुछ इस प्रकार किया जाए जिससे संवैधानिक वैधता बनी रहे। तीन महीने के स्थान पर आप एक सप्ताह अथवा 10 दिन का उल्लेख कर सकते कि सरकारी राजपत्र में कम से कम 10 दिन के लिए इसका प्रकाशन होना चाहिए। इसके बदले पूरे उपबंध को छोड़ दिया गया है जिसके वास्तविक परिणाम के रूप में वायुयान अधिनियम ऐसा है जिस प्रकार केन्द्र सरकार इसका अर्थ समझना चाहती है। अत: इस प्रकार का अधिनियम संवैधानिक रूप में समर्थन प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा।

इस अधिनियम के 51 वर्ष पश्चात् वायुयानों के विभिन्न प्रकारों के संबंध में न केवल राष्ट्रीय अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक परिवर्तन सुधार तथा विकास हुए हैं। अब अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा आदि इन सभी प्रकार के विचार सामने आए हैं। नए प्रौद्योगिकी विकास हुए हैं। नए पहलू सामने आए हैं। मैं माननीय मंत्री से केवल यह अनुरोध करता हूं कि वह खंड 2 की परिभाषा देख लें। फिर, उस समय उन्होंने केवल तीन बातों—वायुयान, हवाई अड्डा और हवाई क्षेत्रों की परिभाषा दी है।

[श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी]

अब अनेक नए तकनीकी मुद्दे सामने आए हैं। अतः वायुयान के संबंध में एक बृहद् विधेयक अत्यन्त आवश्यक है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रधान मंत्री एक वाहनचालक हैं। उन्हें स्वयं "वायुयान" और "हवाई अड्डे" और "हवाई क्षेत्र" का ज्ञान है। हमारे अनुभव तथा विदेशों के अनुभव को भी मिलाया जा सकता है और इस विषय पर एक बृहद् विधेयक लाया जा सकता है।

एयरवेज तथा एयरलाइन्स के संबंध में इस विधेयक पर चर्चा करना उचित नहीं होगा, किन्तु मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है और मैं माननीय मंत्री का ध्यान वायुदूत सेवा की ओर दिलाना चाहता हूं। यह सेवा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसे एक अलग विभाग तथा एक अलग संस्थान समझा गया है। मैं समझता हूं कि इसको इंडियन एयरलाइन्स की सहायक शाखा के रूप में लिया जाना चाहिए। वायुदूत सेवा प्रारम्भिक चरण पर है। हमारा विचार है कि इस सेवा के कुछ केन्द्रों अथवा कुछ लाइनों पर निजी उद्यमियों को देने का भी विचार है। जो भी हो, वायुदूत सेवा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और भारत के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण नगर तथा व्यापार केन्द्र में एक छोटे हवाई अड्डे तथा विमानपत्तन की आवश्यकता है ताकि मुख्य सेवा के साथ एक सम्पर्क सेवा स्थापित हो सके। आन्ध्र प्रदेश में वायुदूत सेवा की तीन छोटी लाइनें आरम्भ की गई हैं। वह बिलकुल कार्य नहीं कर रही हैं। कई प्रश्न पूछे गए हैं। हैदराबाद से कडप्पा, हैदराबाद से तिरुपति, हैदराबाद से विशाखापत्तनम, हैदराबाद से विभिन्न अन्य व्यवसायिक केन्द्रों तथा औद्योगिक केन्द्रों के बीच सेवा नहीं हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वायुदूत सेवा में शीघ्रता से सुधार करें।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : मैं वायुयान (संशोधन) विधेयक, 1985 के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रपति द्वारा 16 अक्तूबर, 1985 को प्रख्यापित अध्यादेशों का स्थान लेना है। मुझे 23 जून 1985 को कनिष्क के उत्तरी एटलांटिक समुद्र में दुखद रूप में डूब जाने के संबंध में नौकरशाही की सुस्ती पर टिप्पणी करते हुए खेद हो रहा है। इस बात का निर्णय करना विमान दुर्घटना की जांच करने वाले न्यायालय पर छोड़ दिया गया कि किसी विलम्ब के बिना न्यायालय की कार्यवाही बन्द कमरे में करने के लिए 1937 के वायुयान नियमों में संशोधन करना होगा। क्या यह छोटा-सा कानून जुलाई-अगस्त अधिवेशन में प्रस्तुत तथा पारित नहीं किया जा सकता था ? राष्ट्रपति का अध्यादेश 16 अक्तूबर, 1985 को प्रख्यापित हुआ था। इसमें पांच महीनों का विलम्ब क्यों हुआ ? एयर इंडिया बोइंग 747 से संबंधित अभूतपूर्व घटना को ध्यान में रखते हुए वायुयान नियम, 1937 में इस प्रकार का संशोधन करना आवश्यक बन गया है, और मुझे इस बात के अतिरिक्त कुछ नहीं कहना है। मैं सरकार पर इस बात के लिए बल देना चाहता हूं कि वायुयान अधिनियम, 1937 में व्यापक संशोधन किया जाए ताकि सरकार भविष्य में इस प्रकार की संकट की स्थिति में अकस्मात् न फंस जाए। बदलती हुई परिस्थितियों में, मूल अधिनियम की पुनः जांच की जाए। समाचार-पत्र में आया कि इस विध्वंस में लगभग 350 मृतकों में से अभी तक केवल 20 दावे निपटाए गए हैं। एयर इंडिया ने सामान्य बीमा कम्पनी से पूरा मुआवजा प्राप्त किया है। मैं जानना

चाहता हूं कि इस ध्वंस में मरने वाले एयर इंडिया के कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को पूरा मुआवजा मिला है अथवा नहीं। इसी प्रकार मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या एयर इंडिया ने जापान की सरकार के निष्कर्षों के संबंध में यह समाचार नोट किया है कि जापान एयरलाइन्स का जो बोइंग 747 विमान जापान के तट से दूर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसकी जांच के दौरान इस विमान में निर्माण संबंधी कमियों का भी पता चला है। मैं जानना हूं कि माननीय मंत्री जी कहेंगे कि एक सदस्यीय आयोग इन सभी पहलुओं की जांच करेगा और रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सरकार इस मामले में उचित कार्यवाही करेगी। लेकिन मैं यह कहूंगा, कि बोइंग 747 के निर्माण संबंधी दोषों के बारे में जापान की सरकार के निष्कर्षों को भी ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है।

एक और समाचार भी आया है कि इण्डियन एयरलाइन्स 12 वायुयान पट्टे पर ले रही है। मैं चकित हूं कि इन्डियन एयरलाइन्स विमान प्राप्त करने के सम्बन्ध में इतनी लापरवाही से काम लेती हैं। क्या हम किसी भी प्रकार के वायुयान में एक सौ यात्री ले जाने का जोखिम उठा सकते हैं ? यहां मैं याद दिलाना चाहूंगा कि सी० सुब्रह्मण्यम समिति ने भारतीय वायु सेवा के लिए वायुयान की किस्म के बारे में रिपोर्ट दी थी। यह कई वर्ष पूर्व हुआ था। मुझे लगता है कि रक्षा मंत्रालय ने यह रिपोर्ट लागू नहीं की है। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन्डियन एयर लाइन्स तथा एयर इन्डिया दोनों को कोई उचित वायुयान ढूंढ़ निकालना चाहिए। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस समस्या की ओर भी ध्यान देंगे।

भारतीय विमानन ने पिछले पखवाड़े में अपनी 75वीं जयन्ती बड़ी धूमधाम से मनाई। हमारे प्रधान मन्त्री भूतपूर्व विमान-चालक हैं। प्रधान मन्त्री के कार्यालय में दो कार्यकारी दलों द्वारा वायु टैक्सियां आरंभ करने के सम्बन्ध में दो अलग-अलग व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। मैं समझता हूं कि इसमें वायुयान की किस्म तथा इसकी सीटों की क्षमता के विषय में कुछ अस्पष्टता है। यदि इन दो कार्यकारी दलों की सिफारिशें स्वीकार कर ली जाएं तो यह विमानन उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगी। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा गोआ की राज्य सरकारों ने वायुदूत के सहायक के रूप में क्षेत्रीय एयरलाइन स्थापित करने का सुझाव दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस उद्देश्य के लिए डोर्नियर 228-200 वायुयान को उचित समझा गया है। राज्यों के भीतरी भागों में अनेक नगरों तथा क्षेत्रों के लिए वायु टैक्सी सेवाएं होनी चाहिएं। मैं सुझाव देता हूं कि इस मामले में शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए।

आज के समाचार-पत्र में एक समाचार आया है जिसमें 35 सीटों वाले नई तकनीक के एक वायुयान की बिक्री की पेशकश की गई है जिसे पूर्ण रूप से या किसी भाग को स्वदेश में तैयार किया जाए। मुझे पूरी आशा है कि विमान-पत्तन उद्योग को प्रधान मंत्री द्वारा पूरा बल तथा प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

[डा० ए० कलानिधि]

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मुझे एयर इण्डिया के चेयरमैन के संबंध में उठे विवाद पर खेद है। पहले उनसे छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया था, और आज समाचार पत्रों में यह बात आई कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि खुले तौर पर इस प्रकार की गंदगी का प्रचार क्यों हो यदि एयर इन्डिया के चेयरमैन प्रभावशाली नहीं पाए गए तो क्या उन्हें इतनी धूम-धाम के बिना एकदम नहीं निकाला जा सकता। कम से कम भविष्य में इन बातों को टाल दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे एयरलाइन्स का मनोबल घट जाता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री भविष्य में ऐसे विवाद न खड़े हों इसके लिए उपाय करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए चन्द बातें कहना चाहता हूं।

जहां तक इस बिल का सवाल है, इस बिल के आब्जेक्ट और रीजन्स से जाहिर है कि इस बिल की जरूरत महसूस हुई, इसलिए यह बिल लाया गया है। एयर इंडिया का जहाज "कनिष्क" 23 जून, 1985 को एक्सीडेंट का शिकार हुआ। इस बारे में इन्क्वायरी हो रही है। इसके लिए जो कमीशन बैठाया गया, उसमें कुछ मुश्किलात सामने आ रही हैं। जो गवाही देना चाहते थे, वे इसलिए एवीडेंस नहीं देना चाहते, कि कहीं वे आतंकवादियों के शिकार न बन जाएं। तो जब इनको यह अहसास हुआ तब जाहिर है कि जस्टिस कृपाल कमीशन ने सरकार को रिक्वेस्ट की होगी कि जब तक आप रूल्स में कोई चेन्जेज नहीं लाते, तब तक तहकीकात नहीं हो सकता। अब 3 महीने में अगर चेन्ज नहीं लाए, तो तीन महीने फिर इनको इन्तजार करना पड़ता और तीन महीने का टाइम एक बहुत ज्यादा वक्फा होता है। इसलिए इस अरजेन्सी के कारण इसमें तरमीम लाए। जब यह एक्सीडेंट हुआ था, तो इस हाऊस की दोनों साइड्स के आनरेबिल मेम्बरों ने यहां पर शोर मचाया था कि इसमें फौरी तौर पर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो इंक्वायरी कमीशन गवर्नमेंट ने बैठा दी। उसके बाद जब ये मुश्किलात आई तो सरकार को यह महसूस हुआ कि जब तक इस क्लाज को तरमीम नहीं किया जाता, इंक्वायरी जल्दी से कम्पलीट नहीं हो सकती। जैसाकि मिनिस्टर साहब ने अभी बताया है कि इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए भी कोई टाइम लिमिट है। इसलिए इसको जल्दी से लाने की जरूरत महसूस हुई और हमारे बुजुर्ग साथी श्री जंगा रेड्डी और श्री अय्यप्पु रेड्डी ने इसको अपोज किया है। इन्होंने कहा है कि 16 अक्तूबर को जब पार्लियामेंट सेशन नोटीफिकेशन इशू हुआ था, तो सही ढंग से और रेगुलर ढंग से इस बिल को इस सेशन में लाया जा सकता था लेकिन जैसा कि मैंने पहले सबमीशन की है एक महीने से भी ज्यादा का वक्फा इसमें इन्वोल्व था। इसमें इंक्वायरी कराना जरूरी था और सरकार को इस

बिल को लाने की जो जरूरत महसूस हुई है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जिसे अपोज किया जाए और मैं इसको सपोर्ट करता हूं।

साथ ही मैं चन्द बातें और कहना चाहता हूं। एयर इन्डिया, इन्डियन एयरलाइन्स और वायुदूत के मैनेजमेंट के बारे में कुछ बातें अपोजीशन के साथियों ने उठाई हैं। मैं समझता हूं कि अगर सही मैनेजमेंट करवाना है, तो शायद यह जरूरी था और सरकार ने जो कुछ किया है, वही सही कदम है और इसमें हमको लैक्सीटी नहीं बरतनी चाहिए। जहां हमारे मैनेजमेंट में कोई मुश्किलात आती हों, डिले होती हो और कारपोरेशन्स को चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता हो जैसा कि न्यूजपेपर रिपोर्ट्स से पता चलता है कि कुछ आपस में खींचातानी होती रही है पास्ट में, इसको दूर करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है, वह मैं समझता हूं सही कदम है। साथ ही जैसाकि दूसरे साथियों ने दूसरे मसले उठाए हालांकि इस बिल से खसूसी तौर कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, मैं भी आनरेबिल मिनिस्टर साहब और आनरेबिल हाऊस के नोटिस में कुछ मसले लाना चाहता हूं। एक तो यह है कि आप वायुदूत का थर्ड एयरलाइनर बहुत सारी जगहों पर चालू कर रहे हैं। हाल ही में लक्षद्वीप के बारे में एनाउन्स किया है और जल्दी ही जम्मू सेक्टर के कुछ एरियाज को भी आप लिंक करने जा रहे हैं और इसमें डोरनियर एयरक्राफ्ट जो इस वक्त हमारे देश में एसेम्बिल हो रहा है और कुछ नए जहाज लाए भी हैं, उनको आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मैं आप को बता दूं कि आनरेबिल मिनिस्टर आफ स्टेट ने 26 नवम्बर को मेरे लेटर के जवाब में एक लेटर मुझे लिखा था। मैंने उनसे डिमांड किया था कि जम्मू व काश्मीर सेक्टर में जो वायुदूत सेवा आप चालू करने जा रहे हैं, उसको कारगिल सेक्टर तक एक्सटेंड कीजिए लेकिन उनका कहना है कि 9575 फीट से ऊपर यह डोरनियर हवाई जहाज जा ही नहीं सकता। मुझे ताज्जुब यह है कि आप ऐसा जहाज क्यों लाए, जो ऊपर ठीक तरह से उड़ ही नहीं सकता। यह तो अलग बात है अगर सरकार ऐसे जहाज लेने जा रही है। यहां पर यह सर्विस उन जगहों पर चालू कर रही है जहां आलरेडी ट्रांसपोर्ट फेसिलिटीज हैं, रेलवे है और दूसरी फैसिलिटीज हैं। आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जहां साल में 6 महीने कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता है। वहां के लोगों के लिए भी कुछ सोचिये, कुछ कीजिये। मैं इसके लिए आपका मशकूर हूं कि आपने लद्दाख के लिए बोइंग सर्विस शुरू कर दी है। आप इसको एक-एक दिन और बढ़ा दो। कम से कम जब रास्ता बंद हो उस वक्त यह सर्विस तो लोगों को वहां से मिल सके। अब कोई गरीब आदमी है, बीमार है, इलाज के लिए आ जाए। कोई बिजनसमैन है, कोई सरकारी कर्मचारी है, वहां से कोई एयर के बगैर नहीं आ सकता है। इसलिए इसे आप देखिए।

मेरी गुजारिश है कि एयर फोर्स के पास ए० एन०-32 एयरक्राफ्ट पहले से हैं। हालांकि ये एयर लाइंस के पास नहीं हैं। यह प्लेन हाई आल्टीट्यूड पर उड़ सकता है और इसको टेक आफ और लैंडिंग के लिए शार्ट स्ट्रिप की जरूरत होती है। दूसरे यह प्रेशराइज्ड है और बहुत ऊंचाई पर जा सकता है। लेह जैसे जो शार्ट स्ट्रिप हैं, जहां पर कि टेक आफ और लैंडिंग की प्राब्लम्स हों, जहां पर कि प्लेन को हाई एल्टीट्यूड पर उड़ना पड़ता है, वहां के लिए इसके बारे में सोचने की जरूरत है। जो एरिया बिल्कुल कट आफ है, लैंड लाक्ड है, उसके बारे में ठंडे दिल से आप सोचें।

[श्री पी० नामग्याल]

एक आससे मेरी गुजारिश यह है कि लद्दाख से इन्डियन एयरलाइंस की सर्विस को आप एक-एक दिन बढ़ा दीजिए। एक दिन वाया चन्डीगढ़ बढ़ा दीजिए और एक दिन वाया श्रीनगर बढ़ा दीजिए। इससे यह सर्विस डेली हो जायेगी। कारगिल सेक्टर में ए० एन०-32 की पहले से लैंडिंग हो रही है। आप रक्षा मंत्रालय से स्पेशल परमीशन लेकर वहां से इस एयरक्राफ्ट की सर्विस शुरू करने का बंदोबस्त कीजिए। जब तक आप कोई सूटेबल एयरक्राफ्ट लाएं तब तक तो आप यह बन्दोबस्त कीजिए। ए० एन०-32 हाई एल्टीट्यूड पर चल सकता है। उसको शार्ट स्ट्रिप की जरूरत है। उसको कोई लम्बा-चौड़ा एयर स्ट्रिप नहीं चाहिए।

इस वक्त जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, वे उस वक्त लेह तशरीफ लाए थे जब वे पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उस समय भी वहां के लोगों ने उनके सामने इसकी मांग रखी थी। मैं उनकी तवज्जोह फिर दिलाना चाहता हूं कि वे इस मसले को हल करें।

इन चंद शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। आप वक्त पर यह अमेंडमेंट बिल लाए हैं।

شری پی۔ نامگیال (لداخ)

اپادھیکش مہودے میں اس بل کا سمرتھن کرتے ہوئے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں جہاں تک اس بل کا سوال ہے اس بل کے آبجیکٹ اور ریزنس سے ظاہر ہے کہ اس بل کی ضرورت محسوس ہوئی اس لئے یہ بل لایا گیا ہے۔ ایئر انڈیا کا جہاز "کنشک" ۲۳ر جون ۱۹۸۵ کو ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا۔ اس بارے میں انکوائری ہو رہی ہے۔ اس کے لیے جو کمیشن بٹھایا گیا اس میں کچھ مشکلات سامنے آ رہی ہیں جو گواہی دینا چاہتے تھے وہ اس سے ایویڈینس نہیں دینا چاہتے کہ کہیں وہ آتنک وادیوں کے شکار نہ بن جائیں۔

تو جب ان کو یہ احساس ہوا تب ظاہر ہے کہ جسٹس کرپال کمیشن نے سرکار کو ریکویسٹ کی ہوگی جب تک آپ رولس میں کوئی چینجز نہیں لاتے جب تک تحقیقات نہیں ہو سکتا۔ اب ۳ مہینے میں اگر چینج نہیں لائے تو تین مہینے پھر ان کو انتظار کرنا پڑتا اور تین مہینے کا ٹائم ایک بہت زیادہ وقفہ ہوتا ہے۔ اس لئے اس ارجنسی کے کارن اس میں ترمیم لائے۔ جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس ہاؤس کی دونوں سائڈس کے آنریبل ممبروں نے یہاں پہ شور مچایا تھا کہ اس میں فوری طور پر انکوائری ہونی چاہیئے۔ تو انکوائری کمیشن گورنمنٹ نے بٹھا دی۔ اس کے بعد جب یہ مشکلات آئی تو سرکار کو محسوس ہوا کہ جب تک اس کلاز کو ترمیم نہیں کیا جاتا۔ انکوائری سے کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ منسٹر صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ انکوائری رپورٹ سبمٹ کرنے کے لئے بھی کوئی ٹائم لمٹ ہے۔ اس لیے اس کو جلدی سے لانے کی ضرورت محسوس ہوئی اور ہمارے بزرگ ساتھی شری جنگا ریڈی اور شری ایم ریڈی نے اس کو اپوز کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ۱۷ر اکتوبر کو جب پارلیمنٹ سیشن نوٹیفکیشن ایشو ہوا تھا تو صحیح ڈھنگ سے اور ریگولر ڈھنگ سے اس کو اس سیشن میں لایا جا سکتا تھا لیکن جیسا کہ میں نے پہلے سبمشن کی ہے ایک مہینے سے بھی زیادہ کا وقفہ ... میں اتفاقہ

تھا۔ اس میں انکو ائری کرانا ضروری تھا اور سرکار کو اس بل کو لانے کی جو ضرورت محسوس ہوئی ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جسے اپوز کیا جائے اور میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں۔

ساتھ ہی میں چند باتیں اور کہنا چاہتا ہوں۔ انڈین ایئر لائنس اور وایو دوت کے مینجمنٹ کے بارے میں کچھ باتیں اپوزیشن کے ساتھیوں نے اٹھائی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح مینجمنٹ کروانا ہے تو شاید یہ ضروری تھا اور سرکار نے جو کچھ کیا ہے وہ صحیح قدم ہے اور اس میں ہم کو لیکینسی نہیں برتنی چاہیئے۔ جہاں ہمارے ان مینجمنٹ میں کوئی مشکلات آتی ہوں ڈے ٹو ڈے ہوتی ہوں اور کارپوریشنس کو چلانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہو جیسا کہ نیوز پیپر رپورٹس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ آپس میں کھینچا تانی ہوتی رہی ہے پاسٹ میں اس کو دور کرنے کے لیے سرکار نے جو قدم اٹھایا ہے وہ میں سمجھتا ہوں صحیح قدم ہے۔ ساتھ ہی جیسا کہ دوسرے ساتھیوں نے دوسرے مسئلے اٹھائے حالانکہ اس بل سے خصوصی طور پر کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں میں بھی آنریبل منسٹر صاحب اور آنریبل ہاؤس کے نوٹس میں کچھ مسئلے لانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ وایو دوت کا تھرڈ ایئر لائنز بہت ساری جگہوں پر چالو کر رہے ہیں۔ حال ہی میں لکشدیپ کے بارے میں اناؤنس کیا ہے اور جلدی ہی جموں سیکٹر کے کچھ ایریاز کو بھی آپ لنک کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ڈورنیئر ایئر کرافٹ جو اس وقت یہاں ہمارے دیش میں اسیمبل ہو رہا ہے اور کچھ نئے جہاز لائے بھی ہیں ان کو آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آنریبل منسٹر آف اسٹیٹ نے ۲۷ نومبر کو میرے لیٹر کے جواب میں ایک لیٹر مجھے لکھا تھا۔ میں نے ان سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ جموں کشمیر سیکٹر میں جو وایو دوت سیوا آپ چالو کرنے جا رہے ہیں اس کو کارگل سیکٹر تک ایکسٹینڈ کیجئے لیکن ان کا کہنا ہے کہ ۹۵۷۵ فٹ سے اوپر یہ ڈورنیئر ہوائی جہاز جا ہی نہیں سکتا مجھے تعجب یہ ہے کہ آپ نے ایسا جہاز کیوں لائے جو اوپر ٹھیک طرح سے اڑ ہی

نہیں سکتا

یہ تو الگ بات ہے اگر سرکار نے جہاز دینے جا رہی ہے۔ یہاں پہ یہ سروس ان جگہوں پر جیب کر گزر رہی ہے جہاں آلریڈی ٹرانسپورٹ فیسلٹیز ہیں۔ ریلوے ہے اور دوسری ہیں۔ تو آپ ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچئے جہاں سال میں ۷ مہینے کوئی کمیونکیشن نہیں رہتا ہے وہاں کے لوگوں کے لئے بھی کچھ سوچئے کچھ کیجئے۔ میں اس کے لئے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے لداخ کے لئے بوئنگ سروس شروع کر دی ہے۔ آپ اس کو ایک ایک دن اور بڑھا دو۔ کم سے کم جب راستہ بند ہو اس وقت یہ سروس تو لوگوں کو وہاں سے مل سکے۔ اب کوئی غریب آدمی ہے بیمار ہے علاج کے لئے آ جائے۔ کوئی بزنس میں ہے کوئی سرکاری کرمچاری ہے وہاں سے کوئی ایئر کے بغیر نہیں آ سکتا ہے۔ اس لئے ایسے کیجئے۔

میری گزارش ہے کہ ایئر فورس کے پاس اے این ۳۲ ایئر کرافٹ پہلے سے ہیں حالانکہ ایئر لائنس کے پاس نہیں ہیں۔ یہ پلین ہائی آلٹیٹیوڈ پہ اڑ سکتا ہے اور اس کو ٹیک آف اور لینڈنگ کے لئے شارٹ اسٹرپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے یہ پریشرائزڈ ہے اور بہت اونچائی پر جا سکتا ہے۔ لیہ جیسے جو شارٹ اسٹرپ ہیں جہاں پر ٹیک آف اور لینڈنگ کی پرابلمس ہوں جہاں پر کہ پلین کو ہائی آلٹیٹیوڈ پر اڑنا پڑتا ہے وہاں کے لئے اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو ایریا بالکل کٹ آف ہے لینڈ لاکڈ ہے اس کے بارے میں ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں۔

ایک آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ لداخ سے انڈین ایئر لائنس کی سروس کو آپ ایک ایک دن بڑھا دیجئے۔ ایک دن وایا چنڈی گڑھ بڑھا دیجئے اور ایک دن وایا سری نگر بڑھا دیجئے تو اچھا ہے یہ سروس ڈیلی ہو جائے گی۔ کارگل سیکٹر میں اے۔ این ۳۲ کی پہلے سے لینڈنگ ہو رہی ہے۔ آپ رکشا منترالیہ سے اسپیشل پرمیشن لے کر

وہاں سے اس ایئرکرافٹ کی سروس شروع کرنے کا بندوبست کیجئے۔ اسے ایچ ایس ۷۴۸ ہائی آلٹیٹیوڈ پر چل سکتا ہے۔ اس کو شارٹ اسٹرپ کی ضرورت ہے۔ اس کو کوئی لمبا چوڑا ایئرسٹرپ نہیں چاہیئے۔

اس وقت جو ہمارے ٹرانسپورٹ منسٹر ہیں وہ اس وقت لیہ تشریف لائے تھے جب وہ پبلک انڈرٹیکنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ اس سمے بھی وہاں کے لوگوں نے ان کے سامنے اس کی مانگ رکھی تھی۔ میں ان کی توجہ پھر دلانا چاہتا ہوں کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں۔

ان چند شبدوں کے ساتھ میں اس بل کا سمرتھن کرتا ہوں۔ آپ وقت پر یہ بہتر بل لائے ہیں۔

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : विधेयक 1934 के वायुयान अधिनियम में संशोधन करने के लिए लाया गया है। मेरी आपत्ति अध्यादेश के प्रख्यापन के ढंग से है। एयर इन्डिया बोइंग का 23 जून, 1985 को ध्वंस हुआ। पांच महीने तो पहले ही गुजर चुके हैं। सरकार इस अधिनियम का संशोधन संसद के वर्षाकालीन अधिवेशन में कर सकती थी किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। किन्तु जब पूछ-ताछ हो रही थी तब न्यायालय ने पूछताछ के दौरान यह सुझाव दिया कि 1937 के वायुयान नियमों को विलम्ब के बिना संशोधित किया जाए जिससे बन्द कमरे में न्यायालय की कार्यवाही हो सके न्यायालय की इस टिप्पणी के पश्चात् सरकार ने 16 अक्तूबर, 1985 को अध्यादेश का प्रख्यापन किया है। मेरी आपत्ति सरकार के कार्य करने के ढंग से है। उन्हें पहले ही वर्षाकालीन अधिवेशन में ऐसा करना चाहिए था।

3.00 म० प०

(श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए)

1934 का यह वायुयान अधिनियम एक पुराना अधिनियम है। इसे ब्रिटेन के लोगों ने प्रख्यापित किया जो उस समय हमारे देश पर शासन कर रहे थे। इस अधिनियम का संशोधन बहुत पहले होना चाहिए था क्योंकि अब हम अत्यन्त जटिल वायुयानों का प्रयोग कर रहे हैं और हम 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ने की बात कर रहे हैं।

महोदय, जून 1982 में, जब सहार हवाई अड्डे पर एयर इन्डिया बोइंग 707 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जांच न्यायालय ने अनेक सिफारिशें की जिनमें से एक सिफारिश यह थी कि :

"उड़ान सम्बन्धी विभिन्न जांचों के लिए जो निर्धारित प्रपत्र हैं वे पुराने हो गए हैं और उनका प्रयोग आधुनिक वायुयानों के लिए नहीं किया जा सकता है। यह सिफारिश 1982 में की गई थी, जब बोइंग 707 का ध्वंस हुआ था। उससे पूर्व भी अनेक हवाई दुर्घटनाएं हुईं किन्तु सरकार ने 1934 के इस अधिनियम में संशोधन के लिए इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं दिया।

मैं इन दुर्घटनाओं से पीड़ितों के परिवारों को दिए जाने वाले मुआवजे के विषय में दो शब्द कहना चाहूंगा। हम नहीं जानते हैं कि क्या यह दुर्घटना तोड़-फोड़, मानव असफलता अथवा मशीन की असफलता के कारण हुई है। इस बात का कुछ समय के बाद जांच से पता चलता है किन्तु जांच में विलम्ब के कारण उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है। यदि मनुष्य की गलती के कारण अथवा मशीन की असफलता के कारण गड़बड़ हुई है तो मुआवजा निर्धारित करने के लिए कुछ नियम हैं किन्तु यदि यह तोड़-फोड़ के कारण हुई है तो मुआवजा वर्तमान सामान्य रूप में दिए गए मुआवजे से बहुत अधिक होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इन सब बातों

[श्री अजित कुमार साहा]

की ओर ध्यान देंगे और एक ऐसा नया कानून बनाएंगे जिसके अन्तर्गत ये सब बातें आएं और पुराने अधिनियम की कमियों को भी दूर किया जाए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

माननीय मंत्री महोदय, हमारी बात भी सुन लीजिए। 707 कलकत्ता-दिल्ली फ्लाइट के बारे में हमने कई बार बताया है, इसका समय बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका समय वैसे 8.55 है।

श्री नारायण चौबे : कभी समय पर नहीं आता है।

श्री अजित कुमार साहा : दस बजे यहां से छूटता है और 12 बजे पहुंचता है। इस समय कहीं आने-जाने का समय नहीं रहता। इस सवाल को हमने कंसल्टेटिव कमेटी में भी उठाया है, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

कृपया इसे नोट कीजिए क्योंकि हमें समय के विषय में बहुत कठिनाई हो रही है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : माननीय सभापति महोदय, 23 तारीख को जो घटना हुई, जो दुखदायी घटना हुई, उसके लिए सारे सदन ने अफसोस जाहिर किया था और आज भी कर रहा है, लेकिन मेहरबानी करके बतलाइए कि 23 तारीख के बाद आपके विभाग ने कौन से रूल्स बना दिए और बनाने के बाद उसने सदन में रख दिए ? आपको पावर्स हैं कि आप रूल्स बना सकते हैं, आपने ले लिए हैं आर्डिनेंस के जरिए, बिना पब्लिकेशन के रूल्स बना दिए जाएंगे। सैक्शन-14 को आपने ओमिट कर दिया और जो भी रूल्स बनायेंगे उसके लिए तीन महीने का समय नहीं देना चाहते। उस समय के बाद क्या आपने सदन की मेज पर नियम बनाकर रख दिया गया नहीं। अब आपकी इंक्वायरी चल रही है और सैक्शन 14 को ओमिट कर दिया।

[अनुवाद]

"14. इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अध्यधीन है कि नियम, तीन मास के अन्यून अवधि के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाएंगे।"

[हिन्दी]

आपने वह तो किया लेकिन वे रूल्स कहां हैं। पहला सवाल यह है कि वे रूल्स सदन की मेज पर गए या नहीं।

[अनुवाद]

"234. (1) जब संविधान के अनुसरण में अथवा संसद द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में बनाया गया कोई विनियम, नियम या उपनियम, उपविधि आदि सदन के समक्ष रखी जाए तो वह संविधान अथवा संगत अधिनियम में निर्धारित जितनी अवधि के लिए रखी जानी अपेक्षित है वह अवधि सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने और तत्पश्चात् सत्रावसान होने से पूर्व पूर्ण होगी, जब तक कि संविधान अथवा संगत अधिनियम में अन्यथा उपबंधित नहीं हो।"

[हिन्दी]

मैं यह मानकर चलता हूं कि आपने नियम बना लिए होंगे। इंक्वायरी आपकी चल रही है। उस इंक्वायरी के लिए वे रूल्स सदन की मेज पर कब रखे हैं और अगर नहीं रखे हैं तो यह बिल पारित होने से पहले रख दीजियेगा, इतनी मेहरबानी जरूर कर दीजिए। एक बात बता देना चाहता हूं। जो कुछ भी रूल्स बनते हैं, वे एक्ट के तहत बनते हैं और जिन लोगों को इफेक्ट करते हैं, वे चाहते हैं कि उन रूल्स में अपने सजेशन्स दे दें। कमेटी आन सबार्डिनेट लेजिस्लेशन ने कई बार यह सिफारिश की है कि रूल्स बनाने के लिए पीरियड दिया जाए ताकि जिन लोगों को ये कानून या नियम इफेक्ट करते हों, वे अपने आबजेक्ट्स फाईल कर सकें और कमेटी के सामने आ सकें कि जो रूल्स बनाए गए हैं वे कानून के खिलाफ नहीं हैं और हमको हार्डशीप्स क्रिएट करते हैं और हमारे लिए नुकसान पैदा करते हैं। बस कमेटियों ने यह सिफारिश कर दी है। लेकिन पता नहीं मंत्री जी ने क्या ठीक समझा। पहली कमेटी ने जो कुछ कहा, वह मैं पढ़कर सुनाता हूं।

[अनुवाद]

अध्यादेश जारी किया गया। कृपया अध्यादेश पढ़िये और वह उस दिन से कानून बन गया। यह अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन में प्रकाशित हुआ था। इसमें कहा गया है कि :

"समिति महसूस करती है कि यदि अधिनियम जनता को कतिपय प्रारूप नियमों पर अपनी टिप्पणी भेजने का अधिकार देते हैं, तो यही उचित होगा कि प्रारूप नियमों को अन्तिम रूप देने से पहले उनके अध्ययन तथा उन पर अपनी टिप्पणी भेजने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। समिति का विचार है कि प्रारूप नियमों के राजपत्र में प्रकाशित होने तथा देश के विभिन्न भागों को पहुंचाने में जो समय लगे उसे शामिल न करते हुए जनता का इन प्रारूप नियमों पर अपनी टिप्पणी देने के लिए कम से कम 30 स्पष्ट दिनों का समय दिया जाना चाहिए।"

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (छठी लोक सभा) ने कहा था :

[श्री मूल चन्द डागा]

"समिति बार-बार इस पर जोर देती रही है कि जब अधिनियम जनता को किन्हीं पारूप नियमों पर अपने विचार भेजने का अधिकार देते हैं तो उचित यह है कि उन प्रारूप नियमों के अध्ययन के लिए और उन पर अपने विचार/सुझाव भेजने के लिए जनता को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए" समिति ने यह सिफारिश कई बार की है।

[हिन्दी]

इसलिए मेरा कहना है कि सैक्शन 15 में ये पावर्स मौजूद हैं। अब सैक्शन 14 क्या है :

[अनुवाद]

"इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अध्ययधीन है कि नियम, तीन मास के अन्यून अवधि के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाएंगे"

आप एक परन्तुक जोड़ सकते हो कि यदि आप चाहे तो लोकहित में इसमें छूट दे सकते हैं।

[हिन्दी]

इसके बारे में मैंने एक अमैंडमैंट दिया है जिसमें मैंने कहा है कि अगर आप ऐसे जरूरी मामले में कुछ अधिकार चाहते हैं, तो मेरे अमैंडमैट को ले आईये।

[अनुवाद]

"पृष्ठ 1,—

खण्ड 2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"2. वायुयान अधिनियम, 1934 में धारा 14 के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

परन्तु केन्द्रीय सरकार, लोकहित में, लिखित आदेश द्वारा, किसी मामले में पूर्व प्रकाशन की शर्त में ढील/छूट दे सकती है।" (2)

[हिन्दी]

अब मैं श्रीमान का ध्यान सैक्शन 8 की तरफ दिलाना चाहता हूं :

[अनुवाद]

"8 क. केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी विमान क्षेत्र पर आने वाले या स्थित होने वाले किसी वायुयान से लोक स्वास्थ्य को किसी संक्रामक या सांसरिकि रोग के

प्रवेश या फैलने से होने वाले संकट को रोकने के लिए और किसी विमान क्षेत्र से प्रस्थान करने वाले किसी वायुयान के माध्यम से संक्रमण या संसर्ग के प्रवहण को रोकने के लिए नियम बना सकेगी...''

अब 8 ख :

''यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि भारत या इसके किसी भाग में कोई खतरनाक महामारी फैली हुई है या फैलने की आशंका है और वायुयान द्वारा लोक स्वास्थ्य को उस रोग के प्रवेश या फैलने से होने वाले संकट को रोकने के लिए तत्समय प्रवृत्त निधि के सामान्य उपबन्ध अपर्याप्त हैं तो केन्द्रीय सरकार ऐसे संकट को रोकने के लिए ऐसे अध्युपाय कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे।''

[हिन्दी]

अगर आप सैक्शन 7 में अमैंडमैंट कर देते तो कुछ समझ में बात आती लेकिन आपने तो उसके बदले यह कहा कि 30 दिन में पब्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है जब कि मैं चाहता था कि आप पब्लिकेशन के लिए कुछ प्रोवीजन अवश्य रखें, कोई प्रोवीजो लगा दीजिए कि कुछ विशेष हालात में जब आप समझते हों कि ऐसा करना बहुत जरूरी है तो उसे आप डिस्पेंस-विद कर दें :

[अनुवाद]

आपको तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए और परन्तुक होना चाहिए।

[हिन्दी]

इसलिए महोदय ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश हो सकें क्योंकि पब्लिश होने के बाद ही जनता को उनके बारे में जानकारी मिल सकती है और वह अपने ऑब्जैक्शन फाइल कर सकती है। अन्यथा जनता अपने अधिकार से वंचित रह जाती है और वह कुछ कह नहीं सकती कि इन नियमों के अन्दर क्या बातें ठीक हैं और क्या गलत। इसलिए श्रीमन् मैंने जो अमैंडमैंट दी है, मेहरबानी करके, विभाग उस पर गौर करे और आपने जो कुछ कहा है, प्रीवियस पब्लिकेशन के सम्बन्ध में, कभी-कभी जब ऐसी अकस्मात् घटनाएं हो जाती हैं, जिसके लिए जरूरी हो, तो आप मेहरबानी करके डिस्पोजल कर दीजिए, अन्यथा आप उसको रखिए, ताकि लोग रूल्स और रेगुलेशन्स को पढ़ सकें और अपने सजैशंस दे सकें, अन्यथा जो अधिकार दिए हैं और जो कमेटी ने रिकमैंडेशन की हैं, कमेटी का मतलब पार्लियामेंट और पार्लियामेंट ने भी इसको बार बार रिकमेंड किया है, यहां पर पार्लियामेंट में बार बार रिकमेंड हो चुका है कि हर कानून के लिए ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश होने चाहिए ताकि जनता का जो अधिकार है, उसे वह मिल सके और उन कानूनों को पढ़कर वह अपने सजैशंस दे सके। इसलिए महोदय मेरी आप से विनती है कि आप मेरे इस अमैंडमैंट को स्वीकार करिए जिससे जनता को लाभ हो सके और आपकी तथा पार्लियामेंट की जो मंशा है, वह पूरी हो सके। आप मेरे इस अमैंडमैंट को स्वीकार करेंगे, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

[अनुवाद]

श्री एच० एम० पटेल (साबरकांठा) : सभापति महोदय, मैं इस संशोधी विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि यह नियम बनाने के महत्व के बारे में सरकार की बढ़ती हुई उपेक्षा को उजागर करता है। यह संसद सरकार को कुछ स्थितियों में नियम बनाने की शक्ति देती है। जहां तक इस अधिनियम का संबंध है, इसमें लगभग सभी शक्तियां सरकार को दी गई थीं क्योंकि यह उस समय पारित किया गया था जब विमान उद्योग और विमान सेवाएं अपनी प्रारम्भिक स्थिति में थीं।

मेरे माननीय दोस्त श्री डागा ने जो मुझ से पहले बोले थे, उस अत्यधिक महत्व का उल्लेख किया जो संसद अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यपालिका को दी गई नियम बनाने की शक्तियों को हमेशा देती रही है और संभवत: इस बात को देती रही है कि ये प्रकाशित क्यों हों। जब सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी जाती है तो सरकार से कार्यपालिका के रूप में यह सुनिश्चित करने की आशा की जाती है कि जनता को ऐसे नियम से पूरी तरह से अवगत कराया जाए और उसे अपने विचार या सुझाव या आपत्तियां उठाने का अवसर दिया जाए ताकि सरकार उन्हें उन नियमों को बनाने से पहले पूरी तरह से ध्यान में रख सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ आपातकालीन मामलों में आपको तुरन्त कार्रवाही करने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसी शक्ति इस अधिनियम में केवल कुछ संक्रामक बीमारियों आदि के बारे में दी गई है।

लेकिन अब जो कहा जा रहा है वह यह है कि सभी मामलों में ऐसी कोई अवधि रखे बिना पूर्ववर्ती प्रकाशन की अनुमति दी जाए। प्रस्तावित संशोधन में "तीन महीनों से कम नहीं" शब्दों को निकाल दिया गया है और किन्हीं मामलों में बिल्कुल भी "कोई पूर्ववर्ती प्रकाशन नहीं" शब्द हो सकते हैं अब मुझे ऐसा बिल्कुल असाधारण लगता है कि इस मामले में इस शक्ति को बिल्कुल ही ले लेने की क्या आवश्यकता थी? जैसा कि ठीक ही कहा गया है, सामान्य रीति से पारित करके कोई संशोधन करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त समय है। यह वह समय है जब नियुक्त की गई जांच समिति ने सिफारिश की थी कि यह गोपनीय तरीके से होना चाहिए। परन्तु उसे अधिसूचित करके नियमों के पूर्व-प्रकाशन शब्दों को हटाने की कार्यवाही का अनुमोदन करने वाला अध्यादेश जारी करने और तब गोपनीय रीति से जांच करने की शक्ति मांगने आदि से सरकार को किसने रोका था?

श्री डागा ने एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे का जो उल्लेख किया है यह भी उस उदासीनता को ही नहीं बल्कि अवमानना को भी दर्शाता है जो सरकार इस तरह के मामले के प्रति बरतती है। मैंने नोट किया है कि जब श्री डागा यह मुद्दा उठा रहे थे तो माननीय मंत्री बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। और फिर भी यह बहुत अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया है कि इस मामले में अध्यादेश जारी करने के बाद जो नियम बनाए गए वे प्रकाशित नहीं किए गए। ऐसी स्थिति में हम कैसे जानें कि कौन से नियम या नियमों को बनाया गया है? यदि गुप्त रूप से जांच की जाती है तो आपको यह बताना चाहिए कि किन परिस्थितियों के अन्तर्गत वह गुप्त रखी गयी थी। मंत्री जी 'लोकहित' का उल्लेख करते हैं। लेकिन लोकहित बहुत अस्पष्ट संकल्पना

है और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार "लोकहित" की अपनी परिभाषा को हमेशा पूरी तरह से स्पष्ट करे।

सभापति महोदय, मै और अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं केवल ये दो मुद्दे उठाना चाहता हूं कि सरकार नियम बनाने की शक्ति का जितना कम से कम इस्तेमाल करे उतना अच्छा होगा और जब कभी भी सरकार इस शक्ति को प्रयोग में लाए तो वह ऐसे तरीके से करे जिससे प्रस्तावित नियमों के बारे में जनता को भी जानकारी मिले।

दूसरी बात यह है कि जहां तक इस विधेयक का संबंध है यही समय है कि पूरी तरह से व्यापक विधेयक को संसद के सामने लाया जाए ताकि हम पूरे मामले को अद्यतन कर सकें। 1934 की स्थिति आज की स्थिति से कुछ बिल्कुल भिन्न थी। अब तक आपने जो नियम बनाए है वे लगभग सैकड़ों पृष्ठों के हो गए हैं। मैंने उन्हें देखा है और मैं नहीं समझता कि मंत्रालय भी संशोधनों और उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों की भीड़ में वह अपना रास्ता पा सकेगा। अतः सभापति जी मैं सुझाव देना चाहता हूं कि मंत्रालय नियम बनाने की शक्ति को कुछ अधिक महत्व देता है, लेकिन इस विशेष मामले में, अब भी मैं आशा करता हूं कि श्री डागा के संशोधन के प्रति मंत्री जी अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करेंगे तथा हर हालत में यह देखेंगे कि जिस समय तक के लिए पूर्ववर्ती प्रकाशन को बनाए रखा जाए वह तीन मास से कम का नहीं हो। साधारणतः वह अनिवार्य है। आपातकालीन मामलों में निश्चय ही अवधि की मांग नहीं की जा सकती लेकिन फिर भी इतना अवश्य है कि बाद में इन नियमों का प्रकाशन निश्चय ही किया जाना चाहिए।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, मैं इस वायुयान संशोधन विधेयक (1985 की संख्या 187) का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का प्रयोजन बहुत सीमित है। उत्तरी एटलांटिक समुद्र में कनिष्क विमान की 23 जून, 1985 को जो दुःखद दुर्घटना हुई उसकी जांच करते समय यह टिप्पणी की गई थी कि नियमों के पूर्व प्रकाशन और उसकी 3 महीने की अवधि पर जोर देने से कुछ कठिनाई आएगी। इसलिए इस संशोधन द्वारा इस तरह के प्रकाशन के लिए न्यूनतम अवधि की शर्त को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है और पूर्व प्रकाशन ही पर्याप्त है। लेकिन फिर भी व्यावहारिक बुद्धि से देखा जाए तो कम से कम न्यूनतम अवधि तो रखी ही जानी चाहिए। चाहे वह एक सप्ताह की हो या कुछ दिन की, क्योंकि बिना अवधि का यह भी अर्थ हो सकता है कि केवल एक घंटे पूर्व का ही समय दिया जाए। अतः यह पूरी बात हास्यास्पद बन जाएगी। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि लोगों के प्रति तथा उन लोगों के प्रति जो विमान का उपयोग करते हैं या जो उन्हें चलाते हैं, न्याययुक्त व्यवहार यह होगा कि कुछ अवधि या कम से कम उतनी अवधि जो सरकार सुविधाजनक समझे दर्शाना आवश्यक होना चाहिए। पूर्व प्रकाशन ही पर्याप्त नहीं है। पूर्व प्रकाशन के साथ-साथ उसके लिए अपेक्षित समय का भी उपयुक्त उल्लेख होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त महोदय, मैं श्री डागा से इस बात पर सहमत हूं कि विधि के शासन के लिए यह आवश्यक है कि जब कभी अधिनियम के प्रवर्तन के लिए कोई नियम बनाये जाएं तो

[प्रो० नारायण चन्द पराशर]

उन्हें प्रकाशित भी किया जाना चाहिए। ये नियम प्रारूप बनाते समय ही लोगों को उपलब्ध कराए जाने चाहिएं ताकि वे उनसे अपनी सहमति अथवा विमति बता सकें। जिसका सुझाव दिया गया था उसका कुछ सुधार हुआ है क्योंकि नियमों का कोई प्रकाशन न करने, कोई पूर्व प्रकाशन न करने, कोई समय अवधि न रखने का केवल यह अर्थ है कि नौकरशाही अच्छाई का प्रतिरूप है तथा इस भूमि पर वह सभी विद्वतता की खान है, वही जनता, यात्री और चालाक सभी कुछ है। उन्हें किसी प्रकार का उत्तर नहीं देना है। अतः यह सबके हित में है कि कुछ न्यूनतम अवधि, चाहे वह तीन महीने की न हो, चाहे वह एक महीने की न हो, लेकिन कम से कम एक सप्ताह या कम से कम 3 से 5 दिन की तो हो जिसका उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि इस मामले में सभी आशंकाओं को दूर किया जा सके। अब देश में विमान सेवाएं देश के हर भाग को छूती जा रही हैं तथा यह हमारे देश को अन्य अनेक देशों से भी जोड़ रही है। इसलिए एक व्यापक अधिनियम की आवश्यकता है। हमें नागर विमानन में हुई प्रगति को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि मैं देखता हूं कि यह वायुयान अधिनियम सन 1934 का है अर्थात 51 वर्ष पुराना है तथा इसके नियम 48 वर्ष पुराने हैं। अतः 48 वर्ष पुराने नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है और 51 वर्ष पुराने अधिनियम को संशोधित करना चाहिए। इसके लिए एक व्यापक अधिनियम बनाया जा सकता है जिसमें अब तक हुए विकास तथा विभिन्न अपेक्षाओं की ओर ध्यान दिया जा सकता है। प्रारूप जैसा कि श्री डागा ने कहा है नियमों को प्रकाशित किया जा सकता है और इस संसद को यह देखना चाहिए कि उसके अधिकारों को किसी तरह छीना न जाए और उसके अधिकार कार्य पालिका न ले ले। सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति ही रहे।

इसमें संदेह नहीं कि संसद इस पर सहमत हो गई है; किन्तु विधि का शासन हो इसके लिए आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गों की प्रतिक्रिया पर भी विचार किया जाए। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे पर विचार करें और यह भी देखें कि वायु सेवा का संचालन इस तरह किया जाए कि देश के किसी भी भाग के लोग यह शिकायत न करें कि उसकी उपेक्षा की जा रही है, क्योंकि हम यह देखते हैं कि कुछ राज्य जो केन्द्र के नजदीक होते हैं,उन्हें तो लाभ मिल जाता है किन्तु दूर-दराज के राज्यों, जैसे हिमाचल प्रदेश, को कुछ लाभ नहीं मिलता। अतः इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, यद्यपि यह बात इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में नहीं आती। अतः अच्छा होगा कि मंत्री महोदय का ध्यान इस बात पर दिलाया जाए कि शिमला हवाई-अड्डे का निर्माण पिछले कई वर्षों से चल रहा है; और इसी तरह हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के संबंध में रखे गए प्रस्तावों पर भी ज्यादा गंभीरता से विचार नहीं किया गया है।

आजकल हवाई यात्रा आवश्यक अंग बन गई है क्योंकि अब सबके पास समय का अभाव है। उनके पास ज्यादा समय नहीं है। अतः सरकार तथा जनता के लिए आवश्यक है कि तीव्र वायु सेवा चलाई जाए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं किन्तु इस शर्त के साथ कि पूर्व-प्रकाशन पर्याप्त नहीं है। साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप विधेयक के उद्देश्य और कारणों का कथन अर्थात् इसकी अंतिम पंक्ति पढ़ कर देखिए। मैंने देखा है कि व्याकरण की दृष्टि से भी यह ठीक नहीं* है। इसमें कहा गया है :

"इट आलसो एम्पावर्स द सेन्ट्रल गवर्नमेंट टू डिस्पेन्स विद, इन द पब्लिक इन्टरेस्ट, द कन्डीशन आफ प्रीवियस इन ऐनी केस"।

'प्रीवियस' से क्या अभिप्राय है? यह 'प्रीवियस पब्लिकेशन' होना चाहिए था। संज्ञा के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। अत: विधेयक के प्रारूप तैयार करते समय इतनी लापरवाही दिखाना और संसद में इसके लिए जल्दबाजी करना एक ऐसी बात है···

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह स्थानिक रोग है। (व्यवधान)

प्रो० नारायण चन्द पराशर : विधेयक तो आ चुका परन्तु इसमें वाक्य तो पूरा किया जाना चाहिए। आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें संज्ञा लगाई जानी चाहिए थी। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि यदि विमान संबंधी हमारी गतिविधियों के अन्य विभिन्न पहलुओं में भी ऐसी उदासीनता बरती जाने लगी···

श्री बंसी लाल : लेकिन मेरे पास जो विधेयक है, इसमें 'प्रीवियस पब्लिकेशन' शब्द ही लिखे हुए हैं।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मेरे पास भी विधेयक ही है। इसे मैंने प्रकाशित नहीं किया है। यह सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है। (व्यवधान) अतः इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह शब्द इसमें जोड़ा जाए।

इन शब्दों के साथ, इन कमियों को बताते हुए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : श्री डागा और मेरे अन्य मित्रों ने बहुत सी बातें कही हैं। मैं उनसे सहमत हूं। यह विधेयक अति व्यापक भी है।

वास्तव में, यह खेद का विषय है कि हमारे जो दोष हैं उनकी ओर हमारे विभाग बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। यह दुर्घटना 23-6-1985 को हुई और अध्यादेश 16-10-85 को जारी किया गया और अब यह विधेयक दिसम्बर में लाया गया है। इससे पता चलता है कि हम समाचार पत्रों और संचार माध्यमों द्वारा जो चिन्ता व्यक्त करते हैं वास्तव में हमारे दफ्तरशाहों, अधिकारियों और विभाग को उतनी चिन्ता नहीं है।

* सदस्य का यह कथन विधेयक के अंग्रेजी संस्करण पर ही लागू होता है।

[श्री नारायण चौबे]

जैसा कि श्री डागा ने कहा कि जनता का अधिकार क्यों कम किया जाए ? इसका क्या कारण है ? यदि सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो उसे यह विधेयक पहले पेश करना चाहिए था । इस तरह का विधेयक वर्षाकालीन सत्र में आसानी से पेश किया जा सकता था ।

यह पहला मुद्दा है । दूसरे, यदि सरकार आपातकालीन मामलों में ऐसा उपबंध करना आवश्यक समझती है तो वह किसी और प्रकार से ऐसी व्यवस्था कर सकती है । परन्तु लोगों का नियमों के बारे में यह अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए । ऐसा नहीं किया जाना चाहिए । हम सब निर्वाचित सदस्य हैं । हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है । नियम बनाना संसद का अहरणीय अधिकार है । यदि आप इसे छीनना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि यह ठीक होगा । कृपया इस पर विचार कीजिए ।

मैं इस अवसर पर कनिष्क वायुयान दुर्घटना सम्बन्धी तथ्यों के बारे में एक-दो बातें कहना चाहता हूं । वास्तव में यह समाचार मिले हैं कि वह विमान ही खराब था; और उसकी मशीनरी और इस वायुयान के नियोजन के संबंध में उड्डयन अधिकारियों के मन में बहुत भय छाया रहा है । आपको देखना चाहिए कि हमारी जनता के जीवन को ऐसे वायुयानों के कारण जोखिम में न डाला जाए ।

जो साक्ष्य मिले हैं उनसे मैं समझता हूं कि यह इतना गम्भीर मामला है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है । हाल ही में जो प्रमाण मिले हैं उनसे पता चला है कि कुछ यात्रियों ने इस विमान के टिकट लिए थे और उन्होंने अपना सामान भी बुक करवा दिया था । उनका सामान तो विमान में पहुंच गया किन्तु वे विमान में नहीं चढ़े थे । सामान को चढ़ाने के बाद विमान को उड़ने की अनुमति दे दी गई । इस तरह के सुरक्षा प्रबंधों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

आपने यह विधेयक केवल इसलिए पेश किया है कि इसकी जांच गुप्त रूप से की जा सके । आप कुछ गवाहों के बारे में बताना नहीं चाहते । ठीक है । लेकिन फिर ये सब क्यों होता है ? यह कैसे सम्भव हुआ कि विमान को यह देखे बिना कि क्या उसके सभी यात्री आ गए हैं या नहीं उड़ने दिया गया और केवल उनका सामान देखकर ही विमान को उड़ने की अनुमति दे दी गई । ऐसी घटनाएं कैसे होती हैं ?

कलकत्ता हवाई अड्डे के बारे में भी बहुत-सी बातें कही गई हैं । आप प्राय: कलकत्ता जाते हैं क्योंकि कलकत्ता में आपके कई सम्बन्धी रहते हैं । 25 वर्ष पहले कलकत्ता व्यस्ततम हवाई अड्डों में से था । अब दिन-प्रतिदिन कलकत्ता हवाई अड्डे की हालत बहुत खराब होती जा रही है । वहां से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बन्द की जा रही हैं । मैं समझता हूं कि इसी 26 नवम्बर को कलकत्ता हवाई अड्डे से ब्रिटिश एयरवेज के विमान ने अंतिम उड़ान भरी थी । निश्चय ही आपको यह कहने का पूरा अधिकार है कि यह निर्णय उस कम्पनी विशेष ने लिया था, सरकार ने नहीं । परन्तु सरकार तो है जो उस पर प्रभाव डाल सकती है । यह अच्छी बात है कि हैदराबाद

अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। भोपाल को भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाना चाहिए। कुछ अन्य स्थानों पर भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाना चाहिए। लेकिन कलकत्ता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का महत्व कम होता जा रहा है। इसकी महत्ता कम करने का प्रयास किया जा रहा है। केवल पांच ही दिन पहले, कलकत्ता हवाई अड्डे से एक उड़ान 6 घंटे देरी से भरी गई। उसका कारण यह है कि विमान में कुछ खराबी पाई गई थी जिसकी मरम्मत कलकत्ता में नहीं की जा सकी थी। उसके कुछ पुर्जे लाने के लिए एक विमान बम्बई भेजा गया और विमान की मरम्मत कलकत्ता में की गई और फिर विमान ने कलकत्ता से दिल्ली की उड़ान भरी। कलकत्ता से जो विमान सेवा शुरू की जाती है वह विमान पहले सुबह गोहाटी से उड़ान भरकर कलकत्ता पहुंचता है और फिर वह दिल्ली पहुंचता है और फिर दिल्ली से कलकत्ता जाता है। सुबह की उड़ान का जो 8.55 का समय निर्धारित किया गया है, उस समय पर कभी उड़ान नहीं भरी जाती। पूरे साल में, 8 दिन भी विमान समय पर नहीं उड़ता। अतः आप कृपया यह देखें कि इसके समय में परिवर्तन किया जाए और छोटा-छोटा मरम्मत का काम कलकत्ता में ही किया जाए। इस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

कम्प्यूटर के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि यद्यपि यह इस विधेयक का अंग नहीं है, फिर भी मैं आपका ध्यान इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहूंगा। संसद भवन में इंडियन एयरलाइंस के कार्यालय में कम्प्यूटर नहीं था। वहां केवल दो व्यक्ति काम करते थे। हम जिस दिन का टिकट लेना चाहते थे, हमें एक-दो घंटे में मिल जाता था। लेकिन अब वहां कम्प्यूटर आ गया है, एक कम्प्यूटर यहां है और एक वहां। दो व्यक्तियों की बजाय वहां तीन लोग काम कर रहे हैं। मैंने अपना विनिमय आदेश परसों दिया था और वह मुझे आज मिला है। अतः अब उसमें विलम्ब होता है, वहां के लोग अकुशल हैं और वहां कम्प्यूटर भी है। केवल वहां कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी। आप कृपया इस समस्या पर विचार कीजिए। हमें अपनी टिकट समय पर क्यों नहीं मिल सकती? यदि कम्प्यूटर लगाने से कार्य-कुशलता बढ़ती है, तो ठीक है। वे कहते हैं कि "जब कम्प्यूटर सही काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं?"

[हिन्दी]

मैं क्या करूं, कम्प्यूटर काम नहीं कर रहा है। मैं काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कम्पयूटर काम नहीं कर रहा है। जो कम्प्यूटर काम नहीं कर रहा है, उसको राम-राम बोलकर विदाई दो, हम लोगों को बचाओ।...(व्यवधान)...आप लोगों का सभी है...(व्यवधान)... इससे हम लोगों को बचाइए। मैं समझता हूं कि चेयरमैन साहब भी ओ०के० करेंगे। मैं हाथ जोड़कर बोलता हूं या तो हम लोगों को टिकट दो या कम्प्यूटर को हटाओ और हम लोगों को बचाओ।

[अनुवाद]

इस विधेयक को इतना महत्वपूर्ण मत मानिए, संसद के पास इतने समय से जो अधिकार हैं, उसकी उन शक्तियों का हनन मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 1985 का मैं समर्थन करता हूं।

सबोरडिनेट लेजिस्लेशन के बारे में इस प्रकार की व्यवस्था की हुई है कि कोई भी रूल जो बनाया जायेगा उसको पहले पब्लिश किया जायेगा। सरकार के द्वारा कोई भी रूल जो बनाया जाता है, जिस किसी कानून के तहत बनाया जाता है उसको जनता के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उस पर जनता के आब्जेक्शंस इन्वाईट किये जाने की व्यवस्था रहनी चाहिए। उसके बाद उसको, जब रूल बन जाए, पार्लियामेंट में रखने की व्यवस्था रहनी चाहिए। इस व्यवस्था को इस अमेंडमेंट बिल के द्वारा बदला जा रहा है।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप हर मामले में इस व्यवस्था को नहीं बदलें। अगर आपके सामने कोई एमरजेंट मामला हो, आपके सामने कोई जरूरी मामला विचाराधीन हो और उसके लिए इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत हो तो निश्चित तरीके से आप किसी कानून के तहत कर सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, उसका कोई प्रोविजो दे सकते हैं। कोई भी एमरजेंट मामला जिसमें प्रिवियस पब्लिकेशन देना आवश्यक नहीं है उसके लिए आप किसी कानून के तहत इस व्यवस्था को कर सकते हैं। लेकिन आपने जो इस रूल को बना कर के इस व्यवस्था को बिल्कुल समाप्त कर दिया है, इसको मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। आप इसमें प्रिवियस पब्लिकेशन इफ एनी में एक लफ्ज 'एमर्जेंट' और बढ़वा दीजिए जिससे कि जिसमें प्रिवियस पब्लिकेशन करना मुमकिन न हो, उनके अलावा जो रूल्स बनें उनका तो प्रिवियस पब्लिकेशन हो सके। ऐसा करने से आपका भी काम हो जायेगा और उसके साथ-साथ जो सबोरडिनेट लेजिस्लेशन कमेटी जो आपको बार-बार हिदायत देती है। रूल्स के प्रिवियस पब्लिकेशन की वह काम भी होता रहेगा। इस व्यवस्था को बरकरार रखने की आवश्यकता है।

हमारे देश में डेमोक्रेटिक सेट अप है और पार्लियामेंट को राइट्स दिये गये हैं। उन राइट्स को छीना नहीं जाना चाहिए। इस व्यवस्था का सरकार के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से हरेक कानून को बदल देंगे तो कोई कानून पार्लियामेंट के पास नहीं रहेगा। अगर आप पार्लियामेंट के सारे अधिकार छीन लेंगे तो यह डेमोक्रेटिक व्यवस्था चल नहीं पायेगी और उसकी वजह से बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी। यह सारा अधिकार आप ब्योरोक्रेट्स को दे देंगे। ब्योरोक्रेसी कभी भी किसी प्रकार की व्यवस्था चला सकती है। बड़ी मुश्किल से इस देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई है। इसको ब्योरोक्रेट्स के हाथ में देने की व्यवस्था नहीं कीजिए। जैसा हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य ने कहा कि इन रूल्स के बारे में स्वीपिंग पावर्स मत लीजिए और कानून के तहत जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है उसको बिल्कुल बदलने की कोशिश मत कीजिए। हां जहां आवश्यक हो और आप समझते हों कि यहां जरूरी है तो वहां आप कर सकते हैं। इसी से डेमोक्रेटिक सेट अप चल सकेगा।

आपसे जज साहब ने कहा कि यह व्यवस्था होनी चाहिए। मगर जब आपसे जज साहब ने कहा तब से आपके पास समय बहुत लम्बा-चौड़ा था। अगर आपके अधिकारी चाहते तो इसके

बारे में बहुत कुछ हो सकता था । यह जो रूल है, शायद कैमरा में एवीडेंश लेने के लिए हो। लेकिन उस बात को 6 महीने हो गये हैं जब से कि जस्टिस कृपाल इंक्वायरी कर रहे हैं । आपको किस तारीख को जस्टिस कृपाल ने कहा कि इस रूल को बदला जाना चाहिए, उसको कितना समय हो गया ?

उसके और आज के बीच में कितना अंतर है । अगर वे रूल बनाकर पब्लिश कर देते और इसमें थोड़ा बहुत दे देते तो निश्चित तरीके से पब्लिकेशन हो जाता और दोनों पराज सर्व हो जाते । अगर इसके संबंध में ब्यूरोक्रेट्स ने यह व्यवस्था की है कि पार्लियामेंट के सारे अधिकार छीन लिए जाएं और पब्लिश न किया जाए और इसको पार्लियामेंट में रखने की आवश्यकता ही न रहे, यह व्यवस्था गलत है, इसको आपको निश्चित तरीके से ध्यान में रखना चाहिए । आपकी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बहुत आस्था है, इसलिए यह एक अच्छा कदम नहीं होगा ।

दूसरा मेरा निवेदन है कि आपने केवल रूल चेंज करने के लिए यह अमेंडमेंट रखा है जब कि सारे सदस्यों ने कहा है कि यह कानून बहुत पुराना है और इसमें बहुत सारी तब्दीलियों की आवश्यकता है । जैसा आपने देखा होगा, स्वयं भी जांच की है इस एयर क्राफ्ट एक्ट में या एयर पोर्ट्स में कितनी प्रकार की कमियां हैं, सिग्नल की, राडार व्यवस्था की, संचार व्यवस्था की कितनी कमियां हैं और उसकी वजह से हमारी इनएफिशेंसी कितनी है । वर्ल्ड आर्गनाइजेशन ने हमको रिकगनाइज नहीं किया है । ऐसी हालत में जो भी कमियां हैं और इन कमियों को दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिए, इनके अभाव में सर्विस में सर्विस में कितना नुकसान होता है, इसके संबंध में कोई कानूनी व्यवस्था करने की कोशिश नहीं की गई है और यह एक अमेंडमेंट रख दिया गया है जबकि सारी की सारी व्यवस्थाएं अस्त-व्यस्त हैं । इसलिए इस व्यवस्था को निश्चित तरीके से देखना चाहिए । इस कानून में इस प्रकार का फेर-बदल किया जाना चाहिए जिससे सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से चल सकें और हम इसकी व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से संचालित कर सकें । इस व्यवस्था को निश्चित तरीके से लाना चाहिए था, अगर अभी नहीं लाए तब भी मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में आप उन व्यवस्थाओं को लाने की कोशिश कीजिए जिसके जरिए से एक हम इस प्रकार का कानून बना सकें जो सारे देश में इस व्यवस्था को संचालित कर सकें । इस व्यवस्था को निश्चित तरीके से लाना चाहिए था । इसके जरिए हम दुनिया के अन्य एयरक्राफ्ट्स एक्ट्स के मुकाबले खड़े हो सकेंगे इसलिए इन व्यवस्थाओं को लाना आवश्यक है ।

दूसरा निवेदन अभी जो एक्सीडेंट हुआ 25 जून को कनिष्क का, उसके पहले जो सिक्यूरिटी की जांच होती है, वह उस वक्त नहीं की गई थी । सिक्यूरिटी जांच करने वाली मशीन खराब थी, जिसकी वजह से जांच नहीं हो सकी । इसकी जिम्मेदारी किन लोगों पर है । क्या जस्टिस कृपाल जानकारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कि सिक्यूरिटी जांच मशीन क्यों काम नहीं कर रही थी जिसकी वजह से सेबोटाज करने वाले लोगों को ऐसे हथियार ले जाने का कनिष्क के अन्दर, जो विस्फोट हुआ, या अन्य प्रकार की जो बात हुई हो, इसके लिए कौन जिम्मेदार है । क्या उन अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है, क्या जांच के अन्दर इस

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

प्वाइंट को रखा गया है। उन लोगों ने कैसे यह गलती की जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ इतना बड़ा विस्फोट कनिष्क में हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं। इस व्यवस्था को निश्चित तरीके से देखने की आज आवश्यकता है।

इसी प्रकार से रेगुलेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन आदि जो भी चीजें हैं, जो-जो कमियां हैं, उन सारी कमियों को निश्चित तरीके से दूर करने की आवश्यकता है, खासतौर से सिक्यूरिटी के मामले में। आज जिस प्रकार की गड़बड़ियां हो रही हैं, कितनी हाईजेकिंग हो जाते हैं और कई अन्य प्रकार की चीजें हो जाती हैं, कहीं हथियार लेकर चले जाते हैं तो हर एयर पोर्ट के ऊपर सिक्यूरिटी के संबंध में जांच-पड़ताल करने के संबंध में निश्चित तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए। आपने क्या क्या माकूल व्यवस्थाएं अभी तक इस संबंध में की हैं, इसके लिए निश्चित तरीके से कोई न कोई प्रावधान इस कानून के अन्दर लाना चाहिए जिससे माकूल कानून बन सके। ऐसी व्यवस्थाएं निश्चित तरीके से लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और हमारा देश जो है बहुत बड़ा देश है और हवा के मामले में हम काफी आगे बढ़ रहे हैं। जगह-जगह एयर इंडिया थ्रू आउट दी वर्ल्ड जा रही है और सारे देश में जगह-जगह इंडियन एयर लाइन्स इसका फैलाव हो रहा है और इसके साथ-तीसरी हवाई व्यवस्था आपकी "वायुदूत" की है, वह भी जगह-जगह फैल रही है।

जब इतनी बड़ी व्यवस्था बढ़ रही है तो निश्चित तरीके से कोई न कोई ऐसा माकूल कानून आना चाहिए जिससे इन सारी व्यवस्थाओं को कंट्रोल कर सके और माकूल तरीके से चला सके। मुझे आशा है कि जल्दी ही हवाई जहज के संबंध में, सीक्यूरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन और सारी जांच पड़ताल के संबंध में कोई ऐसा व्यापक कानून लायेंगे जिसमें ये सब बातें कवर हो सकें। इस प्रकार की मेरी आपसे प्रार्थना है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : हम ऐसी सरकार होने का गर्व करते हैं जिसमें न्यायपालिका, विधानपालिका और कार्यपालिका पृथक-पृथक हैं।

विधानपालिका का काम नियम और कानून बनाना है और कार्यपालिका का उद्देश्य उन कानूनों को कार्यान्वित करना है। कार्यपालिका को नियम और कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है किन्तु विशेष परिस्थितियों में जब कोई अधिनियम लागू किया जा रहा है और विधेयक पर चर्चा की जा रही है, जब हम होने वाली घटनाओं तथा समाज में होने वाले परिवर्तनों का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते तब नियम बनाने का अधिकार कार्यपालिका को सौंपा जाता है ताकि वह बदली हुई परिस्थितियों में, जिनका अन्दाज आप नहीं लगा पाएंगे, कुछ नियम बना सके। अतः कार्यपालिका को नियम या कानून बनाने की बहुत ही सीमित शक्ति या अधिकार दिया गया है।

आजकल, जबकि संसद में विधेयक पेश किए जाते हैं, कार्यपालिका नियम बनाने की शक्ति अपने पास रखती है और इस तरह संसद के विधायी अधिकारों का हनन करती है। इस तरह जिस

उद्देश्य से संसद बनाई गई है, वह पूरा नहीं होता।

यह संशोधन अत्यन्त साधारण तथा अत्यन्त अहानिकर है, किन्तु यदि आप इसका गहराई से अध्ययन करेंगे तो आप देखें कि इसमें बहुत ही भयानक प्रवृति है।

1934 के वायुयान अधिनियम में धारा 14 थी। अब 51 वर्षों के पश्चात् आप इस धारा को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस धारा के अनुसार जब प्रशासन कुछ नियम बनाए तो उन नियमों को प्रकाशित करना और लोगों को उनकी जानकारी देना अपेक्षित था ताकि लोगों को यह ज्ञात हो सके कि ये नियम क्या हैं, अच्छे हैं या बुरे है, लोगों के हित में हैं अथवा प्रतिकूल हैं। फिर वे उसकी वैधता के लिए आपस में उस पर चर्चा करते थे। मुख्य उद्देश्य यह था कि कार्यपालिका जनता के विचारों को समझ ले और उसी के अनुसार कार्य करे। इसीलिए धारा 14 मूल अधिनियम में शामिल किया गया था।

जो सरकार 1934 में देश पर शासन कर रही थी, उसे कांग्रेस के समेत हम सभी ने तानाशाही सरकार, लोकतन्त्र-विरोधी सरकार की संज्ञा दी, क्योंकि उस सरकार ने कभी भी जनता के कल्याण की ओर ध्यान नहीं दिया, कभी भी जनता की इच्छा को समझने का प्रयत्न नहीं किया। उस सरकार की ऐसी आलोचना की जाती थी। उस समय की ऐसी सरकार ने भी जनता के मत को काफी मान्यता दी थी और इसीलिए उसने मूल अधिनियम में धारा 14 शामिल की जिसके अन्तर्गत यह अनिवार्य था कि नियमों का पूर्व-प्रकाशन हो और नियमों के विषय में जनता की इच्छा का पता लगाने के तीन महीने पश्चात् उन्हें कानून की शक्ति दी जाए। अतः उस सरकार ने भी इसे अधिनियम में शामिल किया था जबकि उसे जनता के विरुद्ध समझा जाता था। वह सरकार जनता के विचारों का पता लगाना चाहती थी और जनता को नियमों की जानकारी प्राप्त करने का अवसर देती थी, किन्तु आज हमारी सरकार जो एक गणतन्त्र तथा लोकतन्त्र है और जो घोषित करती रहती है कि जनता और संसद सर्वोपरि हैं। उन सभी अधिकारों को वापस छीन रही है जो जनता को एक ऐसी सरकार द्वारा दिए गए थे जो अत्यन्त तानाशाही थी।

हम कहां जा रहे हैं? क्या आप घड़ी की सूईयां पीछे कर रहे हैं? इस संशोधन का उद्देश्य क्या है? इस संशोधन से सरकार का उद्देश्य अत्यन्त स्पष्ट हुआ है। सरकार कह रही है कि वह लोकतांत्रिक है। किन्तु वास्तव में वह केवल लोकतन्त्र-विरोधी और जनता विरोधी हैं। इस नियम को बदलने का क्या उद्देश्य है? आप क्यों जनता को कानून तथा नियमों के ज्ञान से दूर रखना चाहते हैं? आप जनता के सामने रुकावट क्यों बन रहे हैं और उन्हें यह जानने में रुकावट डालते हैं कि नियम क्या हैं और कानून क्या हैं? आप जनता को अन्धेरे में रखना चाहते हैं और कुछ नहीं। इस प्रकार लोकतन्त्र सरकार को कार्य नहीं करना चाहिए। आप किस कारण से धारा 14 का संशोधन करना चाहते हैं? आप किस कारण से एक नई धारा 14 प्रस्तुत करना चाहते हैं? क्या यह पूर्व-प्रकाशन रोकने के लिए है? आप कौन-सा उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं? कनिष्क जांच के सम्बन्ध में हमारा कोई मतभेद नहीं है। आप चाहते हैं कि उसकी गोपनीय जांच हो। हर प्रकार से आप ऐसा कर सकते हैं; हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप मूल अधिनियम की धारा 7 में संशोधन कर

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

सकते हैं जिसमें दुर्घटनाओं की जांच के विषय में कुछ बातें कही गई हैं। मूल अधिनियम की धारा 7 का संशोधन करने से यह उद्देश्य पूरा होगा। धारा 7 में कहा गया है कि दुर्घटनाओं के मामले में कौन-सी क्रियाविधि अपनाई जानी है, किस प्रकार जांच की जानी है तथा ऐसी अन्य सभी बातें उसमें शामिल हैं। आप धारा 7 का संशोधन कर सकते थे और कह सकते थे कि कार्यवाही बन्द कमरे में होनी चाहिए। किन्तु इसके बदले कनिष्क मुकदमें के लिए बन्द कमरे में कार्यवाही करने के बहाने आप जनता का अधिकार छीन रहे हैं और उन्हें घुप अन्धेरे में डाल रहे हैं, और उन्हें कानून और नियम जानने से रोक रहे हैं। अतः आप इस बात को अप्रत्यक्ष रूप से आरम्भ करना चाहते हैं।

अतः मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह इस विधेयक को वापिस ले लें और सदन के विचार-विमर्श के लिए एक वृहद विधेयक लाएं।

महोदय, हवाई अड्डे पर सेवा ठीक नहीं है। वह हमें कोई सूचना नहीं दी है। यदि मैं काउंटर सं० 1 पर जाता हूं तो कोई मुझे काउंटर सं० 2 पर जाने को कहता है। यदि मैं काउंटर सं० 2 पर जाता हूं तो कोई मुझे काउंटर सं० 3 अथवा काउंटर सं० 4 आदि जाने को कहता है। कोई भी ठीक ढंग से हमारा मार्ग दर्शन नहीं करता है। जो खाना और कॉफी दिए जाते हैं वे बहुत ही खराब हैं यद्यपि मूल्य अत्यन्त असामान्य हैं। जो शिष्टाचार बरता जा रहा है वह बहुत ही कम है। जब हम टिकट लेने जाते हैं, हमें शीघ्र टिकट नहीं मिल पाती है। संसद भवन में संसद सदस्यों के लिए अलग काउंटर है। किंतु टिकट लेने के लिये कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। वहां दो या तीन बार जाना पड़ता है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन सभी चीजों का सुधार करें। वह कृपया यह देखें कि सभी हवाई अड्डों पर यात्रियों के प्रति उचित शिष्टाचार बरता जाए। मैं हवाई अड्डे पर जाता हूं। हवाई अड्डे से तीन या चार उड़ाने होती हैं। जब मैं जाता हूं तो मुझे बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। मुझे आधे घंटे अथवा 45 मिनट के लिए खड़ा रहना पड़ता है। वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें इस प्रकार की उचित सहायता प्रदान करे कि सामान का वजन कहां करवाना है और कहां सुरक्षा जांच आदि करानी है। अतः आपको इन सभी बातों में सुधार करना चाहिए। एक ऐसा बृहद कानून बनाया जाना चाहिए ताकि ये सभी बातें एक साथ उठाई जाएं और यात्रियों को कुछ आराम और सुविधाएं दी जाएं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : सभापति महोदय, मैं वायुयान (संशोधन) विधेयक, 1985 का समर्थन करता हूं एवं माननीय मंत्री जी से इतना आग्रह जरूर करना चाहता हूं कि इस विधेयक के साथ-साथ इसमें जो रूल्स बनाए गए थे, उनको भी सभा-पटल पर रखना अत्यावश्यक था। 23 जून, 1985 को एअर इन्डिया के बोइन्ग 747 "कनिष्क" विमान की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण

दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 329 यात्रियों की मृत्यु हुई । इसके साथ-साथ जापान में कुछ अन्तराल के बाद ऐयर लाइन्स के विमान बोइंग 747 की भी दुर्घटना हुई, जिसमें लगभग 520 व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुए । इसके साथ-साथ मान्यवर मैं, आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान लंदन की एक न्यूज की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं—

[अनुवाद]

"इस सप्ताह की "फ्लाइट इन्टरनेशनल" पत्रिका के एक सर्वेक्षण के अनुसार इस वर्ष का पूर्वार्ध घातक हवाई दुर्घटनाओं के लिए बहुत ही बुरा था ।"

"गत 20 वर्षों के दौरान 750 प्रति वर्ष की औसत तुलना में जून के अन्त तक छः महीनों में 913 लोगों की वायुयान दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई जिस में एयर इन्डिया दुर्घटना में मरने वाले 329 लोग भी शामिल हैं ।"

[हिन्दी]

महोदय, इसके साथ ही, इसमें दी गई तालिका की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि 1977 में 1034 लोगों की मृत्यु हुई और 21 एक्सीडेंट्ज हुए । ये घटनाएं घटती-बढ़ती रहीं; लेकिन रीसेंटली तालिका में जो डाटा है, उनके अनुसार 1984 में 134 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और केवल 12 एक्सीडेंट्स हुए, मगर दुर्भाग्य की बात है कि 1985 में वह लिखता है कि 913 डैथ्स हुई और 21 एक्सीडेंट्स हुए हैं । इस तालिका का हवाला देते हुए मान्यवर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विश्व में आतंकवाद बढ़ रहा है । यहां केवल सवाल भारतवर्ष का ही नहीं है । ये दुर्घटनाएं चाहे विमान के हाइजैकिंग के कारण हुई हों, चाहे प्लेन्स को ब्लास्ट किया गया हो, ये दुर्घटनाएं इस वर्ष में काफी बढ़ी हैं । ये बातें इन्क्वायरीज पर आधारित हैं । ये आपके सामने ज्वलन्त उदाहरण है और ये वारदातें निरन्तर बढ़ती जा रही हैं ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी और सदन के समक्ष कुछ सुझाव सभा-पटल पर रखना चाहता हूं, हमारे भारतवर्ष के इन्डियन एयर लाइन्स और एयर इन्डिया में सुरक्षा की व्यवस्था को सख्त किया गया है, जैसा कि यहां पर बताया गया है, किन्तु इसको और सख्त करना चाहिए । यहां पर जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है इसमें कम्युनिकेशन और राडार को भी अधिक से अधिक लेटेस्ट टैक्नीक प्रदान करनी चाहिए जिससे कि वायुयानों के उड़ते समय और लैंडिग करते समय जो दुर्घटनाएं होती हैं, वे न हों ।

सभापति महोदय, सुरक्षा की व्यवस्था भी बहुत कड़ी करने की आवश्यकता है । इसके सम्बन्ध में मैं अभी आपको एक ज्वलंत उदाहरण देना चाहता हूं । मैं दिल्ली के एयर पोर्ट पालम पर गया और मैंने कहा कि मैं एम०पी० हूं, तो उसने सैल्यूट मारा और मुझे निकल जाने दिया गया । इस सम्बन्ध में महोदय मैं कहना चाहता हूं कि चाहे मैं हूं चाहे कोई और वी०आई०पी० हो, सिर्फ वी०आई०पी० कह देने मात्र से निकलने नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उनकी आइडेंटिटी बकायदा चैक की जानी चाहिए इस प्रकार से कह देने मात्र से कि मैं एम०पी० हूं, मुझे वहां जय-

[श्री रामनरेश सिंह]

हिन्द की ओर निकल जाने दिया, यह सिस्टम मैं ठीक नहीं समझता हूं। जो भी वहां सुरक्षा अधिकारी हो, उसको चाहिए कि वे बकायादा हमारी आइडेंटिटी को वैरीफाई करें। और अच्छी तरह से वैरीफाई करने के बाद ही निकलने दें।

4.00 म०प०

इसी प्रकार अन्य छोटे-छोटे एयरपोर्ट्‌स हैं। मैं टूरिज्म और सिविल एवीएशन की कमेटी में था, उसमें काफी चर्चा सुरक्षा के लिय हुई। बम्बई और हैदराबाद में निरीक्षण के लिये हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उसे भेजा था। जितने छोटे एयरपोर्ट्‌स हैं, उनमें सुरक्षा की बहुत कमी है, यह देखने में आया है। दिल्ली तो इन्टरनेशनल एयर पोर्ट है, यहां सुरक्षा की व्यवस्था काफी है।

मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि चाहे कोई भी वी०आई०पी० हो, हमारे भारतवर्ष के और विश्व के इन्टरनेशनल यात्री लाखों की संख्या में इन भागों पर आवागमन करते हैं, उनका सामान अवश्य चैक होना चाहिये। चाहे हम संसद-सदस्य हों या कोई भी वी०आई०पी० हो ऐसा न हो कि किसी के सामान में कोई चीज रख दी जाये और कोई दुर्घटना हो जाये, जिससे तमाम यात्री दुर्घटनाग्रस्त हों। भारत सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। यह सुझाव मैं जोरदार तरीके से रखना चाहता हूं।

हमारे वायुयान के चालकों और एयर-होस्टेसेज के लिये रिफ्रेशर कोर्सेज की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार की व्यवस्था रिफ्रेशर कोर्सेज की इन सुरक्षा अधिकारियों के लिये भी होनी जरूरी है जिससे लेटेस्ट तकनीक की इनको जानकारी हो जिससे वह हर परिस्थित में किसी भी खतरे से निपटने के लिए सक्षम हों।

4.02 म०प०

(श्री सोम नाथ रथ पीठासीन हुए)

जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मुझे कई बार इन्डियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के वायुयानों में जाने का मौका मिला है। इन्डियन एयरलाइन्स के जहाजों में सफाई की बहुत कमी है। उससे हमारे भारतीय नागरिक और वी० आई०पी० सभी ट्रैवल करते हैं। उन वायुयानों में गद्दियां फटी हुई होती हैं। कई बार वायुयान देरी से चलने के कारण उसमें उल्टियां, वोमिटिंग, बच्चों के पेशाब और स्टूल की गन्दगी लगी रहती है, इससे बदबू का वातावरण हमेशा उसमें व्याप्त रहता है। कुर्सियों के कुशन बहुत गन्दी हालत में रहते हैं।

खाने के बारे में भी सुधार की बहुत आवश्यकता है। जहां तक खाने का एयरपोर्ट का कैटरिंग का प्रश्न है, वहां पर यात्रियों से बहुत अधिक पैसा वसूल किया जाता है। इस तरह भी मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा।

इसके साथ-साथ सामान ले जाने की ट्रालियों की हालत बड़ी खराब है। उसके पहिये जाम रहते हैं। मंत्री महोदय भी एयरपोर्ट पर जाते होंगे, उनको इसकी जानकारी होगी, हमारे माननीय सदस्यों को भी इसकी जानकारी होगी कि कई बार इन ट्रालियों से कपड़े फट जाते हैं। उनके पहिये जाम होने से बहुत सी लेडीज को सामान ले जाने में बड़ी परेशानी होती है। वहां के कर्मचारी मनमाने दाम लेकर ट्रालियां ठीक न चलाकर नागरिकों को बहुत परेशान करते हैं और पैसे ऐंठने का प्रयास करते रहते हैं।

टूरिज्म और सिविल एविएशन की कमेटी में होने के कारण मैं मद्रास, बम्बई और दिल्ली एयरपोर्ट पर अधिकतर जाता रहता हूं। एयरपोर्ट्स पर इंक्वायरी आफिस का बड़ा बेढ़ंगा रूप देखने में आया है। वहां से किसी को कोई इन्फार्मेशन नहीं मिलेगी। विदेशी यात्रियों ने बताया कि इन्क्वायरी आफिस यह बताने को तैयार नहीं होता कि हमारी गवर्नमेंट के कौन से होटल हैं और कौन-से अच्छे होटल में यात्री को जाना चाहिये। वहां जाने के लिए टैक्सी का क्या रूट है। जो बीच के दलाल हैं वे उनको मिस-गाइड करते हैं और उनको अपनी टैक्सियों में ले जाकर चांदनी चौक के आस-पास के गन्दे होटलों में पहुंचा देते हैं जहां उनसे अनाप-शनाप पैसा वसूला जाता है। मैं मांग करूंगा कि आपके इन्क्वायरी आफिस को बहुत सतर्क रहना चाहिए ताकि यात्रियों को इस प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। यह भी शिकायत मिली है कि आपकी इंक्वायरी आफिस के अधिकारी, कर्मचारी तथा एयर पोर्ट के जो अधिकारी व कर्मचारी हैं उनका एक पूरा गैंग काम कर रहा है। इसकी ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

जहां तक कस्टम का सवाल है उसके अधिकारियों के सम्बन्ध में भी ऐसी शिकायत है कि वे मनमाने तौर पर जब मर्जी आती है तो किसी के सामान को कस्टम से छोड़ देते हैं क्योंकि उनके दाम बंधे रहते हैं और दूसरे लोगों से मनमाना कस्टम वसूल किया जाता है। जो नागरिक विदेशों में जाकर कार्य कर रहे हैं, मैंने देखा है, उनको बुरी तरह से परेशान किया जाता है। उनको न तो रूल्स मालूम हैं और न बाई-लाज मालूम हैं। मेरा सुझाव है कि इंक्वायरी आफिस में रूल्स और बाई-लाज रहने चाहिएं जिसके द्वारा लोगों को इस बात का पता लग सके कि कौन-सा सामान वे ले जा सकते हैं, कितना सामान ला सकते हैं और किस सामान पर कितनी-कितनी ड्यूटी लगेगी। प्रत्यक्ष रूप में इसकी लिस्ट वहां पर लगाई जानी चाहिए।

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर और दिलाना चाहूंगा। मेरे पास वहां की लेबर यूनियन के लोग आए थे। दिल्ली एयर पोर्ट में दो यूनियन्स हैं जिनमें आपस में बड़ा भारी विवाद चल रहा है। दोनों यूनियन्स आपस में लड़ती रहती हैं जिसकी वजह से वहां का कार्य बहुत सफर कर रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जैसा उन्होंने पिछली बार कहा था, वे वहां

[श्री मानवेन्द्र सिंह]

पर सीक्रेट बैलट करा कर जिसका भी बहुमत हो उस यूनियन को रिकग्नाइज करें अन्यथा यही स्थिति चलते रहने पर वहां की स्थिति खराब होती जाएगी ।

अन्त में मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा । जो भी विदेशी नागरिक विभिन्न एयरवेज से, एयर इण्डिया अथवा इंडियन एयर लाइन्स से भारत में आते हैं उनका मेडिकल होना अति आवश्यक है, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज यहां पर मुश्किल है । विदेशी नागरिकों को विशेष रूप से इस बात के लिए मेडिकल चेक अप करना चाहिए कि कहीं वे अल्कोहलिक या ड्रग एडिक्ट तो नहीं हैं क्योंकि उनमें इस तरह का जो रोग होता है वह हमारे भारतीय नागरिकों के लिए बड़ा हानिकारक साबित हो सकता है । मैं माननीय मंत्री से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि इस प्रकार का मेडिकल चेक अप करा कर जो भी ऐसे विदेशी नागरिक पाए जाएं उनको भारत की सरहद के अन्दर नहीं घुसने देना चाहिए जब तक कि वे ट्रीटमेंट से पूरी तरह ठीक न हो जाएं ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं तथा माननीय प्रधान मंत्री व मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और आग्रह करता हूं कि आज सारे विश्व में जो टेरोरिस्टस का भय मचा हुआ है उसके लिए यह आवश्यक है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए । उनके केसेज को बाहर की अदालतों में नहीं सुना जाना चाहिए, यहां की अदालतों में ही उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाने चाहिए ।

[अनुवाद]

श्री चिन्ता मोहन (तिरूपति) : महोदय मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विधेयक के प्रस्तुत होने से यह पता चलता है कि वर्तमान सरकार को लोकतन्त्र पर कितना विश्वास है और यह एक अत्यन्त अलोकतान्त्रिक कृत्य है । वास्तव में मुझे सन्देह है कि क्या मन्त्री जी ने वास्तव में 1934 का अधिनियम ध्यानपूर्वक पढ़ा है । उन्होंने धारा 14 का संशोधन किया है । यदि उन्होंने पूरी तरह से अधिनियम पढ़ा होता तो उन्होंने और धाराओं का भी संशोधन किया होता । वास्तव में धारा 3 और 7 भी बराबर महत्व के हैं । धारा 3 में कहा गया है :

"वायुयान के निर्यात, आयात और उत्पादन की सुविधा के लिए ।"

धारा 3 का भी संशोधन किया जाना चाहिए ।

तुरन्त निर्णय तथा मौके पर पूछ-ताछ करने के लिए धारा 7 का भी संशोधन होना चाहिए ।

मंत्री ने धारा 7 के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है । जहां तक धारा 14 का सम्बन्ध है पूर्व प्रकाशन के लिए तीन महीने से कम समय की अवधि की व्यवस्था ठीक है । संशोधन से केवल यह प्रतीत होता है कि सरकार के पास संसदीय लोकतन्त्र का कोई महत्व नहीं है ।

इंडियन पेटन्टस एण्ड डिजाइन्स अधिनियम 1911 की धारा 42 केवल उस वायुयान पर लागू होती है जो भारत में पंजीकृत हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कि क्या यह उन पर भी लागू होगा जो विदेश में पंजीकृत किए गए हैं। अतः उस सीमा तक इस धारा का संशोधन किया जाना है।

वायुयान अधिनियम, 1937 की किसी भी धारा में रक्षा वायुयान विशेषकर नौसेना वायुयान तथा वायुसेना वायुयान को शामिल नहीं किया गया है।

मैं सरकार को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। यदि सरकार कोई वायुयान अथवा हेलीकॉप्टर खरीदना चाहती है, तो यह काम एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए; इस कार्य के लिए एक समिति होनी चाहिए; और उस विशेष समिति में लोकतान्त्रिक निर्णय लेकर इसका संचालन होना चाहिए। आजकल ऐसा नहीं होता है। हम सुनते हैं कि वायुयान सम्बन्धी मामलों में बहुत कुछ हो रहा है। इसे तुरन्त कम किया जाना चाहिए।

मेरे नोटिस में यह बात लाई गई है और समाचार पत्रों में भी यह बात आई है कि कुछ विमान चालक मदिरा पी कर विमान चलाते हैं। वास्तव में समाचार पत्र से मुझे ज्ञात हुआ है कि कनिष्क वायुदुर्घटना इसलिए हुई क्योंकि विमान चालक ने खूब शराब पी हुई थी। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की गहराई से जांच करें और इस ध्वंस की जांच करने वाले आयोग को कुछ हिदायतें दें।

हेलीकॉपटर निगम के गठन की अत्यन्त आवश्यकता है। इस से तेल के मामले में और अन्तरनगरीय परिवहन के मामले में भी बहुत सहायता मिलेगी।

इन कुछ सुझावों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, मैं अपने आपको दुविधा में पा रहा हूं कि इस बिल का समर्थन किया जाए या माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन किया जाए कि इस बिल में थोड़ा आप तरमीम करें। इस तरमीम के बारे में हमारे और मित्रों ने भी निवेदन किया है। निश्चित तौर पर इस बिल के माध्यम से यह हमको आभास हो रहा है कि जो अधिकार हमारा था, जो अधिकार आम व्यक्ति का था, उसको हम कुछ हाथों तक सीमित कर रहे हैं। यदि हमारे सामने कोई इमरजेंसी है, जिस प्रकार की स्थिति पैदा हुई, उसमें किसी को भी ऐतराज नहीं होगा, यदि सरकार कुछ अधिकारों को कर्टेल करती। लेकिन एक्ट में आम परिवर्तन के जरिए यदि हमेशा के लिए उन अधिकारों को सीमित कर दिया जाएगा तो मैं समझता हूं कि उसको कोई भी व्यक्ति स्वागत करने में अपने आपको पशोपेश में पाएगा।

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : लगता है, डागा जी ने आपको ब्रीफ कर दिया है।

श्री हरीश रावत : मैं समर्थन कर रहा था, लेकिन मुझे डागा जी का असर लगा है। लेकिन माननीय मंत्री जी यह असर इस पक्ष के और उस पक्ष के, दोनों तरफ के सदस्यों को हुआ है। ऐसा लगता है, डागा जी कोई संशोधन रखते हैं तो वह हमारे दिल को भी अपील कर सकते हैं

वित्त मन्त्री श्री (विश्वनाथ प्रताप सिंह) : पहली बार।

श्री हरीश रावत : महोदय, इस बिल के विषय में और अधिक न कह कर, माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं, जब मात्र रेलवे मंत्रालय आपके पास था, तो रेलवे के कामकाज में आपके द्वारा बहुत सुधार लाया गया। गाड़ियों में पन्चुयेलिटी आई, एफिशियेंसी आई। अब हमें उम्मीद है कि आप एयर सर्विसेज में निश्चित तौर पर सुधार लायेंगे। इस समय हालत यह है कि यदि ट्रेन के लिए पांच मिनट पहुंचे, तो ट्रेन छूट जाएगी और यदि किसी को स्टेशन पर रिसीव करने के लिए जाना है और हम पांच मिनट लेट हो जाते हैं, तो वह व्यक्ति स्टेशन पर टहलते हुए मिलते हैं। रेलवे में इतने सुधार के लिए हमें गर्व है और इसके लिए हम आपको बधाई भी देते हैं। मगर आप एयर पोर्ट पर जाइये, यदि वहां 10 मिनट या 15 मिनट भी लेट पहुंचे तो मन में भरोसा रहता है कि प्लेन छूटा नहीं होगा, मिल ही जायेगा। वहां जाने के बाद पता चलता है कि प्लेन 40 मिनट या 50 मिनट देर से जाने वाला है। कुछ सेक्टर में तो यह बहुत ही देर कर के जाता है। प्लेन के बारे में पहले दो-तीन बार अनाउन्स होता रहता है और अन्त में यह बता दिया जाता है कि अब तो प्लेन जायेगा ही नहीं। इससे निराश होकर वहां से लौटना पड़ता है। इसमें सुधार करने की बहुत आवश्यकता है।

कुछ सैक्शंस में सुबह का नाश्ता बहुत ही खराब मिलता है। जब कोई आदमी सुबह प्लेन से जाता है तो यह उम्मीद करके जाता है कि वहां कुछ नाश्ता मिलेगा। लेकिन नाश्ते में क्या देते हैं ? एक समोसा दे देते हैं और वह समोसा न जाने कहां के और किस प्रकार के तेल से बना रहता है। (**व्यवधान**) विशेष तौर से जो कलकत्ता वाला सैक्सन है वहां। हो सकता है उसमें पश्चिम बंगाल के हमारे मार्क्सवादी मित्रों का भी योगदान हो कि हमको गलत नाश्ता मिलें।

आप कहीं से प्लेन से समय पर एयर पोर्ट पर पहुंच जाइये परन्तु आपका जो सामान आता है उसके लिए आपको 30-30 और 40-40 मिनट तक इन्तजार करना पड़ता है और कहीं-कहीं तो जब ड्यूटी चेंज होती है तो सामान आने में एक-एक और डेढ़-डेढ़ घंटा इन्तजार करना पड़ता है। यह दिल्ली एयर पोर्ट पर होता है। इसमें भी सुधार करने की जरूरत है।

यद्यपि यह इस बिल के अन्तर्गत नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अपने मन को रोक नहीं पा रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वहां बरेली एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। वहां पहले से ही एयर पोर्ट बना हुआ है। उसको बोईंग सर्विस से जोड़ने की कृपा करें। जितनी जल्दी आप इसको जोड़ देंगे उतनी ही हमें खुशी होगी।

पन्तनगर को आपने वायुदूत से जोड़ा है। लेकिन रेगुलर सर्विस नहीं है। मेरा आपसे निवे-है कि पन्तनगर से दिल्ली के लिए और लखनऊ के लिए भी रेगुलर वायुदूत की सर्विस दें।

चूंकि वायुदूत का जिक्र आया है तो मैं उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से एक शिकायत आपके पास पहुंचाना चाहूंगा। उत्तरप्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है लेकिन वहां सब से कम वायुदूत के स्टेशन हैं। आप यदि उत्तर प्रदेश को अधिक से अधिक वायुदूत की सर्विस से जोड़ें तो इससे भविष्य में आपको भी फायदा होगा। वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों में यह आदत पैदा होगी कि वे एयर सर्विस का यूज करें और कालान्तर में आपको एक अच्छा-खासा ट्रैफिक मिलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के अधिकांश बड़े-बड़े शहरों, जिनकी एक लाख से ज्यादा आबादी है और जिनमें पोटेंशयल हैं, उनको एयर सर्विस से जोड़ने की कृपा करें।

मैं यहां पर यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने उत्तर-पूर्व के बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्रों को वायुदूत से जोड़ा है जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी पर्वतीय क्षेत्र है और हम लगातार निवेदन करते हुए थक गये हैं कि उत्तर प्रदेश के कोचर जो कि चमोली जिले में है, में एक बहुत बढ़िया एयर स्ट्रिप बन सकता है उसको और पिथौरा-गढ़ को भी वायुदूत से जोड़ें। हम तो यहां तक भी तैयार हैं कि आपको कच्ची हवाई पट्टी बना कर दे सकते हैं यदि आप उनको वायुदूत सेवा से जोड़ दें। हम प्रदेश सरकार को बाध्य कर सकते हैं कि हमें जो एन० आर० ई० पी० का पैसा मिलता है, हम उससे वहां पर हवाई पट्टी बना सकते हैं। अगर आपकी दृष्टि हो जायेगी तो हमारा वह इलांका भी वायुदूत से जुड़ जायेगा।

हेलिकोप्टर कारपोरेशन आप बनाने जा रहे हैं जो एक स्वागत योग्य कदम है। मगर मुझको यह जानकर तकलीफ हुई कि यह कारपोरेशन केवल ओ० एन० जी० सी० और कुछ हद तक नार्थ ईस्ट प्रान्त को केटर करेगा। इसमें किसी भी रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को शामिल नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उत्तर प्रदेश के 6 पर्वतीय जिले हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स को कालान्तर में हेलिकोप्टर सर्विस से जोड़ा जाना चाहिए।

लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ में इतना ट्रैफिक है चारों तरफ से और माननीय वित्त मन्त्री भी इस बात से सहमत होंगे कि कानपुर और उन्नाव आदि शहरों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो विदेशी मुद्रा कमाकर लाने वाले लाल हैं और इस समय उनको दिल्ली आना पड़ता है और वहां सामान उतारते हैं, फिर उसके बाद एयर लाइन्स की शरण में आते हैं। अगर मेहरबानी करके लखनऊ के हवाई अड्डे को इण्टरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप करके वीकली गल्फ एयरलाइन्स से इसको जोड़ दें।

इन शब्दों के साथ मैं असमंजस में ही सही माननीय मंत्री जी और उनके मन्त्रालय की योग्यता पर भरोसा करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

परिवहन मंत्री (श्री बंसी लाल) : प्रश्न यह है कि इस संशोधन को क्यों लाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 23 जून, 1985 को आयरलैंड के निकट एयर इण्डिया 182 कनाडा से बम्बई जाते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। न्यायमूर्ति कृपाल को इस दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच के दौरान न्यायमूर्ति कृपाल इस परिणाम पर पहुंचे कि कनाडा में कुछ लोग थे जो खुली अदालत में आयोग के समक्ष गवाही देने के लिए तैयार नहीं थे और वे यह भी चाहते थे कि उनके नामों को गुप्त रखा जाये। इसलिए न्यायमूर्ति कृपाल ने सरकार से पेशकश की थी कि कुछ बैठकें गोपनीय रूप से करना आवश्यक है। जब न्यायमूर्ति कृपाल ने अगस्त में सरकार को यह संदेश भेजा था तो उस समय संसद का सत्र अपने अन्तिम चरण में था और सरकार के पास संसद के सामने उस समय यह संशोधन लाने के लिए समय नहीं था।

यह संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? पूर्व नियम 75, के अनुसार, हम न्यायालय को बन्द कमरे में पूछताछ करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। पूछताछ खुले न्यायालय में होनी चाहिए थी। अतः नियम 75 का संशोधन करना पड़ा। नियमों के संशोधन को पूर्व प्रकाशित करने की शर्त को रद्द करने का अधिकार देने के लिए अधिनियम की धारा 14 का भी संशोधन करना पड़ा।

कई सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि पूर्व प्रकाशन के उपबन्ध को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। हम इसे रद्द नहीं कर रहे हैं। मेरे विचार में, माननीय सदस्यों ने अधिनियम के अन्य उपबन्धों को पढ़ लिया है परन्तु उन्होंने इस अधिनियम की धारा 14 को नहीं पढ़ा है। अब हम जो कर रहे है वह हैं धारा 14 में एक परन्तुक जोड़ना। धारा 14 इस प्रकार है :

> "इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति इस शर्त के अध्यधीन है कि नियम पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाएंगे...।"

यह अभी है। परन्तु हमने यहां एक परन्तुक जोड़ा है जिसमें कहा गया है :

> "परन्तु केन्द्रीय सरकार, लोकहित में, लिखित आदेश द्वारा, किसी मामले में पूर्व प्रकाशन की पर्त से अभिमुक्ति दे सकेगी।"

विशेष मामले के तौर पर, लिखित में दिए गये कारणों को देखते हुए, हम कुछ आवश्यक मामलों में इस पूर्व-प्रकाशन से अभिमुक्ति दे सकते हैं। लेकिन यह एक सामान्य बात नहीं होगी कि हम नियमों इत्यादि का पूर्व-प्रकाशन नहीं करें। अतः माननीय सदस्यों का यह विचार सही नहीं है।

श्री गिरधारी लाल व्यास ने तथा श्री मूलचन्द डागा ने भी यह इंगित किया है कि नियमों को सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए। सरकार द्वारा बनाए गए नियम 28 नवम्बर, 1985 को

लोक सभा-पटल पर तथा 4 दिसम्बर, 1985 को राज्य सभा-पटल पर रखे गये थे। अत: नियमों को सभा-पटल पर रखा गया है। अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति इन नियमों की समीक्षा कर सकती है। अत: ऐसा करने में कोई बुरी बात नहीं हैं। सरकार बिल्कुल भी पूर्व-प्रकाशन से अभिमुक्ति नहीं दे रही है, केवल कुछ नियम रूप में ही ऐसा कर रही है।

माननीय सदस्यों ने दुर्घटना के शिकार हुए लोगों के उत्तराधिकारियों को मुआवजे देने आदि से सम्बन्धित अन्य बातों के बारे में कहा है। हम यह शीघ्रता से निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। एयर-टैक्सी सेवा तथा कलकत्ता उड़ान के समयों के बारे में भी प्रश्न उठाये गये हैं। श्री व्यास जी ने पूछा है कि टोरेंटों में विमान की जांच न किये जाने की जिम्मेदारी किस पर हैं और गलती करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। जांच आयोग इन सब बातों पर विचार कर रहा है। हम अभी यह नही कह सकते कि कौन दोषी है अथवा कौन दोषी नहीं है। इस बात का निर्णय जांच आयोग को करना है। सर्वश्री हरीश रावत तथा मानवेन्द्र सिंह ने नाश्ता, मध्याह्न भोजन तथा रात्रिभोज की व्यवस्था के बारे में उल्लेख किया है। इन सब बातों को सुधारने का मैं प्रयत्न करूंगा। उडान समयों के बारे में हमने मंत्रालय में एक प्रणाली शुरू की है जिसमें जो भी विमान देर से जाता है प्रतिदिन हम उसका चार्ट बनाते हैं। हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि विमान कितना विलम्ब से उड़ते हैं ? कारण क्या है ? यह समय पर क्यों नहीं उड़ा ? हमने इन सब बातों पर रेलवे विभाग की तरह नियंत्रण करना आरम्भ किया है। मैं समझता हूं कि इन सब बातों में ठोस सुधार होंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : पालम हवाई अड्डे से नार्थ तथा साऊथ एवन्यू तक की परिवहन व्यवस्था के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री बंसी लाल : मैं इस मामले को भी देखूंगा। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : श्री जंगा रेड्डी को नहीं लिया जा रहा। मैं उनके द्वारा प्रस्तावित सांविधिक संकल्प को सभा के मत के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा 16 अक्तूबर, 1985 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित वायुयान (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (1985 का अध्यादेश संख्या 7) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री बंसी लाल द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :

> "कि वायुयान अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी ।

खण्ड 2—1934 के अधिनियम 22 का संशोधन

श्री मूल चन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

1. पृष्ठ 1,—

खण्ड 2 के स्थान पर, निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये—**

> "2. वायुयान अधिनियम, 1934 में, धारा 14 **के पश्चात्** निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—
>
> परन्तु केन्द्रीय सरकार, लोकहित में, लिखित आदेश द्वारा, किसी मामले में पूर्व प्रकाशन की शर्त में ढील/छूट दे सकती है ।"

महोदय, धारा 14 के सम्बन्ध में जो मैंने कहा है वह यह है कि न केवल एक समिति ने बल्कि संसदीय समितियों ने कई बार एक बात पर जोर दिया है कि नियमों के प्रारूप को प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि आम जनता अथवा जो लोग उन नियमों से प्रभावित होते हैं वे अपनी आपत्तियां उठा सकें तथा उन आपत्तियों को या तो अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की जानकारी में लाया जा सके या वे सदस्यों को संशोधनों का सुझाव दे सकें । मेरा संशोधन यह है या वे सदस्यों को कि अधिनियम की धारा 14 को ऐसे ही रहने दिया जाये और बहुत से सदस्यों ने मेरे द्वारा प्रस्ता- वित संशोधन का समर्थन किया है । मैंने जो सुझाव दिया है वह है :

> "परन्तु केन्द्रीय सरकार, लोकहित में, लिखित आदेश द्वारा, किसी मामले में पूर्व प्रकाशन की शर्त में ढील/छूट दे सकती है ।"

अगर आप चाहते हैं कि कुछ असाधारण मामलों में आप लिखित रूप में कारण बताकर ऐसा कर सकते हैं परन्तु इसके लिए प्रारूप के प्रकाशन से अभिमुक्ति की क्या आवश्यकता है ।

धारायें 7 और 8 हैं जिनके अन्तर्गत आप अधिसूचना के जरिये नियम जारी कर सकते हैं और जब दुर्घटना का प्रश्न हो तो जांच कर सकते हैं । इसी तरह से मैंने एक साधारण से संशोधन का सुझाव दिया है जिसका बहुत से सदस्यों ने समर्थन किया है ।

श्री बंसी लाल : महोदय, मुझे यह स्वीकार्य नहीं है ।

सभापति महोदय : डागा जी क्या आप अपने संशोधन के लिए आग्रह कर रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा : नहीं, महोदय, मैं आग्रह नहीं कर रहा हूं ।

सभापति महोदय : क्या सभा श्री मूल चन्द डागा द्वारा रखे गये संशोधन को वापिस लेने की अनुमति देती है ?

कई माननीय सदस्य : हां ।

संशोधन संख्या 1, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े दिये गये।

श्री बंसी लाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.31 म०प०

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) विधेयक
(—जारी)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) विधेयक पर आगे विचार करेगी।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, मंत्री महोदय के सुझाव पर कि माननीय सदस्यों द्वारा कही गयी कुछ बातों पर सरकार विचार करके स्वीकार करने जा रही है इस विधेयक पर विचार स्थगित कर दिया गया था। विचार शुरू करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि विधेयक के बारे में सरकार का क्या रुख है।

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, हम दो संशोधन लाये हैं। एक श्रमिक सहकारी समितियों से संबंधित हैं। अगर बिक्री या पट्टे पर देने का विचार चल रहा हो, तो बोर्ड इस विकल्प पर भी विचार कर सकेगा। दूसरा संशोधन है कि अगर कहीं कुप्रबन्ध है अथवा कम्पनी के हितों के विपरीत धन को कहीं और लगाया जाता है तो बोर्ड वित्त सहायता देने वाले

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

संस्थान को 10 वर्ष तक उसे वित्तीय सहायता से वंचित करने का निर्देश दे सकता है। हम ये संशोधन लाये हैं।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, औद्योगिक रुग्णता की समस्या बहुत ही गंभीर हो गयी है और इस समय बहुत सारे एकक रुग्ण हैं। अब यह रुग्णता महाराष्ट्र-बम्बई-पूना जोन—और पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में फैल रही है।

रिजर्व बैंक के अनुसार लगभग एक लाख एकक बन्द हैं और उनमें बैंकों की 3500 करोड़ रुपये की कुल पूंजी लगी हुई है। 1982 में यह राशि 3100 करोड़ रुपए थी। गत 10 वर्षों में यह दुगनी हो गयी है। बैंकों के कुल वित्त का लगभग 8 प्रतिशत रुग्ण मिलों में लगा हुआ है और यह कभी वापिस नहीं आयेगा। इसके अतिरिक्त वित्त निगम के लगभग 1000 करोड़ रुपये हैं। जैसा कि माननीय सदस्य श्री डागा जी ने कहा है कि इस देश के लगभग 5000 करोड़ रुपए इन सब रुग्ण एककों में लगे हुए हैं और मुझे यह कहने पर बाध्य होना पड़ रहा है कि इस सरकार ने गत 10-20 वर्षों से सत्ता में रहते हुए भी इस पर ध्यान नहीं दिया है।

मैं एक बहुत ही दिलचस्प बात का उल्लेख करना चाहूंगा। रुग्णता का मुख्य कारण श्रमिक नहीं है। रिजर्व बैंक के अनुसार, रुग्णता के लिए श्रमिक केवल 2 प्रतिशत तक ही जिम्मेदार हैं और 60-70 प्रतिशत यह रुग्णता कुप्रबन्ध के कारण है। माननीय मंत्री महोदय इस बात पर मुझ से सहमत होंगे। दूसरी तरफ अनावश्यक ही मेरे जैसे लोगों की हड़ताल आदि के लिए आलोचना की जाती है। प्रबन्धकर्ता निर्भीक होकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। उसकी गहराई में जाने का तो समय नहीं है। बम्बई टैक्सटाइल मिलस मुकेश मिलों को एक होटल बनाने के लिए जला रही हैं; वे श्रमिकों को उनकी भविष्य निधि का पैसा न देकर उनका पैसा डकार रही हैं। उन सबकी पंजीकृत क्रय-विक्रय एजेंसियां हैं। मैं आपको कई सौ उदाहरण दे सकता हूं जहां पर बहुत मात्रा में धनराशि को अन्य जगहों पर लगाया गया है। कल के अनुपूरक बजट में केन्द्रीय सरकार एंगलो-फ्रैंच मिल के लिए 12 करोड़ रुपए दे रही है। आप रामगोपाल को जानते हैं। वह कहां है? अब उसने तारापुर, महाराष्ट्र में 10 करोड़ रुपए की लागत से एक नया फरनेस एकक शुरू किया है। मेरी वहां पर मजदूर यूनियन है। वह केवल दस रुपये श्रमिकों को दे रहा है। ये सभी लोग तथा विशेष परिवार सरकार की कमजोरी को जानते हैं वे कानून की कमजोरी को समझते हैं। वे जानते हैं कि कहां कैसे काम निकालना है। ये लोग देश का करोड़ों रुपया डकार रहे हैं और उद्योगों को रुग्ण बना रहे हैं। अब कार्यवाही करने का समय आ गया है। सरकार स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की नीति अपनाने जा रही है। अब सरकार सातवीं योजना बना रही है तथा 21वीं सदी की बात कर रही है। मुझे डर है कि अगर इन लोगों को कानून की जकड़ में नहीं लाया गया तो देश में आर्थिक संकट आ जाएगा। अत: इस प्रकार का साधारण विधेयक, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में, एक सचिव तथा अन्यों के साथ कुछ विशेष निर्देश देने के लिए एक बोर्ड गठित करने का प्रावधान किया गया है, सहायक नहीं होगा। रुग्ण एकक को कौन चलायेगा? इसीलिए माननीय मंत्री महोदय अब रुग्ण उद्योगों के लिए एक अस्पताल खोल रहे हैं। ये उद्योग माननीय वित्त मंत्री के अस्पताल में जायेंगे और नियोक्ता सब जगह करोड़ों

रुपये से लाभान्वित होंगे। जितने अधिक एककों का समापन होगा, उतने ही वे अधिक अमीर बनेंगे।

इस विधेयक के अनुसार सरकार एक बोर्ड बनाने जा रही है और इसके अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य ऐसे लोग होंगे जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं अथवा रहे हैं या बनने के लिए पात्र हैं। बोर्ड के पास कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। अगर 50 प्रतिशत से शेयर पूंजी नीचे जाती है तो एकक को रुग्ण घोषित कर दिया जाएगा और तब बोर्ड उसकी जांच करेगा। बोर्ड वह एकक चलाने उन्हीं लोगों को देगा। अगर नहीं देता है तो परिचालन प्राधिकरण आयेगा। इसके बाद वे और अधिक समय के लिए टिक जायेंगे और इसमें दो माह और लग जायेंगे। उस योजना को परिचालन प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। अगर वह एकक तब भी नहीं चल पाता है तो उसका परिसमापन किया जाएगा। माननीय मन्त्री महोदय परिसमापन नहीं चाहते। मैं भी परिसमापन नहीं चाहता। यह खराब चीज है। परन्तु अब तक पुनःनिर्माण बैंक तथा शिखर वित्तीय संस्थानों ने क्या किया है? सभी एकक परिसमापन चाहते हैं। मैं फिर स्पष्ट तौर पर इस सभा में कहना चाहता हूं कि श्रमिक इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। कई लोग रुग्णता के लिए मुझे दोष देते हैं क्योंकि मैं श्रमिकों से संबंधित हूं।

जैसा कि मैंने कहा, रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार, मजदूरों के कारण केवल दो प्रतिशत इकाइयां ही रुग्ण हैं और 60-70 प्रतिशत इकाइयां नियोजकों के कारण रुग्ण हैं।

कितने मजदूर सम्बद्ध हैं। 500-600 बड़ी कपड़ा मिलें हैं जिनमें 10 लाख लोग काम में लगे हैं; एक हजार मध्यम स्तर के उद्योग हैं जिनमें लगभग 5 लाख लोग लगे हैं, और 70 से 80 हजार इकाइयां हैं जिनमें प्रत्येक में 100 मजदूर कार्य करते हैं। इस प्रकार लगभग 25 लाख मजदूर सम्बद्ध हैं। माननीय सदस्य श्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने कहा कि कई मजदूरों ने आत्महत्या कर ली थी। मुझे मजदूर सम्मेलन में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय श्रम मंत्री यहां नहीं हैं। इन मजदूरों के भविष्य निधि के 63 करोड़ रुपये का मामला है, और 350 से 400 करोड़ रुपये की ग्रेच्युटी या सेवानिवृत्ति लाभ का मामला है। जो वेतन नहीं दिए गए हैं उनके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। लेकिन इन मजदूरों का क्या दोष है? एक बोर्ड अब बनाया जा रहा है, माननीय वित्त मंत्री इस विधेयक में कह रहे हैं कि सभी को त्याग करने के लिये आगे आना चाहिए। लेकिन मजदूर क्यों त्याग करें? मैं 30 वर्ष तक कार्य करता हूं, और कोई अन्य मुनाफा कमाता है और वह मुझे मेरी भविष्य निधि नहीं चुकाता है और मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा। लेकिन उस बात के लिये मैं क्यों नुकसान उठाऊं? हमें त्याग करना है। हमें अपना वेतन कम कर देना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये ऐसे सुझावों का विरोध करता हूं। मैं यह सुझाव देता हूं कि ऐसे कदमों से बात नहीं बनेगी। मेरी समझ में नहीं आता कि आप इकाइयों के बीमार होने के बाद ही क्यों जागते हैं। जब नियोजक द्वारा यह कहा जाता है कि इकाई बीमार हो गई है तभी आप काम करना प्रारम्भ करते हैं। तब वह एजेन्सी क्या है जिसे आप बनाना चाहते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उद्योग को नहीं चलायेंगे। आपकी कार्य करने वाली एजेन्सी कौन सी है? इस कानून के अनुसार, वित्तीय संस्थाएं/बैंक कार्य करने वाली एजेंसियां हैं, पुनर्निर्माण बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास इन

[डा० दत्ता सामंत]

इकाइयों को चलाने का कोई अनुभव नहीं है। आपके पुर्ननिर्माण बैंक ने बम्बई की कोहिनूर मिल के सम्बन्ध में निर्देश दिये हैं। और उन्होंने वाइमैन गार्डन बम्बई के लिये भी निर्देश दिये हैं। वे किसी ऐसे को भेजते हैं जिसका इकाई में कोई हिस्सा या कोई रुचि नहीं है। मालिक चला जाता है और एक नया निहित स्वार्थ प्रवेश करता है। कोहिनूर कारखाने की देनदारी 52 करोड़ रुपये थी और बैंक द्वारा भेजे गये व्यक्ति ने 10 करोड़ रुपये और डकार लिये और सरकार को उसे हटाना पड़ा, वाइमैन गार्डन मामले में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने एक व्यक्ति को भेजा और वह भी पैसा डकार गया, इकाई बन्द है और मेरे 3000 मजदूर मर रहे हैं। अमर डाइ केम के मामले में, पुर्ननिर्माण बैंक पर 20 करोड़ रुपये बकाया हैं। आपने मुझे अधिक समय नहीं दिया है अन्यथा मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। मैंने कुछ ऐसी इकाइयों के बारे में कहा है जहां बैंकों की इस प्रकार की एजेन्सियां सफल नहीं हुई हैं। मैं यह जानने को उत्सुक हूं कि माननीय मंत्री जी और क्या करने जा रहे हैं। इन कार्यरत एजेन्सियों का अर्थ है, वहीं बैंक वाले लोग। आप उनके हाथों में खेल रहे हैं। इससे काम नहीं चलेगा। मुझे ऐसा कहते हुए बड़ा दुख होता है। हो सकता है आप ईमानदारी से प्रयास कर रहे हों और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। आप कुछ कर रहे हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, ये कार्यरत एजेन्सियां असफलता को ही जन्म देंगी और आखिरकार मजदूर ही इसका निशाना बनेंगे। यदि आप 100 तुलन-पत्र लें, तो देखेंगे कि 50 से 70 घाटा दिखाते हैं। बाकी केवल मामूली सा ही लाभ दिखाते हैं। विदेशियों द्वारा चलाई जा रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियां बुरी हो सकती हैं लेकिन वे कम से कम अपना लाभ तो ईमानदारी से दिखाती हैं।

इस देश में यह क्या प्रवृत्ति चल रही है? यदि मेरे पास एक हजार रुपये हैं, सरकार बैंकों से या निगमों से 90 हजार रुपये देती है अतः मेरा उद्योग शेयरधारियों के या सरकार के पैसे द्वारा चलाया जाता है। इसके बाद, वर्तमान कानून के अन्तर्गत क्या नियन्त्रण हैं। निजी या सार्वजनिक नियोजकों को किस तरह कर्जे दिये जाते हैं? सरकार का क्या नियन्त्रण है? मालिक किस तरह बेचते या खरीदते हैं और क्या परिसम्पत्ति वे गिरवी रखते हैं? वे सब खुल्लम-खुल्ला धोखाधड़ी करते हैं। यदि आप मुझे समय दें तो मैं आपको बता सकता हूं कि कपड़ा मिलों के सेठ और अन्य किस प्रकार धोखाधड़ी करते हैं वे आपकी सभी धमकियों के आदि हैं, किसी व्यक्ति की शेयर पूंजी जब 10 रुपये है तो उसका उत्पादन 300 से 400 रुपयों का है। लेकिन वह इसे दिखाता नहीं। जब कर्जे बढ़े होते हैं और प्रत्येक चीज को दबा दिया जाता है, तो वह बोर्ड के पास जाकर कहता है कि वह उसकी गाय है जो अपने आखिरी समय में है और इसे वध-शाला में भेज दिया जाना चाहिये। महोदय, मैं इस सभा में एक उपयुक्त प्रश्न उठाने जा रहा हूं। किसी इकाई के बीमार होने से पहले ही कुछ कार्रवाई की जानी चाहिये। इन इकाइयों के काम करने पर सरकार की ओर से थोड़ी पाबन्दी होनी चाहिये। निजी क्षेत्र हो या न हो, 90% धन बैंकों का या शेयरधारियों का ही होता है, इसका अर्थ है यह सार्वजनिक धन है। जबकि आप भविष्य में बृहत् औद्योगीकरण के बारे में सोच रहे हैं, यह सरकार का नैतिक एवं आवश्यक कर्तव्य हो जाता है कि वह यह देखे कि धन का इस्तेमाल उचित प्रकार से किया जा रहा है या नहीं। मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां वे हर चीज को बकाया सन्तुलन में दिखा देते हैं, और आय-

कर नहीं चुकाते। यह राष्ट्र के साथ कैसी धोखाधड़ी है, मजदूरों की बात छोड़िये, रुग्णता की बात छोड़िये, लेकिन क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वह देखे कि वे कई वर्षों से करोड़ों रुपये का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या यह राष्ट्रहित में नहीं है कि यह देखा जाय कि क्या वे करों का भुगतान ठीक ढंग से कर रहे हैं, क्या वे अपने उपभोक्ताओं एवं ग्राहकों से उचित व्यवहार कर रहे हैं ? हम चुप नहीं रह सकते। कुछ भी हो, यदि आप निजी क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, आपके इरादे कितने ही नेक हों, फिर भी इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। मैं आपके साथ इन बातों पर चर्चा कर सकता हूं, अतः मैं यह आग्रह करता हूं कि इन इकाइयों के बीमार पड़ने से पहले हमें बोर्ड को कुछ शक्तियां दे देनी चाहिये। मैं यहां इसी बात का प्रस्ताव करना चाहता हूं।

कपड़ा उद्योग इस देश के सबसे बड़े बीमार उद्योगों में से एक है। हर छः महीने में उन्हें आपको इस सम्बन्ध में कुछ विवरण देने चाहिए कि कहां से ये चीजें खरीदी जाती हैं, वर्तमान भाव क्या हैं, क्या उन्हें कोई खरीद करने वाली एजेन्सी की स्थापना नहीं करनी चाहिये जिसको उन्हें अपना रद्दी माल बेचना चाहिये, और क्या वे गिरवी रख रहे हैं या नहीं, तब कम से कम कुछ नैतिक पाबन्दी तो रहेगी। और यदि आप पाते हैं कि निर्देशक कुछ कपट कर रहे हैं तो कम से कम बोर्ड तो हस्तक्षेप कर सकता है, आप या मैं नहीं। मैं यह कह रहा हूं कि क्योंकि बोर्ड हस्तक्षेप कर सकता है अतः आपको कोई पाबन्दी लगाने की जरूरत नहीं है ? शेयर पूंजी या परिसम्पत्ति के पूरी तरह समाप्त हो जाने तक इन्तजार मत कीजिये, इकाई के बीमार हो जाने से पूर्व ही बोर्ड को इसकी ठीक प्रकार से जांच करनी चाहिये। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको ऐसा सारे देश में करना चाहिये। महाराष्ट्र में उद्योग बीमार पड़ रहे हैं। आप पहले महाराष्ट्र की जांच कीजिये। मैं अधिकार दे रहा हूं एक अधिसूचना द्वारा सरकार को यह कहना चाहिए कि सभी कपड़ा उद्योग एक निर्धारित प्रपत्र में अपना हिसाब प्रस्तुत करें। उद्योग के बीमार पड़ने से पूर्व यदि बोर्ड को पता लगता है कि उद्योग में कुछ गलत हो रहा है, तो उन अनुच्छेदों के तहत जिनके अन्तर्गत यह कार्य करता है, इसमें सुधार किया जाना चाहिए। यदि यह अधिनियम के अनुसार कार्य नहीं करता तो आपको निर्देशक को हटा देना चाहिए। यदि यह फिर भी ठीक नहीं चल रहा है तो आपको इसे किसी सक्षम इकाई या बड़ी इकाई को दे देना चाहिए। अतः मैंने पहले ही यह संशोधन प्रस्तुत कर दिया है और मैं माननीय मंत्री जी से दिल से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : संशोधन क्या है ? आप उन्हें समझाते क्यों नहीं ?

डा० दत्ता सामन्त : केन्द्र सरकार को यह शक्ति है कि वह एक अधिसूचना द्वारा इस बात के लिए आग्रह करे कि कोई उद्योग अपना हिसाब परिसम्पत्ति की खरीद और बिक्री तथा ऐसी ही अन्य बातें हर छठे माह बोर्ड के सम्मुख रखे। इस प्रकार कपड़ा उद्योग पर कुछ पाबन्दी लग जाएगी। बम्बई में अधिकांश उद्योग बीमार हैं क्योंकि पुराने उद्योग और भी पुराने होते जा रहे हैं। इसलिए उन्हें बहुत सी मुश्किलें हो रही हैं और वे बिजली का बिल और ऐसी ही चीजों का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। अतः आप कह सकते हैं कि बम्बई में और सारे देश में उद्योगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं अपने संशोधन में थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ सुधार कर रहा हूं।

[डा० दत्ता सामंत]

महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा लेकिन मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि इन निहित स्वार्थों पर रोक लगायी जानी चाहिए। राष्ट्रीय कपड़ा निगम में क्या हो रहा है ? राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अध्यक्ष और अधिकारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा होती है। माननीय मन्त्री जी ने पहले ही छः अध्यक्षों को उनकी कपटपूर्ण गतिविधियों के लिये हटा दिया है। पिछले छः माह में कपटपूर्ण सौदों में उनके लिप्त होने के कारण लगभग 10 से 15 प्रशासकों को निकाला जा चुका है। यदि हमारा अनुभव यह है कि, फिर इन इकाइयों को कौन चलाएगा जो कि पहले ही घाटे में चल रही हैं। यह किस तरह चलेगा ? यही मेरा मुद्दा है।

महोदय, मेरी राय यह है कि जब बोर्ड का गठन होता है और यह जांच करता है, उनके सौभाग्य से, उच्च न्यायालय, अनुच्छेदों के अनुसार बहुत अच्छा काम कर सकता है। यदि प्रोजैक्ट निदेशकों या अधिकारी या मुख्यतः निदेशकों ने कोई कपटपूर्ण कार्य किया है तो बोर्ड के पास यह शक्ति है कि वह एक जांच अदालत की नियुक्त करे जो कि सुनवाई आदि करे। इस से यदि बोर्ड को पता लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो यह जो चाहे कर सकता है यह मेरा नया सुझाव है जो कि मैंने पहले ही संशोधन में प्रस्तुत कर दिया है। अब, यदि पिछले निदेशक ने परिसम्पत्ति के खरीदने और बेचने में धन को कहीं और इस्तेमाल करके कपट किया है, तब बोर्ड ऐसा कर सकता है। एक माननीय मन्त्री ने स्वीकार किया था कि यह कामगारों की सहकारिता को दिया जा सकता है, नहीं तो कम से कम 10 वर्षों तक इनको ऋण नहीं दिया जायेगा। लेकिन उन्होंने जांच के बाद यह सुझाव दिया कि इसे उसकी पत्नी को या उसके पिता को या पुत्र को दिया जाना चाहिए। कम से कम 10 वर्ष तक वे ऋण लेंगे।

वे चालाक लोग थे। इसके अतिरिक्त यदि कोई कपटपूर्ण दृष्टिकोण है तो पैसा इस बोर्ड से या उनके कारखानों से या उनकी परिसम्पत्ति से वसूल कर लिया जाना चाहिए। यह भी एक संशोधन है जो मैंने प्रस्तुत किया है, कम से कम इस प्रकार का सख्त रुख इन लोगों पर कुछ दबाव डालेगा और मैं अभी भी जोर देकर कहता हूं कि किसी नियोजक या मिल मालिक के साथ मेरी कोई व्यक्तिगत परेशानी या शिकायत नहीं है लेकिन यही वे आर्थिक परिस्थितियां हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। उन्होंने 36000 करोड़ रुपये के काले धन का उल्लेख किया है। यह एक बड़ा कारण है। यदि यह पता लग जाए कि कपटपूर्ण दृष्टिकोण बहुत अधिक है और इस व्यक्ति ने बाकि धन राशि का बहुत अधिक गलत इस्तेमाल किया है। मैं साराभाई समूह को जानता हूं जिन्होंने वास्तव में 50% बिक्री दिखाई है और जो घाटे में है, तो इसको एक गम्भीर दण्डनीय अपराध माना जाना चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी को थोड़ा श्रेय दूंगा, ओरके कारखानों का निदेशक था जिसने जालसाजी की कभी चिन्ता नहीं की उसने करोड़ों रुपयों की जालसाजी की है, रिलायन्स से उसने आरम्भ किया है। मुझे नहीं मालूम कि क्या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाएगी। उनकी इकाई ठाणें में है जहां 80 करोड़ रुपये के बराबर का उत्पाद शुल्क नहीं चुकाया गया।

क्या ये सभी लोग ईमानदार हैं ? मैं आपको नाम बताता हूं रेलाइन्स, कलरकेम आदि। वे हमारे साथ खेल रहे हैं। गरीब लोगों के बारे में हम यहां बहुत चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये सभी निहित

स्वार्थी करोड़ों रुपये का काला धन बना रहे हैं। अतः मेरी दृढ़ राय है कि कड़े उपायों की आवश्यकता है। अन्यथा वे कहेंगे इस यूनिट को लें मैं पहले से ही बहुत अधिक सहन कर चुका हूं मैंने 10 एकक शुरू किए हैं, इस प्रकार आप इस यूनिट को लें। इसकी पुनर्रचना करें और इस पर पैसा लगाएं। आप और वित्त जी व्यवस्था करेंगे। तब कर्मचारियों को भविष्य निधि नहीं मिलेगी। अतः उस व्यक्ति ने तो अपना काम कर दिया है।

मैंने मंत्री जी से अनुरोध किया है कि उसे इस तरह से न छोड़ें। उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने उपस्थित होना चाहिए। मैंने सुझाव दिया है कि कोई जुर्माना नहीं होना चाहिए। कम से कम एक से सात वर्ष के लिए उसे जेल होनी चाहिए। यदि बोर्ड उसे अपराधी पाता है इससे कम सजा नहीं दी जानी चाहिए जब तक सरकार कड़े उपाय नहीं लेगी तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा।

माननीय, मन्त्री ने बम्बई में कुछ थोड़ा सा कार्य किया है परिणामस्वरूप ऊंचे स्थानों पर लोग डरे हुए हैं। सदन में बहुत से मुद्दे उठे हैं आपके अनुसार छोटे और बड़े 83,000 यूनिट और मेरे अनुसार ऐसे एक लाख इस प्रकार के यूनिट बन्द पड़े हैं। यह अधिनियम उन पर लागू नहीं होता है। मैं अनुरोध करता हूं कि बोर्ड को पूछताछ शुरू करनी चाहिए कि इन लोगों ने क्या किया है। आपको भविष्य में इन लोगों को ऋण नहीं देना चाहिए। अन्यथा वे साफ बच जायेंगे। वे परवाह नहीं करेंगे इन सभी विषयों पर बहुत गम्भीरता ने विचार किया जाना चाहिए ताकि इन सभी समस्याओं का उचित रूप से सामना किया जा सके।

इस प्रकार के छोटे कानूनों को यहां और वहां उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के पास लाने से सहायता नहीं मिलगी। वे क्या करने जा रहे हैं ? वे अच्छे लोग हैं। मुझे उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। उन्हें न्यायिक अनुभव है। मैं उनको पूरी इज्जत देता हूं। लेकिन इन यूनिटों के मामले में वे कोई कार्रवाई नहीं कर पायेंगे या उसको नहीं चला सकेंगे।

माननीय मन्त्री को आशंका है कि मुकादमे बाजी बढ़ जाएगी। मैं समझता हूं कि यदि वह चाहते हैं तो हम संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। हम उनके साथ हैं।

कई लोगों ने कहा है कि मिल मालिकों और नियोजकों का यह कपटपूर्ण रवैया है इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक ने उनकी आलोचना की है। यह केवल मेरा ही विचार नहीं है। अतः यह सरकार का कर्तव्य है कि इन लोगों के विरुद्ध कुछ कड़ी कार्रवाई करें।

इन शब्दों के साथ मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह सुखद कदम है। साथ ही मैं महसूस करता हूं कि यह पर्याप्त नहीं होगा। उद्योग में रुग्णता के रोग को दूर करने का यह अंशतः उपाय है। कारण बहुत हैं परन्तु मैं केवल महत्वपूर्ण मामलों को लूंगा।

विरोधी दल में मेरे दोस्त डा० दत्ता सामन्त ने कुछ आंकड़े दिए हैं और कहा है कि 2% तक के लिए मजदूर जिम्मेवार हैं। यदि आप विस्तार में जाते हैं तो आप विभिन्न राज्यों में रुग्णता का

[श्री विजय एन० पाटिल]

प्रतिशत देखेंगे पश्चिम बंगाल पहले आता है क्योंकि मजदूर संघ गतिविधियां वहां मजबूत हैं। (व्यवधान) दुर्भाग्यवश महाराष्ट्र की भी स्थिति देखनी है क्योंकि बम्बई महाराष्ट्र में है और डा० दत्ता सामन्त बम्बई में हैं। एक बार फिर मजदूर की बात आ जाती है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : कानपुर और जमशेदपुर की क्या स्थिति है ?

श्री विजय एन० पाटिल : संघर्षशील ट्रेड यूनियन केवल अपने अधिकार तथा लड़ाई के बारे में सोचती है··· (व्यवधान) इस प्रकार उद्योग रुग्ण होते हैं।

इसके बाद प्रबन्ध व्यवस्था आती है अर्थात कम्पनी के मालिक। यहां हम पाते हैं कि सरकार द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहन, आर्थिक सहायता, कोटा पद्धति और उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के कारण बहुत से लोग उद्योगों को शुरू करने के लिए आगे आते हैं। उनकी यह इच्छा होती है कि आर्थिक सहायता को हड़प लेने के बाद या उन्हें परिसमापन के अन्तर्गत रखकर उन्हें बाद में बन्द कर देते हैं।

मैं इसको इस तरह से प्रस्तुत करता हूं कि कुछ विषशेाधिकार प्राप्त लोग बैंक कर्मचारियों की तरह सुरक्षित सरकारी कर्मचारी की सहभागी के साथ सरकारी सम्पत्ति, कच्चा सामान हो सकता है, सरकारी सम्पत्ति बैंकों में लोगों की जमा रकम हो सकती है या यह सरकारी सम्पत्ति को हथियाते हैं तथा योजना बनाते हैं। अतः ये विशेषाधिकार प्राप्त लोग पहले एक जगह हथियाते हैं और दूसरी बार दूसरे राज्य में जाते हैं। वे उत्तर प्रदेश में उद्योग शुरू कर सकते हैं, बैंक अधिकारियों की सहमति से उन्हें रुग्ण घोषित करते हैं, उसका परिसमापन करते हैं तथा इसके बाद वे हिमाचल प्रदेश को जाएंगा इस तरह इस प्रकार के लोगों को जो इधर उधर पहुंचते रहते हैं नियंत्रित करना होगा। यह अंशतः उपाय इस प्रकार के टिड्डी दल को उसके बुरे प्रभाव को नियन्त्रित करने में सहायता नहीं देता है। यदि इन लोगों का पता लगाया जाता है और उन्हें नये लाइसेंस नहीं दिए जाते हैं तो केवल तभी कुछ नियंत्रित होगा। जो देश अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक विकास में 12वें स्थान पर आता था इसका औद्योगिक विकास 27वें स्थान पर हो गया है।

मेरे दोस्त डा० दत्ता सामन्त ने पहले से ही रुग्ण उद्योग, रुग्ण कम्पनियों में लगी हुई राशि की उल्लेख किया है। रुग्णता के कारण सरकार तथा अन्य शेयर होल्डर और बैंकों के 15 प्रतिशत निवेश की राशि रुकी पड़ी है। हालांकि पुरानी प्रौद्योगिक है या ईकाइयां बहुत पुरानी हो गई हैं परन्तु मेरे विचार से वे इतनी अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं क्योंकि यदि आप उद्योगों की सूची देखें तथा इन उद्योगों को देखें जो रुग्ण हैं तो आप पाएंगे कि यह मुख्य कारण है।

जब श्रम शक्ति उस पर लगी हुई हो और उद्योग रुग्ण होते हैं तो सरकार को इन मजदूरों के रोजगार को बनाए रखने के लिए दबाव डालना चाहिए सरकार को चाहे यह राज्य सरकार हो या केन्द्रीय रुग्ण ईकाइयों को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। भारतीय अन्य विकल्पों के साथ आगे क्यों नहीं आते हैं ? एक प्रस्ताव था कि मजदूरों की भविष्य निधि जो करोड़ों रुपयों में जमा होती है,

यदि इसमें से आप 1 प्रतिशत को उस उद्योग में लगायें जो रुग्ण होनी शुरू हो गई है, तो यह एक अकलमन्दी का निर्णय होगा। लेकिन उस विचार को कार्यान्वित नहीं किया गया। इकाइयों को लेने के स्थान पर मजदूरों को दुबारा से प्रशिक्षण देने के लिए हम क्यों नहीं सोचते हैं ? हमें उन्हें कहीं और लाभकर रोजगार देने के लिए उन्हें लाभकर प्रशिक्षण देने के लिए कुछ निवेश करना चाहिए।

आपने विधेयक में उल्लेख किया है कि कम्पनी को रुग्ण इकाइयों के साथ संभावित इन रुग्ण उद्योगों में समामेलित करने के लिए कहा जाएगा उन्हें उसी कम्पनी के दूसरे अच्छे ईकाइ में रुग्ण ईकाई के इन मजदूरों को खपाने के लिए दबाव क्यों न डाला जाएं।

आपने प्रबन्धकों को बदलने के बारे में उल्लेख किया है लेकिन ये लोग इतने चालाक हैं यदि आप उन्हें प्रबंधकों को बदलने के लिए कहे तो उस कम्पनी के विभिन्न ईक.इ के बड़े मालिक, वे प्रबन्ध निदेशक के रूप में अपने साले को बदल या वहां प्रबन्ध निदेशक के रूप में दामाद को बिठा देंगे। वहां उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जब उस पर पूरी तरह से पैसों का निवेश नहीं किया जाता है तो वे देखेंगे कि इस तर्क या उस तर्क पर भी निवेश नहीं किया गया है। मैं चार्टर्ड एकाउंटेंट की संस्था को दोष नहीं देना चाहता हूं लेकिन हम पाते हैं कि उद्योग में इस तरह की बिरादरी होती है यदि एक परिवार में पांच भाई या एक परिवार में चार भाई हैं तो वे इस ढंग से योजना बनाते हैं जैसे सिर्फ तिब्बत में है, लद्दाख में भी हमने देखा है कि एक भाई लामा डाक्टर बनता है तथा दूसरा भाई परिवार के मुख्य की जिम्मेदारी लेता है।

अत: यहां भी चार भाइयों में से एक राजनितिश बनता है। एक वकील बनता है या चार्टर्ड एकाउंटेंट बनता है और एक ट्रेड यूनियन नेता बनता है।

5.00 म० प०

श्री नारायण चौबे : और वह कांग्रेस (आई) में शामिल होता है।

श्री विजय एन० पाटिल : वह ऐसे दल में शामिल होता है जो सत्ता में होती है चाहे वह पश्चिम बंगाल में सी० पी० आई० (एम) हो या 1978 में यहां पर जनता पार्टी हमें गम्भीरता से इस बीमारी से जूझना है।

यह विधेयक सुखद है। लेकिन एक बार फिर सरकार को विभिन्न प्रकार के उद्योगों के बारे में अपनी नीतियों को देखना है। उदाहरण के लिए रसायन सम्बन्धी उद्योग लें। हमने देखा है कि रसायन सम्बन्धी उद्योग इतने छोटे होते हैं कि वे यूरोपियन देशों में रसायन सम्बन्धी उद्योग की तुलना में केवल प्रायोगिक संयंत्र की तरह होते हैं। छोटा आकार होने के कारण उन्हें लाभ नहीं मिलता है वे बहुत जल्दी रुग्ण हो जाती हैं इलेक्ट्रानिक उद्योग लें। इसका अभी तक यहां विकास नहीं हुआ है बहुत से लोग इलेक्ट्रानिक उद्योग को शुरू करने की सोच रहे हैं ताकि कम समय में लाभ प्राप्त हो सके। लेकिन तस्करी के द्वारा विदेशी बिजली का सामान आने के कारण यह उद्योग भी समृद्ध नहीं हुई है बिजली के बहुत से उद्योग हैं उदाहरण के लिए हम पाते हैं कि कृषि पंप बनाने के बहुत से उद्योग हैं और वहां

[श्री विजय एन० पाटिल]

बहुत प्रतियोगिता है। जैसा आप मिनी-स्टील संयंत्र में अब कर रहे हैं उसी तरह लाइसेंस देने में रोक लगानी चाहिए।

5.01 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यदि हम उसे नहीं करते हैं तो केन्द्रीय आर्थिक तथा अन्य सुविधाओं के कारण इन उद्योगों का समूह विभिन्न स्थानों पर ऊपर आयेगा। आटोमोबाइल उद्योग में हम पाते हैं कि वहां पुर्जों का मानकीकरण नहीं है। बड़े आटोमोबाइल निर्मित ईकाइयों द्वारा सहायक ईकाइयों को उचित रूप से विकसित नहीं किया गया है। कृषि सम्बन्धित आधारित ईकाइयों में भी हम पाते हैं कि कभी-कभी बाजार में भरमार हो जाती है और कभी-कभी कमी होती है। चीनी उद्योग कृषि सम्बन्धी आधारित उद्योगों में से एक है। प्रकृति के कारण हम पाते हैं कि कुछ मौसम में वे उद्योग को पूरी क्षमता से नहीं चला सकते हैं। ये रुग्णता के विभिन्न कारण हैं। हमें विभिन्न स्तर पर इस रुग्णता से जूझना पड़ेगा।

हम उद्योग के क्षेत्र में एक अन्य घटना पाते हैं। ऐसे अव्यवसायी उद्यमी हैं जो रातों-रात अमीर बनना चाहते हैं। जब किसी रसायन के बारे में कोटा बंधा होता है या इस्पात के कोटे की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है तब वे उद्योग शुरू करते हैं। इन अव्यवसायी उद्यमियों में हम पाते हैं कि कुछ सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों या अन्य रिश्तेदारों को एक किस्म के उद्योग को शुरू करने के लिए उत्साहित करते हैं जिसके लिए वे खरीद के आदेश दे सकते हैं। कुछ समय बाद जब वह सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो वह उद्योग रुग्ण हो जाता है। इसी तरह छोटे उद्योगों की संख्या बढ़ती जा रही है। वे सभी सुविधायें लेते हैं। वे उचित रूप से प्रशिक्षित नहीं होते हैं। वे उद्योग का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं। और सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें बाजार उपलब्ध नहीं होता। तब वे रुग्ण उद्योगों की संख्या बढ़ाते हैं।

आपने उल्लेख किया है कि बैंकों को भी उद्योग को पुनरुज्जीवित करने उसके प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने की जिम्मेदारी के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे दोस्तों ने बैंकों के प्रबंध के अनुभव और उद्योग को रुग्ण करने में उनके हाथ के बारे में यहां बताया है हमें पता है कि कई अधिकारी हालांकि वे देखते हैं कि निश्चित रूप से उद्योग शत प्रतिशत रुग्ण हो रहा है फिर भी कोई धांधली करके ऋण के रूप में बड़ी रकम दे देते हैं। मैंने इस तरह का एक उदाहरण अपने निर्वाचन क्षेत्र में पाया है। खानदेय कपड़ा मिल को सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने ऋण दिया था। उस अधिकारी को केवल वहां से स्थानांतरण किया था और पूरे मामले में कोई जांच नहीं की गई थी। जब हमने एन०आई०पी० के अन्तर्गत किसी को 25,000 रुपए का ऋण देना चाहा और जब वह सिफारिश की जाती है तब बैंक अधिकारी को इसे देखना चाहिये कि चीजें उचित रूप से खरीदी गई हैं। स्थल पर चीजें लाई गई और केवल तभी 25,000 रुपए दिए गए। इसके विपरीत यदि 25 लाख रुपए किसी अन्य को दिए जाते हैं तो इन बातों पर विचार नहीं किया जाता और जो कुछ वह अनुमानित स्फीति की व्यवस्था करता है।

उसे प्रत्येक चीज दी जाती है। अतः वह अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं करता। मेरे दोस्त डा० दत्ता सामंत ने उल्लेख किया है कि प्रबन्धक से केवल 10% का सहयोग होता है कभी-कभी वह भी वहां नहीं होता है। हमने पिछड़े क्षेत्रों में यही देखा है। अतः वे उस उद्योग के बारे में परवाह नहीं करते हैं और कुछ समय के बाद इसे धीरे-धीरे रुग्ण होने देते हैं।

अन्त में, मैं सुझाव देता हूं कि लोगों को नए लाइसेंस देते समय उनसे शपथ-पत्र लिया जाना चाहिए कि वह ऐसी किसी कम्पनी में निदेशक या ऐसे किसी उद्योग में भागीदार नहीं था देश के किसी भाग में पिछले तीन या चार वर्षों के दौरान रुग्ण हुए हों और तभी उसको अन्य क्षेत्रों या अन्य प्रदेश में लाइसेंस देना चाहिए।

अन्यथा, ये रुग्ण करने वाले लोग इसी प्रकार आयोजना करते रहेंगे और सरकारी राशि का दुरुपयोग करते रहेंगे और यह रुग्णता की प्रवृत्ति जोकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कैंसर की तरह फैली हुई है, बढ़ती रहेगी और इस पर नियन्त्रण करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं अध्यक्षपीठ को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बाला साहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत और समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे वित्त मन्त्री जी जो नए संशोधन लाए हैं, वे ठीक हैं और भी उसमें कुछ करना जरूरी है। हमारे प्रधान मन्त्री जी ने और वित्त मन्त्री जी ने काले धन को खत्म करने के लिए जो अभियान चलाया है, उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इस अभियान को और भी तेज करना जरूरी है क्योंकि जिनके दिल में डर होना जरूरी है, वह उतना नहीं चाहते हैं। ...(व्यवधान) डर गए हैं लेकिन छुपकर बैठे हैं। मिलों के रुग्ण होने की जो बीमारी है वह बहुत पुरानी है। इसका मुख्य कारण काला धन है। अन्डर हैंड डीलिंग बहुत ज्यादा होता है। जो उत्पादन होता है उसको पूरा कागज पर नहीं दिखाते हैं। सिर्फ 70 या 60 परसेंट यूटिलाइजेशन दिखाते हैं और बाकी जो पैदावार है उसको काले धन में बेच देते हैं क्योंकि उसके लिए एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स आदि का हिसाब-किताब नहीं देना पड़ता। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। कोयला खदान जब नेशनेलाइज्ड नहीं हुई थी तो उस समय का उत्पादन और यूटिलाइजेशन देख लीजिए। नेशने-लाइज्ड होने के बाद एक साल में इतना उत्पादन कैसे बढ़ा, कुछ खास नहीं किया है। उत्पादन वही है। लेकिन जो कागज पर नहीं दिखाते थे, वह कागज पर दिखाया और उत्पादन अच्छा हुआ। उससे काले धन की पैदावार कम हो गई। जो निजी मिलें हैं या टैक्सटाइल मिल हैं या कोई भी मिल हो, उसमें काला धन पैदा होता है। जो पब्लिक सैक्टर इण्डस्ट्रीज हैं, उसमें आफिसर्स इधर-उधर कुछ करते होंगे उसमें सुधार होना जरूरी है। लेकिन काले धन की कोई गुंजाइश नहीं है। पब्लिक सैक्टर का मैं हमेशा समर्थन करता आ रहा हूं और करना भी जरूरी है क्योंकि वहां पर काला धन पैदा करने की गुंजाइश नहीं है रुग्ण मिलों में आप कंट्रोलिंग अथारिटी लगाते हैं। एक सुझाव देना चाहता हूं। स्वीडन एक सोशलिस्ट कन्ट्री है और फ्री कैपिटलिस्ट ढांचा है। वहां उन्होंने एक ऐसा फन्ड पैदा कर दिया है जिससे

[श्री बाला साहेब विखे पाटिल]

कोई भी मिल सिक हो तो उस फण्ड के अन्दर चलाते हैं और टेक-ओवर करते हैं और फिर वापस कर देते हैं। सोशल सिक्योरिटी भी वहां उन्होंने वर्कर्स के लिए पैदा की है। इसकी वजह से मालिक कोई भी मिल सिक होने नहीं देते हैं। उनको पता है कि सरकार ने सोशल सिक्योरिटी के लिए एक ऐसा फण्ड बना दिया है जिससे वह मिल चला देते हैं और वापस नहीं मिलती है, इसलिए हमारे देश में भी ऐसा करना जरूरी है। आपरेटिंग पार्ट मैं बाद में कहूंगा। एक ऐसा फण्ड बना दें, उसके कारण सरकार और पब्लिक एक्सचेकर पर ज्यादा बोझ न पड़े। मालिक को भी यह ठीक लगाना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री या अंडरटेकिंग को गवर्नमेंट टेक-ओवर करे, उसके पास पैसा है। पैसा होने के कारण उसके पास सोशल सिक्योरिटी भी आ जाएगी। आप कपास का ही उदाहरण ले लीजिए, कपास मिल वाले वर्कर्स को अच्छा पैसा नहीं देते हैं और न ही किसानों को कपास का उचित दाम मिलता है। टैक्सटाइल कार्पोरेशन हो या हमारी कोई दूसरी संस्था, उसके पास कपास खरीदने की व्यवस्था होनी चाहिए। आज यह इंडस्ट्री घाटे में क्यों जा रही है क्योंकि उसको बेचने के लिए व्यवस्था नहीं है और मिल वाले ठीक पैसा नहीं देते। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसका कारण एक ही है कि ये लोग कपास का सही उत्पादन कागजों पर नहीं दिखाते हैं और इस कारण कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो जाता है। आप किसी भी इंडस्ट्री की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। मेरे ख्याल से बिजली का या डाटा को छोड़कर बाकी सब जगह सही नहीं दिखाते हैं, लेकिन और किसी जगह नहीं दिखाते। क्योंकि लाइसेंसिंग कैपेसिटी से थोड़े दिन एक्सचेंज चलाते हैं और इस कारण कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज्यादा चल रहा है, उसको 12 महीने की बजाए 8 या 10 महीने चलाने का ही यह परिणाम है।

दूसरी बात आती है, मेन्टेनैंस की। आप बम्बई या कलकत्ता की किसी भी इंडस्ट्री को देख लीजिए। वे सभी पुरानी इंडस्ट्रीज हो गई हैं लेकिन मालिक उन्हें मौडर्नाइज नहीं करते जब कि डैप्रीसिएशन निकाल देते हैं। वह पैसा कहां चला गया। रिकार्ड में झूठ दिखा दिया जाता है कि हमने मशीनरी लगाई है, मेन्टेनैंस के लिए, लेकिन असल में वह नहीं लगाते हैं। हमारे देश में चीनी का उत्पादन करने वाली कई मिलें रुग्ण हो गई हैं जबकि उनसे 1200 मीट्रिक टन से कम चीनी का उत्पादन होता है। आपने उनको 26 रुपया प्रति क्विंटल लेवी शुगर के ऊपर मौडर्नाइजेशन के लिए दिया, मैंने इस बारे में हाउस में एक सवाल भी पूछा था जिसके उत्तर में आपने बताया कि चीनी मिलों को आपने 20 रु० प्रति क्विंटल ज्यादा इसलिए दिया है ताकि वे मौडर्नाइजेशन कर सकें जब कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है और इस साल के लिए भी आपने वही नीति तय की है। आप जिस काम के लिए पैसा देते हैं, यदि वह पैसा उस काम पर खर्च न किया जाए तो भी आपकी तरफ से उस पर किसी तरह का चैक नहीं, कोई शिक्षा नहीं, आप उसकी जवाबदेही की भी जरूरत नहीं समझते। यह बात ठीक है कि देश के लिए चीनी की जरूरत है और हमारी सैन्ट्रल फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स उनकी मदद भी करती हैं लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जिनको भी कोई इन्सेंटिव आदि सरकार की ओर से दिया जाए, जिस काम के लिए उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, यदि मालिक लोग उसका मिस-यूटिलाइजेशन आफ मनी करते हैं तो उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिना सजा के कोई काम ठीक से चलने वाला नहीं है। आप स्वयं देख लीजिए, यहां कई सदस्यों ने इस बात को उठाया है। यदि कोई

मिल रुग्ण हो जाती है, आपने डिक्लेअर कर दिया लेकिन उसके लिए प्रिवेंन्टिव मैयर्स भी उठाने जरूरी हैं। इसलिए जो आपने प्रावधान किया है, जज तो ठीक है, लेकिन कुछ दूसरे प्रोफैशनल्स उस काम के लिये जरूरी हैं। जज ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, उनके सामने तो जो कागज आयेगा, उससे ही उनका काम चलेगा। हमारे बैंकों का इतना एक्सपेंशन हुआ लेकिन जितनी हमारी अपेक्षा हुई है, उतने प्रोफैशनल अभी बने नहीं हैं। कुछ फाड है यह मैं मानता हूं लेकिन सारा काम आई०ए०एस० के ऊपर छोड़ने से ही काम बनने वाला नहीं है, ओपरेटिंग पार्ट की तरफ ध्यान देने की भी जरूरत है। यदि हमारी व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो हमारा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा और हमारा बिल लाना बेकार होगा।

फिर सिकनैस के कुछ और भी कारण हैं। कुछ उद्योगपति इतने होशियार हो गये हैं कि उन्होंने बहुत से अलग-अलग ट्रस्ट बना दिए हैं। बिड़ला के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, ज्यादा कहने की मैं जरूरत नहीं समझता। कई लोग अपना खुद का खाना-पीना भी ट्रस्ट के जिम्मे, गैस्ट हाउस का खर्चा भी ट्रस्ट के जिम्मे और दूसरे सारे खर्च भी ट्रस्ट से होते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि ट्रस्ट की प्रोपर्टी छिनने के चान्सेज कम होते हैं। इसलिए ऐसे ट्रस्टों पर भी पाबन्दी लगाए जाने की आवश्यकता है। जो उद्योगपति इंडस्ट्री का पैसा ट्रस्ट के कार्यों में लगाते हैं, या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट बना देते हैं, जिसके कारण इंडस्ट्री घाटे में चली जाती है, सरकार उनके बारे में भी कुछ सोचे और उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। देश भर में जितने भी बोगस ट्रस्ट बने हुए हैं और कामर्शियल काम पर चलते हैं और ट्रस्ट के माध्यम से इन्वैस्टमैंट करते हैं, ऐसे ट्रस्टों के बारे में देखना चाहिए कि वे कितने चैरिटेबल हैं और कितने कामर्शियल हैं। जब तक आप देखेंगे नहीं ये ऐसे ही काम करते रहेंगे क्योंकि ये लोग बड़े होशियार हैं। किसी ने फैमिली ट्रस्ट बना रखा है, किसी ने कुछ और। इससे आपको पता नहीं चलता कि कौन कहां लिक्वीडेशन में चला गया है। इसलिए मैं मांग करूंगा कि ऐसे ट्रस्ट्स की चैकिंग होनी चाहिए, उनका ऑडिट होना चाहिए और उन पर पाबन्दी लगाने की कार्यवाही होनी चाहिए।

तीसरी बात मैं आपने जो ऋण दिया है, उसके बारे में कहना चाहता हूं, आपने एक अनस्टार्ड क्वश्चन का जवाब दिया है, उसमें बताया है कि ज्यादा से ज्यादा जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं 600 तक हैं, जिनको एक करोड़ से ज्यादा ऋण दिया है और मीडियम इंडस्ट्रीज मिल के ढाई हजार करोड़ हमारा रुपया इनमें फंसा हुआ है और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के अन्तर्गत 8400 यूनिट्स हैं जिनको 700 साढ़े 700 करोड़ रुपया आपने दिया है और वह फंसा हुआ है, लेकिन स्माल स्केल तो सही स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, किन्तु जो एंसीलियरी यूनिट वाले होते हैं, ये तो एक ही फैमिली के मैम्बर होते हैं, इनमें जो ढाई हजार करोड़ रुपया फंसा ये सब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, जो छोटे हैं, वे तो ठीक हैं। बड़ों के ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही करो, तो ठीक है नहीं तो वे सिक इंडस्ट्री बनाते हैं, उनके ऊपर कोई रोक नहीं है। इसलिए मैं मांग करूंगा और मैंने इस बारे में एक अमेंडमेंट भी दिया है कि डायरेक्टर आफ बोर्ड ने डिफाल्ट किया है या सिक इंडस्ट्री बनाई है, उसको कभी भी किसी इण्डस्ट्री का डायरेक्टर नहीं बनाना चाहिए और जिस कम्पनी की वह डायरेक्टरशिप एंजाय करता है उस कम्पनी का भी गवर्नमेंट ऑडिट होना चाहिए। जैसे हमारी कोआपरेटिव में कड़ी ऑडिट होती है वैसी ही ऑडिट इनमें होनी

[श्री बाला साहेब विखे पाटिल)]

चाहिए। अब इतनी मिल्स सिक होने के बावजूद भी उनका जो पंचतारा होटल का कल्चर है, वह बदलता नहीं है, चाहे हमारे मजदूर भूखे ही मर जाएं, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं होता है। अब जब इतने घाटे में ये इण्डस्ट्रीज हो जाती हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में टैक्सटाइल की जो मिलें हैं जिनको वे चलाने में थक गए हैं तथा गवर्नमेंट ने जिनको नैशनलाइज किया है, तो फिर वे हाईकोर्ट में और सुप्रीम-कोर्ट में क्यों जाना चाहते हैं ? जब इनका काम धंधा नहीं चलता है और इण्डस्ट्री घाटे में है और उनके लिए चलाना ठीक नहीं है, तो फिर वे क्यों सुप्रीम कोर्ट मे जाना चाहते हैं क्योंकि उनका एक गैंग है और उनकी मंशा यह है कि चाहे इण्डस्ट्री चले या घाटे में हो जाए, डूब जाए और चाहे वर्कर्स पर कुछ भी बीते, उन्हें कोई मतलब नहीं है। इसके ऊपर भी मैं चाहूंगा और विनती करूंगा और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपने ढाई हजार करोड़ रुपया जो बड़ी इण्डस्ट्रीज को दिए हैं और आपने बीच में एक पालिसी तय की जिसमें आपने लिबरेलाइजेशन इन इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिंग पालिसी बनाई और आपने सोफ्ट लोन का प्रावधान किया आपको मालूम है सायजेबल इकनोमिक प्लांट के विस्तार तहत कितने लोगों ने इस प्रावीजन का फायदा उठाया, कितने लोगों ने वह सोफ्ट लोन लिया किसी ने नहीं लिया, क्योंकि उनको पता है कि अगर सिक इण्डस्ट्री हो जाएगी तो सरकार ले लेगी। लेबर के लिए कुछ नहीं किया जाता है।

सभापति महोदय, इस हिन्दुस्तान में मिल मालिक को पक्का पता है कि यूनियन मांग करेगी, सरकार सोचेगी और जनता के दबाव में आकर सरकार रुग्ण मिल को लेगी या उसे ऋण देगी, इसलिए हमें कोई डर नहीं है। इसलिए महोदय मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जिस ग्रुप की मिल सिक हो, उसको वही ग्रुप पैसा दे सरकार न दे अगर ऐसा होगा तो मिल मालिक फिर यह नहीं कह सकेगा कि उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए कानून में सुधार करके ऐसा प्रावीजन किया जाए जिससे उस ग्रुप से जिस ग्रुप की मिल सिक हो पैसा वसूल किया जा सके। और उस मिल को वही ग्रुप फीड करे, ऐसा कानून में सुधार हो।

सभापति महोदय, अब एक बड़ी अजीब बात देखने में आई है कंपनीज डिवेलपमेंट एक्ट में। उसके अनुसार एक आदमी 20 कंपनीज का डायरेक्टर रह सकता है। मेरा निवेदन है कि वह न तो मैंटली और न फिजीकली 20 कंपनीज का काम कर सकता है। न वह फिजीकली और न मेंटली बीस कंपनीज को अटेंड कर सकता है, इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि इसमें कुछ सुधार कीजिए, 20 की जगह 10 कर दीजिये या 7 कर दी जायं तब तो कुछ बात बनती भी है। वह तो बस सिगनेचर कर देता है। इससे कुछ नहीं होगा और कम्पनी सिक तो इस प्रावीजन से बनेंगी ही। दूसरी बात यह है कि कल्याणी किर्लोस्कर को डायरेक्टर बना देता है, और किर्लोस्कर कल्याणी को मफतलाल कल्याणी को और कल्याणी मुफतलाल को दे देता है, इसलिए महोदय ये तो एक ही फेमिली की यूनिट बन जाती हैं और बीस कम्पनीज का जब एक डायरेक्टर होगा तो मिलें तो रुग्ण होंगी ही। इसलिए इस प्रावीजन को आप संशोधित कर करिए और ऐसी व्यवस्था करिए जिससे मिलें रुग्ण न हों।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में तीन चीनी मिलें बन्द हैं. मैं उनके बारे में कहना चाहता

हूं कि वहां पर मजदूर अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मालिक ने 3 साल तक किसान को पैसा नहीं दिया, इसलिए गन्ना किसान देने के लिए तैयार नहीं है। अब इसमें मजदूर का क्या कसूर है, कोई कसूर नहीं है, मालिक चलाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार बिल्कुल सोचने के लिए तैयार नहीं है। अगर उनकी मजदूर कोआपरेटिव भी बना दें, तो भी वह मिलें चल नहीं सकती हैं, क्योंकि अब किसानों का उसमें विश्वास नहीं रहा है इसलिए वे गन्ना नहीं देंगी। इसलिए चाहिए तो यह था कि मजदूर को काम की गारंटी दें, लेकिन अगर वहां से उनको हिलाना चाहें, तो हिला दो, लेकिन अगर गन्ना मिलों और कपास मिलों की रुग्णता को आप कम करना चाहते हैं, तो मैं सुझाव दूंगा कि किसान की और मजदूर की दोनों की जाइन्ट कोआपरेटिव बना दें और जब दोनों की जाइंट कोआपरेटिव बनेगी, तो एग्रो बेस इंडस्ट्री में उससे मेरा ख्याल है कि यह प्रश्न हल हो जाएगा और इससे किसानों को और मजदूरों को भी फायदा होगा और जैसा आप चाहते हैं, हम चाहते हैं वैसा इसमें कुछ न कुछ बन जाएगा।

मैं इतना सुझाव देते हुए, आपके इस बिल का समर्थन करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं :

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : श्रीमन्, इस विधेयक का उद्देश्य, रुग्ण और अर्ध रुग्ण कंपनियों का समय रहते पता लगाना है, ताकि उनके पुनरुज्जीवन या पुनर्वास के लिए जल्दी कदम उठाएं जा सकें।

श्रीमन्, मजदूर संघों और मजदूरों का यह विचार है कि वर्तमान प्रबन्ध रुग्ण उद्योगों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब पश्चिम बंगाल विधान सभा में सभी दलों के सदस्यों का एक प्रतिनिधि-मण्डल केन्द्र मन्त्रियों से मिला था तो उसने मांग की थी कि काफी मात्रा में रुग्ण उद्योगों से निपटने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए जाएं। काफी संख्या में छोटे, मध्यम और बड़े उद्योग रुग्ण क्यों बनते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है? इनकी संख्या एक लाख से ऊपर पहुंच गई है। क्या सरकार की नई आर्थिक नीति या औद्योगिक नीति और सरकार की उदार आयात नीति के कारण ऐसा नहीं हैं? नई औद्योगिक नीति के कारण, कई उद्योग, मध्यम और छोटे रुग्ण हो गए हैं और उनमें से कुछ बन्द भी हो गये हैं।

श्रीमन्, यह विधेयक केवल बड़े और मध्यम उद्योगों पर लागू होता है। अतः यह विधेयक केवल थोड़े से उद्योगों पर ही लागू होगा और वह भी निजी कम्पनियों पर ही लागू होगा। सरकारी रुग्ण उपक्रमों, सरकारी कम्पनियों को इस प्रस्तावित रुग्ण औद्योगिक कम्पनी विधेयक की परिधि से बाहर रखा गया है।

इस विधेयक का एक उद्देश्य समय पर रुग्ण उद्योगों का पता लगाना है। लेकिन रुग्णता की सूचना देने की जिम्मेदारी निदेशक मण्डल की रुग्णता संबंधी रिपोर्ट पर छोड़ दी गई है। यह हमारा अनुभव है कि द्वितीय वर्ष के समाप्त होने के छः माह बाद लेखों की लेखा परीक्षा की जाती है। अतः 12 माह का समय तो वह है जिसमें कम्पनी रुग्ण हुई, इसके छः माह बाद लेखा परीक्षा रिपोर्ट को

[श्री बसुदेव आचार्य]

अन्तिम रूप देने में लगा और इसके बाद 60 दिन यानि दो माह का समय रिपोर्ट देने के लिए इस विधेयक में दिया गया है यानि जिस दिन से कम्पनी ने रुग्ण होना आरम्भ किया उससे 20 माह बाद रिपोर्ट बी०एस०आई०आर०को देने का प्रावधान है, यह समय यह रिपोर्ट देना नहीं है। श्रीमन्, रुग्णता का प्रथम लक्षण प्रतिकूल परिसमापन समस्याएं और मजदूरों की छटनीं आरम्भ होने से पहले ही, सामने आने लगते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित मजदूर होते हैं। लेकिन इस विधेयक में मजदूर संघों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। मजदूर संघों के प्रतिनिधियों को बोर्ड में शामिल नहीं किया गया है। विधेयक का यह एक मुख्य दोष है क्योंकि जब यह विधेयक अधिनियम बन जायेगा तब रुग्ण उद्योगों से निपटेगा लाखों मजदूरों को इस विधेयक से चिंता है। लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई ज्ञापन नहीं दिया गया। उस हालत में जब रुग्ण कंपनी को पुनरुज्जीवन नहीं दिया जा सकता और जिसे उच्च न्यायालय से परिसमापन के आदेश दिये गये हैं, उस दशा में राज्य सरकार की सलाह आवश्यक नहीं है। लेकिन न तो संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को ही शामिल किया गया है और न ही किसी कम्पनी के दिवालिया घोषित किये जाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति की ही इस विधेयक में कोई व्यवस्था है।

परिसमापन की अवस्था में, श्रमिकों के हितों की कैसे रक्षा होगी? विधेयक में इसकी भी व्यवस्था नहीं है। उनको देय वेतन-राशि, भविष्य निधि, उपदान आदि की अदायगी का भी उपबन्ध इस विधेयक में नहीं किया गया है, परिसमापन के बाद देनदारियों की अदायगी कैसे की जायेगी, इसका भी उल्लेख विधेयक में नहीं है।

श्रीमन्, इस विधेयक से उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि बोर्ड को कम्पनियों को बन्द करने के लिए काफी शक्तियां प्रदान की गई हैं। श्रीमन्, श्रमिकों के हितों की रक्षा नहीं की गई है और वित्त मंत्री सख्त सजा देने के लिए जिसकी मांग दोनों सभाओं ने की है, जो संशोधन पेश कर रहे हैं वह पर्याप्त नहीं है, इसमें व्यवस्था की गई है कि वित्तीय संस्थान और बैंक इन प्रबंधकों को 10 वर्ष तक सहायता नहीं देंगे। 10 वर्ष की सीमा क्यों रखी गई है? हमेशा के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया है? यह समय-सीमा क्यों रखी गई है? इसीलिए, मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक जल्दबाजी में लाया गया है। अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पारित कराने में जल्दी न बरतें क्योंकि इसमें कई दोष और असंगतियां हैं। अतः मैं सुझाव देता हूं कि पुनर्विचार और समीक्षा के लिए इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाए। इन शब्दों के साथ, मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कम से कम इन सभी कमियों को दूर किया जाए और उन सभी संशोधनों को स्वीकार किया जाए जिनका हमने सुझाव दिया है।

[हिन्दी]

श्री बापूलाल मालवीय (शाजापुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, जो रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1985 सदन के समक्ष प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं मध्य

प्रदेश का रहने वाला हूं और देवास मध्य प्रदेश का एक औद्योगिक सेन्टर है इस नाते मैंने वहां जो अनुभव किया है वह यह है कि 1962 या उससे पूर्व केन्द्रीय शासन की ओर से हर प्रदेश के कुछ जिलों, तहसीलों व ब्लाकों में पिछड़े औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए गए और उनमें शासन की ओर से काफी सहूलियतें दी गईं। ऐसा भी होता है कि कहीं 15 परसेन्ट सब्सिडी दी गई है और कहीं पर 25 परसेन्ट सब्सिडी दी जाती है। इसके साथ-साथ सेल्स-टैक्स, इनकम-टैक्स, आक्ट्रॉय ड्यूटी इत्यादि भी माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि देश में तीन प्रकार की इन्डस्ट्रीज हैं। एक—वे जिन्होंने कैपिटल सब्सिडी ली, सरकार से सारा लाभ लिया, मशीन भी डाली, लेकिन मशीनें नहीं चलती हैं। बाहर से सामान लाकर इन्डस्ट्री चला रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी इन्डस्ट्री को थोड़े ही रुग्ण माना जाना चाहिये। ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिये और जांच के बाद यदि सत्य पाया जाए तो जो भी सहायता हमने दी है, वह वापिस लेनी चाहिये और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये। दो—वे इन्डस्ट्री हैं, जो एक स्थान पर कारखाना चला रही हैं। कैपिटल सब्सिडी 15 प्रतिशत वगैरह सब कुछ प्राप्त कर लिया है और यदि दूसरे स्थान पर 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है, तो वह कारखाना धीरे-धीरे यहां से खत्म कर देते हैं और जहां 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है, वहां पर धीरे-धीरे कारखाना उठाकर ले जाते हैं। वे इतने चतुर होते हैं कि दूसरी जगह पर दूसरे के नाम से कारखाना डाल देते हैं और पहले वाला कारखाना बन्द कर देते हैं। तीन – वे इन्डस्ट्री हैं, जो अच्छी प्रकार चलती हैं, अच्छा प्रोडक्शन होता है, नियमित रूप से चलती हैं, लेकिन माल की सप्लाई के लिए मार्केट नहीं होता है। जब माल की सप्लाई के लिए मार्केट नहीं होता है, तो वह इन्डस्ट्री ठप्प-सी हो जाती है। मैं यह समझता हूं, शासन की ओर से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जांच के बाद, जो इन्डस्ट्री अच्छा काम करती है, अच्छा उत्पादन देती है, अगर उनके माल की सप्लाई नहीं होती है, तो शासन की ओर से माल को उठाने की कोशिश करनी चाहिए। यह एक अच्छी बात है कि एक्सपर्ट कमेटी में आप एक्सपर्ट लोगों को ले रहे हैं। एक्सपर्ट लोग ही कमेटी में रहें, अनएक्सपर्ट लोगों को रखने की औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं।

मैंने अखबारों में पढ़ा है, अमरीका में एक फैक्ट्री बहुत अच्छा साबुन बनाती थी, लेकिन उसको मार्केट नहीं मिला। उन्होंने एक्सपर्ट लोगों को बुलाकर तीन-तीन बार जांच कराई, तो उन्होंने बताया कि इसका लेबल अच्छा नहीं है फिर उन्होंने लेबल के एक्सपर्ट लोगों को बुला और उन्होंने आकर्षक लेबल बनाया। जब वह साबुन मार्केट में गया तो उसको अच्छा मार्केट मिला, मेरे कहने का मतलब यह है कि शासन की तरफ से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये, ऐसे जो रुग्ण कारखाने हैं, उनकी जांच एक्सपर्ट लोगों द्वारा कराई जानी चाहिए, ताकि पता लग सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस प्रकार की जांच चाहे हमारे ही देश के एक्सपर्ट लोगों से कराएं या विदेशों से बुलाकर करवाएं, लेकिन इस ओर शासन का ध्यान होना चाहिये।

जहां तक कॉटन मिल का प्रश्न है, मिलें फेल हो रही हैं, कारण यह कि आजकल टैरालीन और टेरीकाट का जमाना आ गया है। आज छोटे-से-छोटा आदमी भी टेरीकाट टैरालीन पहनने लगा है। दूसरी तरफ ट्रेड यूनियनें आपस में लड़ रही हैं। वे लड़ाई लड़ती हैं बोनस के लिए, वे लड़ाई लड़ती हैं मजदूरों के वेतन के लिए, वे लड़ाई लड़ती हैं कि मजदूरों को नहीं हटाया जाये—लेकिन

[श्री बापूलाल मालवीय]

किसी ट्रेड यूनियन ने यह नहीं देखा है कि ये टैक्सटाइल मिल क्यों खत्म हो रही हैं। कोई सुझाव नहीं दिया मुझे मालूम है, मिल ने गवर्नमेन्ट से पैसा लिया, फेल हो गई। एक साल चली, फिर फेल हो गई।

हम जितनी भी इनको मदद देते रहेंगे इन मिलों को हम अच्छी तरह से नहीं चला पाएंगे। काटन मिल्स जो है ये तो फेल हो गई हैं। इनका आधुनिकीकरण करना बहुत जरूरी है और यह कोशिश करना है कि इन मिलों से हम जो कपड़ा बनाएं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, टेरीकोट से भी अच्छी हो ताकि वह काटन कपड़ा चल सके। इसलिए मेरा विश्वास है कि इन काटन मिल्स में आधुनिकता लानी चाहिए। अगर काटन मिल्स में मजदूरों को भी भागीदार बना दें तब भी ये सफल नहीं हो सकेंगी।

आप जानते हैं कि जो किसान कपास बोता है जब उसको उसकी उपज का पूरा पैसा नहीं मिलता है तो वह दूसरी चीज बोने लगता है। आज किसान को कपास का पूरा पैसा नहीं मिलता है और कपास से मिल को कोई फायदा नहीं है। इसलिए काटन मिल के बारे में कोई नई टेक्नीक अपनायी जानी चाहिये। या तो इनका आधुनिकीकरण किया जाये या इनमें अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनाया जाये। यह मेरा निवेदन है।

हमारे देश में बहुत अच्छे टेक्नीशियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं जिनको कि काफी ज्ञान है। ऐसे लोगों को हम सलाहकार समिति में ले सकते हैं। ऐसे लोगों को ही सलाहकार समिति में लिया जाये। ऐसे ही लोग अच्छी राय दे सकते हैं अगर ऐसे लोगों को हम सदस्य बनायेंगे तो हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल सकेगा, यह मेरा विश्वास है।

जहां तक मैं समझता हूं ये कारखाने वाले बहुत चतुर हैं। जब गवर्नमेंट एक रास्ता बंद करती है तो कारखाने वाले दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं। गवर्नमेंट चाहे कितनी होशियारी दिखाये, ये कारखाने वाले उसकी पकड़ में नहीं आते। इसलिए शासन को कोई ऐसा रास्ता अपनाना चाहिये जिससे कि ये चतुर कारखाने वाले अपने कारखाने को ईमानदारी से चलाते रहें। ये कारखाने वाले आपसे जो मदद लें उसका ये पूरा उपयोग करें, इसका ख्याल रखिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिक इण्डस्ट्रियल कंपनीज (स्पेशल प्रोविजंस) बिल 1985 का समर्थन करता हूं पिछले काफी अर्से से मैं इस सम्बन्ध में बराबर कहता आ रहा हूं कि सिक यूनिट्स के संबंध में कोई-न-कोई अच्छी व्यवस्था की जाये कि सिक यूनिट्स को रिवाइव किया जा सके। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय वित्त मंत्री जी इस प्रकार का यह बिल लाए हैं।

मुझे व्यक्तिगत अनुभव है एक मेवाड़ टेक्सटाईल मिल के बारे में जिसके बारे में मैं चार-पांच साल से लगातार कहता आ रहा हूं कि उस इंडस्ट्री का मालिक उसको सिक बनाता आ रहा है और सरकार

उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। आपका जो टेक्सटाईल डिपार्टमेंट है उसने इसका कोई ध्यान नहीं रखा। इस मिल का मालिक इस मिल से असेट्स ट्रांस्फर करता रहा और उस यूनिट को सिक बनाता रहा। मेरे यहां कहने के बावजूद उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। वह 80 लाख रुपये प्रोविडेंट फण्ड का खा गया और ई० एस० आई० का लाखों रुपये मजदूरों का काटकर अपनी जेब में रख गया। ऐसा करके उस आदमी ने उस यूनिट को सिक बनाया। उसकी जांच करके उस आदमी को सजा मिलनी चाहिये थी, इस प्रकार का कार्य करने वाले को जेल में रखा जाना चाहिए था, लेकिन उसके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे कहने से माननीय वित्त मंत्री जी ने उस इंडस्ट्री के लिए लोन दिलाने की व्यवस्था की। मगर उस व्यवस्था को करने में भी दो साल लग गये। दो साल फाइनेंशयल इंस्टीच्युशंस और राजस्थान सरकार के बीच में चक्कर काटते-काटते लग गये, तब जाकर यह व्यवस्था बैठी है। तो दो साल तक कोई भी इंडस्ट्री सिक हो जाती है, अगर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी तो वहां के मजदूर क्या करेंगे। ढाई हजार मजदूर वहां काम करते हैं और दो साल से बेकार हैं, कहां खाने के लिए जाएं, बाल-बच्चों को कहां ले जाएं, इसके लिए कोई-न-कोई प्रावधान रखा जाना चाहिये जिससे ऐसे मजदूरों को समय पर सहायता दी जा सके। आपने अपने स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स में बताया है कि फाइनेंशल इंस्टीट्यूशन द्वारा जल्दी-से-जल्दी सिक यूनिट्स की सहायता करने के लिए बताया है, यह स्वागत योग्य प्रावधान है, इससे जो यूनिट्स वायबल हो सकते हैं, जिनको रिवाइव किया जा सकता है, उनके लिए यह प्रावधान बहुत अच्छी चीज है। इसके संबंध में निश्चित तरीके से आने वाले समय में सिक यूनिट्स को फाइनेंशल इंस्टीट्यूशन से मिलने वाली सहायता जल्दी से जल्दी मिल सकेगी और इस तरीके से दो-दो साल तक यूनिट को बन्द नहीं रहना पड़ेगा और उस इंडस्ट्री को वायबल बनाकर मजदूरों को रोजगार दिया जा सकेगा। इस व्यवस्था को आपने इसमें शामिल किया है, यह बहुत स्वागत योग्य कदम है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन फाइनेंशल इंस्टीट्यूशंस को भी गाइड कीजिये, इनको आदेश दीजिये ताकि ऐसे यूनिट जो वायबल हो सकते हैं, उनको जल्दी से जल्दी सहायता दें जिससे वह यूनिट रिवाइव होकर उत्पादन शुरू कर सकें और मजदूरों को रोजी-रोटी उपलब्ध हो सके। इस प्रकार की व्यवस्था नितांत आवश्यक है। इसके लिए जो प्रावधान किया गया है वह बहुत स्वागत योग्य है। इस प्रकार के प्रावधान की हम दिल से प्रशंसा करते हैं जो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जो यूनिट सिक हो गए हैं और वापिस रिवाइव नहीं हो सकते, उनके संबन्ध में निश्चित तरीके से प्रावधान किया गया है, उनको लिक्वेडिशन में लाने के लिए, उनसे जितने एसेट्स प्राप्त हो सकते हैं, उन एसेट्स को प्राप्त करके और दूसरी इंडस्ट्री में लगाया जा सकता है और अगर, वह यूनिट रिवाइव नहीं हो सकता तो इसके एसेट्स को बेचकर इसका पैसा प्राप्त करके दूसरी यूनिट में लगाया जा सकता है, इसके लिए आपने व्यवस्था की है जो स्वागत योग्य है। इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस इंडस्ट्री को आप लिक्वाडिट करेंगे, जा इंडस्ट्री रिवाइव नहीं हो सकती, उसके मजदूर का क्या होगा, उसके मजदूर को किस प्रकार से कंपन्सेट करेंगे, उसके मजदूर को किस तरीके से अल्टरनेटिव जाब देंगे, किस तरीके से एंप्लायमेंट देंगे, इसके सम्बन्ध में कोई न कोई

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

व्यवस्था जरूर कानून के अन्दर होनी चाहिये। ऐसी इंडस्ट्री जो लिक्वाडिशन में आए, उसके जो मजदूर बेकार हों, उनको कहीं न कहीं एंप्लायमेंट मिलना चाहिये, और उसको रोजी-रोटी मिलनी चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था की नितांत आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रावधान कानून में आपने नहीं किया है, इसलिए इस प्रक ार का प्रावधान निश्चित तरीके से होना चाहिये ताकि यह व्यवस्था ठीक प्रकार से हो सके।

इसी तरीके से एक निवेदन और करना चाहता हूं बोर्ड के बारे में। जो आपने बोर्ड बनाया है और हाई कोर्ट के जज को इसमें रखा है, उसके बाद आपने अपील की भी गुंजाइश रख दी है। आप जब इस बात को मानते हैं और आपके बैंक, रिजर्व बैंक, फाइनान्शल इंस्टीट्यूशंस ने इस बात को मान लिया है कि ये यूनिट सिक होने जा रहा है तो उसके बाद अपील करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिएं, लेकिन प्रावधान किया गया है कि अपील कर सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था से जिस बात को आप हटाना चाहते हैं कि देरी न हो, जल्दी से जल्दी यूनिट रिवाइव हो सके तो उसको रिवाइव किया जाए, उसको फाइनांशल एड दी जाए, मगर इस प्रकार का प्रावधान होता है तो निश्चित तरीके से देर होगी और जैसा अनुभव है, अभी दत्ता सामंत जी ने भी कहा कि बाम्बे की जिन इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करने की बात की, वे हाई कोर्ट में पहुंच गईं और उन्होंने उस व्यवस्था को रोकने की कोशिश की। इसमें अगर इस प्रकार का प्रावधान रखा जाता है तो इसमें समय लगेगा। समय ज्यादा लगने से निश्चित रूप से उस व्यवस्था को धक्का लगेगा, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आपका पैसा इन्वाल्व है, यह बात साबित है कि गवर्नमेंट का पैसा ज्यादा से ज्यादा इन्वाल्व है, 80-90 परसेंट पैसा सरकार का होता है, उसके बाद इंडस्ट्री को क्या अधिकार है कि वह, सरकार ने जो निर्णय लिया है, फाइनांशंस इंस्टीट्यूशंस ने जो निर्णय लिया है कि मैनेजमेंट को बदल दिया जाए, टेक-ओवर कर दिया जाए, नेशनलाइज कर दिया जाए, इसकी अपील की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उसके खिलाफ वहां पर अपील में जाएं या कोई अपीलिएट अथारिटी आप मुकर्रर करें जिसके अन्दर वे जाएं। उस व्यवस्था को डील करेंगे तो उससे इस प्रकार की इण्डस्ट्रीज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपने ऐसे लोगों को बिना वजह ऐसा मौका दे दिया जिसकी वजह से आप जो बढ़िया कानून लाए हैं, उस कानून को धक्का लगेगा और गरीब मजदूरों को नुकसान होगा क्योंकि वे बेकार रहेंगे। इस व्यवस्था को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जब सिक होने की जानकारी मिले तो उसके सम्बन्ध में कोई न कोई कार्यवाही हो जानी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए। जो बोर्ड आप बनायेंगे जिसमें हाई कोर्ट का जज और अन्य मैम्बर होंगे, उन मैम्बर्स को यह मालूम हो जाना चाहिए कि यह इन्डस्ट्री सिक होने जा रही है तो किस वजह से सिक हो रही है। मैनेजमेंट ने उसके असेट्स को ट्रांसफर किया है जिसकी वजह से सिक हो रही है या मिसमैनेजमेंट की वजह से सिक हो रही है। अगर तुरन्त कदम उठाए जाएं तो निश्चित तरीके से वह इन्डस्ट्री सिक नहीं होगी और उस इन्डस्ट्री को बचा सकेंगे। इससे वहां के मजदूरों को राहत मिलेगी। इस तरह का प्रावधान होना चाहिए।

[अनुवाद]

"'रुग्ण औद्योगिक कम्पनी' से अर्थ ऐसी औद्योगिक कम्पनी (जो कम्पनी के रूप में सात वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत हो) से है जिसको किसी वित्तीय वर्ष के अन्त में सारी वास्तविक पूंजी के बराबर या इससे अधिक घाटा हुआ हो और उस वित्त वर्ष और उस वित्त वर्ष के एकदम पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा हुआ हो।"

[हिन्दी]

पचास परसेंट लास हो जाने के बाद और असेट्स को समाप्त करने के बाद इस प्रकार का एक्शन लिया जाए, उसके बाद वह इन्डस्ट्री कभी भी रिवाइव नहीं हो सकती। इसलिए इसके सम्बन्ध में तुरन्त जानकारी मिलनी चाहिए क्योंकि आपके डाइरेक्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीच्युशन के लोग उसमें रहते हैं। उनको समय-समय पर यह जानकारी मिलती रहती है कि यह इन्डस्ट्री किस प्रकार से चल रही है, सिक होने जा रही है या प्राफिट कमाने वाली है। इस बात की जानकारी आपके उन अधिकारियों को रहती है तो निश्चित तरीके से उनको समय पर एक्शन लेना चाहिए। इस प्रकार से दो साल तक कंजीक्युटिव लास होने के बाद आप कोई एक्शन लेंगे तो उसके बाद उस इन्डस्ट्री के रिवाइव होने की बहुत कम गुंजाइश रहती है जिसकी वजह से वह इन्डस्ट्री बिल्कुल समाप्त हो जायेगी। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग इन्डस्ट्री को सिक करते हैं और जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जिन प्राईवेट इन्डस्ट्रीज में बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स होते हैं, उन डाइरेक्टर्स के तमाम रिश्तेदार वहां पर होते हैं। वे लोग मिलजुल कर इन्डस्ट्री को सिक बनाते हैं। इस सम्बन्ध में भी जानकारी करनी चाहिए कि कौन से लोगों ने फ्राडुलेंट एक्ट किया है जिसकी वजह से गड़बड़ी हुई है। इंक्वायरी करने के बाद अगर यह मालूम हो जाए कि इन लोगों ने फ्राडुलेंट एक्ट के जरिए इस इन्डस्ट्री को सिक करने की कोशिश की है तो उनको निश्चित तरीके से सजा मिलनी चाहिए। इस तरह का प्रावधान इस कानून में होना चाहिए जिससे लोगों को इबरत मिले और उनके दिलो-दिमाग में भय पैदा हो कि वे लोग भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करेंगे जिसकी वजह से उन्हें सजा भुगतनी पड़े। इस कानून को निश्चित तरीके से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार की व्यवस्था अगर आप कर देंगे तो उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इस व्यवस्था के जरिए आप ऐसी सिक इन्डस्ट्रीज को रिवाइव कर सकेंगे। मैं आपसे बैंकों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। बैंक्स को नेशनेलाइजेशन करने के बाद बहुत बड़ी तादाद में लोगों को पैसा दिया है। इन पूंजीपतियों को बहुत ज्यादा पैसा मिला है। करोड़ों रुपया इनको मिला है और बराबर मिलता रहता है। मेवाड़ टैक्सटाइल मिल को सिक करने के बाद सम्पत मल लोढ़ा को गुजरात के बैंकों ने लोन के रूप में नयी इन्डस्ट्री खड़ी करने के लिए दो करोड़ रुपया दिया। जब कोई आदमी एक स्थान पर किसी इंडस्ट्री को सिक करके उसे असैट्स ट्रांसफर कर देता है और इंडस्ट्री को सिक बना देता है तो उस आदमी को हिन्दुस्तान भर में कहीं पर भी किसी बैंक से पैसा नहीं मिलना चाहिए और इस व्यवस्था को ठीक प्रकार से देखने की बहुत आवश्यकता है।

इसी तरह से मैं बैंकों के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। वित्त मन्त्री जी आपके

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

बैंक आजकल जिस तरीके से पैसा दे रहे हैं, और जिस तरीके से बीस प्वाइन्ट प्रोग्राम के अन्दर, इन्डस्ट्रीज के अन्दर या स्व-रोजगार योजना के तहत सबसिडी दी जा रही है, जब पैसे का दुरुपयोग भी बैंकों के लोग कर रहे हैं। बैंकों से गरीब लोगों को कम फायदा मिल रहा है और बड़े-बड़े लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आपके बैंकों के अधिकारी भ्रष्ट तरीके से काम करके, सारी व्यवस्था को गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इन बैंकों के ऊपर सख्त निगरानी रखने का जरूरत है। हमने बैंकों को इस उद्देश्य से नेशनेलाइज किया था ताकि गरीब लोगों को खास तौर से फायदा पहुंचे परन्तु ये बड़े-बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बैंकों के अधिकारी अपना गरीबी मिटाने में लगे हैं न कि गरीब जनता की मदद करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था को भी माकूल बनाइये और जितने भी कार्यक्रम हमारी पार्टी के हैं, हमारे प्रधान मन्त्री राजीव गांधी जी ने दिए हैं, उन सबको ठीक प्रकार से इम्पलीमेंट करने के लिए, यदि आपके बैंक ठीक प्रकार से सहयोग देंगे तभी देश से गरीबी मिट सकेगी और फिर किसी भी इन्डस्ट्री में सिकनैस आने का गुंजाइश नहीं रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष जी, इस सदन में सिक इन्डस्ट्रियल कम्पनीज (स्पेशयल प्रोवीजन्स) बिल विचार हेतु प्रस्तुत है। उसके सम्बन्ध में बहुत से लोगों ने चर्चा में भाग लेते हुए अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कोई भी इन्डस्ट्री मजदूरों के कारण सिक होती है लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का ओर से पीछे एक सर्वे किया गया था, उसमें से कुछ उद्धरण मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उनका उद्देश्य यह था कि इन्डस्ट्रीज सिक क्यों होती हैं, इसके पीछे क्या कारण हैं और इसीलिए उन्होंने 378 इन्डस्ट्रीज का सर्वे किया तो उन्हें 5 करण पता चले :—

[अनुवाद]

(क) अन्य उद्योगों में पूंजी का अपवर्तन करने के कारण	...	52%
(ख) गलत प्रारम्भिक आयोजना और अन्य कमियों के कारण रुग्ण होने वाले एककों की संख्या	...	14%
(ग) श्रमिक समस्या की वजह से रुग्ण होने वाले एकक	...	2%
(घ) बाजार में मंदी की वजह से रुग्ण होने वाले एकक	...	23%
(ङ) अन्य कारण जैसे बिजली में कटौती, कच्चे माल की कमी आदि	...	9%

[हिन्दी]

इसमें सबसे ज्यादा बड़ा कारण यही था कि उस इन्डस्ट्री की पूंजी दूसरी जगह ट्रांसफर करने

से वह इन्डस्ट्री सिक हो गई; ऐसी इन्डस्ट्रीज का परसेन्टेज 52 निकला। इस रिपोर्ट से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हमें अपनी इन्डस्ट्रियल पौलिसी में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हर किसी पब्लिक सैक्टर लिमिटेड कम्पनी में गवर्नमेंट का भी एक शेयर होता है और उसमें गवर्नमेंट का डायरेक्टर होता है। उद्योगपति क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के डायरेक्टर को मौज-मस्ती कराते हैं, गैस्ट हाउसेज में बिठाते हैं और इस कारण वह गवर्नमेंट की पूंजी के बारे में सोचता नहीं है। गवर्नमेंट की पूंजी हर अण्डरटेकिंग में लगी होती है, बैंक की भी होती है और बैंक की तरफ से भी एक रिप्रे-जेन्टेटिव वहां होता है। मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों को इन्डस्ट्री के सिक होने तक पता ही नहीं चलता कि इन्डस्ट्री सिक होने वाली है। मैं समझता हूं उनको पूरा पता होता है। जैसे किसी को बुखार हो जाता है तो उसे स्वयं जानकारी हो जाती है, हाथ पकड़ कर देखने से पता चल जाता है और हम कह सकते हैं कि डाक्टर की जरूरत है या नहीं, दवाई की है या नहीं। मगर सरकार के रिप्रेजैन्टेटिव्ज को क्यों पता नहीं चल पाता कि इन्डस्ट्री सिक होने जा रही है। इसके अलावा जिस फाइनैंश्यल इन्सटीट्यूशन ने उसको पैसा दिया होता है, उसका भी एक डायरेक्टर उसमें होता है। मगर गवर्नमेंट का डायरेक्टर कभी-कभी आता है और आता भी है तो उसके बारे में सोचने की फिक्र ही नहीं करता। केवल उस मैनेजिंग डायरेक्टर या बड़े-बड़े पूंजीपति जो लगाते हैं वे उसी प्रकार करते हैं, अभी आपको बताता हूं—हमारे यहां ए० पी० रायन्स लिमिटेड आंध्र प्रदेश में कम्पनी है और उसमें सरकार के 51 परसेंट शेयर हैं, उसमें थापर साहब एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अब वे हरियाणा में गए हैं, थापर ग्रुप के ही हैं और एक हांडा साहब हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने हरियाणा में फैक्ट्री लगाई है, उसमें काफी पैसा कमाया है, वे वहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर थे प्रोडक्शन तक वे ही थे, उसकी इन्क्वायरी हुई, उस इन्क्वायरी रिपोर्ट में यह पता चला कि उन्होंने दस करोड़ रुपये का दुरुप-योग किया। इसका मतलब यह है कि पैसे का दुरुपयोग होता है, अगर पैसे का दुरुपयोग होता है, तो इसके लिए हमें काफी सख्ती लानी चाहिए। इसका हमें इन्डस्ट्री बन्द होने से पहले पता भी चल जाता है क्योंकि फिर इन्डस्ट्रीज एम्पलाइज के प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस का जो पैसा होता है, इसको तीन-चार महीने पहले से देना बन्द कर देती है, उस वक्त हमको पता चल जाता है कि फैक्ट्री बन्द होने वाली है, उस वक्त हम सील कर सकते हैं। ये तो प्राइवेट फैक्ट्री वाले करते हैं, मगर उसको छोड़। मैं गवर्नमेंट की कम्पनी की बात करता हूं एन० टी० पी० सी० हमारे वारंगल, आंध्र प्रदेश में, मेरे ही चुनाव क्षेत्र में है जो निजाम हैदराबाद ने खोली थी, वह सिक होने वाली है चार महीने के अन्दर उसको वे क्लोज करने वाले हैं और नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन ने उसकी रिपोर्ट मांगी है, तीन एक्सपर्ट अपाइन्ट किये हैं, इसका साफ मतलब है कि दुरुपयोग होता है। वारंगल में कपास पैदा होता है, लेकिन वहां का कपास लेने से वह इन्कार करता है क्योंकि उसे पता है कि कितना कमीशन है कितना घाटा है, वह मार्केट से खरीदता है। वहां पर जो चार हजार मिल वर्कर्स हैं, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। उसकी जांच कराने के लिए मैंने कम से कम एक साल पहले से राजीव गांधी और एन० टी० सी० पी० के चेयरमैन को दस पत्र लिखे लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं है। इससे उसका दुरुपयोग होता है और उसमें जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं होता है और उसके कारण जैसा हमारे राजीव जी ने बताया कि उपभोक्ता का हम और शोषण करने से रोकेंगे, वह शोषण नहीं रुकता बल्कि और ज्यादा कंज्यूमर का शोषण होता है। उनका मतलब यह नहीं है कि सिंथेटिक्स की जो फेब्रिक है उस पर एक्साइज ड्यूटी बन्द करके 130 करोड़ रुपया सालाना टैक्स-

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

टाइल मिल्स को सिक करने के लिए हम देते रहें। हमारे पास कपास होता है, कपास पैदा करने वाला मजदूर इस भारत देश में है, वे उस कपड़े को ले सकते हैं, मगर उनके पास उस कपड़े को खरीदने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आपने जो सिंथेटिक एक्सपोर्ट किया है, उसके कारण मिल सिक होती हैं। उसके कारण जितनी भी काटन व मिलें वारंगल में हैं, वे सिक होती हैं, यही कारण है कि आप यहां पर उसको खरीदने की व्यवस्था नहीं करते, वहां का कपड़ा अमरीका जाता है, अमरीका वाले इंडिया से इम्पोर्ट करते हैं, यहां के जो लोग हैं वे उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, वे उसका उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि हमारी जितनी भी काटन मिल्स हैं, चाहे वे एन० टी० पी० सी० की हों, चाहे नैशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन आफ इंडिया की हों, उनमें अगर कपड़े का उत्पादन कम हो, तो आपको इम्पोर्ट करना चाहिए। यही बात मैं प्रा०वेट सैक्टर की मिलों के बारे में कहना चाहता हूं। इसीलिए आपको अपनी इम्पोर्ट पालिसी में भी तब्दीली लानी चाहिए। जो वस्तुएं हम यहां तैयार कर सकते हैं, उनको बाहर से मंगाने की क्या जरूरत है। चाहे हमें यहां से सस्ता बाहर से मिले, तो भी हमें इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए। हमारे जो किसान हैं उनके बच्चे अगर सिंथेटिक्स के कपड़े का उपयोग नहीं करते हैं, जो वस्तु हमारे यहां है, उसका उपयोग नहीं करते हैं, उसको नहीं पहनते हैं, तो मैं अपने किसानों को कहूंगा कि पहले तुम अपने सिंथेटिक को जो तुम्हारे पास है, उसको जलाकर आओ, जिस वस्तु की उत्पत्ति तुम खुद करते हो, उसका उपयोग भी तुम खुद करो, उसका उपयोग तुम खुद क्यों नहीं करना चाहते हो। जिन वस्तुओं को, जिन इंडस्ट्रियल गुड्स को, उद्योग में हम खुद तैयार कर सकते हैं, तो उसको इम्पोर्ट करने की क्या जरूरत है। इसलिए मैं इसके ऊपर भी दो-तीन सुझाव आपको देना चाहता हूं एक तो मुख्य कारण यही है जो आपने अपनी सिक मिलों के बारे में दे रखा है। एक सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि जो पैसा आप इन मिलों को देते हैं, उसको रिकवर करने का क्या तरीका है, यह आपने नहीं बताया है। मिलों में अपने डायरेक्टर को अपाइन्ट करके वे तो चले जाते हैं, लेकिन जो पैसा आपने दिया है, उसको रिकवर करने का क्या तरीका है, उसके लिए आपने क्या सोचा है आपने इस एक्ट में नहीं बताया है। दूसरी बात सैक्शन 24 में जो मैलाफाइड इंटेंशन से फायनेंस को रोक लेता है, उसके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए, जिससे वह डर जाएगा, यह सुझाव भी मैं देना चाहता हूं। हम जानते हैं कि जितना भी हो रहा है, इसी कारण हो रहा है। जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्स होते हैं, जितना प्राविडैंड फंड होता है, इंश्योरेंस का फंड होता है, मिल सिक होने के बाद डायरेक्टर एपाइन्ट किया जाता है। इसलिए इस बारे में अमैंडमैंड लाने की कोशिश करनी चाहिए। वर्कर्स के बारे में भी सोचना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री कल उत्तर देंगे।

6.00 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें, आदि

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : श्री जनार्दन पुजारी की ओर से मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं संख्या 348/85 सी० शु० से 354/85 सी० शु० तक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति, जो 5 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो संघटकों, ईंधन-मितव्ययी मोटरकारों और क्रास कंट्री वाहनों के वारंटी फालतू पुर्जों तथा ऐसे संघटकों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित माल (कच्चे माल को छोड़कर) के आयात पर मूल, उपसंगी तथा अतिरिक्त सीमा-शुल्क की पुनरीक्षित दरों के बारे में है, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1557/85]

6.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 1985/15 अग्रहायण, 1907 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53